खण्ड-335, अंक-8
बुधवार, 6 पौष, शक संवत् 1900
(27 दिसम्बर, 1978 ई0)

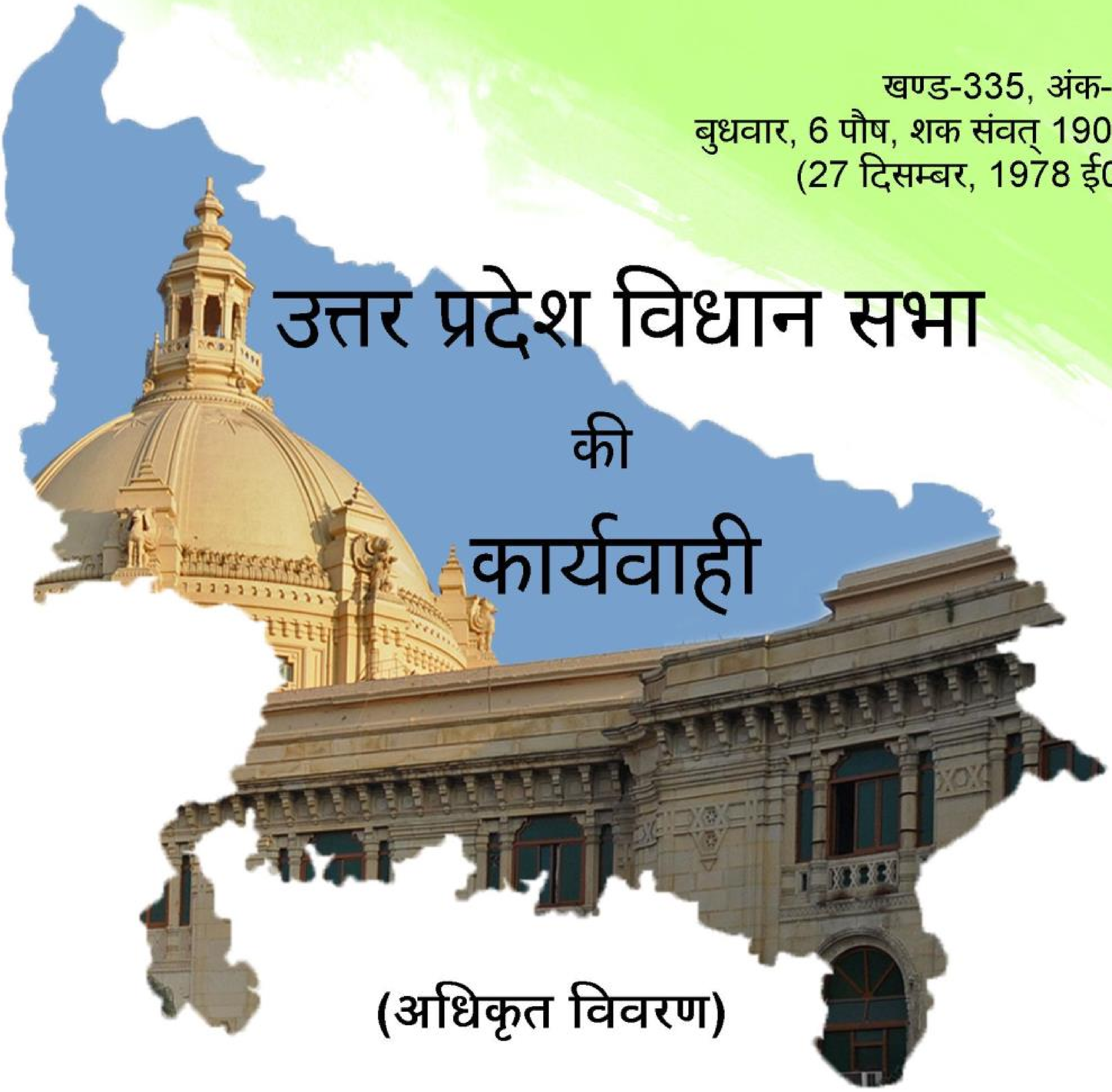

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 335 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९८०

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	११४७-११५०
प्रश्नोत्तर	११५१-१२२७
कार्य सूची के प्रश्न संख्या ६० के उत्तर के सम्बन्ध में सिंचाई मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग का प्रश्न उठाने की सूचना ..	१२२७-१२२८
सदन के संज्ञान में लाए जाने वाले विषयों का उत्तर मंत्रियों द्वारा न दिये जाने पर आपत्ति	१२२९-१२३०
विविध विषय	१२३०-१२३१
गोपनीयता के आधार पर प्रश्नों के उत्तर न देने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	१२३२-१२३७
हैदरगढ़ तहसील, जनपद बाराबंकी में किसानों को बिजली न मिलने से फसलों को क्षति के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	१२३७
बांदा से कानपुर आती हुई बस में भीषण डकैती के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	१२३७
विद्युत् परिषद् में सामान की कमी के कारण प्रदेश में नलकूपों को बिजली के कनेक्शन न मिलने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	१२३८
प्रदेश में कोयले की कमी के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	१२३८-१२३९
इटावा जनपद में नहरों की सफाई न होने से किसानों में असन्तोष के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	१२३९
बभनान चीनी मिल चालू न होने से गन्ना किसानों के समक्ष संकट के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	१२३९-१२४०
चमोली जिले के तिलवाड़ा नामक स्थान पर स्थित रोजिन फैक्टरी को लीसा न दिये जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	१२४०
सीतापुर में जिला जजी की नई इमारत बनने से जैन मन्दिर का रास्ता अवरुद्ध हो जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	१२४०
देवरिया जिले के थाना राम कोला व नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र में हत्या तथा डकैती की घटनायें तथा पुलिस की निष्क्रियता के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	१२४१
गोरखपुर में नहरों में पानी की व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में श्री शारद प्रसाद जायसवाल की नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना स्वीकार न किये जाने पर आपत्ति	१२४१-१२४२
कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई के सम्बन्ध में सूचनाएं..	१२४२

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश नर्सेज एण्ड मिडवाइव्ज काउन्सिल में कार्य करने के लिए सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम	१२४२–१२४३
उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा का प्रतिनिहित विधायन समिति का प्रथम प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ..	१२४३
उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा का प्रतिनिहित विधायन समिति का द्वितीय प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ..	१२४३
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं ..	१२४३
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	१२४४–१२४५
उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण), अध्यादेश, १९७८ के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) विधयक, १९७८ (पारित) ..	१२४५–१३२०
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	१३२०
मोहीनगर में छात्रों द्वारा रोडवेज की बसों को जलाने तथा पथराव किए जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	१३२०–१३२४
नत्थियां	१३२५–१३३२

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २७ दिसम्बर, १९७८

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य ३१२

अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक, श्री
अशफाक अहमद खां, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नरायन, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कालीचरण, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैय्या, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भषण सिंह, श्री

चन्द्र सेन सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जयराम, श्री
जयशंकर पांडेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथू राम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल 'सरोज', श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज लाल, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नू राम, श्री

मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरेशी, श्री
मूल चन्द, ठाकुर
मैनेजर सिंह, श्री
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज ब्रज राज सिंह, श्री
राज मंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
राम जी, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बख्श, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सरन सिंह, कुंवर
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियाफत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलबंत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
बिश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री

संसद भवन पुस्तकालय

शमशाद अहमद, हाजी
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यबीर, कुंवर
सग्त बख्श रावत, श्री
सियाराम सागर, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरि चरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २७ दिसम्बर, १९७८

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

फैजाबाद जिले में डस्टर व स्प्रेयर हेतु जमा की गयी धनराशि

**१--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के कई विकास खण्डों से पचास प्रतिशत अनुदान मिलने वाले डस्टर/स्प्रेयर का रुपया जिला कृषि एवं परियोजनाधिकारी, फैजाबाद के आदेश द्वारा एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन, फैजाबाद में लगभग ८ माह से जमा है परन्तु अभी तक न तो कोई मशीन मिल सकी है और न कोई संतोषजनक सूचना ही किसानों को मिली ? यदि हां, तो इस विलम्ब का क्या कारण है और यह मशीनें किसानों को कब तक उपलब्ध करा दी जायेंगी ?

कृषि राज्य मंत्री (श्री धीरेन्द्र सहाय)--

जी हां । इन मशीनों के प्रदाय से सम्बन्धित आपूर्तिकर्त्ता फर्मों द्वारा दी गयी शर्तों की स्वीकृति में समय लगने के कारण इनके प्रदाय में विलम्ब हुआ । आपूर्ति आदेश सम्बन्धित फर्म को दिये जा चुके हैं और यह आशा की जाती है कि ३१-१२-७८ तक मशीनें कृषकों को उपलब्ध हो जायेंगी ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन मशीनों के प्रदाय के बारे में किन-किन आपूर्ति फर्मों को कब-कब लिखा गया और आपूर्तिकर्ता फर्मों की कौन-कौन शर्तें थीं तथा उनका जवाब शासन को कब प्राप्त हो गया था ?

श्री धीरेन्द्र सहाय--

मान्यवर, जिलों से डिमांड मांगी गयी थी जिसके लिए १८ मार्च, १९७८ को सरकुलर गया था । उसके बाद अलग-अलग डेट्स में डिमांड आयी है । फैजाबाद की डिमांड २५-४-७८ को आयी थी । डिमांड आने के बाद ८-६-७८ को निदेशालय से पुष्टि के लिए भेजा तो उस पर १३-९-७८ को पुष्टि की प्राप्ति आ गयी है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मैंने पूछा है कि किन-किन फर्मों को कब-कब लिखा गया और फर्मों की क्या शर्तें थीं जिसको मंत्री जी ने नहीं बताया है ?

श्री धीरेन्द्र सहाय--

मान्यवर, पहले डिमांड सुनिश्चित की गयी और जब उसकी पुष्टि १३-९-७८ को हो गयी तो १९-९-७८ को उप सचिव, अनुभाग-५ ने एक पत्र लिखा श्री एस० एन० शुक्ला को जो लघु उद्योग निगम, उ० प्र० के प्रबन्ध निदेशक हैं । उन्होंने लिखा कि हमें वरीयता दी जानी चाहिए उनकी खरीदारी में तो पत्र लिखा गया है । उसके बाद १७-१०-७८ को एग्रो ने पूछा चूंकि किसान लोग हैं उन्होंने अपनी जो चवाइस दिया है, मेसर्स अमेरिकन स्प्रिंग वर्क्स बाम्बे, लिमिटेड को इसके द्वारा बनायी गयी मशीनों को । ऐसी दशा में १३-११-७८ को यह कह दिया गया कि किसानों की मांग को ध्यान में रखा जाय । इस कारण यह बिलम्ब इसमें होता रहा और जब तय हो गया, तो २०-११-७८ को फर्म को लिखा गया है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मैं जानना चाहूंगा कि फैजाबाद जिले के लिए कितने डस्टर, स्प्रेयर का आपूर्ति आदेश इस फर्म को दिया गया और उसने कौन विशेष सुविधा दिया है ?

श्री धीरेन्द्र सहाय--

फैजाबाद ने जो मांग दिया है, वह अमेरिकन फर्म को ज्यादा दिया गया है। उन्होंने २१५ स्प्रेयर मारुति और १९ डस्टर के लिये लिखा है। इसी अमेरिकन कम्पनी की मांग ज्यादा थी, तो जब काश्तकारों की मांग ज्यादा थी, तो २०-११-७८ को इस फर्म को लिख दिया गया...

श्री अध्यक्ष--

माननीय कृषि मंत्री जी, उनका कहना यह है कि इस फर्म की क्या-क्या विशेषतायें थी, क्या-क्या सुविधायें थी ?

श्री धीरेन्द्र सहाय--

मान्यवर, जब डिमान्ड इतनी ज्यादा थी, तो २०-११-७८ को इस फर्म को लिखा गया...

श्री अध्यक्ष--

यह तो उनका पहला प्रश्न था। अब उनका प्रश्न यह है कि जिस फर्म को आर्डर दिया गया, उसकी क्या-क्या विशेषतायें थी, क्या उसने सुविधायें दीं ?

श्री धीरेन्द्र सहाय--

यह अमेरिकन फर्म, मेसर्स स्प्रिंग वक्स बम्बे लिमिटेड, इस को आर्डर प्लेस किया गया, क्योंकि इसी फर्म की किसानों ने डिमान्ड की थी। उसकी क्या-क्या शर्तें थीं वह अनुमति हो, तो मैं पढ़ कर सुना दूं।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ५० प्रतिशत तो सरकार ने अनुदान के रूप में दिया और ५० प्रतिशत किसानों को लगाना था। ५० प्रतिशत जो किसानों को लगाना था, वह तो उन्होंने ब्लाक में जमा कर दिया आठ महीने पहले और जो सरकार को लगाना था उसकी प्रतीक्षा में आठ महीने लग गये और सरकार ने केवल एक-दो फर्म को मनोनीत कर दिया। इसका क्या कारण है ? क्यों इतना विलम्ब किया ? क्यों ऐसा नहीं किया कि बाजार से लाते क्योंकि स्प्रेयर बाजार में मिलने लगे थे, पहले जैसी स्थिति नहीं थी ?

श्री धीरेन्द्र सहाय--

मान्यवर, मैंने पहले ही बताया कि खुद कृषकों ने मांग की कि इस फर्म से दिलाया जाय।

श्री श्यामधर मिश्र--

श्रीमन्, आप एक ऐसे फर्म से माल खरीद रहे हैं, जो कि गवर्नमेन्ट की फर्म नहीं है और किसानों से कहा जा रहा है कि अपनी कीमत ब्लाक में जमा करें....

श्री अध्यक्ष--

आप ५० प्रतिशत अनुदान नकद किसानों को देते हैं या यन्त्र खरीद कर देते हैं इसी में भ्रम हो रहा है, इसे साफ कीजिए ।

श्री धीरेन्द्र सहाय--

श्रीमन्, ये यन्त्र एग्रो के मारफत दिलाये जा रहे हैं । एग्रो ऐसे यन्त्र खरीद कर जो अनुदान सेन्ट्रल गवरमेन्ट ने दिया है उसके आधार पर किसानों से कीमत जमा करा के इनको दे दिये जायेंगे ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि लघु उद्योग निगम जो हम लोगों के माल की बिक्री के लिए प्रयास करता है, उसको आदेश न दे कर प्राइवेट फर्म को आर्डर दिया गया ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने उत्तर दिया कि एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन सामान खरीद कर देता है ।

श्री मैनेजर सिंह--

लेकिन लघु उद्योग निगम की मांग पर आर्डर न देना और बम्बे की एक प्राइवेट फर्म को आर्डर देना यह क्या औचित्य था और किसानों ने कैसे उसी फर्म की मांग की ?

श्री धीरेन्द्र सहाय--

मान्यवर, और फर्म्स के बारे में भी डिमान्ड आई हैं । बुलन्दशहर से कुछ डिमाण्ड आई हैं, गोरखपुर से, मेरठ से, आगरे से, तो उन्होंने डिफरेन्ट फर्म्स को लिखा उनको भी आर्डर प्लेस किये गये हैं ।

श्री मित्र सेन (जिला फैजाबाद)--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन शर्तों को स्वीकार होने में जो विलम्ब हुआ उसका क्या कारण है क्या सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री धीरेन्द्र सहाय--

मान्यवर, सारे डिटेल्स बता दिये हैं । इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन वालों ने कहा कि हमारे जरिये लिया जाय । बाकी परिवारों में अब तक ११७ पहुंच गये हैं ।

एक सदस्य--

मान्यवर, निदेशालय ने ५ महीने....

श्री अध्यक्ष--

यह तरीका गलत है । इस प्रश्न पर १० मिनट से ज्यादा हो गये । अब इस पर नहीं ।

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर की बन्दी

**२--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर), श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल), श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर) तथा श्री लाल दास (जिला सीतापुर)--

क्या कृषि मंत्री यह बतने की कृपा करेंगे कि प्रौद्योगिक कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर, जिला नैनीताल अनिश्चित काल के लिए बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री धीरेन्द्र सहाय--

जी हां ।

३०-११-७८ को गोविन्द बल्लभ पन्तनगर कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के छात्रों के दो गुटों द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में की गई हिंसात्मक एवं तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों के फलस्वरूप उत्पन्न असुरक्षा के वातावरण को ध्यान में रखते हुए विद्युत् परिषद् के ३०-११--७८ के निर्णय के अनुसार विश्वविद्यालय अनिश्चित काल के लिए बन्द कर दिया गया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मंत्री इस बात को ध्यान में रखते हुये कि ३०-११-७८ से विश्वविद्यालय बन्द है, जिसके कारण अध्ययन और अध्यापन में क्षति हो रही है, तो वहां की स्थिति को सामान्य बनाकर, ताकि विश्वविद्यालय खुल जांय, इस हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किया गया है और उनकी उपलब्धि क्या है ?

श्री धीरेन्द्र सहाय--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में वहां के वी० सी० ८ दिसम्बर को आये थे और सारी स्थिति से अवगत कराया था । अब एक सीनियर आफिसर को भेजने की बात निश्चित हो रही है । अभी नाम नहीं तय किया । सीनियर अधिकारी से जांच कराकर जो दोषी होंगे, उनको दन्ड दिया जायेगा ताकि वहां का वातावरण ठीक हो सके और विश्वविद्यालय ठीक से काम कर सके ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न किया, उसका उत्तर नहीं मिला । मैंने प्रश्न किया कि अब तक क्या प्रयास किया गया और उपलब्धि क्या है ? उत्तर दिया कि ८ तारीख को अधिकारी आये और तय हुआ कि मामले में जांच की जायेगी । मान्यवर, मेरा कहना है कि ३०-११-७८ को विश्वविद्यालय बन्द हुआ और ८ दिसम्बर को अधिकारी आये, तो एक महीना होने जा रहा है और सरकार को इस बात की कोई चिन्ता नहीं कि हमारे प्रदेश का इतना महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय बन्द है और इतनी क्षति हो रही है, तो मेरा निवेदन है कि विश्वविद्यालय कब तक खुलेगा और उसके लिये क्या प्रयास हो रहा है ?

श्री धीरेन्द्र सहाय--

मान्यवर, उसमें एक सीनियर अधिकारी भेजकर जांच कराने जा रहे हैं । क्योंकि इसमें है कि दोनों तरफ से झगड़े हुये हैं और उसमें प्रोफेसर के बारे में भी जिक्र है । इसलिये सोचा गया कि एक सीनियर अधिकारी को भेजकर पूरे मामले की जांच करा ली जाय और जो लोग जिम्मेदार हों, उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही की जाय ताकि वहां का वातावरण ठीक हो सके ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मुझे आपत्ति है प्रश्न के उत्तर पर । यह इतना महत्वपूर्ण मामला है और सरकार की ओर से अभी कोई कार्यवाही नहीं की गयी, तो आज चाहें इसको स्थगित कर दें और कल परसों फिर उत्तर दिला दें । मैं इस उत्तर से यह समझने को मजबूर हूं कि अभी तक शासन की ओर से अपनी जिम्मेदारी समझकर कोई भी प्रयास नहीं किया गया, तो मैं चाहता हूं कि इसको आज स्थगित करा दें और पूरी व्यवस्था सदन के सामने आनी चाहिये ।

श्री धीरेन्द्र सहाय--

मान्यवर, मैंने यह बता दिया कि एक सीनियर अधिकारी भेज कर.....

श्री अध्यक्ष--

मुख्य प्रश्न है कि एक महीना हुआ । उनका कहना है कि सामान्य स्थिति पैदा करने के लिये, जिसमें कि विश्वविद्यालय खुले, क्या किया ? आपका उत्तर है कि केवल अधिकारी भेजा गया । तो ३० दिन में अधिकारी भेजने का आदेश हुआ । अधिकारी ने क्या किया, क्या परिस्थिति हुई, कब विश्वविद्यालय खुलेगा, माननीय मंत्री जी को इसके बारे में प्रकाश डालना चाहिये था ।

श्री धीरेन्द्र सहाय--

मान्यवर, इसको यानि कि एक सीनियर अधिकारी को भेजने का निर्णय हो गया है । नाम अभी सुनिश्चित नहीं हुआ है, तुरन्त उसको भेज दिया जाएगा ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, यह सरकार तो दो गुटों में बंट गई है और बड़ी असुरक्षा की भावना व्याप्त है । क्या इस तरह सरकारी कार्य बन्द हो जाएगा ?

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, कोई जवाब नहीं आ रहा है....

श्री दीप नरायन (जिला गोन्डा)--

मान्यवर...

श्री अध्यक्ष --

जो प्रश्नकर्ता हैं, आप उनको बोलने से रोक रहे हैं । प्रश्नकर्ता को बोलने दें ।

श्री राम दत्त जोशी--

माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करें जो उनके उत्तर से सम्बन्धित है, कि तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों में कितनी क्षति हुई और हिंसा की कितनी घटनाओं में कितने लोग आहत हुए और कितनी गिरफ्तारियां इन सिलसिले में की गई हैं ?

श्री धीरेन्द्र सहाय--

ऐसा है कि इसमें जो क्षति हुई है कुछ तो स्कूटर्स इसमें जला दिये गये, कुछ शीशे वगैरह, जो ग्लासपेन थे, वह तोड़े गये....

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण--व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठ जाइये । देखिये, प्रश्नों के लिये मैं मंत्रिगण से कहना चाहता हूं कि प्रश्नों के लिये आपको तैयार होकर आना चाहिए । इस तरह के असंतोष-जनक उत्तर देने से सदन का समय भी नष्ट होता है । अगर आप इसका उत्तर न दे सकें, तो फिर मैं इसको स्थगित करूंगा । कृपया इस पर प्रकाश डालें ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

कब तक आप मंत्रियों को इस तरह के निर्देश देते रहेंगे, इसको भी तो निश्चित कर दीजिये ?

श्री अध्यक्ष--

देखिये, एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अत्यन्त अनुचित है कि प्रश्नों के घंटों में कोई भी कैबिनेट स्तर के मंत्री यहां पर नहीं हैं ।...

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण व्यवधान)

लेकिन मंत्रियों को यहां उपस्थित रहना चाहिए । कृषि मंत्री जी, राम दत्त जोशी का प्रश्न है कि कितनी क्षति हुई, कितने लोग मारे गये ? इसका उत्तर दें ।

श्री धीरेन्द्र सहाय--

मान्यवर, ऐसा हुआ कि जब ३० नवम्बर, १९७८ को कुछ लड़के एक हास्टल से आ रहे थे, तो एक-दो लड़कों को पीटा गया, तो जब वे दो लड़के जो हास्टल में पीटे गये....

श्री अध्यक्ष--

मैं कह रहा हूं कि कितनी क्षति हुई, कितना नुकसान हुआ, कितने लोग मारे गये

श्री धीरेन्द्र सहाय--

कितनी क्षति हुई, कितने लोग मारे गये, मैं वही बता रहा हूं कि किन-किन को चोट आई, वहां क्या-क्या क्षति हुई ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग कृपया शांत रहिये ...।

आप लोग कृपया शोर न कीजिए ।

श्री धीरेन्द्र सहाय--

पहले दिन ३० तारीख को जो घटना हुई उसमें दो लड़कों को चोटें आईं और जो दूसरा ग्रुप था उसने प्रोफेसर को मारा । उसके बाद सात स्कूटर और एक मोटर साइकिल जला दिया । जो घटना हुई उसके बारे में १३ एफ० आई० आर० लालकुआं थाने में लिखाई गयी है ।

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, मंत्री जी को फाइल में उत्तर नहीं मिल रहा है ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, यह विधान सभा का मजाक उड़ाया जा रहा है ।

श्री धीरेन्द्र सहाय--

जांच के लिए थाने की पुलिस के बजाय एस० आई० एस० से कहा गया है

श्री रामदत्त जोशी--

कितनी गिरफ्तारियां हुई ?

श्री धीरेन्द्र सहाय--

इसकी सूचना इस समय नहीं है ।

श्री गनेशी लाल चौधरी--

कृषि विश्वविद्यालय का वातावरण दूषित हो गया है, जिसका प्रभाव दूसरे अंचलों पर भी पड़ता है । क्या मंत्री जी निश्चित रूप से बतायेंगे कि वातावरण कब तक ठीक हो जायगा और विश्वविद्यालय किस दिन खुलेगा ?

श्री धीरेन्द्र सहाय--

वातावरण तो वैसे ठीक ही है । शीघ्र आशा की जाती है कि विश्वविद्यालय खुल जायगा ।

श्री देव बहादुर सिंह--

क्या मंत्री जी को मालूम है कि ३० तारीख को कार्यवाहक कुलपति और डा० शर्मा को चोटें आईं और डा० घिल्डियाल का कार्यालय जला दिया गया ? यदि हाँ, तो उस सिलसिले में कौन-कौन लोग गिरफ्तार हुए ?

श्री धीरेन्द्र सहाय--

जैसा मैंने निवेदन किया गिरफ्तारी के सम्बन्ध में जानकारी नहीं है ।

श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--

मान्यवर, जो विश्वविद्यालय में आतंक का वातावरण छाया हुआ है...

श्री अध्यक्ष--

पालीवाल जी, प्रश्नों के समय इस प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

शीघ्र ही स्थिति सामान्य लाने और विश्वविद्यालय को दोबारा खोलने के लिए कौन-कौन से कंक्रीट कदम शासन द्वारा उठाए गए हैं ?

श्री धीरेन्द्र सहाय--

जैसा मैंने पहले निवेदन किया एक सीनियर अधिकारी की नियुक्ति का निर्णय ले लिया गया है । वह जांच करेगा और उसके बाद जो भी दोषी पाये जायेंगे उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं फिर आपका ध्यान बड़ी विनम्रता से आकृष्ट करता हूं किस व्यक्ति की नियुक्ति की गई उपद्रवों की जांच करने के लिए। मेरा प्रश्न बिलकुल साफ है कि विश्वविद्यालय की स्थिति को सामान्य बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसका उत्तर मंत्री जी नहीं दे पा रहे हैं। आप हमारा संरक्षण करें। बात यह है कि बड़े मंत्री जी तो हैं नहीं मुख्य मंत्री जी से ही परामर्श कर लें।

श्री अध्यक्ष--

राजेन्द्र कुमार जी, आप नियम ४९ के अन्तर्गत आधे घन्टे की चर्चा की मांग कर लें। इसमें १५ मिनट तो वैसे चला गया। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मंत्रियों को तैयार होकर आना चाहिए। फिर मुख्य मंत्री जी के द्वारा ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि प्रश्नों के समय मंत्रियों को पूरे तौर से फाइल के साथ और पूरी सामग्री का अध्ययन करके आना चाहिए। खास तौर से कृषि मंत्री जी को आज उपस्थित रहना चाहिए था। फिर जब १३, १४ एफ० आई० आर० लिखी गयी और माननीय सदस्य प्रश्न करें कि कितने गिरफ्तार हुए और मंत्री अपनी अज्ञानता प्रकट करें और उनको नोटिस की जरूरत हो, तो इस प्रकार का उत्तर अत्यन्त असंतोषजनक है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

नियम ४९ में सूचना देने के लिए श्रीमन् ने कहा है। नियमों की जानकारी मुझे है। ४९ के अनुसार दिन ही नहीं आ पायेगा क्योंकि ३० तक सत्र चलेगा। विषय महत्वपूर्ण है। चाहें तो नियमों का निलम्बन करें और हितों का संरक्षण करें, इसके लिए कल फिर से इसे ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष--

नहीं आप इसे नियम ४९ में ही दे दीजिए।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

इसे आप पोस्टपोन कर दें।

श्री अध्यक्ष--

नियम ४९ का नोटिस दे दीजिए। मैं इसे मंजूर कर लूंगा और दो दिन के अन्दर आ जायगा।

शारदा सहायक खंड, लखनऊ की पोषक नहर के पूर्वी कल्याणी साइफन के निर्माण के विरुद्ध आरोपों की जांच

**३--श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

क्या सिंचाई मन्त्री को यह विदित है कि शारदा सहायक खंड, अष्टम, लखनऊ के अन्तर्गत शारदा पोषक नहर के कि०मी० ११२-०० पर पूर्वी कल्याणी साइफन निर्माण कार्य में सहायक अभियंता द्वारा २०० एम० टी० स्टील डिजाइन एवं प्राक्कलन में निहित मात्रा से अधिक खर्च किया गया है जिसकी कीमत

४ लाख रुपये होती है । इस तथ्य की जानकारी खंडीय कार्यालय में टेक्निकल चेकिंग के दौरान हुई ? यदि हां, तो उस सहायक अभियंता के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ?

सिंचाई राज्य मन्त्री (श्री शारदा प्रसाद रावत)--

६७४--शारदा सहायक खण्ड अष्टम के अन्तर्गत पोषक नहर के कि०मी० ११२.४०० पर पूर्वी कल्याणी साइफन का निर्माण हुआ है । इस साइफन के प्राक्कलन के अनुसार लोहे की अनुमानित मात्रा १२२५.९७ मी०ट० थी । इस निर्माण कार्य में ठेकेदार को भुगतान की जाने वाली स्टील की मात्रा १३६५.७१ मी०ट० है । अभी ठेकेदार को अन्तिम बिल का भुगतान नहीं हुआ है ।

मामले की विस्तृत छानबीन अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खंड, अष्टम्, लखनऊ द्वारा की गई जिसके अनुसार सहायक अभियन्ता तथा अवर अभियन्ता उत्तरदायी पाए गए हैं, जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है ।

श्री रियासत हुसैन--

यह देखते हुए कि इस साइफन का जो ओरिजिनल ड्राइंग एस्टिमेट है, उसके हिसाब से ११३० मी०ट० लोहा लगना चाहिए था । उसके बाद जे० एन० श्रीवास्तव, एक्जिक्यूटिव इंजीनियर ने २८-९-७८ को इसी चीज के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत की कि ११६० मी०ट० लोहा लगना चाहिए और अब इस प्रश्न के जवाब में १२२५.९७ मी०ट० की बात कही गई है और ईश्यू किया गया है १३६५.५ मी०ट० । तो इस भ्रम को मिटाने के लिए कि इस साइफन में कितना लोहा लगना चाहिए इसका एस्टिमेट सेंट्रल डिजाइन डायरेक्टोरेट के जरिये मंगाने की कृपा करेंगे और साथ ही साथ जिस अधिकारी ने सुखबीर सिंह, एक्जिक्यूटिव इंजीनियर के जरिये इंक्वायरी करा कर १३७० मी० ट० लोहे की बात कही है अपने को बचाने के लिए और फलस्वरूप १० लाख रुपया ठेकेदार को सेक्योरिटी मनी सन् ७७ में वापस कर दिया गया तो क्या माननीय मंत्री उस अधिकारी के खिलाफ जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

ये दो साइफन हैं । एक ११२ कि०मी० पर और दूसरा ११८ कि०मी० पर है । पूर्वी और पश्चिमी दोनों की स्थिति यह है कि एक में ज्यादा लोहा लग गया और दूसरे में, जो ११८ कि०मी० पर है, उसमें कम लोहा लग गया । जांच के दौरान साबित हुआ कि एक में ज्यादा लोहा इश्यू हुआ और दूसरे में कम इश्यू हुआ, तो जैसा माननीय सदस्य ने कहा लोहा डिजाइन के अनुसार कितना लगना चाहिए उसमें गलती है । लेकिन यह कहना कि जो जांच की गई उसमें यह सिद्ध किया जा रहा है कि जो लोहा इश्यू किया गया है वह सही है, यह कहना सही नहीं है । यह बात सिद्ध पाई गई है कि लोहा अधिक इश्यू किया गया है। दूसरा साइफन जिसमें कम लोहा लगा है, उसमें ज्यादा लगना चाहिए था और इसकी जांच एक्जिक्यूटिव इंजीनियर द्वारा कराई गई । जहां तक पैसे का प्रश्न है दो लाख रुपया अन्दाजन रोक लिया गया है और यह जो कहा गया है कि १० लाख रुपया ठेकेदार को वापस कर दिया गया इसके बारे में मैंने अभी बतलाया कि दो लाख रुपया अभी भी रोके रखा गया है जितना कि शासन को नुकसान होने का अन्देशा है ।

[श्री शारदा प्रसाद रावत--]

जहां तक जांच का प्रश्न है वह कर ली गई है। अगर माननीय सदस्य की इच्छा किसी अन्य एजेंसी से जांच कराने की है, तो आप लिख कर दे दें जांच करा लेंगे।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कहा कि सेंट्रल डिजाइन डायरेक्टोरेट से इसका प्राक्कलन करायेंगे ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

इस जांच में देरी होगी। यदि उपयुक्त समझते हैं, तो हम करा देंगे लेकिन सजा देने में देर लगेगी, जिनकी गलती पाई गई है।

श्री रियासत हुसैन--

यह प्रश्न सीमित है कि ११२ कि०मी० पर जो साईफन बना है, किसी दूसरे साईफन का सवाल नहीं है, यह जून, ७५ में मुकम्मल हुआ और फाइनल बिल का पेमेन्ट सितम्बर, ७६ में १३६५.७१ मी०ट० का हो गया और उसके ६ महीने बाद कायदे के मुताबिक ठेकेदार को सिक्योरिटी मनी वापस कर दी गई। तो मेरा प्रश्न यह है कि जिस अधिकारी ने वह सिक्योरिटी मनी वापस कर दी जिसमें १४० मी०ट० ज्यादा लोहा लगा और उस अधिकारी ने उसे ठीक लगा कह दिया, इसलिए सिक्योरिटी मनी वापस कर दी। जो इसके लिए दोषी है उसके खिलाफ जांच करायेंगे ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

मैंने निवेदन किया जितना रुपया शासन का नुकसान हुआ, उसमें लगभग दो लाख का पेमेंट रोके हैं, अगर नुकसान इससे अधिक हुआ और रुपया रियलाइज नहीं हुआ, तो पुनः ठेकेदार से वसूल करेंगे। यदि इसमें कोई दोषी पाया गया, तो उसे अवश्य दंडित करेंगे।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, यह ठीक है कि जांच के बाद जो कमी पाई जायेगी, वह ठेकेदार से वसूल की जायगी। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जो सम्बन्धित इंजीनियर हैं चाहे वह एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, चाहे ए० इ० हों, चाहे जूनियर इंजीनियर हो ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? सितम्बर, १९७६ का यह मामला है ? जिन्होंने इसे पास कर दिया ....।

श्री शारदा प्रसाद रावत--

श्रीमन्, उन लोगों के खिलाफ जांच कर ली है जो शासन के विचाराधीन है असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के खिलाफ अब तक जांच हो चुकी है, उनके निलम्बन की कार्यवाही की जा रही है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

माननीय रियासत साहब ने जो प्रश्न उठाया उसका उत्तर नहीं आया। यह स्पष्ट है कि ठेकेदार की जमानत वापस कर दी गई। जिस अधिकारी ने उसे वापस किया उसने ठीक से देखभाल नहीं की। तो मैं जानना चाहता हूं कि जिस अधिकारी के आर्डर से जमानत वापस की गई उसके खिलाफ जांच चल रही है या नहीं ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

श्रीमन्, दो लाख रुपये अभी तक ठेकेदार के रोक रखे हैं . . . .।

श्री अध्यक्ष--

उनका कहना है जिस एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने जमानत वापस की, उसके खिलाफ भी जांच चल रही है ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

इसकी जांच करा लेंगे ।

श्री दीप नरायन--

श्रीमन्, अभी मंत्री जी ने अपने प्रश्न के उत्तर में कहा कि विभागीय जांच हो गई है और उनके खिलाफ शासकीय कार्यवाही विचारणीय है । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों पर इस बात का आरोप लगाया गया है उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही के अलावा क्रिमिनल केस लौज करके गिरफ्तारी करायेंगे ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

इसमें जो भी नियमतः कार्यवाही अपेक्षित होगी की जायेगी ।

श्री दीप नरायन--

अध्यक्ष जी, साफ जवाब नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

जवाब जैसा आप चाहते हैं उसके लिए मैं मजबूर नहीं कर सकता । वह कहते हैं विभागीय कार्यवाही करने के बाद जो उचित समझा जायेगा, वह करेंगे । इसके अलावा अभी से यह कहना कि विजिलेंस में भेजेंगे, यह कैसे मैं कह दूं ।

श्री श्यामधर मिश्र--

श्रीमन्, आप मूल उत्तर को देखें मंत्री जी ने कहा है कि १२२५.९७ मी०ट० लोहा उस डिजाइन के अनुसार लगना था और उसी में वह कहते हैं कि १३६५.७१ मी०ट० लोहा लगा । श्रीमन्, अभी तक तो मैंने यह सुना था कि समय के साथ दाम बढ़ जाते हैं लेकिन बिना डिजाइन बदले ही यह लोहा कैसे बढ़ गया ? क्या इसकी जांच किसी ने की कि कैसे अधिक लोहा ठेकेदार को दिया गया ? और डिजाइन किसने बदला और यह कब बदला गया, जिससे यह १२२५ के बजाए १३६५ मी०ट० हुआ ? इसका उत्तरदायित्व किस पर है ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

श्रीमन्, डिजाइन बदला नहीं गया है, बल्कि जो ठेकेदार को दिया गया है, उसकी मात्रा अधिक है, उसके सम्बन्ध में जांच करके असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

निदेशक, प्राविधिक शिक्षा का लोक सेवा आयोग द्वारा चयन

**४--श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर), श्री नरेशचन्द्र (जिला खीरी) तथा श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राविधिक शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश के चयन हेतु वर्ष १९७८ में कुछ व्यक्तियों का साक्षात्कार लोक सेवा आयोग समिति के सामने हुआ था ? यदि हां, तो लोक सेवा आयोग ने किस व्यक्ति का चयन किया था ?

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (कुंवर सत्यवीर)--

जी हां ।

आयोग द्वारा उल्लिखित पद से सम्बन्धित चयन संस्तुति गोपनीय है तथा चयन किए गए व्यक्ति का नाम बतलाना लोक हित में उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी शासन उस पर विचार कर रहा है और अन्तिम आदेश नहीं हुए हैं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

श्रीमन्, एक अधिकारी नियुक्त किया गया है और यह कहते हैं कि उसका नाम बताना लोकहित में नहीं है ?

श्री देव बहादुर सिंह--

श्रीमन्, ऐसा जवाब आपने कभी सुना था . . . ।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, एक व्यवस्था चाहता हूं आपसे, आप कोई ऐसी व्यवस्था निश्चित कर दीजिए कि एक नम्बर तय हो जाय कि किसी मंत्री के सम्बन्ध में आपके इतने स्ट्रिक्चर्स हो जाने के बाद वह इस्तीफा दे देंगे ? अन्य ऐसी व्यवस्था कर दें, तो बहुत अच्छा हो ।

श्री अध्यक्ष--

यहां व्यवस्था इस्तीफे के बारे में नहीं होती ।

श्री राम नरायन वर्मा--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस व्यक्ति के नाम की संस्तुति लोक सेवा आयोग ने की है, उस व्यक्ति को रखा गया है या अन्य व्यक्ति को रखा गया है ।

शिक्षा मन्त्री (श्री काली चरण)--

जब यह बताया गया कि जो चयन हुआ है, उसका अभी अन्तिम परिणाम घोषित नहीं हुआ है और यह भी बताया गया कि गोपनीय है, तो किसका चयन हुआ और किसका नहीं हुआ, यह बताना ही मुश्किल है ।

श्री राम नरायन वर्मा--

एक वर्ष होने जा रहा है, उसके निर्णय को रोकने का क्या कारण है ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, यह प्रश्न इस माननीय सदन के पिछले सत्र में भी आया था और इसके उत्तर में हमने यह बताया था कि विधि परामर्शी और कार्मिक विभाग इसका परीक्षण कर रहा है। अब श्रीमन्, उस परीक्षण में उसमें अपने नोट में कुछ अनियमितताएं बताई हैं, फलस्वरूप पुनः २१-१२-७८ को लोक सेवा आयोग को उनकी टिप्पणी के साथ उसे सन्दर्भित कर दिया गया है। उनके यहां से उत्तर आने पर पुनः कार्यवाही की जाएगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जब पद की आवश्यकता थी, लोक सेवा आयोग को लिखा गया था और वहां से चयनित कर नाम आ गया, तो अब उसके बाद कौन सी परिस्थितियां अथवा आपत्तियां पैदा हो गई हैं, जिसके कारण वह मामला पुनः लोक सेवा आयोग को रेफर कर दिया गया है ?

जो व्यक्ति आज उस पद पर तदर्थ रूप से नियुक्त है, उनके खिलाफ आनेका-नेक भ्रष्टाचार सम्बन्धी तथा अन्य शिकायतें थीं, उसी को ध्यान में रखकर लोक सेवा आयोग को तत्काल एप्रूवल के लिए भेजा गया था, तो क्या उस दृष्टि से इस समय नियुक्त व्यक्ति को तुरन्त हटाकर किसी अन्य व्यक्ति को वहां पर नियुक्त करने की चेष्टा करेंगे ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, उस तरह की जानकारी तो मुझे नहीं है, चयन की जो प्रक्रिया बतायी है, यह पूर्ति होने के बाद उस पर विधिवत चयन किया जायगा।

श्री मैनेजर सिंह--

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधि विभाग की चयन में आपत्ति क्या है ?

श्री अध्यक्ष--

यह बता दिया। उसमें कानूनी आपत्ति है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

मैं जानना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने उत्तर दिया है कि चयन संस्तुति गोपनीय है तथा चयन किये गये व्यक्ति का नाम बतलाना लोकहित में नहीं है, मैं जानना चाहता हूं कि १ अप्रल, १९७८ को दैनिक 'जागरण' समाचारपत्र में और १ मई, १९७८ को कानपुर से प्रकाशित 'विद्रोही भारत' ने साफ-साफ यह सरकार की गोपनीयता को भंग करते हुए चयन के नतीजे का प्रकाशन किया है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह जो समाचार प्रकाशित हुआ है, वह बेबुनियाद है या सही है ?

एक सदस्य--

नाम क्या है ?

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

श्री जी० एस० शर्मा।

श्री काली चरण--

इस समाचार की जानकारी मुझे नहीं है समाचार पत्र किस तरह से प्रकाशित करते हैं यह समाचार पत्र अपने लिए समझते हैं इस समाचार को देखकर इसकी जानकारी की जायगी । अगर किसी पर इस गोपनीयता को भंग करने का अपराध पाया जायगा, तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी ।

श्री गनेशी लाल चौधरी--

गोपनीयता कार्यालय से भंग हुई है उस कार्यालय के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को पुकारा नहीं गया)

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन-कौन से कारण हैं, जिन्हें गोपनीय कहा जाता है और इस चयन की संस्तुति में वह कारण है जिसे गोपनीय कहा जाय, वह कारण बता दें ?

श्री अध्यक्ष--

गोपनीयता का क्या कारण है ?

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

मैं जानना चाहता हूं कि कौन से गोपनीय कारण हैं, जो इसमें पाये जाते हैं, चयन की संस्तुति में, वह स्पष्ट कर दें ।

श्री कालीचरण--

यह तो स्पष्ट है कि जो चीज गोपनीय है, उसका कारण भी गोपनीय होगा ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

व्यवस्था का प्रश्न है । अगर कोई जनहित में गोपनीयता है तो इसका निर्णय आप करेंगे । मंत्री जी नहीं करेंगे । कृपा करके अपनी व्यवस्था दें, कि जिस व्यक्ति का नाम लोक सेवा आयोग से चयनित हो गया है, उसका नाम सदन में लेने में लोकहित में गोपनीयता होती है ? यह तय आप करेंगे मंत्री जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष--

अगर मंत्री किसी विषय की सूचना देने में यह कहते हैं कि जनहित में नहीं है, तो यह उनका अधिकार है, वह कहते हैं कि अभी उसका बतलाना गोपनीय है, लोकहित में नहीं है इसलिए इस प्रश्न पर मेरे लिए यह कहना...

श्री श्यामधर मिश्र--

मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि जो इस समय प्राविधिक शिक्षा निदेशक कार्य कर रहे हैं, मंत्री जी चाहते हैं कि वह कार्य करते रहें इस लिए लोक सेवा आयोग द्वारा जो नियुक्ति व्यक्ति हैं, उनको न आने दिया जाय इसलिए विलम्ब किया जा रहा है और वह व्यक्ति उनके व्यक्ति हैं ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो आपका आक्षेप है ।

श्री श्यामधर मिश्र--

यह इनकार कर दें, तो आक्षेप है । अगर सत्य है तो आक्षेप कैसे है ?

श्री अध्यक्ष--

यह आक्षेप है नीयत पर शक करते हैं । सदन में जैसा आप अपने लिए कहते हैं, जब तक सिद्ध न हो प्रत्येक सदस्य को सत्य मानना चाहिए, शिक्षा मंत्री जी भी सदन के सदस्य हैं । जो प्रश्न आपने किया है इसका क्या कारण है कि वर्तमान शिक्षा निदेशक को जब कि लोक सेवा आयोग से उनकी मान्यता नहीं है अभी तक क्यों रखे हुए हैं, इस प्रश्न को संशोधित करके मैं इजाजत दे रहा हूं ।

श्री काली चरण--

श्रीमन्, उसकी तदर्थ नियुक्ति की गयी थी । नियमित नियुक्ति के चयन के लिए एक प्रक्रिया अपनायी गयी, जिसका परिणाम अभी तक नहीं आया है । जब तक वह परिणाम नहीं आ जाता, तब तक यह तदर्थ रूप से नियुक्त हैं और कार्य कर रहे हैं । जब तक ऐसी परिस्थिति न आ जाय कि उन्हें वहां से हटाया जाय तब तक उनको हटाने का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पदोन्नति नियमावली के अन्तर्गत चुनाव के आधार दिये गये हैं । उनके आधार पर लोक सेवा आयोग ने अपनी संस्तुति दी, तो फिर किन आधार पर इसको कार्मिक और विधि परामर्शी को भेजा गया है ?

श्री काली चरण--

मान्यवर, ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए कार्मिक विभाग की राय आवश्यक होती है और कार्मिक विभाग की राय पर ही विधि परामर्श को भेजा गया । क्योंकि इन्होंने कुछ अनियमितताओं की ओर संकेत किया है इसलिए लोक सेवा आयोग को भेजा है ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

आपात काल में सार्वजनिक निर्माण विभाग में सेवा निवृत्ति के मामलों का पुनरीक्षण

*१--डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर), श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री शिवनाथ पांडेय (जिला बस्ती) तथा श्री वीरेन्द्र पति यादव (जिला मैनपुरी)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या शासनादेश कार्मिक अनुभाग-१, संख्या ५/१८-१९७७, दिनांक १५-११-७७ के अन्तर्गत आपात काल में जिन सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समय से पूर्व सेवा निवृत्त कर दिया गया था इनके बारे में पुनरीक्षण होना था ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्यवाही सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों के मामले में पूर्ण हो गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री मोहम्मद मसूद खां)--

जी हां ।

जी नहीं ।

इस सम्बन्ध में इस आशय के लिए गठित उच्च स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक बुलाई जा चुकी है । समिति की संस्तुति प्राप्त होने पर शासन द्वारा शीघ्र निर्णय लिया जा सकेगा।

डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनको कुछ प्रभावित व्यक्तियों का ऐसा प्रत्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें यह जिक्र किया गया है कि समय से पूर्व सेवा निवृत्त किये गये लोगों के मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिये हैं, उनको दृष्टि में रखकर विचार किये जायेंगे जैसे चन्द्र देव सिंह के मामले में किया है, जो आपात काल में समय से पूर्व सेवा निवृत्त किया गया था ? यदि हां, तो जो समिति परिवीक्षा के लिए नियुक्त की गयी है क्या वह अपनी परिवीक्षा में उन फैसलों को आधार बनायेगी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जैसा कि मैंने बतलाया एक उच्च स्तरीय कमेटी बना दी गयी है । वह चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में है । १९ आदमी थे तीन ट्रिब्युनल से जीत गये थे, तो उनको बहाल कर दिया गया है । सोलह आदमियों के मामले उस कमेटी में हैं ।

डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल--

मेरा प्रश्न यह था कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हुए हैं और उन फैसलों में जो आधार लिया गया है क्या यह कमेटी भी उन आधारों को विचार में लेगी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

इंसाफ और हकीकत में जो चीज वाजिब होगी वह सब देखेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

हाई कोर्ट का निर्णय मान्य होता है । जो आधार हाई कोर्ट ने रखा है । पुनरीक्षण में उसको मानेंगे या नहीं ? यह प्रश्न है ।

श्री मोहम्मद मसूद खां--

यह जो प्वाइंट उनके सामने है अगर उस पर कोई फैसला हुआ है, तो जरूर उनको गौर करना चाहिए ।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)--

मंत्री जी ने कहा कि ट्रिब्युनल में जिनके पक्ष में निर्णय हुआ, उनको बहाल कर दिया गया, लेकिन मेरी जानकारी में एक केस है जो सत्य है । श्री नारायण सिंह बोमलिया को नियुक्त नहीं किया गया, तो क्या उसको भी नियुक्त करेंगे ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

मेरे पास इस समय वह केस नहीं है । क्या पोजीशन है, मैं नहीं कह सकता । मैं इसको देख लूंगा ।

श्री वीरेन्द्र पति यादव--

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि शाह कमीशन के अनुरोध पर मुख्य मंत्री जी ने कार्मिक विभाग को लिखा था कि आपात-काल में जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गयी उन केसेज की समीक्षा की जाय लेकिन डेढ़ साल से अधिक होने पर भी वह समीक्षा प्रारम्भ नहीं की गयी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

समीक्षा शुरू हो गयी । अन्तिम रिपोर्ट आने वाली है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान १५ नवम्बर के जी० ओ० की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें यह लिखा हुआ है कि मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि शाह जांच आयोग ने समीक्षा का परिणाम नवम्बर, १९७७ के अन्त में जानना चाहा है । आपसे अनुरोध है कि उक्त समीक्षा २५ नवम्बर, १९७७ तक अनिवार्य रूप से समाप्त कर ली जाये ताकि जांच आयोग को समय से उत्तर दिया जा सके । मैं यह जानना चाहता हूं कि जब शाह आयोग की अपेक्षा के अनुसार राजाज्ञा थी कि नवम्बर, ७७ में यह काम समाप्त कर दिया जायेगा, तब यह काम क्यों नहीं समाप्त किया गया और दूसरे यह कि मीटिंग बुलायी गयी उसकी तिथि निर्धारित नहीं हुई है । माननीय मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि नवम्बर १५ को जी० ओ० जारी हुआ और २५ नवम्बर को रिपोर्ट मांगी जाती है । क्या तत्कालीन मुख्य सचिव जो इमरजेन्सी में जिम्मेदार थे उन्होंने जान बूझकर गुमराह किया है ।

श्री मोहम्मद मसूद खां--

उसकी तिथि २४ जनवरी, १९७९ निर्धारित की गयी है जिस जी० ओ० की बात कर रहे हैं वह मेरे पास नहीं है । जितना मुमकिन हो सकता है जल्दी करायी जा रही है ।

श्री राजन्द्र कुमार गुप्त--

इस जी० ओ० में लिखा हुआ है...

श्री अध्यक्ष--

जनवरी तक तारीख बढ़ायी है । उन्होंने बतला तो दिया ।

(श्री विश्वनाथ पांडेय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री सुखपाल पान्डेय (जिला बस्ती)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि...

श्री अध्यक्ष--

मैंने श्री विश्वनाथ पांडे का नाम पुकारा है । आपका नहीं ।

श्री विश्वनाथ पान्डेय--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मार्च, १९७६ से लेकर आज तक अनिवार्य रूप से किसी भी अधिकारी को सेवा से मुक्त नहीं किया गया

श्री विश्वनाथ पान्डेय--

और आपातकाल में ४ महीने के अन्दर १९ लोगों की सेवायें समाप्त कर दी गयी, तो मैं जानना चाहता हूं कि वे व्यक्ति गत रूप से स्वीकार करते हैं कि जरूर ज्यादती हुई है इन अधिकारियों के साथ इतनी भारी संख्या में सेवा मुक्त किए गये ।

श्री अध्यक्ष--

यह तो आप तर्क दे रहे हैं । निलम्बित किया गया है तभी तो जांच की जो रही है ।

टांडा फैजाबाद के होबर्ट त्रिलोकनाथ इंटर कालेज का घाघरा नदी से कटाव

*२--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या शासन को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के टांडा नगर में स्थित होबर्ट त्रिलोक नाथ इंटर कालेज को घाघरा (सरयू) नदी के कटान से घोर क्षति पहुंच रही है और उक्त कालेज के अस्तित्व को ही खतरा पैदा हो गया है तथा किसी भी समय उसका भवन गिर सकता है ? यदि हां, तो इसके बचाव हेतु अविलम्ब ठोस कदम उठाये जाने के आदेश सरकार प्रसारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

जी हां ।

प्रश्नगत कालेज को घाघरा नदी के कटाव से क्षति पहुंच रही है और कालेज के भवन को भी खतरा उत्पन्न हो गया है ।

बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य करने हेतु सर्वेक्षण कराया जा रहा है । इसके बाद तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृति के पश्चात् बचाव कार्य किया जायेगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि इस स्थिति की पूरी जानकारी शासन को वर्षों से है, लेकिन कालेज के बचाव की दशा में इस प्रश्न के स्वीकार होने के बाद काम शुरू किया गया । यदि हां, तो सरकार दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

जुलाई, १९७८ में सुपरिटेंडिंग इन्जीनियर को यह जानकारी दी गयी भवन के कट जाने की । उसके बाद जुलाई में वे वहां पर स्वयं गये और उन्होंने देखा सर्वेक्षण कार्य आरम्भ हो गया है जो जनवरी में खत्म कर दिया जायगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

सर्वे और टेक्नीकल सलाहकार समिति को सौंपा गया कार्य पूरा हो गया है । तो मैं जानना चाहता हूं कि एक्चुअली बचाव कार्य कब से आरम्भ कर दिया जायगा और क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि कालेज को कोई हानि नहीं होने दी जायगी ?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

१२ लाख से ऊंचे के जो कार्य होते हैं वे सर्वे और तकनीकी सलाहकार समिति के विचारोपरान्त वाटर एंड पावर कमीशन को जाते हैं। वह योजना जनवरी में उनको जायगी और इस बात की कोशिश की गयी है कि सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा की जाय।

गढ़वाल विश्वविद्यालय का बन्द होना

*३—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या शिक्षा मंत्री को इसकी जानकारी है कि आजकल गढ़वाल विश्वविद्यालय अनिश्चित काल के लिए बन्द कर दिया गया है जिससे कि अध्ययन एवं अध्यापन की भीषण क्षति हो रही है ? यदि हां, तो विश्वविद्यालय बन्द करने का क्या कारण है ? विश्वविद्यालय शीघ्र खुल कर सामान्य रूप से चलने लगे इस हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कालीचरण)—

गढ़वाल विश्वविद्यालय का बिड़ला संघटक महाविद्यालय केवल छात्रों के उपद्रवों के कारण नियन्त्रा परिषद् (प्राक्टोरियल बोर्ड) के निर्णयानुसार दिनांक २३-११-७८ को बन्द किया गया था यह महाविद्यालय पुनः ४ दिसम्बर, १९७८ से खुल गया है तथा अध्यापन कार्य सुचारु रूप से चल रहा है। शेष दो संघटक महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य भी सुचारु रूप से चल रहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालय से सम्बंधित महाविद्यालय बन्द होने के पूर्व वहां के विद्यार्थी कोई आन्दोलन कर रहे थे ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं ?

श्री काली चरण—

उनकी मुख्य ३ मांगें थीं। पहली मांग उनकी यह थी कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति, एवं कुल सचिव का हटाया जाना, दूसरी गढ़वाल विश्वविद्यालय को २ करोड़ रुपये का अनुदान और तीसरी विश्वविद्यालय में बरती गयी अनियमितताओं की जांच।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन ३ मांगों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है और आगे क्या कार्यवाही की जायगी ?

श्री काली चरण—

वहां कुलपति की नियुक्ति कर दी गयी है, कुल सचिव को वहां से स्थानान्तरित कर दिया गया है। जहां तक २ करोड़ रुपये के अनुदान की बात है उसमें १ करोड़, ६७ लाख, २६ हजार ५०० रुपया दे दिया गया है और इसी वित्तीय वर्ष में शेष धनराशि भी दे दी जायगी। जहां तक अनियमितताओं का प्रश्न है कोई इस ढंग की नहीं की गई है जिनकी जांच करायी जा सके।

श्री शिवानन्द नौटियाल--

जो अन्य शिकायतें की गई उनमें यह भी थी कि जो अनियमित नियुक्तियां की गयी, उनको निरस्त करने के लिए सरकार से मांग की गई थी, तो क्या यह निर्णय ले लिया गया है कि जो इस प्रकार की नियुक्तियां की गयी है उनको निरस्त किया जाय ?

श्री काली चरण--

अगर यह स्पष्ट रूप से आये कि अमुक-अमुक व्यक्ति को अनियमित ढंग से नियुक्त किया गया है, तो उसकी तुरन्त जांच की जायगी और नियमतः कार्यवाही की जायगी ।

श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास निश्चित रूप से शिकायतें, मुख्य मंत्री जी के पास, शिक्षा मंत्री जी के पास और राज्यपाल जी के पास भी शिकायतें पहुंची हैं । तो क्या उन नियुक्तियों को ध्यान में रखते हुए और इन आरोपों को ध्यान में रखते हुए तुरन्त कार्यवाही करने का निर्देश करें । ?

श्री काली चरण--

इन नियुक्तियों पर कार्यवाही करने का अधिकार कुलाधिपति को है । अगर कुलपति को अनुमोदन मिल जाता है तो वे नियमित मानी जाती है । इस पर कुलाधिपति को ही अंतिम निर्णय का अधिकार है, शासन को नहीं ।

प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र की स्थापना हेतु केन्द्रीय सरकार से प्राप्त धनराशि

*४--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे की प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सरकार से कितना धन प्राप्त हुआ है ? कितना धन मांगा गया था ? कितने प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोलना प्रस्तावित है ?

श्री काली चरण--

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिये केन्द्रीय सरकार से शिक्षा निदेशालय, स्तर पर अतिरिक्त स्टाफ हेतु वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिये रु० ३४,८०० के अनुदान की स्वीकृति अभी तक प्राप्त हुई है । वर्ष १९७८-७९ में निदेशालय, मंडल एवं जिला स्तर पर स्टाफ हेतु तथा ५,६०० प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के लिये भारत सरकार से उनके द्वारा निर्धारित माप-दण्डों के अनुसार धन मांगा गया था, जो अभी प्रतीक्षित है । वर्ष १९७८-७९ में राज्य सरकार द्वारा ४,५८० नये प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोलना प्रस्तावित है ।

पहाड़ी जिलों में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मार्ग, पुल व भवन

*५--श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष अति वृष्टि के कारण प्रदेश के पहाड़ी जिलों में अत्यधिक क्षति हुई है जिसके कारण अभी

नोट :--नियम २९(४) के तारांकित प्रश्न संख्या ३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

तक मोटर मार्ग टूटे पड़े हैं, पुलों के बहने से सम्पर्क मार्गों की क्षति हो गई है तथा अधिकांश भवन नष्ट हो गये हैं ? जिसके कारण समस्त पर्वतीय अंचल में बहुत असंतोष व्याप्त है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

पहाड़ी जिलों में इस वर्ष की अतिवृष्टि के कारण सभी प्रकार के मार्गों एवं पुलों को क्षति पहुंची है। इस समय लगभग सभी पहाड़ी जिलों के मोटर मार्ग यातायात के लिए खुले हुए है, लेकिन कुछ मार्गों के कुछ भाग खुले नहीं हैं और उनको शीघ्र खोलने की कार्यवाही तीव्र प्रगति में है। क्षतिग्रस्त मार्गों तथा पुलों की मरम्मत के लिये प्रत्येक पहाड़ी जिले के लिये शासन द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को उचित अनुदान उपलब्ध करा दिया गया है।

गढ़वाल व कुमायुं मंमलों में बाढ़ व अतिवृष्टि के कारण ६,३९१ मकान क्षतिग्रस्त/ध्वस्त हुए है। राजस्व विभाग द्वारा इन मंडलों के जिलाधिकारियों को गृह अनुदान के लिये अभी तक ४.१० लाख रुपया आवंटित किया गया है। गृह अनुदान की अधिकतम सीमा २०० रु० है। इसके लिए पात्र व्यक्ति वे ही है जो असहाय, भूमि हीन, अथवा सीमान्त कृषक हों।

नियंत्रित मूल्य की कापियों का अभाव

*६—श्री रामदत्त जोशी—

क्या शिक्षा मंत्री जी को यह जानकारी है कि विद्यार्थी समुदाय को नियंत्रित मूल्य पर कापियां न मिलने से विद्यार्थियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या शिक्षा विभाग की संस्तुति पर जिन कापी निर्माताओं को कागज का कोटा दिया गया है, उससे निर्मित कापियों के समुचित वितरण की निगरानी के लिये सरकार ने व्यवस्था की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

राष्ट्रीय बालिका विद्यालय, हसनगंज, लखनऊ की अध्यापिकाओं का वेतन

*७—श्री शिवानन्द नौटियाल—

दिनांक ३१-८-१९७७ के तारांकित प्रश्न संख्या १ के उत्तर के सम्बन्ध में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राष्ट्रीय बालिका विद्यालय, बाबूगंज, हसनगंज, लखनऊ की अध्यापिकाओं को २९-११-७८ तक गत ९ माह का वेतन अभी तक क्यों नहीं मिल पाया जबकि उन्होंने इसकी स्वीकृति भी शासन से ले ली थी ? वेतन अब कब तक मिल जायेगा ?

श्री कालीचरण—

अध्यापिकाओं का वेतन विद्यालय प्रबंधतंत्र के पास धनाभाव के कारण नहीं मिल पाया।

वेतन भुगतान का उत्तरदायित्व प्रबंधक का है।

श्री काली चरण---

अधिशासी अभियन्ता, नलकूप, हरदोई द्वारा नलकूप निर्माण के संबंध में जारी किया गया आदेश

*८--श्री बिहारी लाल हंस(जिला हरदोई) तथा श्री पूरन लाल(जिला हरदोई)---

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, नलकूप निर्माण खण्ड, हरदोई ने कोई ऐसा आदेश अभी हाल मे जारी किया है कि बिना उनकी अनुमति से कोई निर्माण कार्य न कराया जाय ? क्या यह भी सत्य है कि विधान सभा क्षेत्र, बेनीगंज, हरदोई, अहिरौरी के विकास कार्य करने की अनुमति नहीं दी और दूसरे क्षेत्रों में बिजली न होने पर भी विकास कार्य की अनुमति दी ? यदि हां, तो क्यों ?

सिंचाई मन्त्री (श्री बलवीर सिंह)--

जी हां, छिद्रित नलकूप पर किए जाने वाले अन्य निर्माण कार्यों पर पूर्ण नियन्त्रण रखने हेतु सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं को कार्य की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के आदेश अधिशासी अभियंता नलकूप निर्माण खण्ड, हरदोई ने २२-८-७८ को निर्गत किये हैं ।

जी नहीं । उक्त आदेशों के उपरान्त विधान सभा क्षेत्र बेनीगंज, हरदोई एवं अहिरौरी में छिद्रित नलकूपों, जिनका उर्जीकरण नहीं हुआ है, पर पम्प हाउस बनाने, पम्प सेट लगाने, बी० ए० एल० फर्म भेजने, कच्ची गूल एवं सर्विस रोड के निर्माण की लिखित स्वीकृतियां अधिशासी अभियन्ता ने सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं को दी है तथा उर्जीकृत नलकूपों पर पक्की गूलों एवं पाइप लाईन बनाने की भी अधिशासी अभियन्ता ने आवश्यकतानुसार स्वीकृतियां दी हैं परन्तु अनुर्जीकृत नलकूपों पर पक्की गूलों व पाइप लाइन की स्वीकृति अधिशासी अभियन्ता ने नहीं दी है, जो उचित है ।

अधिशासी अभियन्ता के उक्त आदेश के उपरान्त अनुर्जीकृत नलकूपों पर पक्की गूल व पाइप लाइन के निर्माण का कार्य नहीं कराया गया ।

पूर्वान्चल क्षेत्र मे बाढ़ सुरक्षा हेतु राप्ती बेसिन में नदियों के एकीकरण की योजना

*९--श्री सुखपाल पाण्डेय, श्री दिवाकर विक्रम सिंह (जिला बस्ती) तथा श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ (जिला बस्ती)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पूर्वांचल क्षेत्र के बाढ़ से बचाव के लिये राप्ती बेसिन में नदियों के एकीकरण तथा फलड़वे योजना के अन्तर्गत कार्य करने तथा उपरोक्त योजना सर्वेक्षण के लिये अलग एक मण्डल के स्थापना की घोषणा जुलाई, १९७८ में गोरखपुर में माननीय मुख्य मंत्रीजी तथा सिंचाई मंत्री जी एवं राज्य सिंचाई मंत्री जी ने समय-समय पर किया था ? यदि हां, तो इस कार्य पर अब तक कुल कितना धन स्वीकृत हुआ, कितना धन खर्च किया गया और इस कार्य के लिये कितने अधिकारी ६ दिसम्बर, १९७८ तक नियुक्त किये गये ?

श्री बलवीर सिंह --

जी हां ।

सिंचाई विभाग द्वारा प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों हेतु राप्ती बेसिन में नदियों के एकीकरण एवं नालों को गहरा करके बड़ी नदियों में मिलाकर बाढ़ के पानी को आवश्यकतानुसार निकालने के संबंध में योजना बनाई जा रही है ।

अनुसंधान एवं नियोजन कार्य हेतु शासन ने दिनांक २८ नवम्बर, १९७८ को १५ मंडल स्वीकृत किये है इनमें से गोरखपुर में भी बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के सर्वेक्षण हेतु एक मंडल स्थापित किया जायेगा । फिलहाल प्रश्नगत क्षेत्र के सर्वे का कार्य अनुसंधान एवं नियोजन खण्डल (बाढ़ खण्ड) लखनऊ के अधीनस्थ फैजाबाद एवं रायबरेली के खण्डों द्वारा सर्वे का कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है ।

*१०—श्री विश्वनाथ पाण्डेय—

[५वें बुधवार के लिए स्थगित]

सार्वजनिक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति

*११—श्री मैनेजर सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष ७ महीनों की निर्माण कार्यों की प्रगति २७ प्रतिशत ही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह धीमी प्रगति सहायक अभियन्ताओं की कमी के कारण है ? यदि ऐसा है, तो विभाग द्वारा शासनादेश होते हुए भी प्रोन्नत करके रिक्त स्थान की पूर्ति न करने का क्या कारण है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सिंचाई विभाग के अवर अभियन्ताओं की प्रोन्नति

*१२—श्री बिहारी लाल हंस—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभागीय प्रोन्नति परीक्षा १९७० के आधार पर शासनादेश संख्या ४८२६/२३-२ १६०९ ७३, दिनांक ३ दिसम्बर, १९७४ द्वारा २३ अवर अभियन्ताओं को सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति की गई थी ? यदि हां, तो क्या उसमें श्री शिवनारायण राजपूत भाटिया का नाम भी था ? यदि हां, तो उनमें से २२ की नियुक्ति कर दी जाने के बाद भी भाटिया की नियुक्ति सहायक अभियन्ता के पद पर अभी तक नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलवीर सिंह—

जी नहीं । संदर्भित शासनादेश दिनांक ३ दिसम्बर, १९७४ द्वारा सिर्फ २५ अवर अभियन्ताओं को सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नतियां शासन द्वारा अनुमोदित की गई थी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

बहराइच उप मार्ग, बहराइच-भिनगा मार्ग व नौतनवा-ठूठी बारी मार्ग पर पुल निर्माण

*१.--श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

क्या सरकार को जानकारी है कि नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट १९७६-७७ के अनुसार बहराइच उप मार्ग पर रिसिया नाले के ऊपर तथा बहराइच-भिनगा मार्ग में २६ किलोमीटर पर माथला नदी के ऊपर एवं गोरखपुर जनपद के नौतनवां-ठूठी बारी मार्ग पर ८ किलोमीटर पर रोहिन नदी के ऊपर बनाये गए पुलों की गलत नीव (फाउण्डेशन) के कारण पचास लाख रुपए की क्षति हुई ? यदि हां, तो उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

प्रश्नगत तीनों पुलों की न तो नींव गलत रक्खी गई और नहीं गलत नींव के कारण कोई क्षति ही हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

बांदा जिले के हरदौसी गांव में सड़क निर्माण की मांग

*२--श्री देव कुमार (जिला बांदा)--

क्या यह सही है कि बांदा जिले में निर्माणाधीन बबेरू-सिन्दवारी रोड पर स्थित हरदौसी गांव के अन्दर सड़क का निर्माण न किए जाने से हर वर्ष बरसात में गम्भीर जल भराव होते हैं जिससे सैकड़ों निवासियों के मकानों में पानी घुसने से जान-माल का खतरा पैदा होता है ? यदि हां, तो उक्त गांव की अबादी के अन्दर अब तक सड़क का निर्माण क्यों नहीं किया गया और सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ।

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जी हां । इस भाग में कार्य के लिए मिट्टी बाहर से ढोकर लाई जानी है । एक माह के अन्दर मिट्टी का कार्य आरम्भ किये जाने की आशा है ।

जनता आदर्श इण्टर कालेज, गौरा बाजार, बस्ती में प्रधानाचार्य की नियुक्ति

*३--श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनता आदर्श इण्टर कालेज, गौरा बाजार, बस्ती के प्रधानाचार्य ने नियुक्ति के बाद बी० एड० किया है ? यदि हां, तो उनकी प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति कैसे और कब हुई ?

श्री कालीचरण--

जी नहीं ।

बी० एड० १९६८ में किया । तदनन्तर पूर्ण अर्हता के आधार पर १९७१ में नियमानुसार नियुक्ति हुई ।

ए० एम० इण्टर कालेज, मवाना, जिला मेरठ की आडिट-रिपोर्ट

*४--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन का ध्यान ए० एम० इण्टर कालेज, मवाना, जिला मेरठ में अक्तूबर, १९७७ में हुए विशेष आडिट रिपोर्ट की ओर गया है ? यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य संस्तुतियां एवं पाई गईं अनियमिततायें क्या हैं एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री कालीचरण--

जी हां ।

आडिट रिपोर्ट में प्राभूत एवं सुरक्षित कोष, अनुरक्षण निधि, छात्र निधि आदि में हिसाब-किताब में गड़बड़ी, गैर हाजिर स्टाफ को अनियमित रूप से ज्वाइंट एकाउन्ट से भुगतान करना, विद्यालय कोष के अवशेष रोकड़ का दुरुपयोग किया जाना तथा प्रसार योजना के धन में दुरुपयोग आदि मुख्य अनियमिततायें पाई गईं ।

आडिट रिपोर्ट की अनुपालन आख्या विद्यालय से जिला विद्यालय निरीक्षक को दिनांक २० दिसम्बर, १९७८ को प्राप्त हुई है जिसे परीक्षण करने की कार्यवाही की जा रही है ।

महावीर कन्या जूनियर हाई स्कूल, बरगदही, गोरखपुर का बाढ़-क्षतिपूर्ति अनुदान

*५--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि वर्ष १९७४-७५ में महावीर कन्या जूनियर हाई स्कूल, बरगदही, गोरखपुर के प्रबन्धक ने फर्जी छात्रों की सूची प्रस्तुत कर विभाग से बाढ़ क्षतिपूर्ति अनुदान लिया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार जांच कराकर इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही करेगी ? और क्या यह भी सच है कि महावीर कन्या जू० हाई स्कूल, बरगदही, गोरखपुर को वर्ष १९७७-७८ में बालिका विद्यालय की मान्यता दे दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कालीचरण--

जी हाँ, प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत छात्र संख्या के आधार पर बाढ़ क्षतिपूर्ति अनुदान स्वीकृत किया गया था । छात्र संख्या के सत्यापन हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

जी नहीं ।

माझाकम्हरिया, जिला फैजाबाद में रिग बांध के निर्माण की मांग

*६-श्रीमती -रामरती देवी (जिला फैजाबाद)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माझाकम्हरिया, तहसील टाण्डा, जिला फैजाबाद में रिग बांध बनाने हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र उन्हें दिनांक ६ जून, १९७८ को दिया जा चुका है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बलवीर सिंह--

कथित प्रार्थना-पत्र बहुत तलाश करने पर भी उपलब्ध नहीं हुआ, परन्तु इसी विषय पर जिला बाढ़ समिति की बैठक में प्रश्नकर्ता द्वारा कार्यवाही करने का प्रस्ताव शासन को अगस्त, १९७८ को प्राप्त हुआ था। जांच से ज्ञात हुआ कि रिंग बांध बनाना तकनीकी दृष्टि से ठीक नहीं होगा।

राधाकृष्ण पोद्दार इन्टर कालेज, चित्रकूट धाम, बांदा के चपरासी

*७--जिला इलाहाबाद (श्री अठई राम)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राधाकृष्ण पोद्दार इन्टर कालेज, चित्रकूट धाम, बांदा में सात चपरासी कार्यरत दिखाये गए हैं ? क्या यह सही है कि उसमें से तीन विद्यालय के प्रबन्धक के अक्षयवट संस्कृत विद्यालय के छात्र हैं ? यदि हां, तो उक्त अनियमितता के खिलाफ सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री कालीचरण--

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्यारे लाल कपूर, अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खंड, इलाहाबाद के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की कथित जांच

*८--श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद)--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री प्यारे लाल कपूर, अधिशासी अभियंता, शारदा सहायक खंड ३०, इलाहाबाद के विरुद्ध इलाहाबाद में कोई सतर्कता अधिष्ठान की जांच चल रही है ? यदि हां, तो क्या श्री कपूर के उसी स्थान पर बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है ? यदि हां, तो उन्हें स्थानान्तरित न करने का कारण बताने की कृपा करें।

श्री कलबीर सिंह--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी जिले में मौकाकट परियोजना के निर्माण के सन्दर्भ में अधिशासी अभियन्ता, श्री वेद प्रकाश अग्रवाल के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जांच

*९--श्री देव राम (जिला गाजीपुर)--

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि वर्ष १९७३ से वर्ष १९७५ तक वाराणसी जनपद में मौका कट परियोजना के निर्माण पर लाखों रुपये खर्च किए गए किन्तु नहर की तली उल्टी खुदने से इस योजना को क्रियान्वित नहीं किया जा सका तथा सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया फलतः राज्य सतर्कता विभाग द्वारा तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता (श्री वेद प्रकाश अग्रवाल) के विरुद्ध गबन एवं भ्रष्टाचार की जांच की रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी है और उसमें अग्रवाल की

सत्यनिष्ठा संदिग्ध करते हुए लाखों रुपये की वसूली की संस्तुति भी की गयी है। यदि हां, तो ऐसे अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ? क्या मन्त्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५६-५७ में मुसाखण्ड, वाराणसी में श्री वेद प्रकाश अग्रवाल के विरुद्ध के कैशबुक पन्ने जलाने और कैशबुक बदलने का अभियोग था ? जिसके फलस्वरूप तत्कालीन मुख्य अभियन्ता द्वारा श्री अग्रवाल की सेवाएं समाप्त करने की संस्तुति शासन को प्रस्तुत की गयी थी और शासन द्वारा श्री अग्रवाल को सेन्सर प्रविष्टि प्रदान किए जाने के बावजूद भी इनकी नियुक्ति चीफ डिवीजन देवरिया, बाढ़ डिवीजन, बलिया, बन्धी डिवीजन, वाराणसी तथा टेहरी निर्माण खण्ड, टेहरी में करके करोड़ों रुपए के भुगतान का अवसर दिया गया ? क्या यह सही है कि प्रायः प्रत्येक खण्ड में इनके विरुद्ध गबन एवं भ्रष्टाचार की जांच हुई और वे दोषी भी पाए गए ? यदि हां, तो उन्हें दोषी पाए जाने पर भी उनकी निर्माण खण्डों में नियुक्ति किये जाने का दायित्व किन अधिकारियों पर है ?

श्री बलबीर सिंह--

१--वाराणसी जनपद में मौकाकट परियोजना के निर्माण पर वर्ष १९७२-७३ से १९७६-७७ तक रु० १२·४९ लाख व्यय हुये। इस परियोजना के संबंध में श्री वेद प्रकाश अग्रवाल, अधिशासी अभियन्ता तथा अन्य के विरुद्ध अनियमिततायें करने के सम्बन्ध में शिकायत मिलने पर सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच प्रारम्भ की गयी। जांच में यह ज्ञात हुआ कि मौकाकाट नहर की ० किलो मीटर से ४ किलो मीटर तक की तल्ली प्रस्तावित लेबिल से अधिक खुदवायी जिसके कारण मौकाकट योजना में नहर का पानी ४ किलोमीटर से आगे नहीं बढ़ पाया। सतर्कता अधिष्ठान की आख्या प्रतीक्षित है।

२--श्री अग्रवाल के विरुद्ध वर्ष १९५६-५७ के बजाय वर्ष १९६३-६४ में कैशबुक के पन्ने बदलने का आरोप था जिस पर जांच उपरान्त उनको भर्त्सनात्मक प्रविष्टि दी गई थी।

३--श्री अग्रवाल के विरुद्ध अभी तक कोई गम्भीर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है तथा इनकी कार्यक्षमता एवं अनुभव के आधार पर इनकी तैनाती विभिन्न खण्डों में की जा रही है।

४--श्री अग्रवाल के विरुद्ध प्रत्येक खण्ड में गबन एवं भ्रष्टाचार की जांच तथा उनसे दोषी पाये जाने के सम्बन्ध में सूचना संलग्न है।

ग्रामोद्योगिक इण्टर कालेज, अशोक नगर, फतेहपुर के प्रबन्धक द्वारा अध्यापक की फर्जी नियुक्ति

*१०--श्री जगन्नाथ सिंह (जिला फतेहपुर)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामोद्योगिक इन्टर कालेज, अशोक नगर (भरसवा), फतेहपुर के प्रबन्धक, श्री लक्ष्मी प्रसाद तिवारी द्वारा उक्त संस्था में श्री आनन्द शंकर तिवारी, सहायक अध्यापक का नाम फर्जी दिखा कर उनका लगातार पांच वर्ष तक का (१९६५ से १९७०) वेतन अवैधानिक तरीके से निकाले जाने का आर्थिक अपराध सत्य प्रमाणित हुआ था तथा वर्ष १९७४-७५ में

†(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १३२५ पर।)

प्रबन्धक के आर्थिक अधिकार समाप्त कर साधिकार नियन्त्रक नियुक्त करने की सिफारिश विभाग द्वारा की गई थी ? यदि हां, तो अभी तक उक्त विद्यालय में साधिकार नियन्त्रक की नियुक्ति क्यों नहीं की गयी ?

श्री काली चरण—

जी हां । साधिकार नियन्त्रक की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं समझी गई ।

आगरा के प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों पर व्यय की गयी धनराशि

*११—श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा में वर्ष १९७४-७५ में कितने प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोले गए और उनमें कितने लोगों को साक्षर बनाया गया ? क्या वर्ष १९७६-७७ और १९७५-७६ में क्या कोई नए केन्द्र नहीं खोले गए ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त वर्षों में इन प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों पर कितना धन व्यय हुआ और क्या वर्ष १९७७-७८ के लिए भी कोई केन्द्र खोले गए हैं ?

श्री काली चरण—

जनपद आगरा में वर्ष १९७४-७५ में कोई नये प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र नहीं खोले गये । परन्तु पूर्व से चले आ रहे ६० केन्द्रों में १,८०० प्रौढ़ों को साक्षर बनाया गया । वर्ष १९७५-७६ में २३ नये केन्द्र खोले गये । वर्ष १९७६-७७ में कोई नया केन्द्र खोलना प्रस्तावित नहीं था, अतः कोई नया केन्द्र नहीं खोला गया । जनपद आगरा के प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों पर वर्ष १९७४-७५, १९७५-७६ तथा १९७६-७७ में क्रमशः ४५,२९५ रु०, ६२,६३२ रु० तथा ७९,२९२ रु०, का व्यय हुआ । वर्ष १९७७-७८ में ७५ पुराने केन्द्र चले ।

बाराबंकी जिले के ग्राम हथौधा में कल्याणी नदी पर पुल

*१२—अशरफी लाल यादव (जिला बाराबंकी)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि बाराबंकी जनपद में ग्राम हथौधा के निकट कोटवा सड़क से कोटवा धाम रोड के मध्य कल्यानी नदी पर सिंचाई विभाग की ओर से कोई पुल बनवाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक बन जायेगा ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक १३ जून, १९७८ का कोई पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री बलबीर सिंह—

जी हां, यथाशीघ्र निर्मित करने का प्रयास किया जायेगा ।

जी हां । पत्र के विषय में जांच कराने पर ज्ञात हुआ कि पुल बनाना औचित्य पूर्ण है क्योंकि कल्यानी नदी का पुनरोद्धार सिंचाई विभाग द्वारा किया जा रहा है ।

मुरादाबाद के चन्दौसी स्थित बी० एम० जी०, इण्टर कालेज में गबन

*१३—श्री करन सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका चन्दौसी, जिला मुरादाबाद में स्थित बी० एम० जी० इन्टर कालेज की प्रधानाचार्या के खिलाफ

कुछ आरोपों की जांच गत वर्षों में विशेष परिवेक्षकों द्वारा की गयी थी और उन पर लगभग ५०,००० रु० का गबन साबित हुआ था ? यदि हां, तो उनके खिलाफ आज तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री काली चरण—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पहाड़ी क्षेत्रों में सिंचाई विभाग के अवर अभियन्ताओं का कार्यकाल

*१४—श्री राम नारायन वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करगे कि वर्ष १९७६ में कुछ अवर अभियन्ता (सिविल) की नियुक्ति पहाड़ी क्षेत्रों पर इस प्रतिबन्ध के साथ की गयी थी कि उन्हें अपन सेवाकाल के प्रथम पांच वर्षों में पहाड़ी क्षेत्र में ही रहना होगा तथा इसके लिए उनसे बन्धक पत्र भी भरवाया गया था ? क्या यह सही है कि इसकी अवहेलना करते हुये कई अवर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण पांच वर्ष से पहले ही मैदानी क्षेत्र में कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? शर्त को तोड़ने में कौन अधिकारी उत्तरदायी है ?

श्री बलबीर सिंह—

जी हां । पर्वतीय क्षेत्र के अठारह मण्डलों में से पांच की सूचना के अनुसार किसी अवर अभियन्ता का स्थानान्तरण अवधि के पूर्व नहीं किया गया है । शेष तेरह मण्डलों की सूचना प्राप्त होने के पश्चात् स्थिति स्पष्ट होगी ।

अभी प्रश्न नहीं उठता ।

सरदार पटेल म्युनिसिपल इन्टर कालेज, मेरठ के प्रधानाचार्य का निलम्बन

*१५—श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सरदार बल्लभ भाई पटेल इन्टर कालेज, मेरठ के प्रधानाचार्य को भ्रष्टाचार के आरोप मे शासन ने निलम्बित कर दिया था जो लगभग ३ माह के पश्चात् जुलाई, १९७८ में इन्हें बहाल करने के आदेश कर दिए हैं ? यदि हां, तो आरोप क्या था एवं जांच किसने की है ? समुचित रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री काली चरण—

सरदार पटेल म्युनिसिपल इन्टर कालेज, मेरठ के प्रधानाचार्य श्री सीता राम राय भ्रष्टाचार व अनियमितताओं की कतिपय शिकायतों के सन्दर्भ में प्रशासक, नगरपालिका मेरठ द्वारा जून, १९७८ में निलम्बित किये गये थे । निलम्बन आदेश कुछ समय पश्चात् (जुलाई, १९७८ में) प्रशासक, नगरपालिका, मेरठ द्वारा रद्द कर दिये गये । प्राप्त शिकायतें, भ्रष्टाचार, गबन व कतिपय अनियमितताओं की हैं, जिन पर शासन के अधिसूचना विभाग तथा संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा जांच की गई । प्राप्त जांच रिपोर्ट अनौपचारिक व गोपनीय हैं तथा उपलब्ध सामग्री की सहायता से प्रशासक, नगरपालिका द्वारा करायी जाने वाली औपचारिक जांच प्रगति में है । अतएव, उन्हें सदन के पटल पर रखना जनहित में न होगा

चित्रकूट इन्टर कालेज, कर्वी, बांदा के अर्थशास्त्र प्रवक्ता का वेतन

*१६—श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले के चित्रकूट इन्टर कालेज, कर्वी के अर्थशास्त्र के प्रवक्ता का पद विगत २६ वर्षों से लगातार सृजित रहा है और पद रिक्त होने के कारण उसी कालेज के एक सहायक अध्यापक १ जुलाई, १९७४ से उस पद पर कार्य कर रहे थे ? यदि हां, जो क्या उस अध्यापक को उस प्रवक्ता पद पर बाद में प्रोन्नति दे दी गयी है और उन्हें १ जुलाई, १९७४ से प्रवक्ता पद का वेतन नहीं दिया गया ? ऐसा क्यों ?

श्री काली चरण—

जी नहीं ।

यह मार्च, १९७७ में इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, १९२१ (संशोधित) के अध्याय २ के विनियम २० के अनुसार अभ्यर्पित हो गया प्रबंधाधिकरण ने अनियमित रूप से इन्हें नियुक्त किया ।

जी हां, अर्थशास्त्र, प्रवक्ता के पद के पुनर्सृजित हो जाने पर उस अध्यापक को १-१०-७७ से प्रवक्ता पद पर नियुक्ति दी गयी । वे १-७-७४ से प्रवक्ता वेतन क्रम के अधिकारी नहीं हैं ।

शिक्षा विभाग में एल० टी० एवं एस० एस० ई० एस० वेतनक्रम में अनुसूचित जाति का कोटा

*१७—श्री भगवती चरण निर्मोही (जिला गढ़वाल)—

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं० ६५-२-६९-रा० एकी०, दिनांक ८ मार्च, १९७३, सं० ४१-५-९७१-नियुक्ति-३, दिनांक ३१ दिसम्बर, १९७३, सं० १५-७३-रा० एकी०, दिनांक २० मार्च, १९७४, सं० १५-५-७३ रा० ए० की०, दिनांक २४ नवम्बर, १९७५ एवं इन विषयों से सम्बन्धित आदेशों के अनुसार शिक्षा विभाग में १ अप्रैल, १९७७ से १ अक्तूबर, १९७८ तक अनुसूचित जाति के एल० टी० और एस० एस० ई० एस० वेतनक्रम में कितने अध्यापक पदोन्नत किए गए हैं और इन वेतनक्रमों में कब तक अनुसूचित जाति के लोगों का कोटा पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ?

श्री कालीचरण—

एल० टी० वेतनक्रम में दस तथा एस० एस० ई० एस० वेतनक्रम में छः अनुसूचित जाति के अध्यापक पदोन्नत किये गये । उक्त वेतनक्रमों में पदोन्नति हेतु स्रोत संवर्ग में निर्धारित योग्यता रखने वाले अध्यापकों के उपलब्ध होन पर ही अनुसूचित जाति के लोगों का कोटा पूर्ण होना सम्भव हो सकेगा ।

बाराबंकी जिले की सूरतगंज-हेतभापुर मार्ग के निर्माण की मांग

*१८—श्री मसूदुल हसन नोमानी (जिला बाराबंकी)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बाराबंकी में परगना भिटौली के पिछड़ेपन को दूर करने हेतु सूरतगंज से हेतभापुर मार्ग को प्राथमिकता के आधार पर बनाने का कोई प्रस्ताव है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ए० एम० इण्टर कालेज, मवाना, मेरठ की आडिट रिपोर्ट

*१९--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ए० एम० इंटर कालेज, मवाना जिला मेरठ में वर्ष १९७२ में भी स्पेशल आडिट हुआ था ? यदि हां, तो मुख्य अनियमितताएं क्या पाई गयीं एवं उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कालीचरण--

जी हां ।

आडिट रिपोर्ट में प्राभूत कोष, छात्र निधि तथा अनुरक्षण कोष आदि के हिसाब-किताब में गड़बड़ी सम्बन्धी मुख्य अनियमिततायें पाई गई ।

आडिट रिपोर्ट की अनुपालन आख्या विद्यालय से जिला विद्यालय निरीक्षक को दिनांक १३-११-७८ को प्राप्त हुई है जिसे परीक्षण करने की कार्यवाही की जा रही है ।

[बुधवार, २७ दिसम्बर, ७८ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

बाराबंकी जिले की रोटी गांव, कासिमपुर व बिकोली पम्प नहर

*१--रियाजत हुसैन--

क्या सिंचाई मन्त्री को विदित है कि नलकूप खंड फैजाबाद के उपखंड षष्ठम, बाराबंकी के नौगवां मूल पम्प नहर से रोटी गांव नवगवां कासिमपुर, बिकोली माइनर नं० ६ आदि स्थानों पर १९७७ में बनाये गये हैं, उनमें निर्माण दोष के कारण सुचारु रूप से पानी नहीं चल रहा है जिसके सम्बन्ध में सिंचाई मन्त्री को अनेकों शिकायती-पत्र भेजे गये हैं ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलवीर सिंह

जी हां ।

बिकोली पम्प नहर की अल्पिका संख्या ७ पर त्रुटिपूर्ण कार्य होने के कारण उसके टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है । प्राप्त शिकायती पत्रों पर जांच कराई गई तथा दोषपूर्ण कार्य ठीक कराने के आदेश दे दिये गये । त्रुटिपूर्ण कार्यों के सम्पादन के विषय में सर्वश्री देवी चरण शुक्ला एवं बेनी माधव त्रिपाठी, अवर अभियन्ताओं की कार्य भर्त्सना की गई । दोषी सहायक अभियन्ताओं के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

उपरोक्त पम्प नहरों में रोटी गांव व कासिमपुर पम्प नहरें सुचारु रूप से

सिटी मान्टेसरी स्कूल, लखनऊ की मान्यता एवं शिक्षकों की नियुक्ति

*२--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में चलने वाले सिटी मान्टेसरी स्कूल उ० प्र० इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम तथा बेसिक शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त विद्यालयों में आते हैं और इन अधिनियमों में सारी शर्तें उक्त विद्यालयों पर लागू होती हैं ? यदि हां, तो क्या उन विद्यालयों में शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों की नियुक्तियों, सेवा शर्तों एवं अन्य औपचारिकातायें भी पूरी की जाती हैं ?

श्री कालीचरण--

जी हां ।

जी नहीं ।

मथुरा जिले के ग्राम रनवारी तथा अलवाई से जल निकासी की मांग

*३--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि मथुरा जनपद के चोमहां ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम रनवारी तथा अलवाई की तीन सौ एकड़ भूमि जलमग्न रहने से फसलें नहीं होती जिससे किसानों की अपूरणीय क्षति होती है ? यदि हां, तो रनवारी तथा अलवाई के जल अभाव क्षेत्र से एक नाला (ड्रेन) निकाल कर सोखी राल ड्रेन में मिला दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलबीर सिंह--

जी हां ।

किसानों को राहत देने हेतु राल ड्रेम का रिमाडलिंग तथा ग्राम रनवारी तक उसकी बढ़ोत्तरी प्रस्तावित है । आशा है कि उक्त प्रस्ताव के कार्यान्वियन के बाद कृषकगण की कठिनाई दूर हो जायेगी ।

डी० ए० वी० इन्टर कालेज, उरई, जालौन के वैकल्पिक अध्यापकों के वेतन का भुगतान

*४--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डी० ए० वी० इन्टर कालेज, उरई जिला जालौन में दिसम्बर, ७७ के समय अध्यापकों की हड़ताल के कारण दिसम्बर, ७७ अथवा जनवरी, ७८ में किन-किन अध्यापकों की तदर्थ नियुक्तियां की गई थीं ? उनको उक्त अवधि का वेतन भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री कालीचरण--

दिसम्बर, ७७ से जनवरी, ७८ के बीच अध्यापकों की हड़ताल के समय निम्नांकित तदर्थ नियुक्तियां, प्रबंधक द्वारा की गई--

सर्वश्री--

१--कमलेश गौड़ ।

२--शम्भू दयाल श्रीवास्तव ।

३ —भरत राम श्रीवास्तव ।
४—सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव ।
५—राजेश बिहारी लाल ।
६ —सुधीर कुमार निरंजन ।
७—भरतजी कुलश्रेष्ठ ।
८—हरी कृष्ण गुप्त ।
९—शिव स्वरूप श्रीवास्तव ।
१०—रघुराज सिंह ।
११—राज कुमार श्रीवास्तव ।
१२—दया शंकर ।

जी हां। उपर्युक्त क्रम १ से १० तक के अध्यापकों के वेतन का भुगतान हो चुका है। क्रम ११ एवं १२ अपने मौलिक पद का वेतन प्राप्त कर चुके हैं, वैकल्पिक अध्यापक के पद के वेतन का भुगतान शेष है।

क्रम ११ एवं १२ के अध्यापकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैकल्पिक अध्यापक घोषित किये जाने पर ही इनके शेष वेतन का भुगतान किया जा सकेगा।

*५—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

[५वें बुधवार के लिए स्थगित]

गोरखपुर के प्राइमरी व मिडिल स्कूलों की मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि

*६—श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ७८-७९ में गोरखपुर जिले में प्राइमरी व मिडिल स्कूलों की मरम्मत हेतु कितना धन आबंटित था ? १६ जुलाई तक कितने विद्यालयों की मरम्मत की गई ?

श्री कालीचरण—

वर्ष १९७८-७९ में गोरखपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के लिए १७,७०० रु० तथा नगर क्षेत्र के लिये १,२६५ रु० अर्थात् कुल १८,९६५ रु० अनुदान स्वीकृत हुआ है।

१६ जुलाई, १९७८ तक मरम्मत का कार्य नहीं हो सका है।

*७—श्री मानपाल सिंह एडवोकेट—

[५वें बुधवार के लिये स्थगित]

राजनियुक्त प्रकाशक, रायबरेली द्वारा प्रकाशित बेसिक इंगलिश रीडर का "हमारी प्रिय प्रधानमंत्री इन्दिरागांधी" नामक पाठ

८—श्री राजकुमार शर्मा (जिला सहारनपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री को यह जानकारी है कि राजनियुक्त प्रकाशक सस्ता पुस्तक भंडार, रायबरेली द्वारा प्रकाशित पुस्तक बेसिक इंगलिश रीडर कक्षा ७, इंदिरा यदर्शनी (द्वितीय संस्करण १९७५) के द्वारा आज भी विद्यालयों में "हमारी प्रिय प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी" तथा "संसार की सबसे बड़ी" पढ़ाया जा रहा है ?

क्या इस विषय में एक पत्र ६-८-७८ को प्रश्नकर्त्ता द्वारा उप शिक्षा मंत्री को सहारनपुर में दिया गया है ? यदि हां, तो प्रकाशक के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई और यह पुस्तक अब तक बन्द क्यों नहीं की गई ?

श्री कालीचरण --

जी नहीं ।

जी हां ।

प्रकाशक के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता । इस पाठ को पाठ्यक्रम से निकाल दिया गया है ।

फैजाबाद जिले के ग्राम डुन्डी से थोडवल तक माइनर निर्माण की मांग

*९--श्री मित्रसेन--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि शारदा सहायक खंड १४, नहर विभाग फजाबाद को क्षेत्र समिति, विकास क्षेत्र, अमानीगंज के माध्यम से इस आशय के प्रस्ताव मिले है कि उक्त क्षेत्र में डुन्डी से थोडवल तक माइनर निकाली जाय ? उक्त असिंचित क्षेत्र को देखते हुये तथा क्षेत्र समिति के प्रस्ताव के महत्व को देखते हुये क्या विभागीय कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलवीर सिंह--

जी हां ।

ग्राम डुन्डी से थोडवल तक माइनर निकालन का प्रस्ताव दिनांक २४-५-७८ को प्राप्त हुआ था । ग्राम डुन्डी सुल्तानपुर शाखा के कमान्ड क्षेत्र में है तथा शेष क्षेत्र नलकूप कमान्ड के अन्तर्गत है । इस क्षेत्र में नलकूप लगाया जाना प्रस्तावित है तथा माइनर निकालन का कोई प्रस्ताव नहीं है ?

बहराइच जिले के भाखला सेतु के पियर की मरम्मत

*१०--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को यह जानकारी है कि बहराइच-भिनगा मार्ग पर बने भाखला सेतु का तीसरा "पियर" पिछली बाढ़ से धंस जाने पर आठ लाख रुपया व्यय करना पड़ा और ७ जुलाई, १९७८ की बाढ़ में दूसरा "पियर" धंसने लगा जिसका कारण पुल की लम्बाई एवं पानी का निकास कम होना है ? यदि हां, तो भाखला सेतु के पानी निकास को अधिक लम्बा करने की क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

वर्ष १९७५ की बाढ़ में भाखला सेतु का (बहराइच की ओर से दूसरा ('पियर') कुंआ नं० ३ टेढ़ा हो गया था । उसको ठीक करने में (माडल बनाकर किये गये अध्ययन और अनुसंधान को सम्मिलित करते हुए) उपचारी उपायों पर केवल ५·३७ लाख रुपया का व्यय हुआ ।

७ जुलाई, १९७८ की बाढ़ में कोई क्षति नहीं हुई है । पुल की लम्बाई भी निकास हेतु पर्याप्त है । अतः इसे अधिक लम्बा करने की आवश्यकता नहीं है ।

जवाहर लाल नेहरू डिग्री कालेज, महराजगंज, गोरखपुर के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

*११--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने कुछ माह पूर्व उन्हें पत्र लिखकर यह मांग की थी कि गोरखपुर जिले के महराजगंज में स्थित जवाहर लाल नेहरू डिग्री कालेज में व्याप्त भ्रष्टाचार, भाई, भतीजावाद की जांच कराकर नियंत्रक की नियुक्ति की जाये ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सच है कि प्रबन्धक ने करीब एक दर्जन प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों को मनमाने ढंग से सेवा निवृत कर दिया है एवं २६ सितम्बर को कालेज प्रबन्ध समिति के सदस्यों ने एक मीटिंग करके प्रबन्धक के इस आचरण की निन्दा की है ? यदि हां, तो शासन इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री कालीचरण---

जी हां ।

इस कालेज के लेखों का स्पेशल आडिट कराने के लिये शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) उत्तर प्रदेश को आदेश दिया जा चुका है ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*१२--श्री श्याम दत्त पालीवाल--

[५वें बुधवार के लिए स्थगित]

प्राथमिक शिक्षक संघ, लखनऊ की मांगें

*१३--श्री गनेशीलाल चौधरी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के प्राथमिक शिक्षकों ने २८ जून सन् १९७८ में जिला बेसिक अधिकारी के कार्यालय के समक्ष क्रमिक अनशन आरम्भ किया है ? यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य मांगें क्या हैं ?

श्री कालीचरण--

जनपद लखनऊ के प्राथमिक शिक्षकों ने २८ जून, १९७८ को क्रमिक अनशन प्रारम्भ किया था जो अधिकारियों की मध्यस्थता के फलस्वरूप समाप्त हो गया । उनकी मुख्य मांगों की सूची संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ख आगे पृष्ठ १३२७ पर)

*१४--श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी--

[५वें बुधवार के लिए स्थगित]

मदन मोहन इन्जीनियरिंग कालेज, गोरखपुर में प्रवक्ताओं की नियुक्ति

*१५--श्री राम देव दुबे (जिला प्रतापगढ़)--

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि मदन मोहन इन्जीनियरिंग कालेज, गोरखपुर में १९७७-७८ शिक्षा सत्र में कितने और किन प्रवक्ताओं की तदर्थ नियुक्ति की गयी और शिक्षा सत्र १९७८-७९ में तदर्थ रीति से कार्यरत

कितने और किन प्रवक्ताओं को अनिवार्य योग्यता एवं विशेषज्ञता के बावजूद भी सेवा से निकाल दिया गया ? १९७७-७८ में तदर्थ नियुक्तियां क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निश्चित किये गये नियमों के अनुकूल हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार निकाले गये प्रवक्ताओं को शीघ्र नियुक्ति का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या प्रश्नकर्ता ने स्वयं शिक्षा मंत्री को दिनांक २०-९-७८ को न्याय की मांग करते हुए एक ज्ञापन दिया है ? यदि हां, तो आज तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कालीचरण--

शिक्षा सत्र १९७७-७८ में जिन प्रवक्ताओं की तदर्थ नियुक्तियां की गई उनके नामों की सूची संलग्न है । शिक्षा सत्र १९७६-७७ में तदर्थ रूप से नियुक्त किसी भी प्रवक्ता को उसकी तदर्थ नियुक्ति की अवधि की समाप्ति से पहले सेवा से नहीं निकाला गया है ।

जी नहीं । नियुक्तियां अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित नियमों के अनुकूल हैं, जो इंजीनियरिंग संस्थाओं पर लागू होते हैं ।

चूंकि किसी भी प्रवक्ता को अनियमित रूप से निकाला नहीं गया है, इस-लिये किसी प्रवक्ता की पुनर्नियुक्ति के आदेश देने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जी हां, माननीय सदस्य महोदय ने श्री वेद प्रकाश की नियुक्ति के संबंध में जो ज्ञापन दिया था उसमें अर्हताओं के बारे में उल्लिखित तथ्य पहले से ही शासन के विचाराधीन थे, जिन पर शासनादेश दिनांक १९-१०-१९७८ द्वारा आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १३२८ पर)

*१६--श्री विश्वनाथ पांडेय--

[५वें बुधवार के लिए स्थगित]

इलाहाबाद जिले के ग्राम करारी ढिघर्रा भदैली में नहर के निर्माण के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

*१७--श्री अठई राम--

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद में तहसील हंडिया के अन्तर्गत, ग्राम करारी भदैली ढिघर्रा में नहर निकाली जा रही है जिसके सम्बन्ध में अनेकों शिकायती-पत्र १९७७-७८ में जनता द्वारा दी जा चुकी हैं ? यदि हां, तो अब तक सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलवीर सिंह--

जी हां ।

शिकायती पत्रों के विषय में विस्तृत जांच अधीक्षण अभियन्ता, १८ वां मण्डल सिंचाई कार्य, इलाहाबाद द्वारा कराई गई है । जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाई मुख्य अभियन्ता के विचाराधीन है ।

*१८—श्री उदय नारायण सिंह—

[५वें बुधवार के लिए स्थगित]

*१९—डा० सुरेन्द्र पाल वर्मा—

[५वें बुधवार के लिए स्थगित]

एच० बी० टी० सी० आई०, कानपुर के कुल सचिव, श्री अमरनाथ शर्मा का यात्रा-भत्ता

*२०—श्री बाबूराम शुक्ल (जिला कानपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एच० बी० टी० सी० आई० कानपुर के कार्यवाहक कुल सचिव (रजिस्ट्रार) श्री अमरनाथ शर्मा १२ जून, १९७८ को संस्थान के किसी कार्यवश कानपुर से चंडीगढ़ गये थे तथा १८ जून, १९७८ को वापस आये थे ? यदि हां, तो क्या श्री शर्मा ने प्रथम श्रेणी किराये की रेलवे मनी रसीद तथा सरचार्ज रसीद यात्रा भत्ता बिल के साथ लगाई है ? यदि नहीं, तो बिना रसीद प्राप्त किये श्री शर्मा को प्रथम श्रेणी का किराया भुगतान कैसे किया गया ?

श्री कालीचरण—

जी हां—

श्री शर्मा ने प्रसंगगत रेलवे मनी रसीद तथा सरचार्ज रसीद यात्रा भत्ता बिल के साथ प्रस्तुत नहीं की है। किराये का भुगतान नियमानुसार किया गया अथवा नहीं—इसकी जांच कराई जा रही है।

हसनपुर गंगा बांध, मुरादाबाद के निर्माण के सम्बन्ध में मांगा गया कोटेशन व टेन्डर

*२१—श्री रियासत हुसैन—

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि हसनपुर गंगा बांध, मुरादाबाद पर जो अब तक ३२ लाख रुपये खर्च हुए हैं, उसमें कितना कार्य टेन्डर्स के द्वारा कराया गया और कितना बन्द कोटेशन के द्वारा ? कान्ट्रेक्ट कोटेशन के द्वारा कार्य कराये जाने के क्या कारण थे ?

श्री बलबीर सिंह—

हसनपुर गंगा बांध के निर्माण पर माह अक्तूबर, १९७८ तक ५२.३० लाख रुपये की धनराशि व्यय हुई है। इसमें ३२.९६ लाख रुपये टेन्डर पर आधारित अनुबंधों द्वारा कराये गये कार्यों पर व्यय हुआ है। ५.९७ लाख रुपये कोटेशन पर आधारित अनुबंधों द्वारा कराये गये कार्यों पर व्यय हुआ है, ६.१८ लाख रुपये का व्यय कार्य देशों द्वारा कराये गये कार्यों पर हुआ है तथा ७.१९ लाख रुपये का व्यय अन्य विविध मदों पर किया गया है। कोटेशन के आधार पर वह कार्य कराये गये हैं जो या तो टेन्डर्स के द्वारा कराये गये लाट्स के बीच में छूटे हुए गैप्स के थे अथवा जो ऐसे लाट्स थे जहां अपूर्ण कार्य को डेवीटेबुल एजेन्सी द्वारा कराना पड़ा। कोटेशन मांगते समय धरोहर राशि भी मांगी गई थी अतः यह कोटेशन टेण्डर्स की ही क्षमता रखते हैं।

बी० आर० डी० कृषक इण्टर कालेज, भाटपाररानी के प्रधानाचार्य के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*२२—श्री राजेन्द्र चौधरी (जिला गाजियाबाद) तथा श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बी० आर० डी० कृषक इण्टर कालेज भाटपाररानी, जिला देवरिया के प्रधानाचार्य के विरुद्ध कोई शिकायती पत्र शासन को अक्तूबर, १९७८ में इस आशय का मिला है कि प्रधानाचार्य ने कृषि से २ लाख रुपये मूर्ति स्थापना में, ३० हजार रु० ब्वायज फंड से, ५० हजार रु० मेन्टीनेन्स से, एक लाख रुपये चपरासी से, २५ हजार रुपये दूध से, १० हजार रुपये विज्ञान के सामान में, ५० हजार रु० तथा अन्य मदों से लाखों रुपयों का गबन किया है ? यदि हां, तो प्रधानाचार्य के खिलाफ कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री कालीचरण—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

देवरिया जिले में नियंत्रित कागज का आवंटन

*२३—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले में इस वर्ष नियंत्रित कागज का कुल कितना कोटा किन-किन लोगों के नाम से आवंटित किया गया ? क्या कोटदारों ने उसका दुरुपयोग किया जिससे छात्रों की कापियां उपलब्ध नहीं हुई और उनको भारी परेशानी उठानी पड़ी ?

श्री कालीचरण—

वर्ष १९७८ में देवरिया जिले को २१० टन रियायती मूल्य का कागज निम्न कापी निर्माताओं को आवंटित किया गया :—

1—मे० नवल प्रिंटिंग प्रेस, देवरिया ।

2—मे० राधा कृष्ण मलानी एन्ड संस, देवरिया ।

३—मे० दल सिंगार राम लखन किशोर, देवरिया ।

४—मे० महालक्ष्मी पेपर वर्क्स सलेमपुर देवरिया ।

५—मे० परीक्षा समिति, देवरिया ।

६—मे० खबर प्रिंटिंग प्रेस, कसिया, देवरिया ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*२४—श्री श्रीनारायण—

क्या सरकार की तरफ से नियंत्रित कागज के घोटाले की जांच हुई और जांच रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कालीचरण—

लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि विभाग में व्याप्त अनियमितताओं के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र

*२५--श्री राम नरायन वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री बतान की कृपा करेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि विभाग में व्याप्त भष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में अगस्त व सितम्बर, १९७८ में कुछ विधायकों तथा मन्त्रियों की संस्तुति के साथ जांच के लिए प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे ? यदि हां, तो आज तक उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कालीचरण--

जी हां । उन पर विचार किया गया है और जांच कराने का मामला शासन के विचाराधीन है ।

लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि विभाग के पुस्तकालय में गबन

*२६--श्री राम नरायन वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री बतान की कृपा करेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि विभाग के पुस्तकालय में गबन की जांच विश्वविद्यालय द्वारा विभागीय ढंग से की गई ? यदि हां, तो उसकी क्या रिपोर्ट है ? क्या जांच रिपोर्ट सरकार सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कालीचरण --

कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय ने मामले की जांच हेतु एक समिति गठित की है । समिति की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है । अतएव, रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता है ।

*२७--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[६-१२-७८ को ३८ (२) तारांकित प्रश्न संख्या ३९ द्वारा उत्तरित]

*२८--श्री मन्जूर अहमद--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

प्रदेश में अनिवार्य शिक्षा की रूप रेखा

*२९--श्री मन्जूर अहमद--

क्या सरकार उत्तर प्रदेश में अनिवार्य शिक्षा तीन वर्ष के अन्दर लाग करने जा रही है ? यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ?

श्री कालीचरण--

जी नहीं ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद के हाई स्कूल तथा इंटर की परीक्षाओं में सामूहिक नकल

*३०--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयाग के हाई स्कूल तथा इंटर के परीक्षार्थियों ने इस वर्ष (१९७८) बड़े पैमाने पर

[श्री पुरुषोत्तम कौशिक--]

सामूहिक नकल की ? यदि हां, तो इस सामूहिक नकल अभियान के सन्दर्भ में परीक्षा प्रणाली में लागू आमूल भूत परिवर्तन किए जायेंगे ?

श्री कालीचरण --

जी हां, शासन द्वारा माध्यमिक (शिक्षा) परिषद को इस विषय में विचार करने का निर्देश दिया गया है ।

*३१--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

[५वें बुधवार के लिए स्थगित]

*३२---श्री राज कुमार शर्मा--

[५वें बुधवार के लिए स्थगित]

स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बहराइच में प्राचीन इतिहास विषय को प्रारम्भ करने की मांग

*३३--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बहराइच में स्नातक स्तर पर प्राचीन इतिहास विषय खोलने की अनुमति सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र जो फरवरी, ७८ में शिक्षा सचिव, उ० प्र० शासन व शिक्षा मन्त्री को अध्यक्ष, प्रबन्ध समिति किसान महाविद्यालय, बहराइच द्वारा एवं सितम्बर, ७८ में उप मन्त्री, क्षेत्रीय विकास तथा राज्य मन्त्री, बिक्रीकर, उ० प्र० शासन द्वारा तथा अक्तूबर, ७८ में बहराइच जिले के प्रश्नकर्ता एवं अन्य कई विधायकों द्वारा भेजे गए थे, प्राप्त हुये ? यदि हां, उक्त महाविद्यालय में प्राचीन इतिहास विषय खोलने की अनुमति दिये जाने की कब तक सम्भावना है ?

श्री कालीचरण--

जी हां, मामला शासन के विचाराधीन है ।

देवरिया जिले के गंडक प्रथम के अवर अभियन्ता, श्री इन्द्रमणि यादव द्वारा सीमेंट का कथित गबन

*३४--श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद में गंडक प्रथम के अवर अभियन्ता (श्री इन्द्रमणि यादव) को सैकड़ों बोरी सीमेन्ट की चोरी करते हुये रंगे हाथ अधिशासी अभियन्ता ने गत जुलाई-अगस्त माह में पकड़ा था ? और उसकी सूचना भी उच्चाधिकारियों को दी थी ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध कार्यवाही न करने का कारण क्या है ?

श्री बलबीर सिंह--

जी नहीं ।

इसलिये किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

*३५--श्री विश्वनाथ पांडेय--

[५वें बुधवार के लिए स्थगित]

*३६—श्री उदय नारायण सिंह—

[५वें बुधवार के लिए स्थगित]

श्री कुंवर सिंह, ग्राम हंडिया व श्री बद्रीनाथ, ग्राम सर्प, जिला अल्मोड़ा के मकान को नहर से क्षति

*३७—श्री पूरन चन्द्र (जिला अल्मोड़ा)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा माह अगस्त, १९७८ में श्री कुंवर सिंह, ग्राम इंडिया, पो० कनाधार एवं श्री बद्रीनाथ, ग्राम सर्प, पो० सोमेश्वर, जिला अल्मोड़ा के मकान सिंचाई नहर से ध्वस्त हो गये थे, के सम्बन्ध में उन्हें मुआवजा दिलाये जाने हेतु पत्र लिखा था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? और सरकार द्वारा उक्त व्यक्तियों को उनका उक्त मुआवजा कब तक दिलाया जायेगा ?

श्री बलबीर सिंह—

जी हां ।

श्री कुंवर सिंह का कुलस्यारी माइनर पर स्थित मकान की क्षति प्राकृतिक कारणों (भूमि खिसकने के कारण) से हो रही थी, नहर के कटाव के कारण नहीं । उक्त स्थल पर नहर की क्षति रोकने हेतु २० मीटर लम्बी पक्की दीवार का निर्माण कर दिया गया है । इससे प्रार्थी के मकान की भी सुरक्षा हो जायगी । नहर से मकान की क्षति नहीं हुई, इसलिये मुआवजा देने का औचित्य नहीं है ।

श्री बद्रीदत्त जोशी को मकान की क्षति का मुआवजा जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के माध्यम से भेजा जा चुका है ।

पर्वतीय जिलों के हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट कालेजों के कर्मचारियों का पर्वतीय भत्ता

*३८—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय जिलों में मान्यता प्राप्त हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट कालेजों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को शिक्षकों की तरह पर्वतीय भत्ता दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कालीचरण—

जी नहीं ।

शासन द्वारा इस सम्बन्ध में अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

*३९—श्री प्रदीप कुमार यादव—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

*४०—श्री राम सजीवन—

[५वें बुधवार के लिए स्थगित

सीमेन्ट की चोरबाजारी रोकने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का पत्र

*४१--श्री मित्र सेन--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य में सीमेन्ट वितरण व्यवस्था में होने वाली व्यापारियों द्वारा चोर बाजारी रोकने के लिये सीमेन्ट वितरण व्यवस्था को सरकार अपने हाथ में लेने के सम्बन्ध में विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि सीमेन्ट वितरण व्यवस्थ में होने वाली चोर बाजारी के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को हाल ही में पत्र लिखा है ? यदि हां, तो उस पत्र का आशय क्या है ?

खाद्य एवं रसद मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र)--

जी हां । केन्द्रीय उद्योग मंत्री जी का सीमेन्ट की चोरबाजारी रोकने के सम्बन्ध में दिनांक ५-७-१९७८ का एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें इस बात पर बल दिया गया था कि सीमेन्ट के वितरण पर कड़ी निगरानी रखी जाय और चोरबाजारी करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जाय । उस पत्र में सीमेन्ट वितरण शासन द्वारा अपने हाथ में लेने के लिये सुझाव भी दिया गया है ।

*४२--श्री दयाराम भास्कर--

[६-१२-७८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४० द्वारा उत्तरित ।]

*४३--श्री गिरीश चन्द्र तिवारी--

[५वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

झांसी जिले के ग्राम सिमरधा में राजकीय हाई स्कूल खोलने की मांग

*४४--डाक्टर भगवत दयाल (जिला झांसी)--

क्या शिक्षा मंत्री स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि जब शासन पिछड़े क्षेत्र की उन्नति हेतु कटिबद्ध तथा ग्राम सिमरधा की जनता शासन को एक पक्का भवन तथा १३ एकड़ कृषि योग्य भूमि निःशुल्क दे रही है तथा जिसका प्रस्ताव जिला विद्यालय निरीक्षक, झांसी तथा शिक्षा निदेशक, उ० प्र० इलाहाबाद भी अपनी सचल संस्तुतियों सहित अनुमोदनार्थ शासन को गत वर्ष प्रेषित कर चुके हैं, फिर भी अभी तक उक्त ग्राम सिमरधा में शासकीय हाई स्कूल खोलने का आदेश क्यों नहीं पारित किया गया ? जबकि अखेरी तथा धसान नदियों के दोआब क्षेत्र से घिरे इस पिछड़े क्षेत्र में ४५,००० की जनसंख्या में ४० ग्राम सभाओं में कोई भी हाई स्कूल नहीं है तथा यहां इसकी अतीव आवश्यकता है ?

श्री कालीचरण--

ग्राम पंचायत सिमरधा ने गत वर्ष लगभग १० एकड़ भूमि एवं भवन के निर्माण होने तक ग्राम पंचायत का एक भवन विद्यालय खोलने हेतु निःशुल्क देने का प्रस्ताव पारित किया था । तथापि छात्रों की अत्यन्त न्यून संख्या होने के कारण ग्राम सिमरधा में राजकीय हाई स्कूल खोलना सम्भव नहीं हो सका ।

बाराबंकी जिले के रामनगर में डिग्री कालेज की स्थापना की मांग

*४५—श्री मसूदुल हसन नोमानी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बाराबंकी के कस्बा रामनगर में कब तक डिग्री कालेज खुलने जा रहा है तथा इस डिग्री कालेज के लिये अब तक कितनी भूमि व पैसा प्राप्त हो चुका है ?

श्री कालीचरण—

प्रस्तावित डिग्री कालेज रामनगर बाराबंकी को क्लीयरेन्स प्रदान करने का मामला शासन के विचाराधीन है ।

प्रस्तावित कालेज के लिये पैसा व भूमि की आवश्यकता सम्बद्धता शर्तों की पूर्ति के लिये होगी जिससे कुलाधिपति महोदय सम्बन्धित हैं ।

मुजफ्फरनगर के कैराना स्थित यमुना सेतु को क्षति

*४६—श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यमुना नदी पर मुजफ्फरनगर जिले में कैराना नामक स्थान पर बना पुल हाल ही में बह गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? यह पुल कब और कितनी लागत से बना था तथा इसका अनुमानित जीवन (इस्टीमेन्टन लाइफ) क्या थी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जी नहीं ।

मुजफ्फरनगर जिले में कैराना स्थित यमुना सेतु बहा नहीं है । कैराना की ओर से कुंआ नम्बर तीन (३) धस गया है । कुंआ धसने का मुख्य कारण यह है कि यमुना नदी में बहाव की दिशा बदलने के कारण पानी का बहाव एक ओर को इकट्ठा हो गया जिससे अधिक कटाव हुआ और सेतु को यह क्षति पहुंची ।

यह पुल १९६८ में बनकर तैयार हुआ था तथा दिनांक ३१-३-६८ से औपचारिक रूप से यातायात के लिये खोला गया । मुख्य पुल के निर्माण पर रुपया ४९,६७,१०७ व्यय हुआ । इस पुल का अनुमानित जीवनकाल ७५ वर्ष है ।

आगरा जिले के आगरा टर्मिनल राजबाहा में सीपेज

*४७—श्री बदन सिंह (जिला आगरा)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आगरा टर्मिनल राजबाहा में आगरा जनपद की तहसील किराबली के कासौठी गांव से बिचपुरी गांव तक भारी सीपेज होता है ? यदि हां, तो आगरा टर्मिनल राजबाहा की दोनों ओर सीपेज ड्रेन सरकार निकालेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलबीर सिंह--

जी हां, सीपेज होता है ।

इस राजबाहे के दोनों ओर सीपेज ड्रेन बनाने की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

*४८--श्री हुकम चन्द्र तिवारी--

[५वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

समानान्तर निचली गंगा नहर जिला एटा का निर्माण एवं मुआवजा

*४९--श्री मानपाल सिंह एडवोकेट (जिला एटा)--

क्या सिंचाई मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि समानान्तर निचली गंगा नहर के निर्माण हेतु जनपद एटा की तहसील कासगंज के कितने ग्रामों की भूमि अधिग्रहीत की गई थी और अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा कितने काश्तकारों को दिया जा चुका है और कितनों का भुगतान होना शेष है ? अब तक काश्तकारों को भूमि का मुआवजा न दिये जाने का क्या कारण है और कब तक काश्तकारों को मुआवजा अदा कर दिया जायेगा ?

श्री बलबीर सिंह--

समानान्तर निचली गंगा नहर के निर्माण हेतु जनपद एटा की तहसील कासगंज १७ ग्रामों की भूमि अध्याप्त की गई है । अध्याप्त की गई भूमि का प्रतिकर १२३६ कृषकों को वितरित किया जा चुका है तथा ९२ कृषकों को प्रतिकर दिया जाना शेष है ।

प्रतिकर वितरण हेतु विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी आगरा द्वारा निश्चित तिथि पर जो कृषक अनुपस्थित थे उनका प्रतिकर वितरित नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त सात कृषकों के भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही पूर्ण न होने के कारण प्रतिकर नहीं दिया जा सका, जिनको प्रतिकर देने की कार्यवाही की जा रही है ।

महाविद्यालयों के कार्यालय अधीक्षक के रिक्त पद एवं सेवा नियमावली

*५०--श्री शिव प्रसाद (जिला आजमगढ़)--

क्या शिक्षा मंत्री को यह जानकारी है कि वर्ष १९७७ में शासन ने महाविद्यालयों के गैर शिक्षक कर्मचारियों की जो सेवा नियमावली बनाई है उसमें महाविद्यालयों के कार्यालय अधीक्षक पद के लिये अनुभव सम्बन्धी जो योग्यता रखी गई है, वह बहुत ही अव्यवहारिक है जिसके फलस्वरूप अधिकांश विद्यालयों में अधीक्षक पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार पुनः नियमावली का संशोधन करके अनुभव सम्बन्धी योग्यता शिथिल करेगी ?

श्री कालीचरण--

शासन में प्राप्त सूचना के अनुसार गैर सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यालय अधीक्षक के केवल सात पद रिक्त हैं ।

वर्ष १९७७ में प्रसारित महाविद्यालयों के गैर शिक्षक कर्मचारियों की सेवा नियमावली में कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

बाराबंकी जिले में सिभली नदी पर कतिपय पुलों के निर्माण की मांग

*५१—श्री मसूदुल हसन नोमानी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बाराबंकी में सिभली नदी में पिपरी घाट व बहमनान घाट तथा सरसवां घाट पर पुल निर्माण हेतु स्थानीय जनता समय-समय पर मांग करती रही है ? यदि हां, तो जनहित में इन घाटों पर पुल बनवाने हेतु सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जी हां, प्रश्नगत सेतुओं को बनाये जाने की मांग की गयी है ।

ये सेतु जिन मार्गों पर स्थिति है वे मार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग की देख-रेख में नहीं है । अतः इसलिए सेतु का निर्माण विचाराधीन नहीं है ।

जवाहर लाल नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बहरौला, लखनऊ के प्रबन्ध समिति के सदस्य

*५२—श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जवाहर लाल नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बहरौला, जनपद लखनऊ की प्रबन्ध समिति का कार्य-काल ३० जून, १९७७ को समाप्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या उसके स्थान पर नई प्रबन्ध समिति गठित की गई है ? यदि हां, तो उक्त समिति में कौन-कौन लोग रक्खे गये हैं ? यदि नहीं, तो अब तक उसका चुनाव किन कारणों से नहीं किया गया है ?

श्री कालीचरण—

जी हां ।

जी हां ।

विद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पदेन सदस्यों को छोड़कर निम्न पदाधिकारी एवं सदस्यगण निर्वाचित हुये :

१—श्री राजा विजय कुमार	..	अध्यक्ष
२—श्री विशेश्वर प्रसाद वर्मा	..	उपाध्यक्ष
३—श्री भगौती प्रसाद वर्मा	..	प्रबंधक/सचिव
४—श्री दिनेश प्रसाद वर्मा	..	सहायक प्रबंधक/सचिव
५—श्री महेश प्रसाद वर्मा	..	कोषाध्यक्ष
६—श्री राज बहादुर	..	सदस्य
७—श्री गंगा प्रसाद	..	"
८—श्री राम नारायण	..	"

[श्री काली चरण]

९--श्री बाबादीन .. सदस्य

१०--श्री घनश्याम सिंह .. ,,

११--श्री राम दास वर्मा .. ,,

१२--श्री रामेश्वर प्रसाद .. ,,

प्रश्न नहीं उठता।

श्री दुर्गा अनाज मन्डी, काशीपुर नैनीताल का धान की लेवी सम्बन्धी पत्र

*५३--श्री मंजूर अली खां (जिला रामपुर)--

क्या खाद्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि मन्त्री, श्री दुर्गा अनाज मंडी, काशीपुर, जिला नैनीताल का १४-१०-७८ का पत्र जिसमें उन्होंने धान के ऊपर क्षेत्र से व प्राप्त से बाहर ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाने की बात कही है, मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ? क्या यह सही है कि क्षेत्र से व प्रान्त से बिना ६० प्रतिशत लेवी दिए धान ट्रक या रेलवे बैगन से बाहर नहीं भेजा जा सकता है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र --

जी हां। विचारोपरान्त उक्त पत्र में की गई प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई। यथासंशोधित उत्तर प्रदेश चावल और धान (उद्ग्रहण और व्यापार विनियमन) आदेश, १९७७ के खन्ड ३ (१) के अनुसार प्रत्येक लाइसेंस प्राप्त खाद्यान्न व्यापारी/चावल मिल वाले को धान की प्राप्ति की तिथि के तीन माह के भीतर प्राप्त होने वाले धान का ६० प्रतिशत सरकार की लेवी में बचना अनिवार्य है। आदेश में यह व्यवस्था है कि बिना लेवी में देय धान सरकार को बेचे लाइसेंस प्राप्त खाद्यान व्यापारी/चावल मिल वाले अपना धान न तो बेच सकते ह, न अन्यथा किसी प्रकार से उसका निस्तारण कर सकते ह और न ही किसी विशिष्ट स्थान में अपने सामान्य व्यापार स्थल से भिन्न किसी अन्य स्थान को हटा सकते हैं।

राज्य के चावल मिल वालों को कूटने के लिए पर्याप्त मात्रा में धान उपलब्ध हो सके इस दृष्टि से किसी खाद्यान्न व्यापारी द्वारा राज्य के ही किसी अन्य खाद्यान्न व्यापारी/चावल मिल वाले को बेचे गये धान को लेवी से मुक्त कर दिया गया है। इसके साथ ही जब चावल पर लेवी लगाई जाती है, तो धान पर भी लेवी लगाना उचित ही है।

*५४--श्री मित्रसेन--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में त्रिभाषा सूत्र योजना के अध्यापकों का वेतन मान

*५५--श्री कौशल किशोर (जिला जालौन)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि मान्यता प्राप्त असहायक पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में त्रिभाषा सूत्र योजना के अन्तर्गत नियुक्त अध्यापकों को मासिक वेतन मात्र ८० (अस्सी) रुपया दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार अन्य अध्यापकों को दिए जाने वाला वेतन क्रम देने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कालीचरण --

जी हां, उन्हें ६०-१२० रु० का पुराना वेतनक्रम ही दिया जा रहा है। इसका कारण इन अध्यापकों का प्रकरण वेतन आयोग को संदर्भित करने से छूट गया था। अब इनका प्रकरण वेतन आयोग के विचाराधीन है।

*५६--श्री शम्भूनाथ चौधरी--

[३रे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या ४६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*५७--श्रीमती शारदा देवी--

[५वें बुधवार के लिए स्थगित]

पर्वतीय जिलों के जूनियर हाई स्कूलों के कर्मचारियों का वेतन मान

*५८--श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय जिलों में मान्यता प्राप्त व्यक्तिगत जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणत्तर कर्मचारियों को अन्य सरकारी कर्मचारियों की भांति पर्वतीय भत्ता दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कालीचरण --

जी नहीं।

अभी शासन ने ऐसा निर्णय नहीं लिया है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, अधीक्षण अभियन्ता, श्री जे० के० सक्सेना, श्री उमाकान्त व श्री मदन गोपाल भार्गव की पदोन्नति

*५९--श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)--

विधान सभा प्रथम सत्र १९७८ के सातवें बुधवार १०-५-७८ के अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न संख्या १ के संदर्भ में क्या सरकार बतलायेगी कि इन प्रमोशन्स में मुख्य सचिव के कार्यालय ज्ञाप सं० १९-३-७७, कार्मिक-१ अनुभाग दिनांक २४-१२-७७ का उल्लंघन करने का आधार क्या है ? और इस उल्लंघन के लिए उत्तरदायी कौन है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

संदर्भित अधीक्षण अभियन्ताओं के विरुद्ध लम्बे समय से जांच चल रही थी चूंकि यह जांच लम्बे समय से चल रही थी और इन अधिकारियों का सेवाकाल शीघ्र समाप्त होने वाला था, यह उचित नहीं समझा गया कि इन्हें सेवाकाल के अन्तिम चरण में पदोन्नति से वंचित रखा जाय। अतः इनकी तदर्थ प्रोन्नति के आदेश जारी कर दिए गए।

संदर्भित शासनादेश दिनांक २४-१२-७७ को अब शासनादेश सं० ४१-३-७७ कार्मिक अनुभाग-१ दिनांक १२-६-७८ द्वारा संशोधित कर दिया गया है जिसके अनुसार सतर्कता की खुली जांच प्रोन्नति में बाधक नहीं है। इस परिपेक्ष्य में प्रोन्नति के आदेश उचित थे।

उन्नाव जिले में गंगा नदी की बाढ़ से कटाव

*६०—श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार को यह जानकारी है कि गंगा नदी में आने वाली बाढ़ एवं कटाव से उन्नाव जिले की सफीपुर तहसील के प्रतिवर्ष सैकड़ों गांव जलमग्न हो जाते हैं, लाखों रुपये की फसलें नष्ट हो जाती हैं दर्जनों गांव गंगा की गोद में विलीन हो जाते हैं ? यदि हां, तो क्या स्थाई प्रबन्ध के लिए गहारपुरवा से गंगाघाट तक बांध बनवाने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री बलवीर सिंह—

जी हां । उन्नाव जनपद की सफीपुर तहसील में प्रतिवर्ष बाढ़ से क्षति होती है । गहरपुरवा से गंगा घाट तक बांध बनाने की कोई योजना इस समय विचाराधीन नहीं है ।

ग्राम मरौंदा से ग्राम बसधना तक परियार बांध का सर्वेक्षण कार्य कराया जा रहा है ।

इसके अतिरिक्त कानपुर में गंगा नदी पर रेलवे पुल से ५.२ कि० मी० ऊपर भैरवघाट पर ६७४.५ मीटर लम्बा बैराज बनाने की योजना विचाराधीन है ।

अतारांकित प्रश्न

१—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

[५वें बुधवार के लिए स्थगित]

आगरा जिले के बन्द राजकीय नलकूप

२—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि जनपद आगरा में ३० सितम्बर, १९७८ तक क्या कुल ४१० राजकीय नलकूप छिद्रण कर तैयार हुए और क्या यह सत्य है कि उन राजकीय नलकूपों में से ४५ नलकूप पर बिजली नहीं है और बन्द है तथा क्या २०० नलकूप खराब है और बन्द पड़े हुए हैं जिससे किसानों को सिंचाई को पानी नहीं मिल पाता लेकिन विभाग अपनी बचत को किसानों पर झूठी आबपाशी दर्ज करता है जिससे किसानों में असंतोष है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री बलवीर सिंह—

जनपद आगरा में दिनांक ३० सितम्बर, १९७८ तक कुल छिद्रित नलकूपों की संख्या ४१९ थी जिसमें से १७ नलकूप निर्माणाधीन थे व ५७ नलकूपों का विद्युतीकरण होना शेष था इस प्रकार कुल ७४ नलकूपों पर बिजली नहीं थी । इसके अतिरिक्त २८ नलकूप फल पड़े हैं व १२ का पुनः विकारन होना है । इस प्रकार ११४ नलकूप बन्द एवं अपूर्ण थे ।

आगरा जनपद में चालू ३०५ नलकूप थे जिनमें से १३ विद्युत दोष से व ९ यांत्रिक दोष से खराब थे । इन सभी नलकूपों से कृषकों को सामान्यता पानी उपलब्ध कराया जाता रहा है । झूठी आबपाशी दर्ज करान का यदि कोई मामला जानकारी में आया तो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

३--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[१३-१२-७८ को अतारांकित प्रश्न संख्या ३ द्वारा उत्तरित]

४--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

[५वें बुधवार के लिए स्थगित]

राजकीय इन्टर कालेज, गोंडा के लिए हिन्दी अध्यापक की नियुक्ति की मांग

५--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या यह सही है कि बहराइच, बाराबंकी तथा गोंडा जिले के लिए आवासीय योजनान्तर्गत केन्द्र राजकीय इंटर कालेज, गोंडा, जिसमें मेधावी छात्रों को अनिवार्य हिन्दी के साथ शिक्षा दी जाती है ? परन्तु हिन्दी अध्यापक नहीं रखे गए ? यदि हां, तो क्यों और कब तक हिन्दी अध्यापक की नियुक्ति कर दी जाएगी ?

श्री कालीचरण--

राजकीय इंटर कालेज, गोन्डा में आवासीय योजनान्तर्गत अध्ययनरत मेधावी छात्रों को हिन्दी विषय का अध्यापन कार्य अंग्रेजी विषय के टीचर ट्यूटर से लिया जाता है जो अंग्रेजी व हिन्दी दोनों विषयों में एम० ए० हैं । अतः हिन्दी अध्यापक की नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता ।

गाजियाबाद के ईसापुर-खरखौंदा मार्ग का निर्माण

६--श्री मन्जूर अहमद--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १९७२ में ईसापुर से खरखौंदा पक्का मार्ग मंजूर हुआ था जो जनपद गाजियाबाद व जनपद मेरठ में है जिसमें ईसापुर से तोड़ी तक मार्ग बन गया है किन्तु तोड़ी से उलघन खरखौंदा तक केवल सर्वेक्षण हो कर रह गया और सड़क पर कोई कार्य नहीं हुआ क्या कारण है कि अब तक सड़क पर कोई कार्य नहीं हुआ ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

ईसापुर से खरखौंदा मार्ग की लम्बाई ११ कि० मी० है । किलोमीटर १, ३, ४ और किलोमीटर २ के आधे हिस्से में मध्य सतह तक कार्य हो चुका है और आगे भी कार्य प्रगति पर है । किलोमीटर २ के शेषभाग में ग्रामवासियों से मिल कर भूमि की व्यवस्था की जा रही है । किलोमीटर ५, ६, ७ में मिट्टी का कार्य शुरू किया जा रहा है । किलोमीटर ८ से ११ तक जमीन मिलने में कठिनाईयां है जिनको हल किया जा रहा है तथा भूमि अध्याप्ति कागजात भी बनाये जा रहे हैं ।

जैसा ऊपर दर्शाया गया है, भूमि की कठिनाई के कारण सड़क के शेष भाग में कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका है ।

नलकूप विभाग में घाटा

७--श्री गनेशी लाल चौधरी--

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ३१ मार्च, १९७८ तक प्रदेश के नलकूप विभाग को नब्बे करोड़ रुपये का घाटा हुआ है ? यदि हां, तो यह घाटा क्यों और कैसे हुआ ?

श्री बलबीर सिंह—

प्रदेश में १९३२-३३ से लेकर ३१ मार्च, १९७८ तक राजकीय नलकूपों पर कार्यकारी व्यय नलकूपों से पानी विक्रय कर प्राप्त राजस्व से लगभग १०१ करोड़ रु० अधिक रहा। अतः वित्तीय दृष्टिकोण से घाटा रहा।

केन्द्रीय योजना आयोग के निर्धारित लाभ लागत अनुपात के आधार पर नलकूप परियोजना का अनुपात लगभग २.५ आता है। अतः नलकूपों द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि को देखते हुए नलकूप परियोजना प्रदेश के लिए हितकर है।

श्री नरसिंह प्रसाद मिश्र, पूर्ति निरीक्षक, बस्ती का त्याग-पत्र

८—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या खाद्य मंत्री को जानकारी है कि आपातकाल में आपातकालीन अधिकारों का घोर दुरुपयोग करके पूर्ति विभाग के अधिकारियों ने १ अगस्त, १९७५ को बस्ती जनपद में सेवारत पूर्ति निरीक्षक, श्री नरसिंह नारायण मिश्र को बलात त्याग-पत्र देने को बाध्य किया जिसके कारण अनचाहे श्री मिश्र ने त्याग-पत्र दिया ? यदि हां, तो आपातकाल के शिकार श्री मिश्र को पुनः सेवा में लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र—

श्री नर सिंह प्रसाद मिश्र, भूतपूर्व पूर्ति निरीक्षक, जिलापूर्ति कार्यालय, बस्ती ने १ अगस्त, १९७५ को अपने स्वास्थ्य की गड़बड़ी एवं पारिवारिक उलझनों के कारण सेवा कार्य करने में पूर्ण असमर्थता व्यक्त करते हुए अपने पद से त्याग-पत्र दिया, जिसे जिला अधिकारी, बस्ती द्वारा स्वीकृत कर लिया गया। यह सही नहीं है कि उन्हें त्याग-पत्र देने के लिए बाध्य किया गया।

९—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[५वें बुधवार के लिए स्थगित]

बाराबंकी जिले की शारदा सहायक नहर के ग्राम रींवा-सींवा का क्षतिग्रस्त पुल

१०—श्री राम नारायन वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि शारदा सहायक नहर ११५ से १२० कि० मी० ग्राम रींवां सींवा, ब्लाक निदूरा, जनपद बाराबंकी में एक पुल की बिम टूट गयी है ? यदि हां, तो उस संबन्ध में सरकार द्वारा आज तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलवीर सिंह—

शारदा सहायक पोषक नहर के कि० मी० ११६.०० पर बने पुल के बीच वाले स्पेन की दोनों बीमों में दरारे (क्रक) पड़ गई हैं। अभी बीम टूटने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती है। हल्के यातायात के लिए यह पुल खुला हुआ है किन्तु भारी यातायात के लिए सुरक्षा की दृष्टि से बन्द करा दिया गया है।

पुल के बीमों में दरार पड़ने के कारणों की जांच हेतु दो अधिशासी अभियन्ताओं की एक समिति गठित कर दी गई थी जिसकी जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और विचाराधीन है।

जवाहर लाल नेहरु पालीटेक्निक कालेज, सीतापुर के भवन निर्माण की मांग

११--श्री राम नारायन वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जवाहर लाल नेहरू पालीटेक्निक कालेज, महमूदाबाद, सीतापुर के भवन निर्माण हेतु क्या भूमि खरीद ली गई है ? यदि हां, तो उस पर विद्यालय के भवन निर्माण का कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री काली चरण--

जी नहीं ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

सीतापुर जिले के रामपुर मथुरा व सदरपुर में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के निर्माण की मांग

१२--श्री राम नारायन वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय हायर सेकेन्ड्री स्कूल रामपुर तथा सदरपुर, जनपद सीतापुर में बनवाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह दोनों विद्यालय शिक्षण का कार्य कब से प्रारम्भ कर देंगे ?

श्री काली चरण--

रामपुर मथुरा तथा सदरपुर जनपद सीतापुर में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने की सम्प्रति कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है ।

जिला पूर्ति कार्यालय, शाहजहांपुर के चपरासी, श्री राम चन्द्र की सेवा समाप्ति

१३--श्री अशर्फी लाल यादव--

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पूर्ति कार्यालय, शाहजहांपुर में नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री राम चन्द्र को २५ सितम्बर सन् १९७५ को सेवा मुक्त कर दिया गया था ? यदि हां, तो उसके निकाले जाने के कारण क्या थे ? और क्या उसने उस सेवा पुस्तिका आदेश के विरुद्ध मंत्री को तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को कुछ प्रार्थना-पत्र दिये थे ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हरिशचन्द्र--

जी हां, श्री राम चन्द्र, चपरासी, जिलापूर्ति कार्यालय शाहजहांपुर को २४ सितम्बर, १९७५ को जिलाधिकारी शाहजहांपुर के आदेश द्वारा सेवाच्युत किया गया था । श्री राम चन्द्र बिना अवकाश स्वीकृत कराये तथा बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय छोड़ने तथा घर से अवकाश बढ़ाते रहने के दोषी पाये गये थे ।

सेवाच्युत आदेश के विरुद्ध श्री राम चन्द्र का एक प्रत्यावेदन शासन को प्राप्त हुआ था, जो खाद्य आयुक्त द्वारा विचारोपरान्त २७ फरवरी, १९७६ को अस्वीकृत कर दिया गया था ।

१४--श्री अब्दुल हफीज--

[५वें बुधवार के लिये स्थगित]

बांदा जिले के चौकी अलिहा के सींचपाल, श्री जगेश्वर प्रसाद का निलम्बन

१५--श्री सुरेन्द्र पाल (जिला बांदा)--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद अन्तर्गत ग्राम खुरहण्ड जिलेदारी पंचम के अन्तर्गत चौकी अलिहा में कार्यरत सींचपाल (श्री जागेश्वर प्रसाद) को दिनांक १७-३-७८ को निलम्बित कर दिया गया था ? यदि हां, तो अभी तक निलम्बन भत्ता व चार्जसीट न देने का क्या कारण है ? क्या सरकार अविलम्ब चार्जसीट व निलम्बन भत्ता देगी ?

श्री बलबीर सिंह--

जी हां ।

श्री जगेश्वर प्रसाब सींचपाल के दिनांक १७-३-७८ से ३१-१०-७८ तक निलम्बन काल में सम्बद्ध स्थान से अनुपस्थित रहने के कारण जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान नहीं किया जा सका है । माह नवम्बर से सम्बद्ध स्थान पर उपस्थित होने पर उन्हें निलम्बन भत्ता दिया जा रहा है । आरोप-पत्र देने की कार्यवाही प्रगति पर है ।

१६--श्री रघुबर दयाल वर्मा--

[४थे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या ४० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

१७--श्री रघुबर दयाल वर्मा--

[४थे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या ३९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

१८--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

[३रे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या ४२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अलीगढ़ जिले के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों व अध्यापकों के रिक्त पद

१९--श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जनपद में कितने माध्यमिक विद्यालयों में एप्रूव्ड प्रधानाचार्य नहीं है ? क्या इन विद्यालयों को सुचारु रूप से संचालित करने की कोई योजना बना रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक इन विद्यालयों में प्रधानाचार्य की नियुक्ति हो जाने की सम्भावना है ?

श्री काली चरण--

अलीगढ़ जनपद में २१ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नियमानुसार चयनित प्रधानाचार्य नहीं हैं ।

इन विद्यालयों में प्रधानाचार्य पद विज्ञापित कर नियमानुसार चयन कराने हेतु प्रबन्धकों को निर्देश दिये गये हैं ।

चयन की निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त नियुक्तियां की जायेंगी ।

२०--श्री नेम सिंह चौहान--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि अलीगढ़ जनपद में माध्यमिक विद्यालयों में इस सत्र में विभिन्न विषयों के अध्यापकों की स्पष्ट रिक्त स्थानों पर नियुक्तियां नहीं हुईं जिससे छात्रों की क्षति हुई ? यदि हां, तो अध्यापकों की नियुक्ति कब तक होगी और छात्रों के अध्ययन की कमी को कैसे पूरा किया जायेगा ?

श्री काली चरण--

जी हां ।

इन स्पष्ट रिक्तियों में वैकल्पिक अध्यापकों की नियुक्तियां की जानी थी जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत स्टेड है । विषय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है ।

२१--श्री राम नरायन वर्मा--

[५वें बुधवार के लिए स्थगित]

बागेश्वर-कपकोट-पिंडारी मार्ग के तुरतुरिया का क्षतिग्रस्त पुल

२२--श्री पूरन चन्द्र--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को विदित है कि बागेश्वर-कपकोट-पिंडारी पैदल मार्ग जो कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन है, पर एक पैदल पुल हरसिला ग्राम के पास टूट गया है ? क्या मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और उक्त पुल का निर्माण एवं पैदल मार्ग का रख-रखाव कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

बागेश्वर-कपकोट-पिंडारी पैदल मार्ग पर हरसिला ग्राम के पास कोई पुल नहीं टूटा है, परन्तु इस मार्ग के मील २१ में ३० दिसम्बर, १९७७ को कपकोट-पिन्डारी मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान पहाड़ कटान से सरयू नदी पर तुरतुरिया के पास एक पैदल पुल क्षतिग्रस्त हुआ था । पुल के क्षतिग्रस्त होने से काफी पूर्व ही यातायात को पूर्व निर्मित ड्राइवर्सन से चालू रखा गया था । क्षतिग्रस्त पुल को ठीक कर लिया गया है तथा पुल पर से यातायात २५ सितम्बर, १९७८ को ही खोल दिया गया था । पैदल मार्ग का रख रखाव बराबर किया जा रहा है ।

जागेश्वर-कपकोट मोटर मार्ग को पक्का किए जाने की मांग

२३--श्री पूरन चन्द्र--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को विदित है कि जागेश्वर-कपकोट मोटर मार्ग जो कि स्थानीय जनता द्वारा निर्मित किए गए थे और अब सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन हैं, में अभी तक पेंट नहीं किया गया है ? क्या मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त मार्ग को कब तक पेंट करा दिया जायेगा ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

प्रदेश में सस्ते दर पर पुस्तकें व कापियां दिए जाने की मांग

२४--श्री श्रीनारायण--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में छात्रों के लिए सस्ते दर पर किताब, कापियां उपलब्ध कराने में सरकार के सामने कौन-कौन सी कठिनाइयां हैं और उसका सरकार क्या निदान कर रही है ? क्या यह सही है कि छात्रों में व्यापक असंतोष का एक कारण सस्ती दर पर किताब कापियों का ठीक समय से उपलब्ध न होना भी है ?

श्री कालीचरण--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

किसान डिग्री कालेज, बहराइच में श्री जय नारायण बधवार की हिन्दी प्रवक्ता पद पर नियुक्ति के विरुद्ध कथित आवेदन-पत्र

२५--श्री श्रीनारायण--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किसान डिग्री कालेज, बहराइच में सन् १९७७ में हिन्दी प्रवक्ता के पद पर साक्षात्कार हुआ और श्री बुधवार की नियुक्ति हुई ? यदि हां, तो उसमें कितने उम्मीदवार साक्षात्कार हेतु उपस्थित हुए और उनकी योग्यतायें क्या थीं ? श्री बुधवार की नियुक्ति का क्या आधार है ? क्या श्री बधवार विकलांग भी है ।

श्री काली चरण--

जी हां ।

कथित साक्षात्कार में २६ उम्मीदवार उपस्थित हुये जिनकी योग्यताओं से सम्बन्धित विवरण संलग्न है ।

श्री बुधवार की नियुक्ति चयन समिति की संस्तुति के आधार पर की गयी है । वह विकलांग भी है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १३२९ पर) ।

२६--श्री श्रीनारायण--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि माह दिसम्बर, ७७ में एक उम्मीदवार कुमारी आशा सिंह ने उक्त नियुक्ति (श्री बुधवार की नियुक्ति) के विरोध में माननीय शिक्षा मंत्री, चांसलर महामहिम राज्यपाल तथा वाइस चांसलर, अवध विश्वविद्यालय को आवेदन-पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री काली चरण--

ऐसा कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ । अतएव कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया जिले की हाटा तहसील के अन्तर्गत सीमेन्ट के परमिट का आवंटन

२७--श्री श्रीनारायण--

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले की हाटा तहसील के सीमेंट स्टाकिस्टों के पास सीमेंट होते हुए भी किन कारणों से इस समय परमिट नहीं दिया जा रहा है ?

श्री हरिश्चन्द्र--

तहसील हाटा में अक्तूबर, १९७८ में १०,२४८ बोरी तथा नवम्बर, १९७८ में १६,४५२ बोरी सीमेंट के परमिट काटे गये ।

छितौनी-पिपरासी बांध योजना की लागत

२८--श्री श्रीनारायण--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छितौनी-पिपरासी बंध के निर्माण की योजना कब स्वीकृत हुई, इसकी अनुमानित लागत क्या है और उसका निर्माण कार्य क्यों नहीं हो रहा है ?

श्री बलबीर सिंह--

छितौनी-पिपरासी बांध के निर्माण के योजना की प्रशासकीय स्वीकृति का प्रश्न शासन के विचाराधीन है । छितौनी-पिपरासी बांध के उस भाग की लागत जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ८१·७९ लाख रुपये है । बांध का निर्माण दिसम्बर, १९७८ से आरम्भ करके १९७९-८० तक पूर्ण करना प्रस्तावित है ।

अहिरौली दान-पिपराघाट बांध योजना की लागत

२९--श्री श्रीनारायण--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छितौनी अहिरौली दान-पिपराघाट बांध की योजना कितने रुपये की है और कब स्वीकृत हुई और इसके निर्माण में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री बलबीर सिंह--

छितौनी-अहिरौली दान-पिपराघाट बांध नाम की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है । अहिरौली दान-पिपराघाट बांध नाम की एक योजना प्रस्तावित है, जिसकी लागत ६२·३५ लाख रु० है । इस योजना की प्रशासकीय स्वीकृति का प्रश्न भी शासन के विचाराधीन है । बांध का निर्माण पिछले वर्ष प्रारम्भ किया गया था । और अब पुनः चालू करके १९७९-८० तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है ।

३०--श्री श्रीनारायण--

देवरिया जिले के ग्राम सिगहा को गंडक नहर से क्षति

३१--श्री श्रीनारायण--

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में बड़ी गंडक नहर के टूटने तथा तट बंधों के ऊपर से पानी बहने से ग्राम सिगहा तथा और किनारे के किन-किन गांवों की कितनी क्षति हुई तथा उस क्षति की पूर्ति किस प्रकार से की जा रही है ?

श्री बलबीर सिंह--

दिनांक २०-७-७८ को कि० मी० ६५·५८० मुख्य गण्डक नहर के बांये तटबंध पर टूटने से पानी बहने के कारण केवल ग्राम सिगहा में ०·५८ एकड़ जिन्स एवं केवल एक झोपड़ी की क्षति हुई है ।

क्षतिपूर्ति नगद भुगतान द्वारा करने की कार्यवाही की जा रही है ।

बिजनौर जिले में राजकीय नलकूपों का छिद्रण

३२--श्री मंगल राम प्रेमी (जिला बिजनौर)--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जो नलकूप जनपद बिजनौर १९७७ व १९७८ में बने थे उनका कार्य सुचारु रूप से नहीं शुरू हुआ ? यदि हां, तो क्या कारण है और सरकार उनको शीघ्र चालू करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बलबीर सिंह--

जी नहीं ।

जनपद बिजनौर में वर्ष १९७७-७८ में ३१ नवीन राजकीय नलकूपों का छिद्रण हुआ था । इनमें से २५ राजकीय नलकूपों पर पम्प हाउस का निर्माण हो चुका है और शेष कार्य प्रगति में है ।

२ नलकूपों पर पम्प हाउस का कार्य प्रगति में हैं । दो नलकूपों पर निकास बढ़ाने हेतु २५० पी० एस० आई० कम्प्रेशर एवं बड पम्प से विकासन का कार्य चल रहा है और दो पर यह कार्य किया जाना है ।

३३--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[६-१२-७८ को तारांकित प्रश्न संख्या २९ द्वारा उत्तरित]

बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापकों के भविष्य निधि की अग्रिम धनराशि में वृद्धि की मांग

३४--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों को विवाह आदि के लिए विभाग से कर्ज लेने पर नियमानुसार मात्र ३ माह के वेतन के बराबर धन ही दिया जा सकता है ? यदि हां, तो इस बात को ध्यान में रखते हुये कि यह धन अत्यन्त ही अल्प है तो क्या सरकार इस राशि में वृद्धि करने की कृपा करेगी ?

श्री काली चरण--

जी हां। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा भविष्य निधि नियमावली, १९७५ के अन्तर्गत उक्त प्रयोजन हेतु अभिदाता को उसके भविष्य निधि से तीन महीने के वेतन के बराबर तक की धनराशि अस्थायी अग्रिम के रूप में स्वीकृत की जा सकती है।

नियमावली में संशोधन करके अग्रिम की धनराशि में वृद्धि करने की कार्यवाही की जा रही है।

उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ मण्डल में लम्बित दक्षता रोक के मामले

३५--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ मंडल के यहां राजकीय इंटर कालेजों के दक्षता रोक पार करने के कितने मामले गत २ वर्ष से अधिक अवधि से स्वीकृति हेतु विचाराधीन पड़े हैं ? उनका निस्तारण कब तक हो जायेगा ?

श्री काली चरण--

केवल दो मामले सर्वश्री यादवेन्द्र प्रताप सिंह तथा उजागिर शुक्ल के दक्षतारोक पार करने की तिथि १-८-७६ थी। उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ मण्डल को यह प्रस्ताव क्रमशः १६-११-७८ तथा २-११-७८ को प्राप्त हुये हैं। निस्तारण के लिए सम्बन्धित वर्षों की गोपनीय आख्यायें प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है, जिनके प्राप्त होने पर निस्तारण सम्भव हो सकेगा।

नैनीताल जिले की चावल मिलों के लाइसेन्स का नवीनीकरण

३६--श्री राम दत्त जोशी--

क्या खाद्य मंत्री को जानकारी है कि धान से चावल बनाने की छोटी मशीनों वाले कितने लघु उद्योग लाइसेन्स देने में रबर रोलर की शर्तें लगा दिये जाने के कारण नैनीताल जिले के तराई भावर क्षेत्र में इस समय बन्द पड़े हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र--

भारत सरकार द्वारा राइस मिलिंग इन्डस्ट्री (रेगुलेशन एण्ड लाइसेंसिंग) रूल्स, १९५९ में २९ जुलाई, १९७६ को किये गये संशोधन के फलस्वरूप केवल ऐसी एक हलर वाली चावल मिलों को ही परमिट/लाइसेन्स दिया जा सकता है जिनमें पैडी सैपरेटर व पैडी क्लीनर के साथ रबर रोल शेलर या सैन्ट्रीफ्यूगल डिहस्कर आधुनिक उपकरण लगे हों।

नैनीताल जिले के तराई भावर क्षेत्र में ३१-१२-७६ को कुल ३८३ हलर लाइसेंसी थे। इनमें से अब तक कुल ५८ हलर लाइसेंसधारियों ने अपने लाइसेंसों का नवीनीकरण नहीं कराया है। उपरोक्त ५८ लाइसेंसधारियों में से ९ व्यक्तियों ने नये लाइसेन्स के लिये प्रार्थना-पत्र अपने पुराने लाइसेन्स की अवधि समाप्त होने के उपरान्त दिये थे। परन्तु चूंकि इन चावल मिलों में से आठ मिलों में उपर्युक्त आधुनिक उपकरण नहीं लगाये गये थे, अतः उन्हें नये लाइसेन्स नहीं दिये गये। एक व्यक्ति ने लाइसेन्स नवीनीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र इस आधार पर दिया है कि उसने आधुनिक हलर लगाया है परन्तु उसने क्षमता का विवरण नहीं दिया है। इसकी जांच पूर्ण होने पर उसे लाइसेन्स देने के सम्बन्ध में कार्यवाही की

रानीखेत, अल्मोड़ा जिले के सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक व अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध जांच की कार्यवाही

३७--श्री पूरन चन्द्र--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिला अल्मोड़ा के प्रान्तीय खण्ड-रानीखेत में कार्यरत सहायक अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग जिला अल्मोड़ा के दोनों विधायकों द्वारा उचित कारणों सहित माह अप्रैल/मई, १९७८ में की गई थी ? यदि हां, तो आप द्वारा इस सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं की गई है, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जी हां ।

मुख्य अभियन्ता को जांच के आदेश दिये गये हैं । जांच रिपोर्ट शासन को अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

अल्मोड़ा जिले के गरुड़-ग्वालदम मार्ग के ठेकेदार श्री रतन राम के बकाये का भुगतान

३८--श्री पूरन चन्द्र--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम घटी, पोस्ट भीलकोट, जिला अल्मोड़ा के ठेकेदार श्री रतनराम ने वर्ष ६६-६७ में गरुड़-ग्वालदम मोटर मार्ग में साइडड्रेन का जो ठेका लिया था, उसका १० प्रतिशत रुपया जो रोका गया था उसका भुगतान ठेकेदार को नहीं किया गया है ? क्या इसके अतिरिक्त ठेकेदारों का १०० रुपया पास बुक का विभाग के पास जमा है, वापस नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

श्री रतन राम ठेकेदार का प्रश्नगत कार्य से सम्बन्धित १० प्रतिशत जमा ६७ रु० मात्र ठेकेदार द्वारा मांग न किये जाने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका । अतः वित्त हस्त पुस्तिका भाग-५, खंड-१ के पैरा ३५१ के अनुसार इस राशि को राजस्व खाते में जमा कर दिया गया । यह धनराशि तभी वापस की जा सकेगी जब कि ठेकेदार द्वारा इसे वापस की मांग की जायेगी ।

ठेकेदार की पास बुक बन्धक से मुक्त की जा चुकी है :

३९--श्री राम सजीवन--

[५वें बुधवार के लिए स्थगित]

४०--श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

[५वें बुधवार के लिए स्थगित]

४१--श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

[५वें बुधवार के लिए स्थगित]

मेरठ जिले के उप विद्यालय निरीक्षकों के विरुद्ध की गयी जांच

४२--श्री मोती राम (जिला कानपुर)--

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि मेरठ जिले के बिनौली ब्लाक में सन् १९६८

चन्दा खेल और कृषि कोष से लगभग डेढ़ लाख रुपये के धन के दुरुपयोग और गबन के आरोप हैं जिसकी जांच जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मेरठ को दी गयी लेकिन जांचकर्ता ने अभी तक कोई जांच नहीं की ? यदि नहीं की, तो क्यों ? यदि जांच की है, तो उसका क्या परिणाम हुआ ? जांच में विलम्ब के पीछे कोई सुनियोजित षड्यंत्र तो नहीं है ?

श्री काली चरण—

उक्त आरोपों की जांच बेसिक शिक्षा अधिकारी, मेरठ द्वारा कराई गई । जांचोपरान्त आरोप निराधार पाये गये ।

जी नहीं ।

४३—श्री राम सजीवन—

[५वें बुधवार के लिए स्थगित]

मथुरा जिले के गांजौली नाले के पुनरोद्धार की मांग

४४—श्री हुकम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद के अन्तर्गत गांजौली ड्रेन लोअर खंड आगरा कैनाल की दाईं पटरी मील नं० ९९ पर इस नाले को खुला छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो इसका पानी कहां जाता है ? क्या यह सत्य है कि मलिकपुर कवायला, नगला हरिया, नगला महादेव, झुड़ावई, मुस्तफाबाद, परखम ग्रामों की ४००० एकड़ भूमि को यह प्रभावित करता है और आज भी इस क्षेत्र में पानी भरा हुआ है ? यदि हां, तो सरकार ने इस पानी की निकासी का क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री बलबीर सिंह—

जी नहीं । गांजौली नाला आगरा नहर के मील ९३-१ से मील ९७-४ तक दाहिनी पटरी के किनारे-किनारे बहता है । यह नाला आगरा नहर के मील ९५-५ के समीप मुस्तफाबाद नाले की टेल से आगरा नहर पर बने एक साइफन के द्वारा मिल जाता है जो अन्ततोगत्वा गोवर्धन नाले में गिरता है ।

ग्राम मलिकपुर, कवायला, नगला हरिया, नगला महादेव, झुड़ावई, मुस्तफाबाद, परखम ग्रामों के नशेबी क्षेत्र की लगभग ६२८ एकड़ भूमि इस वर्षाकाल में पानी के कारण प्रभावित हुई थी जिसे पम्प सेट्स द्वारा एवं आगरा नहर की पटरी कटवाकर निकालने के उपरान्त अब केवल २४ एकड़ भूमि जो काफी नशेब में है पानी से प्रभावित है ।

जलमग्न क्षेत्र के निदान हेतु गांजौली नाले का पुनरोद्धार का कार्य आगरा नहर के आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्रस्तावित है ।

सीतापुर की नहर कालोनी के रख-रखाव पर व्यय की गयी धनराशि

४५—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर स्थित नहर कॉलोनी में वर्ष १९७७-७८ में बी०, सी० तथा डी० टाइप आवास गृहों के रख-रखाव तथा सफाई-पुताई पर कुल कितना व्यय किया गया तथा आवास गृहों की कुल संख्या क्या है ?

श्री बलबीर सिंह--

सीतापुर स्थित नहर कालोनी के अन्तर्गत बने बी० सी० तथा डी० टाइप आवास गृहों के रख-रखाव पर वित्तीय वर्ष १९७७-७८ में कुल रु० ३४२०·६८ मात्र व्यय हुआ है। विभिन्न श्रेणी के आवास गृहों पर हुआ व्यय तथा उनकी कुल संख्या निम्न प्रकार है :

१--बी० टाइप--१०		रु०	१०१७·१०
२--सी० टाइप--२३		रु०	११७८·४३
३--डी० टाइप--५३		रु०	१२२५·१५
योग	८६	रु०	३४२०·६८

मैनपुरी, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध जांच की कार्यवाही

४६- श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जुलाई, १९७७ में अधिशासी अभियन्ता मैनपुरी के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार की शिकायत की थी उसमें अभी तक क्या कार्यवाही हुई है ? विलम्ब का क्या कारण है ? क्या शिकायत कर्त्ता से जांच करते समय पूछतांछ की गई ? यदि नहीं, तो जांच का आधार क्या था ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जी हां।

माननीय सदस्य का पत्र जुलाई, १९७७ में प्राप्त हुआ था। अधीक्षण अभियन्ता, ४२वां वृत्त, आगरा द्वारा जांच की गई थी परन्तु अपर्याप्त पाई गई और दुबारा अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा जांच की जा रही। जांच अभी अपूर्ण है।

जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय, बस्ती के लिपिक श्री त्रिभुवन लाल के विरुद्ध शिकायती-पत्र

४७--श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)--

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि बस्ती जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के लिपिक (श्री त्रिभुवन लाल) के विरुद्ध भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के द्वारा पांच अन्य विधायकों के हस्ताक्षर से दो या तीन सितम्बर सन् १९७८ को शिक्षा मंत्री को दिया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कालीचरण--

प्रश्नकर्ता तथा ६ अन्य विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक शिकायती पत्र २१-८-७८ को प्राप्त हुआ था। सम्बन्धित कर्मचारी का स्थानान्तरण कर दिया गया है।

४८--श्री ओम प्रकाश--

[५ वें बुधवार के लिए स्थगित]

४९--श्री ओम प्रकाश--

[५ वें बुधवार के लिए स्थगित]

बस्ती जिले के टिनिच-दुबौलिया-कटरिया मार्ग पर पुल निर्माण की मांग

५०--श्री ओम प्रकाश--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले की टिनिच-दुबौलिया-कटरिया सड़क जो खाद्यान्न योजना नं० २, ३ तथा ४ के अन्तर्गत निर्माणाधीन है, पर बनकर नदी तथा रवई नाले पर पुलों का निर्माण भी विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक बन जाने की उम्मीद है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जी नहीं । धनाभाव के कारण फिलहाल इन पुलों का निर्माण सम्भव नहीं है ।

बस्ती जिले की रामजानकी व हरैया-बभनान सड़क की मरम्मत

५१--श्री ओम प्रकाश--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि बस्ती जिले की रामजानकी और हरैया-बभनान सड़क जो बाढ़ से बरबाद हो गई है कब तक ठीक हो जायेगी और दोनों सड़कों पर इस वर्ष १९७८-७९ में कितना धन सरकार खर्च करने जा रही है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

बस्ती जिले की रामजानकी और हरैया-बभनान सड़कें जून १९७९ तक ठीक हो जाने की आशा है । रामजानकी मार्ग के लिये ३·२५ लाख रुपये और हरैया बभनान मार्ग के लिये २ लाख रुपये प्रस्तावित हैं ।

बांदा जिले के ब्लाक नरैनी व महुआ के अन्तर्गत भवन विहीन प्राइमरी पाठशालाएं

५२--श्री सुरेन्द्र पाल--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बांदा जिले के महुआ और नरैनी ब्लाकों में कितने ऐसे गांव हैं जिनमें प्राइमरी पाठशालाओं के भवनों का निर्माण नहीं हुआ और कितने ऐसे गांव हैं जहां प्राइमरी पाठशालाओं के भवन जीर्ण-शीर्ण दशा में हैं ? क्या यह सही है कि उपरोक्त ब्लाकों के गांव में स्कूलों के जीर्ण-शीर्ण भवनों की मरम्मत हेतु रुपया भी २-३ माह पूर्व दिया था ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर भवनों का निर्माण तथा जीर्ण-शीर्ण भवनों की मरम्मत अविलम्ब करायेगी ?

श्री कालीचरण--

महुआ ब्लाक के १५ गांवों में तथा नरैनी ब्लाक के १९ गांवों में प्राइमरी पाठशालाओं के भवनों का निर्माण नहीं हुआ है । महुआ ब्लाक के २१ गांवों में तथा नरैनी ब्लाक के २४ गांवों में प्राइमरी पाठशाला के भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गाजीपुर के दोहरीघाट पर कर की वसूली

५३--श्री मन्जूर अहमद--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर के दोहरीघाट के ठेकेदार जनता में निर्धारित टैक्स से अधिक की वसूली घाट पर अपने द्वारा रखे गए लोगों से कराता है ? क्या यह सच है कि यह घाट अनेक वर्षों से एक ही ठेकेदार के पास रहा है तथा सदैव घाटे पर चला है ? यदि हां, तो क्या इस घाट को मिर्जापुर तथा रामनगर, वाराणसी की भांति कर मुक्त करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जी नहीं ।

जी नहीं ।

जी हां । परन्तु जनता के हितों को ध्यान में रखकर ही यह घाट चलाया जाता है ।

जी नहीं ।

५४-५५--श्री शिव प्रसाद--

[५वें बुधवार के लिए स्थगित] ।

५६--श्री जयशंकर पांडेय--

[५वें बुधवार के लिए स्थगित] ।

शारदा सहायक, लखनऊ की हैदरगढ़ शाखा के ठेकेदारों के बकाए का भुगतान

५७--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक ब्रांच हैदरगढ़ खंड ४० के अन्तर्गत कार्य करने वाले ठेकेदारों के काम पूरा करने के बावजूद उन्हें उनका कुल भुगतान अब तक क्यों नहीं किया गया है ?

श्री बलबीर सिंह--

शारदा सहायक खंड ४०, लखनऊ के अन्तर्गत हैदरगढ़ शाखा पर जिन ठेकेदारों ने मिट्टी का कार्य किया है उनमें से कुछ का भुगतान कर दिया गया है । कुल ३७ अनुबन्धों के भुगतान अवशेष है, जिनकी स्थिति निम्न प्रकार है :--

(अ) १२ अनुबन्धों के अन्तर्गत कार्य अधूरा छोड़ने पर नियमानुसार जुर्माना लगने के फलस्वरूप ठेकेदारों को कोई भुगतान नहीं किया जाना है ।

(ब) १२ अनुबन्धों के अन्तर्गत नियमानुसार जुर्माना लगने के कारण ठेकेदार भुगतान लेने के लिए उपस्थित नहीं हो रहे हैं ।

(स) ९ अनुबन्धों के अन्तर्गत प्राविधिक दृष्टिकोण से कार्य में कमी पाई गई, जिसे ठेकेदार द्वारा ठीक कराने के पश्चात् ही भुगतान की कार्यवाही करना सम्भव हो सकेगा ।

(द) ४ अनुबन्धों के अन्तर्गत भुगतान हेतु बिल खंडीय कार्यालय में प्राप्त हो गए हैं, जिनका भुगतान शीघ्र कर दिया जायगा ।

प्रौढ़ शिक्षा के लिए प्रस्तावित धनराशि

५८--श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री (जिला देहरादून)--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रौढ़ शिक्षा के लिए शिक्षा विभाग ने १९७८-७९ में कितना बजट निश्चित किया है उसके अधीन प्रांत में कितने केन्द्र सामाजिक संगठनों की ओर से चल रहे हैं और किन-किन सामाजिक संगठनों को कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृति की गई ?

श्री काली चरण--

शिक्षा विभाग के वर्ष १९७८-७९ के बजट में प्रौढ़ शिक्षा के लिए १,२३,४८,१००·०० रु० का प्राविधान किया गया है। इस बजट के अधीन सामाजिक संगठनों की ओर से कोई केन्द्र नहीं चल रहे हैं और न किसी सामाजिक संगठन को राज्य सरकार द्वारा कोई धनराशि ही स्वीकृत की गई है।

५९--श्री राजकिशोर तिवारी तथा श्री कमला प्रसाद सिंह--

[५वें बुधवार के लिए स्थगित]।

६०--श्री राजकिशोर तिवारी तथा श्री कमला प्रसाद सिंह--

[५वें बुधवार के लिए स्थगित]।

सिंचाई विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जांच

६१--श्री देव राम--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में कितने अतिरिक्त मुख्य अभियंता कार्यरत हैं जो अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के अधिकारों और सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं जो अभी तक अधीक्षण अभियन्ता के पद पर स्थाई नहीं है और उनके विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा जांच भी विचाराधीन है ?

श्री बलबीर सिंह--

आठ ऐसे अधीक्षण अभियन्ता, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के पद पर कार्य कर रहे हैं जो अधीक्षण अभियन्ता के पद पर अभी तक तक स्थायी नहीं है।

उक्त आठ अधिकारियों में से चार अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता विभाग की खुली जांच चल रही है।

६२--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[५वें बुधवार के लिए स्थगित]।

सीतापुर जिले की सरायन नदी पर कनवाखेड़ा के पैन्टून ब्रिज को कर मुक्त किए जाने की मांग

६३--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में सरायन नदी पर कनवाखेड़ा ग्राम के पास बने पेन्टून ब्रिज को टैक्स से मुक्त किए जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक २१-८-७८ के बाद १५ दिन के भीतर किसी दिन मिला ? यदि हां, तो उस पर शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जी हां ।

विचाराधीन है ।

६४--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

[५वें बुधवार के लिए स्थगित] ।

बहराइच जिले के जूनियर हाई स्कूल व प्राइमरी स्कूल के अनुपस्थित अध्यापक व अध्यापिका

६५--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या शासन को जानकारी है कि जिला विद्यालय निरीक्षक बहराइच ने सितम्बर, अक्तूबर, १९७८ में बहराइच जिले के कई ब्लाक्स में स्थित जूनियर हाई स्कूल एवं प्राइमरी पाठशालाओं का आकस्मिक दौरा करके निरीक्षण कार्य किया है ? यदि हां, तो निरीक्षण में किन-किन स्कूलों एवं पाठशालाओं के कौन-कौन अध्यापक अनुपस्थित पाए गए और उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्री काली चरण--

जी हां ।

निरीक्षण के समय जिन-जिन विद्यालयों के जो-जो अध्यापक/अध्यापिका विद्यालय से अनुपस्थित पाये गए है उनकी सूची संलग्न है ।

अनुपस्थित पाए गए अध्यापकों/अध्यापिकाओं से स्पष्टीकरण मांगा गया है तथा प्रत्येक पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है ।

देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १३३० पर

६६--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

[५वें बुधवार के लिए स्थगित] ।

६७--श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त] ।

प्रदेश में प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों की संख्या

६६--श्री चेत राम गंगवार (जिला बरेली)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने के कृपा करेंगे कि प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों की कुल संख्या इस समय प्रदेश में कितनी है तथा वह किस वेतन क्रम में नियुक्त हैं और इनका चयन किस प्रकार होता है तथा इनकी सेवाओं के लिए कोई सेवा नियम है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री काली चरण--

प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों की कुल संख्या ११४४ है तथा उनका वर्तमान वेतनक्रम ३२५-१०-३७५-द० रो०-१२-४९५-द० रो०-१६-५७५ है । चयन लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है । ९० प्रतिशत रिक्तियों पर बाहर से सीधी भर्ती द्वारा तथा १० प्रतिशत रिक्तियों पर विभिन्न प्रकार के मान्यता एवं सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के प्रधानाध्यापकों में से एक विभागीय चयन

समिति द्वारा प्रारम्भिक चुनाव किए जाने के बाद । इनकी सेवाओं के सम्बन्ध में "द सब-डिप्टी इन्सपेक्टर्स आफ स्कूल्स सर्विस रूल्स १९४५" बनी हुई है ।

६९--श्री राम लखन--

[५वें बुधवार के लिए स्थगित] ।

७०--श्री कृष्णस्वरूप--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया] ।

उप शिक्षा निदेशक, आगरा के अधीन लिपिकों एवं प्रधान लिपिक का स्थायीकरण

७१--श्री हाकिम लाल (जिला मैनपुरी)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा उप निदेशक, द्वितीय मंडल आगरा के अधीनस्थ राजकीय इंटर कालेजों में प्रधान लिपिक तथा टीप लेखकों के कितने पद स्थायी हैं और अब तक इन पर कार्यरत कौन-कौन प्रधान लिपिक एवं टीपा लेखकों को स्थायी किया जा चुका है और कितने स्थायी पद रिक्त हैं इन पर अब तक स्थायी न करने का क्या कारण है ?

श्री काली चरण--

उप शिक्षा निदेशक, आगरा के अधीनस्थ राजकीय इन्टर कालेजों में प्रधान लिपिक के चार पद स्थायी हैं । उक्त संस्थाओं में टीप लेखक के पद नहीं होते हैं । उक्त चार स्थायी पदों में से तीन के विरुद्ध सर्वश्री [illegible] सेवक शुक्ल, रामेश्वर सहाय तथा हरिश्चन्द्र शाक्य को स्थायी किया जा चुका है । प्रधान लिपिक के केवल एक स्थायी पद के विरुद्ध सम्बन्धित व्यक्ति की कतिपय वर्षों की गोपनीय वार्षिक प्रविष्टियां प्राप्त न होने के कारण अभी तक स्थायीकरण की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा सकी है।

७२--श्री हाकिम लाल--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि रिक्त पदों पर स्थायीकरण करने के लिए शासन तथा विभाग ने कब-कब और क्या-क्या कार्यवाही की ? अब इन लिपिकों को कब तक स्थायी कर दिया जायेगा ?

श्री काली चरण--

उक्त प्रधान लिपिक के एक स्थायी पद के विरुद्ध श्री विष्णु स्वरूप श्रीवास्तव को स्थायी करने हेतु उप शिक्षा निदेशक, आगरा ने १ दिसम्बर, १९७८ को तार द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, एटा से श्रीवास्तव की चरित्र पंजिका एवं स्थायीकरण आवेदन-पत्र मांगा तथा ६ दिसम्बर, १९७८ को उन्हें तार द्वारा स्मरण कराया । स्थायीकरण की यह कार्यवाही श्री श्रीवास्तव की वर्ष १९७०-७१, १९७१-७२ तथा १९७२-७३ की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां सम्बन्धित अधिकारियों से प्राप्त हो जाने के उपरान्त पूर्ण करना सम्भव हो सकेगा ।

प्रदेश के बेसिक शिक्षा कार्यालयों में लिपिक के पद पर कार्यरत अध्यापक

७३--डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश" (जिला कानपुर)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय प्रदेश के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों, उप विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों एवं शिक्षा अधीक्षिका के कार्यालय

में कितने अध्यापक कार्यालय के कार्य में लगाए गए हैं जो वेतन स्कूलों से पाते हैं ? यह नियुक्तियां किन नियमों के अन्तर्गत हैं और कब तक इन्हें हटाकर लिपिकों की नियुक्तियां की जाएंगी ?

श्री काली चरण—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

सिंचाई उप खंड, आजमगढ़ में कार्यों पर व्यय की गई धनराशि

७४—श्री शिव प्रसाद—

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९७७-७८ एवं १९७८-७९ में सिंचाई उप खण्ड आजमगढ़ द्वारा किन-किन कार्यों पर कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

श्री बलवीर सिंह—

सिंचाई उपखंड, आजमगढ़ द्वारा वर्ष १९७७-७८ एवं १९७८-७९ में विभिन्न कार्यों पर खर्च का विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १३३१ पर।)

गोरखपुर जिले के ग्राम भरवलिया के कटाव सम्बन्धी योजना

७५—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र नवम्बर, १९७७ में ग्राम भरवलिया (विकास क्षेत्र कौड़ीराम, गोरखपुर) को कटाव से बचाने के सम्बन्ध में सिंचाई मंत्री को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो इस गांव को कटाव से बचाने के लिए जून, १९७८ तक क्या प्रयास किया गया ? क्या वर्ष १९७८ की बाढ़ में इस गांव के कुछ घरों के कटाव की भी सूचना सरकार को मिली है ? यदि हां, तो कटाव के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध तथा आगे कटाव के रोकने के विषय में सरकार क्या कर रही है ?

श्री बलवीर सिंह—

जी हां।

इस गांव को कटान से बचाने के लिए ६.०३ लाख रुपये की एक योजना प्रदेश की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा ७-१०-७८ को स्वीकृत की गई है। १९७८ की बाढ़ से गांव को कटान से बचाने हेतु ६.७८ में अस्थायी व्यवस्था की गई थी जिसमें ८,५१.०० रु० व्यय हुआ।

वर्ष १९७८ की बाढ़ में ४ छोटे-छोटे छप्पर एवं खपरैल के मकान कटे हैं।

यह कटाव प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके लिए अधिकारी के जिम्मेदार होने का प्रश्न नहीं उठता। कटाव को रोकने के लिए योजनाबद्ध कार्यवाही की जा रही है जैसा कि ऊपर सूचित किया जा चुका है।

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के अन्तर्गत अधिकारियों, कर्मचारियों तथा प्रधानाचार्यों के स्थायीकरण एवं दक्षतारोक व वेतन निर्धारण

७६—श्री ओम प्रकाश तथा श्री बाबूराम वर्मा (जिला बस्ती)—

क्या प्राविधिक शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन निर्धारण, दक्षता रोक पारण के किन-किन अधिकारियों या कर्मचारियों के मामले दिनांक १५ सितम्बर, १९७८ तक कितनी-कितनी अवधि से और किन कारणों से अनिर्णीत रहे थे ? सरकार इनका कब तक निस्तारण कर देगी ?

७७—क्या प्राविधिक शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, लिपिक, अनुदेशक, व्याख्याता, अध्यक्ष एवं प्रधानाचार्य के कितने पद स्थायी हैं ? उन पदों के सम्मुख कितने अधिकारी एवं कर्मचारी स्थायी कर दिए गए हैं ? वे अधिकारी या कर्मचारी जो स्थायीकरण के पात्र हैं और उसके सम्वर्ग के स्थायी पद भी हैं, उन्हें सरकार ने किन कारणों से स्थायी नहीं किया है और उन्हें कब तक सरकार स्थायी कर देगी ?

श्री काली चरण—

सम्पूर्ण सूचना अभी तक एकत्र नहीं हो पाई है । प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के अन्तर्गत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विषय में वांछित सूचना एकत्र करने में जो श्रम, व्यय और समय लगेगा वह प्रश्न की महत्वता से कहीं अधिक होगा ।

राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महमूदाबाद, सीतापुर में अध्यापिकाओं की पदोन्नति

७८—श्री राम नारायन वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय हायर सेकेन्डरी बालिक विद्यालय, महमूदाबाद, जनपद सीतापुर में आपातकाल में किन-किन अध्यापिकाओं की पदोन्नति हुई थी ? इस विद्यालय की जिन अध्यापिकाओं की पदोन्नति हुई थी क्या उनकी योग्यता निर्धारित योग्यता के बराबर थी ? यदि हां, तो इसका पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री काली चरण—

परिषदीय कन्या जूनियर हाई-स्कूल महमूदाबाद (सीतापुर) को शासनादेश संख्या यू० ओ० १९३/१५(५)/७६, दिनांक २१ जून, १९७६ द्वारा प्रान्तीयकृत तथा उच्चीकृत किया गया था । प्रान्तीयकरण के उपरान्त उक्त परिषदीय स्कूल की जिन अध्यापिकाओं को जिस वेतनमान में नियुक्ति प्रदान की गई थी वह उस पद के लिए निर्धारित योग्यता रखती थी । विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १३३२ पर ।)

बेसिक शिक्षा परिषद् के कर्मचारियों की वृद्धि की मांग

७९—श्री अठई राम—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन संचालित प्राइमरी एवं जू० हाई स्कूल में वर्ष १९४९ से १९७८ तक बजट अध्यापक संख्या तथा छात्र संख्या में जिस अनुपात में वृद्धि हुई है उस अनुपात में सम्बन्धित कार्यालय के स्टाफ में भी वृद्धि की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण—

जी नहीं। प्रदेश के सीमित संसाधनों के कारण ऐसा सम्भव नहीं हो सका है।

राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों तथा अध्यापिकाओं के स्थायीकरण की मांग

८०—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय विद्यालयों (हाई स्कूल, इन्टर तथा दीक्षा विद्यालयों) (दोनों कन्या तथा बालक) में कार्यरत ऐसे अध्यापिकाओं तथा अध्यापकों की संख्या कितनी है जिनकी सेवा की अवधि १५ वर्ष से अधिक हो गई है परन्तु उनका कनफर्मेशन अभी तक नहीं हुआ है ? कनफर्मेशन न होने का कारण क्या है तथा कब तक हो जायेगा ?

श्री काली चरण—

१६९—अध्यापक तथा ४४ अध्यापिकायें।

स्थायी रिक्ति उपलब्ध न होने, स्थायीकरण की औपचारिकताएं पूर्ण न होने, तथा अपने पदों पर नियमित रूप से नियुक्त न होने के कारण इनका स्थायीकरण सम्भव नहीं हुआ। नियमित रूप से चुने गए अध्यापक/अध्यापिकाओं का स्थायीकरण ज्यष्ठतानुसार स्थायी रिक्ति उपलब्ध होने तथा स्थायीकरण की औपचारिकता पूर्ण होने पर ही सम्भव होगा। तदर्थ रूप से नियुक्त अध्यापक/अध्यापिकाओं की सेवाओं के नियमितीकरण के उपरान्त ही इनके स्थायीकरण पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

बहराइच जिले के रामपुर, वनघोघवा व मोतीपुर बांध की नहरों की सड़क को पक्का किए जाने की मांग

८१—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष १९७८-७९ में नहर की सड़कों को पक्का करने की योजना शासन ने स्वीकार की है ? यदि हां, तो बहराइच जिले में रामपुर व वनघोघवा व मोतीपुर बांध से निकलने वाली नहर की कच्ची रोड को जिले की समिति में प्रस्ताव पारित होने के बाद भी अब तक पक्की न कराने का क्या कारण है और कब तक उसे पक्की करा दिया जायेगा ?

श्री बलवीर सिंह—

जी हां। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश की महत्वपूर्ण नहरों की ३०० किलोमीटर पटरियों को पक्का कराने का निर्णय लिया गया है।

जिन सड़कों का चयन किया गया है उसमें जिला बहराइच की प्रश्नगत नहर की कच्ची रोड सम्मिलित नहीं है । अतः प्रश्न नहीं उठता ।

बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों के बकाया वेतन का भुगतान

८२--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन कार्यरत अध्यापकों को उस अवधि का जबकि वह स्थानीय निकायों के कर्मचारी थे सम्पूर्ण वेतन अदा कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो ऐसे कौन-कौन जिले हैं जहां अभी भी अवशेष है उसका भुगतान कब तक हो जायगा ?

श्री कालीचरण--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश के बेरोजगार बी० टी० सी० प्रशिक्षित अभ्यर्थी

८३--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय प्रदेश के बी०टी०सी० प्रशिक्षित कितने लड़के तथा लड़कियां बेरोजगार हैं तथा उनको नौकरी देने के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कालीचरण--

प्रदेश के २२ जनपदों में २५,५८८ बेरोजगार प्रशिक्षित लड़के/लड़कियां हैं । शेष जनपदों से सूचना एकत्र की जा रही है । बेरोजगार व्यक्तियों में से इस वर्ष लगभग ५,००० व्यक्तियों को रोजगार का सुअवसर मिलेगा ।

फर्रुखाबाद जिले के भवन बिहीन जूनियर हाई स्कूल व प्राइमरी स्कूल

८४--श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत चलने वाले जूनियर हाई स्कूल व प्राइमरी स्कूलों की संख्या क्या है और कि विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कितने विद्यालय हैं तथा कितनों के पास स्वयं की इमारतें हैं ?

श्री कालीचरण--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं एवं ट्यूबवेल्स से लिए स्टार्टर्स की खरीद

८५--श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, १९७६ से ३१ अगस्त, १९७८ तक कितने स्टार्टर्स ट्यूबवेल और लिफ्ट सिंचाई परियोजना के लिए खरीदे गए ?

श्री बलवीर सिंह--

जी हां, दिसम्बर, १९७६ से ३१ अगस्त, १९७८ तक ट्यूबवेल के लिये ७,१६७ एवं लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं के लिए ११५ स्टार्टर्स का क्रय किया गया ।

सहायक अध्यापक श्री होरीलाल, ग्राम भगौतीपुर, श्री फूल चन्द्र उपाध्याय, ग्राम गड़खड़ा, जिला वाराणसी की ग्रेच्युटी व पेंशन

८६--श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री होरी लाल, सहायक अध्यापक, निवासी ग्राम भगौतीपुर, ब्लाक पिंडरा, वाराणसी की मृत्यु डकैतों का मुकाबला करते हुए तथा श्री फूल चन्द्र उपाध्याय, सहायक अध्यापक, निवासी गांव गड़खड़ा, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी की मृत्यु नसबन्दी की वजह से क्रमशः १९७३-७४ में तथा १९७६-७७ में हो गई है? यदि हां, तो उनके आश्रितों को पेंशन, बीमा, ग्रेच्युटी का पैसा तथा नौकरी आदि अब तक न देने का क्या कारण है ?

श्री कालीचरण--

जी हां। श्री होरी लाल, सहायक अध्यापक की मृत्यु डकुओं के मुठभेड़ में दिनांक २७ फरवरी, १९७३ को और श्री फूल चन्द्र उपाध्याय, सहायक अध्यापक की मृत्यु नसबंदी के कारण दिनांक २ सितम्बर, १९७६ को हो गई थी। इन दोनों अध्यापकों के किसी वारिस ने पेंशन, ग्रेच्युटी अथवा बीमा की धनराशि प्राप्त करने अथवा नौकरी हेतु अपना आवेदन-पत्र अभी तक नहीं दिया है। जब सम्बन्धित अध्यापकों के वारिसों द्वारा वारिस प्रमाण-पत्र के साथ आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये जायेंगे तो पेंशन, ग्रेच्युटी अथवा बीमा की धनराशि देने अथवा नौकरी की सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

बेसिक शिक्षा परिषद् के प्राइमरी स्कूलों के लिए स्वीकृत पुस्तकों व पत्रिकाओं की धनराशि से टाट व पट्टी की खरीद

८७--जिला इलाहाबाद (श्री अठई राम तथा बाबा राम अधार यादव)--

क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में चल रहे लगभग ६२ हजार बेसिक प्राइमरी स्कूलों को सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाने वाली अनुपूरक पुस्तकों और पत्रिकाओं की खरीदारी न करने से जो २१ रुपए प्रति विद्यालय की दर से १९७७-७८ में जो (करीब १३ लाख रु० की) बचत हुई है उसका उपयोग हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त धनराशि में से कितनी धनराशि उपयोग की गई है और कितनी बाकी है ? बची हुई धनराशि को सरकार किस कार्य या कौन सी सामग्री क्रय करने हेतु उपयोग में लाये जाने का विचार कर रही है ?

श्री कालीचरण--

सूचना एकत्र की जा रही।

८८--श्री अठई राम तथा बाबा राम अधार यादव--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि सन् १९७७-७८ में सरकार द्वारा ५० रु० प्रति जूनियर बेसिक स्कूल की दर से टाट पट्टी खरीदने का प्राविधान पहले से ही था और २१ रु० प्रति स्कूल की दर से जो पुस्तकें एवं पत्रिकाओं पर व्यय होना था सबकी टाट पट्टी खरीद ली गई है ? (जो लगभग १३ लाख रुपए होता है)। इस प्रकार प्रदेश के लगभग ६२ हजार जूनियर बेसिक स्कूलों में लगभग ३१+१३=४४ लाख रुपए की टाट-पट्टी खरीदी गई है ? यदि हां, तो क्यों ? यह टाट-पट्टी कितने स्कूलों को सप्लाई की है और किन-किन फर्मों द्वारा की गई है ?

श्री कालीचरण--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मुरारी इण्टर कालेज, सहजनवां, गोरखपुर के छात्रों की हड़ताल

८९--श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुरारी इन्टर कालेज, सहजनवां के छात्रों ने विद्यालय की कतिपय अनियमितताओं (रिफन्ड वाउचर, छात्र फन्ड के पैसे का दुरुपयोग, हरिजन छात्रों के वजीफे में धांधली) के विरुद्ध माह अगस्त-सितम्बर, १९७८ में हड़ताल की थी ? यदि हां, तो क्या सरकार ने वित्तीय अनियमितता के गम्भीर आरोपों की कोई जांच कराई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कालीचरण--

जी हां । केवल एक दिन छात्रों ने हड़ताल की थी । प्रशासन के हित में विद्यालय बन्द कर दिया गया । आरोपों की जांच की गई । शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

अलीगढ़ जिले का क्षतिग्रस्त अखद्रपुर रेगुलेटर व नरोरा बैराज पर व्यय की गई धनराशि

९०--श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के मुख्य अभियन्ता जब अलीगढ़ में अधीक्षण अभियन्ता थे उनके कार्यकाल में निर्मित कार्य गोपालपुर अखद्रपुर रेगुलेटर बह गया, नरोरा बैराज पर करोड़ों रुपया खर्च किया ? क्या इसकी शासन द्वारा जांच कराई गई थी ? यदि हां, तो जांच से क्या रिपोर्ट प्राप्त हुई ?

श्री बलवीर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मुरारी इन्टर कालेज, सहजनवां, गोरखपुर के प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति की मांग

९१--श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुरारी इण्टर कालेज, सहजनवां, गोरखपुर में विगत दो वर्ष से कार्यवाहक प्रधानाचार्य ही कार्य देख रहे हैं ? यदि हां, तो अब तक स्थायी प्रधानाचार्य का चुनाव क्यों नहीं कराया गया ? क्या जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर ने नए प्राचार्य के चयन हेतु व्यवस्था समिति को निर्देश भी दिये हैं ? यदि हां, तो निर्देशों की अवज्ञा के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कालीचरण--

जी हां ।

प्रबंधाधिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जानी थी, जो नहीं की गई ।

जी हां ।

अभी तक कुछ नहीं ।

मुरारी इन्टर कालेज, सहजनवां, गोरखपुर के छात्र श्री अरुण कुमार दुबे की प्रोन्नति का मामला

९२—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अरुण कुमार दुबे आत्मज श्री चन्द्रभान दुबे, कक्षा ११ वर्ग अ—२, मुरारी इन्टर कालेज, सहजनवा (गोरखपुर) को १९७८ की वार्षिक परीक्षा में सभी विषयों में ३३ प्रतिशत अंक प्राप्त होने के बावजूद भी गृह परीक्षा की प्रोन्नति के नियम (ङ) खं०—३ का उल्लंघन कर अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया ? क्या जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर ने इस सम्बन्ध में १ सितम्बर, १९७८ तथा २२ सितम्बर, १९७८ को उक्त छात्र को उत्तीर्ण घोषित कर उन्हें सूचित करने का स्पष्ट आदेश दिया और ऐसा न करने को राजकीय आदेशों की अवहेलना बताया ? यदि हां, तो २८ सितम्बर, १९७८ तक क्या छात्र को प्रवेश दिया गया ? यदि नहीं, तो उक्त प्रधानाचार्य के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कालीचरण—

जी हां ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर द्वारा प्रधानाचार्य, मुरारी लाल इन्टर कालेज, सहजनवा, गोरखपुर को पुनः दिनांक २१ अक्तूबर, १९७८ को छात्र अरुण कुमार को प्रोन्नति देने और साथ ही प्रबन्धाधिकरण को प्रधानाचार्य के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निदेश दिये गये ।

बरेली—नैनीताल रोड पर गोला नदी के किछा पुल पर पथकर की वसूली

९३—श्री देव बहादुर सिंह—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि बरेली—नैनीताल रोड पर किछा (नैनीताल) के पास गोला नदी पर सेतु निगम द्वारा निर्मित पुल पर कुल कितना पथकर वसूल किया जाना था और उसमें से कितनी धनराशि पथकर के रूप में ३० अगस्त, १९७८ तक वसूल की जा चुकी है तथा शेष कब तक वसूल कर ली जायेगी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

बरेली—नैनीताल मार्ग पर किछा के पास गोला नदी पर ३० सितम्बर, १९७८ तक ४३·४९६ लाख रुपये वसूल होना था । दिनांक ३० सितम्बर, १९७८ तक ४०,४४,६०२ रु० की धनराशि वसूल की जा चुकी है । शेष देय धनराशि जून १९७९ तक वसूल हो जाने की संभावना है ।

राजकीय जुबली इन्टर कालेज, गोरखपुर में श्री आशुतोष कुमार सिंह को प्रवेश न मिलना

९४—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राजकीय जुबली इन्टर कालेज, गोरखपुर में ११वीं कक्षा (कला) में वर्ष १९७८ के सत्र में आशुतोष कुमार सिंह आत्मज श्री बी० बी० सिंह, निवासी बेतियाहाता, गोरखपुर को प्रवेश नहीं दिया गया और उनसे कम अंक पाने वालों को प्रवेश दिया गया ? यदि हां, तो उन्हें प्रवेश से वंचित क्यों किया गया ? क्या सितम्बर, १९७८ में भी कुछ छात्रों को प्रवेश दिया गया है ?

श्री कालीचरण—

जी हां ।

राजकीय जुबली इन्टर कालेज, गोरखपुर में श्री आशुतोष कुमार सिंह को कक्षा ११ में प्रवेश अंकों के आधार पर नहीं अपितु विद्यालय में अनुशासन के हित में नहीं दिया गया ।

सितम्बर, १९७८ में उक्त विद्यालय में ४ छात्रों को कक्षा ११ में प्रवेश दिया गया ।

श्री श्रीपाल द्विवेदी, अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य, प्राइमरी पाठशाला, भदेदूं, जिला बांदा का बकाया वेतन

९५—श्री राम सजीवन—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री श्रीपाल द्विवेदी, अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य, कन्या प्राइमरी पाठशाला भदेदूं, जिला बांदा का १ जनवरी, १९७७ से ३० जून, १९७७ तक अर्थात् छः महीने के वेतन का भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि उक्त तथा अन्य वेतन बकायों के सम्बन्ध में उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी, बांदा को कुछ महीने पूर्व प्रार्थना-पत्र दिये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कालीचरण—

श्री श्रीपाल द्विवेदी, अवकाश प्राप्त प्रधान अध्यापक को १ जनवरी, १९७७ से ३० जून, १९७७ तक का वेतन भुगतान नहीं किया गया क्योंकि उनकी सेवा नियुक्ति का दिनांक ३१ दिसम्बर, १९७६ था । शिक्षा सत्रांत तक सेवा विस्तरण के लिए न तो अध्यापक का समय से प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ और न ही सेवा विस्तरण के आदेश हुये । समयोपरान्त आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर सेवा विस्तरण सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है । कथित बकाये वेतन के अतिरिक्त कथित अध्यापक द्वारा अन्य बकाये के संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बांदा के कार्यालय में कोई प्रार्थना-पत्र उपलब्ध नहीं है ।

डी० ए० वी० इन्टर कालेज, कानपुर के समाजशास्त्र के प्रवक्ता पद पर नियुक्ति

९६—श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सही है कि डी० ए० वी० इन्टर कालेज, कानपुर के समाज शास्त्रप्रवक्ता के रिक्त स्थान पर एम० ए०, समाज शास्त्र, श्री एम० एस० यादव की पदोन्नति न करके राजनीति शास्त्र में एम० ए० एवं अपेक्षाकृत कनिष्ठ श्री राष्ट्र गौरव की दिनांक १ मई, १९७८ से प्रवक्ता के पद पर पदोन्नति कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कालीचरण—

जी नहीं ।

शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सरस्वती विद्यालय इन्टर कालेज, हापुड़ के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र

९७--श्री बनारसी दास चांदना (जिला गाजियाबाद)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन को अध्यक्ष, जनता युवा मोर्चा, हापुड़ का पत्र दिनांक १० अगस्त, १९७८ श्री सरस्वती विद्यालय इन्टर कालेज, हापुड़ में घोर अनियमितताओं के बारे में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शासन ने क्या किया ?

श्री कालीचरण--

जी हां।

जांच कराने में आरोप निराधार पाये गये।

रतन नाथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रसिन, जिला बांदा के अध्यापक, श्री देवकी नन्दन मिश्र का कथित फर्जी प्रमाण-पत्र

९८—श्री राम सजीवन--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि संयुक्त मंत्री, माध्यमिक शिक्षक संघ, बांदा (श्री चन्द्रिका प्रसाद मिश्र) ने २२ अगस्त सन् १९७७ को जिला विद्यालय निरीक्षक, बांदा, पुलिस अधीक्षक बांदा एवं शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रार्थना-पत्र भेजकर यह शिकायत की है कि श्री देवकी नन्दन मिश्र ने रतन नाथ उ० मा० विद्यालय, रसिन, जिला बांदा ने फर्जी मार्कशीट के आधार पर सहायक अध्यापक के पद पर नौकरी प्राप्त की और वहां पर ८ जुलाई, १९७० से अगस्त, सन् १९७६ तक अनवरत रूप से कार्य करके वेतन प्राप्त किया ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री काली चरण--

जी नहीं।

आजमगढ़ जिले के शारदा सहायक नहर के निर्माण के विरुद्ध शिकायती-पत्र

९९--श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने वर्ष १९७७-७८ में आजमगढ़ जिला अन्तर्गत किए जा रहे नहर निर्माण कार्य शारदा सहायक खंड ५२, २३, ४६, ४५ में किसानों के साथ की जा रही अनियमितताओं को दूर करने के लिए प्रभावित क्षेत्र की जनता एवं प्रश्नकर्त्ता ने कुल कितने आवेदन-पत्र दिए हैं ? उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बलवीर सिंह--

शारदा सहायक खंड-५२, ४५, २३ तथा ४६ आजमगढ़ में वर्ष १९७७-७८ के अन्तर्गत नहरों के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रश्नकर्ता एवं कृषकों द्वारा कुल १३८ अदद प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे, जिनमें ३० अदद प्रश्नकर्ता के तथा १०८ अदद कृषकों के आवेदन पत्र थे।

शारदा सहायक खंड-५२, आजमगढ़ में प्रश्नकर्ता के दो प्रार्थना-पत्र दिनांक २-१-७८ एवं १६-३-७८ को प्राप्त हुए। प्रश्नकर्ता ने दिनांक १६-३-७८ के प्रार्थना-पत्र में यह अनुरोध किया कि इस खंड में दोहरीघाट कैनाल का जो

समरेखन सर्वप्रथम बनाया गया था, उसी पर नहर की खुदाई की जाये। जांच कराने पर पाया गया कि नहर की खुदाई का कार्य स्वीकृत समरेखन के अनुसार ही कराया जा रहा है। दूसरा प्रार्थना-पत्र भी नहर के समरेखन से सम्बन्धित है जिसका उत्तर अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रश्नकर्ता को दिनांक १२-१-७९ को दे दिया गया था। अन्य कृषकों के कोई प्रार्थनापत्र प्राप्त नहीं हुये।

शारदा सहायक खंड-४५, आजमगढ़ के अन्तर्गत कुल २० प्रार्थना-पत्र कृषकों के निर्माण कार्यों पर अनियमितताओं को दूर करने के लिए प्राप्त हुए। इनमें से दो प्रश्नकर्ता के माध्यम से प्राप्त हुए। यह प्रार्थना-पत्र समरेखन में अनियमितताओं के सम्बन्ध में थे और इनमें समरेखन को बदलने के लिए अनुरोध किया गया था। इन पर जांच की गई और जांचोपरान्त आरोपों को निराधार पाया गया।

शारदा सहायक खंड-२३ आजमगढ़ के अन्तर्गत वर्ष १९७७-७८ में नहरों के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता एवं कृषकों द्वारा कुल ३४ अदद प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे जिनमें से २७ अदद कृषकों से तथा ७ अदद प्रश्नकर्ता के जांचोपरान्त १३ मामलों में आरोपों को निराधार पाया गया, उसमें से प्रश्नकर्ता के दो मामलों में प्रार्थी के सुझाव के अनुसार नहर की समरेखन में तबदीली कर दी गई है। साथ ही २१ मामलों में अभी भी जांच कराई जा रही है।

शारदा सहायक खण्ड-४६, आजमगढ़ के अन्तर्गत वर्ष १९७७-७८ में कुल १९ अदद प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता द्वारा तथा ६३ प्रार्थना-पत्र अन्य कृषकों द्वारा जो नहरों के निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में हैं, प्राप्त हुए थे जिनमें से २३ पर जांच कराई तथा ५९ पर जांच कराई जा रही है।

फैजाबाद जिले के पेवाड़ा स्थित इस्लामिया स्कूल के छात्रों की संख्या

१००—श्री हरीराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में इस्लामिया स्कूल मुहल्ला पेवाड़ा, पत्रालय अकबरपुर, जनपद फैजाबाद वर्तमान समय में चल रहा है? यदि हां, ऐसी कौन सी कक्षायें चल रही हैं और अलग-अलग कक्षाओं में छात्र और छात्राओं की संख्या क्या है? इस स्कूल को सरकारी सहायता कब से दी गयी?

श्री कालीचरण—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री सरस्वती विद्यालय इन्टर कालेज, हापुड़ के अध्यापकों का प्रत्यावेदन

१०१—श्री बनारसीदास चांदना—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने श्री सरस्वती विद्यालय इन्टर कालेज, हापुड़ के ग्यारह अध्यापकों के प्रत्यावेदन दिनांक ३ अगस्त, १९७८ पर क्या कार्यवाही की जो उनके घोर उत्पीड़न व कालेज में अनियमितताओं के सम्बन्ध में शासन को प्रेषित किया गया था?

श्री कालीचरण—

प्रश्नगत विद्यालय के ११ अध्यापकों के प्रत्यावेदन दिनांक ३-८-७८ में की गई शिकायतों के निस्तारण हेतु संस्थाधिकारियों को निर्देशित किया गया। फलस्वरूप उत्पीड़न एवं कालेज में अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रबन्ध समिति ने १०-९-७८ को एक बैठक में विचार करके ११-९-७८ को अपने निर्णय से अवगत करा दिया

जिसके आधार पर सम्बन्धित अध्यापकों ने समय सारिणी के आंशिक बहिष्कार का प्रस्तावित कार्यक्रम स्थगित कर दिया ।

विकास क्षेत्र सूरतगंज, बाराबंकी के लिये सिंचाई सुविधा की मांग

१०२—श्री मसूदुल हसन नोमानी—

क्या सिंचाई मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि जनपद बाराबंकी में विकास क्षेत्र सूरतगंज का लगभग सारा क्षेत्र नहरों व नलकूपों के न होने के कारण असिंचित है ? यदि हां, तो सरकार इस क्षेत्र को सिंचित बनाने हेतु कौन सी योजना कार्यान्वित करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलबीर सिंह—

जनपद बाराबंकी में विकास क्षेत्र सूरतगंज का कुल कृषि योग्य क्षेत्र ८८,३४० एकड़ है जिसमें बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र ४४,३०० एकड़ है । समस्त कृषि योग्य क्षेत्र ३५,३९९ एकड़ है ।

समस्त कृषि योग्य क्षेत्र में से ५००२ एकड़ क्षेत्र की सिंचाई नहरों द्वारा प्रस्तावित है ।

भूमि ऊंची नीची होने के कारण नलकूप एवं पम्प नहरों द्वारा सिंचाई साधन उपलब्ध कराना प्रस्तावित है ।

रिग्स प्रखण्ड, अलीगढ़ व रिग्स प्रखंड, आगरा के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जांच

१०३—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रिग्स प्रखण्ड अलीगढ़ व रिग्स प्रखण्ड-आगरा में सन् १९७१ से लेकर सन् १९७६ तक गबन, गड़बड़ घोटाला एवं फर्जी खरीद-फरोख्त तथा मरम्मत के नाम पर लाखों रुपये के भुगतान के सम्बन्ध में सरकार को शिकायत मिली ? यदि हां, तो उसकी जांच किससे कराई गयी ? क्या यह सत्य है कि उपरोक्त दोनों स्थानों की जांच सतर्कता अधिष्ठान को सौंप दी गयी है ? उसमें कौन अधिकारी तथा कर्मचारी सम्मिलित है, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलबीर सिंह—

रिग्स प्रखण्ड अलीगढ़ व रिग्स प्रखण्ड आगरा में सन् १९७१ से १९७६ तक गबन, गड़बड़ घोटाला एवं फर्जी खरीद फरोख्त तथा मरम्मत के नाम पर लाखों रुपये भुगतान की शिकायतें मिली थी, जिन पर सतर्कता अधिष्ठान से जांच कराई गई । इनमें से कतिपय मामलों में अभियोजन की कार्यवाही करने व कतिपय मामले प्रशासनाधिकरण को अभिदिष्ट करना तथा कुछ मामलों में विभागीय कार्यवाही भी प्रस्तावित है । अलीगढ़ की जांच में अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए बताया जाना उचित नहीं है । आगरा प्रखण्ड से सम्बन्धित खुली जांच अभी चल रही है ।

श्री मालवीय विद्यालय, शाहजहांपुर, जिला वाराणसी के प्रधान लिपिक, श्री अमर सिंह की पदोन्नति

१०४--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मालवीय विद्यालय शाहजहांपुर, जिला वाराणसी के प्रधान लिपिक के पद पर श्री अमर नाथ सिंह की पदोन्नति जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी ने स्वीकार कर दिसम्बर, १९७७ से फरवरी, १९७८ तक वेतन भुगतान करने के पश्चात् मार्च, १९७८ से अब तक वेतन का भुगतान रोक दिया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या यह सत्य है कि विद्यालय की प्रबन्ध समिति ने प्रधान लिपिक के पद पर सीधे नियुक्ति कर दी थी जिसे जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी ने निरस्त कर दिया था ?

श्री कालीचरण--

जी हां ।

क्योंकि श्री अमरनाथ सिंह के प्रधान लिपिक के पद पर पदोन्नति के प्रस्ताव की प्रति मांगने पर प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई ।

जी नहीं ।

कार्यसूची के प्रश्न संख्या ६० के उत्तर के सम्बन्ध में सिंचाई मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग का प्रश्न उठाने की सूचना

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर व्यवस्था के प्रश्न उठाने पर)

श्री अध्यक्ष--

(व्यवधान) आप लोग इस तरह से एक साथ न बोलें, इस प्रकार से मैं किसी को इजाजत नहीं दे रहा हूं । यह तरीका गलत है । यह कुछ लिखा नहीं जायेगा, आप लोग बैठिये ।

श्री दीप नरायन (जिला गोंडा)--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

इस समय कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, मैं किसी को इजाजत नहीं दे रहा हूं, आप बैठिये, आप बैठिये (व्यवधान) । आप लोग बिना इजाजत के बोल रहे हैं, यह कुछ भी कार्यवाही का भाग नहीं होगा ।

श्री दीप नरायन--

मैंने नियम ५१ में दिया था . .

श्री अध्यक्ष--

वह अभी नहीं ले रहा हूं । आप बैठे ।

(श्री सुन्दरलाल दीक्षित का नाम पुकारे जाने पर)

नोट--[× ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मैं मान्यवर, नियम ६३ में एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । नियम ६३ यह है विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान के प्रश्न का उठाया जाना किसी सदस्य के, अथवा सदन के अथवा उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान के प्रश्न को अध्यक्ष की सम्मति से--(१) किसी सदस्य की ओर से शिकायत द्वारा, (२) सचिव की ओर से प्रतिवेदन द्वारा, (३) याचिका द्वारा अथवा (४) समिति के प्रतिवेदन द्वारा उठाया जा सकेगा । परन्तु यदि विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान सदन के प्रत्यक्ष ही हुआ हो तो सदन अध्यक्ष की सम्मत्ति से, बिना किसी शिकायत के ही कार्यवाही कर सकेगा ।

आज के एजेन्डे में प्रश्न संख्या ६० जो श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी का है उसे आप देखें । वह इस प्रकार है--क्या सरकार को यह जानकारी है कि गंगा नदी में आने वाली बाढ़ एवं कटाव से उन्नाव जिले की सफीपुर तहसील के सैकड़ों गांव प्रतिवर्ष जलमग्न हो जाते हैं, लाखों रुपये की फसलें नष्ट हो जाती हैं, दजनों गांव गंगा की गोद में विलीन हो जाते हैं ? यदि हां, तो क्या स्थायी प्रबन्ध के लिये गहारपुरवा से गंगाघाट तक बांध बनवाने की सरकार कृपा करेगी ?

मान्यवर, इसके उत्तर में आज माननीय मंत्री जी ने बताया है--कि जी हां, उन्नाव जनपद की सफीपुर तहसील में प्रति वर्ष बाढ़ से क्षति होती है । गहरपुरवा से गंगाघाट तक बांध बनाने की कोई योजना इस समय विचाराधीन नहीं है ।

इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं . .

श्री अध्यक्ष --

यह तो विशेषाधिकार का दुरुपयोग है । सदन के सम्मुख यदि कोई अवमान हुआ हो तो आप उठा सकते हैं । आप तो एक प्रश्न के उत्तर को लेकर अपने केस को बनाने की कोशिश कर रहे हैं ।

पहले सिंचाई मंत्री ने एक उत्तर दिया, अब दुबारा उत्तर दिया, तो यह इस प्रकार विशेषाधिकार का सवाल सदन के सम्मुख नहीं है । जब तक कि मैं दोनों प्रश्नों को, पहला प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न क्या है, नहीं देख लेता । इस प्रकार से मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं । यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है । यह तो स्वयं मैं देखूंगा कि सदन का अवमान मेरे सामने हुआ है कि नहीं हुआ है । जब तक मैं इसका पूरी तरह से विवरण न देख लूं कि पहले का उत्तर क्या है, अब का उत्तर क्या है तब तक इसका कैसे निर्णय दे सकता हूं । कृपया इस तरह से सदन का समय न लें ।

(श्री दीप नरायन के खड़े होने पर)

आप बैठ जाइये । इस तरह से मैं अनुमति नहीं देता । आपका यह तरीका, बार-बार बिना अनुमति के खड़ा होना, अत्यन्त अनुचित है ।

(व्यवधान)

श्री दीप नरायन--

[× ×]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट--[××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।]

सदन के संज्ञान में लाये जाने वाले विषयों का उत्तर मंत्रियों द्वारा न दिये जाने पर आपत्ति

श्री अध्यक्ष--

यह कार्यवाही का भाग नहीं होगा ।

(व्यवधान)

*श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

मान्यवर, नियम ३०१ के अन्तर्गत जो प्वाइंट् उठाये गये, इस सम्मानित सदन में जो बात कही गयी थी और उस पर आपने व्यवस्था दी थी कि एक सप्ताह के अन्दर सम्बन्धित मंत्री माननीय सदस्य को उसका उत्तर दे दिया करेंगे । ७ दिसम्बर, १९७८ को ओला पत्थर और सूखे के सम्बन्ध में, बहराइच जिले के बारे में मैंने एक प्रश्न उठाया था । मान्यवर, १३ दिसम्बर को दवा न मिलने और कीट ज्यादा हो जाने के कारण उठाया । आज तक न जिले में कोई व्यवस्था हुई और न कोई उत्तर आया । मान्यवर, आपका आदेश जो है, उसका निश्चित रूप से पालन होना चाहिए । दूसरा जो बिन्दु है, वह उठाना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

आप एक ही प्रश्न उठायें ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, जब मैं खड़ा हो गया कि मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । यह बिना आज्ञा के मैंने उठाया था । मान्यवर, एक संकेत हमें बता दें कि जिससे हम लोग उंगली उठा कर एक संकेत दें कि हम व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं, तब आप आज्ञा दें ।

(श्री श्यामधर मिश्र के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये । श्री कमला प्रसाद वर्मा ने जो प्रश्न उपस्थित किया है ।

(व्यवधान)

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मुझको सुन तो लीजिए ।

(व्यवधान)

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मेरी राय यह है कि मान्यवर, आप एक प्राक्कलन कर लें । आपने जितने आदेश दिये हैं, उनका आप आकलन इकट्ठा करके तब व्यवस्था दें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री श्याम धर मिश्र--

हमको अब तो आज्ञा नहीं चाहिए। अब तो एक आज्ञा आप दे दिये। माननीय सदस्य ने एक प्रश्न उठाया, वह पूरे सदन का प्रश्न है। अगर मंत्रीगण प्रश्न का उत्तर नहीं देते, तो ३०१ में शून्य प्रहर आप न लें और हम लोग स्वछंद हैं, हम लोग खड़े होकर पूछ लेंगे और उसी समय उत्तर मांग लेंगे, जो उत्तर देंगे, तो देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे, क्योंकि आपकी आज्ञा तो चलती नहीं। आप कई बार कह चुके हैं कि मेरी अन्तिम आज्ञा है। तो अन्तिम आज्ञा के बाद और अन्तिम आज्ञा न दी जाय, मान्यवर।

श्री गोविंद सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

अध्यक्ष महोदय, एक औचित्य का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये।

यह नेताओं की बैठक में तय किया गया था कि ७ दिन में अन्तरिम उत्तर दें, और अन्तिम रूप से एक महीने में उत्तर मेरे कार्यालय में, और जिस सदस्य ने प्रश्न पूछा है उसको दें। जो माननीय कमला प्रसाद जी ने प्रश्न उठाया वह ७ दिसम्बर का प्रश्न है। ७ जनवरी तक अन्तिम उत्तर मिलना चाहिये। अन्तरिम उत्तर उनको मिला होगा और अगर कहीं एक महीने में पूर्ण उत्तर नहीं आया है उसको आप मेरे सामने लायें। माननीय श्यामधर जी ने जो प्रश्न उठाया है, मैं फिर नेताओं की बैठक बुलाकर इस पर फैसला करूंगा कि क्या करना चाहिये।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं। आपका इस सम्बन्ध में निर्देश हो चुका है, पहले भी हो चुका है। मुख्य मंत्री जी कृपा करके सदन को आश्वस्त करें कि जो आपने निर्देश दिया है उसका पालन होगा।

*मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)--

मान्यवर, ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष जी के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। उनका पालन हो रहा है। यह जरूर है कि हमारे माननीय सदस्य ने जिस विभाग का प्रश्न उठाया है उसका उत्तर नहीं मिला। यह जानकारी आ गयी है हम देखेंगे कि कहां पर कमी है किस वजह से पालन नहीं हो रहा है। यह बात तय हो चुकी है। जैसा अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया उसका पालन अक्षरशः किया जायगा और किया जा रहा है और कहीं ऐसा है तो उसके बारे में देख लिया जायगा।

विविध विषय

श्री विष्णु प्रताप सिंह (जिला गोंडा)--

माननीय राजस्व मंत्री जी से पूछ लीजिये कि किन हालत में यह हुआ।

(शोर)

मान्यवर, किन हालात में प्रधान मंत्री का पुतला जलाया गया। पुलिस की मौजूदगी में पुतला जलाया गया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री दीप नरायन (जिला गोंडा)--

किन परिस्थिति में प्रधान मंत्री का पुतला जलाया गया । राजस्व मंत्री जी वहां थे ।

श्री सुख पाल पान्डेय (जिला बस्ती)--

मान्यवर, मेरी बात सुन लीजिये ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

दीप नरायन जी आप बैठ जायं । नियम ५१ में यह सूचना मुझको लिखकर दी जा चुकी है । जब अन्य कार्य समाप्त होता है तब नियम ५१ की सूचनाएं ली जाती हैं । उस वक्त में आवश्यक समझने पर मैं मंत्री को निर्देश दूंगा इसलिये अब सदन की कार्यवाही चलनी चाहिये ।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

मान्यवर, मैंने दो बिन्दुओं पर व्यवस्था का प्रश्न उठाया था । एक के बारे में तो आपने निर्णय दिया और दूसरे के बारे में निर्णय नहीं दिया ।

श्री सुखपाल पान्डेय--

मान्यवर, तारांकित प्रश्न संख्या ९ जो है उसके महत्व को देखते हुये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न स्वीकृत हुआ था ।

श्री अध्यक्ष--

यह व्यवस्था का सवाल नहीं है । आप सुखपाल जी बैठिये । मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री सुखपाल पान्डेय--

नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा के लिये ले लीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

आप लिखकर देंगे तब विचार किया जायगा ।

श्री रवीन्द्र सिंह--

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें, श्री कमला प्रसाद वर्मा ने बात उठायी थी कि सदस्य यदि कोई औचित्य का प्रश्न उठाना चाहें तो कैसे उठाएं अपनी जगह पर खड़े हों और कहें कि यह औचित्य का प्रश्न है । यदि मैं कहता हूं कि आप अपना प्रश्न उठायें तो कहें, वरना आप बठ जायं ।

गोपनीयता के आधार पर प्रश्नों के उत्तर न देने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियम ३८ के खंड २ जिसमें किसी प्रश्न का उत्तर उस तिथि को दिया जायगा जिसके लिये वह सूचीबद्ध किया गया हो। मान्यवर, तीसों बार यह प्रश्न आपके सम्मुख आया है कि जिसके ऊपर मंत्री उत्तर नहीं देना चाहते हैं और उत्तर टालना चाहते हैं उसमें मंत्री खतरे को जंजीर यह खींच लेते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर देना सम्भव नहीं है, यह गोपनीय है। मैंने एक प्रश्न दो महीने पहले दिया था और वह मंजूर हुआ था। वह २६ तारीख के लिये स्थगित किया गया था जिसमें जवाब मिला कि प्रश्न के संदर्भ में सूचना एकत्र की जा रही है। अब ४-५ दिन बाद सदन उठ जायेगा। तो मैं चाहता हूं कि कोई नियम होगा जिसके अधीन माननीय सदस्यों के प्रश्न का उत्तर मंत्री जी देंगे। आप इस पर व्यवस्था दें वरना जिस प्रश्न का उत्तर मंत्री जी नहीं देना चाहेंगे उसमें वह कह देंगे कि सूचना एकत्र जी जा रही है या गोपनीय है।

श्री अध्यक्ष--

जब उन्होंने कहा सूचना एकत्र की जा रही है तो फिर १५ दिन बाद आयेगा नियमावली के अनुसार। यह भी एक जवाब है कि सूचना एकत्र की जा रही है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, नियम २८, उप नियम (१५) को आप देखें। हम लोग जिन प्रश्नों की सूचना देते हैं उसमें नियमावली में प्रतिबन्ध हमारे ऊपर है कि इस कोटि के प्रश्न आप द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेंगे। उप नियम १५ देखें "उसमें ऐसे विषयों के सम्बन्ध में सूचना नहीं मांगी जायेगी जो गोपनीय प्रकृति के हों, जैसे मंत्रि-परिषद् के विनिश्चय अथवा कार्यवाहियां विधि-अधिकारियों द्वारा राज्यपाल को दी गयी मंत्रणा तथा अन्य तत्सम विषय"। अपने बन्धन को स्वीकार करते हुये हम सूचना देते हैं तारांकित में जिसको आप ग्राह्य करते है जिसका अर्थ है कि इस बन्धन से मुक्त करके मंत्री के पास प्रश्न को भेज दिया और तब मंत्री उसका उत्तर दें। आपको संसदीय विधि की जानकारी है। आप द्वारा स्वीकृत प्रश्न जब मंत्री के पास चला जाता है और फिर मंत्री किसी कारण गोपनीय का आधार लेकर, सार्वजनिक आधार लेकर उत्तर न देना चाहें तो आप द्वारा अनुमति लेंगे और आपके पास पत्रावली भेजेंगे, इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या संदर्भित प्रश्न के संदर्भ में, चूंकि आपने स्वीकार कर लिया था, आपसे दुबारा अनुमति प्राप्त कर ली गयी है कि प्रश्न का एक भाग का उत्तर गोपनीयता के आधार पर न दिया जाय? इसमें हमें आप संरक्षण प्रदान करें।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

इस सम्बन्ध में मान्यवर, मैंने भी कुछ अध्ययन किया है। यहां जो पीठासीन व्यक्ति रहे हैं और संसद में भी तो उनके निर्णयों का मैंने अध्ययन किया है। नियमावली में स्पष्ट उल्लेख है, जैसा राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने पढ़ा है उसको मैं दोहरा रहा हूं, उसमें है...

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

"ऐसे विषयों के सम्बन्ध में सूचना नहीं मांगी जायगी जो गोपनीय प्रकृति के हों" । अब श्रीमन्, शब्दावली है "जो गोपनीय प्रकृति के हों ।" श्रीमन्, इस सम्बन्ध में जो पीठासीन व्यक्तियों के निर्णय हैं वे दो प्रकार के हैं । एक तो यह कि माननीय मंत्री जी गोपनीय कह दें और हमें मान लेना पड़ता है। दूसरा यह कि यदि मंत्री जी गोपनीय कह दें तो पीठासीन व्यक्ति या अध्यक्ष को निर्णय करना पड़ता है कि गोपनीय है कि नहीं है । तीसरा यह है श्रीमन्, की गोपनीय एक ही बात पर माना जायगा कि देश की सुरक्षा के सम्बन्ध कि गोपनीय है कि नहीं मुझे इस सम्बन्ध में श्रीमन्, मावलंकर साहब की, आयंगर साहब की रूलिंग भी है । तो श्रीमन्, यदि माननीय मंत्रीगण केवल यह कह दें किसी प्रश्न को लेकर कि यह गोपनीय है तो पर्याप्त नहीं है । गोपनीयता के सम्बन्ध में आपको फाइल देखनी होगी कि सचमुच लोकहित में गोपनीय है तो हम लोगों को नहीं देखना है और सार्वजनिक हित में गोपनीय है तो आपको देखना है, आपको निर्णय लेना है । नियुक्ति के सम्बन्ध में, आयोग के सम्बन्ध में, शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में तो गोपनीयता हो ही नहीं सकती । जितना दुरुपयोग गोपनीयता का हो सकता है मैं समझता हूं, आज हो रहा है। इस सम्बन्ध में श्रीमन्, आपको विशेषतौर पर निर्णय देना चाहिए, तत्काल नहीं तो अध्ययन करके निर्णय कृपा करके दें और हमारी रक्षा करें ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

मान्यवर, मैंने भी जब प्रश्न आया था उस समय व्यवस्था चाही थी । मान्यवर, आप जानते हैं कि एविडेन्स ऐक्ट में भी है कि न्यायालय में भी सरकार किसी चीज को गोपनीय कह कर प्रिविलेज क्लेम करे तो यह अधिकार केवल न्यायालय को है कि वह पत्रावली को देखकर इस पर अपना निर्णय दे कि वास्तव में जो सूचना है वह गोपनीय है या नहीं है, सार्वजनिक हित में है या नहीं है । अगर गोपनीयता की आड़ लेते रहेंगे तो पूरा प्रश्नकाल ही बेकार हो जायगा । यदि प्रश्नोत्तर काल में माननीय मंत्री जी कह दें कि नहीं साहब लोकहित में इसका जवाब देना सही नहीं है तो हमारा निवेदन है कि प्रश्नोत्तर काल ही एक ऐसा इम्पारटेन्ट समय है, जिसके जरिये माननीय सदन मंत्री परिषद् के ऊपर नियंत्रण करता है और मंत्रि परिषद् अपना उत्तरदायित्व इस माननीय सदन के प्रति निभाती है । लिहाजा ऐसी स्थिति में हमारा आपसे निवेदन है कि आप कृपा करके माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण अधिकारों की सुरक्षा करें और मंत्री जी पर यह निर्भर न होने दें कि वह प्रिविलेज क्लेम करें । कौन सा प्रश्न लोकहित में गोपनीय है या नहीं है इसका निर्णय केवल पीठासीन अधिकारी के हाथ में होना चाहिए न कि मंत्री जी के हाथ में ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था नई है या इसी पर ।

*श्री उदित नरायन (जिला हमीरपुर)--

अध्यक्ष महोदय, इस समय जो प्रश्न आपके सामने उपस्थित है यह तो कई बार का तय किया हुआ प्रश्न है । गोपनीयता दो प्रकार की होती है । एक तो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री उदित नरायन--]

वह होती है जिसका राष्ट्र की सुरक्षा से सम्बन्ध हो और वह निश्चयपूर्वक गोपनीय होती है। उसको किसी भी सूरत में गोपनीय कह सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि वह कहें कि हम इसे माननीय अध्यक्ष को नहीं दिखायेंगे। यह भी सम्भव है। लेकिन दूसरे प्रकार की गोपनीयता वह होती है जिसे शासन के दृष्टिकोण से गोपनीय रहना उचित नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार की गोपनीयता चाहे वह सदन के सम्मुख जाये, चाहे अदालत के सम्मुख जाये, उसे सदैव जो पीठासीन अधिकारी होता है, जो अध्यक्ष होता है, जो अदालत का जज हुआ करता है, उसके सम्मुख पेश किया जाता है और वह उसके ऊपर अपना निर्णय दिया करते हैं और वह निर्णय करते हैं कि लोकहित में आवश्यक है कि नहीं। वैसे देखने में जो प्रश्न आपके सामने है कि किसी फाइल में किसी की नियुक्ति के सम्बन्ध में किसी को कमीशन के सामने उपस्थित होने की इजाजत देने के सम्बन्ध में यदि यह कहा जाता है कि उसमें टम्पेरिंग की गयी है, जाल किया गया है तो यह तो लोकहित की बात हुयी और उसमें गोपनीयता कहा है? मैं तो निवेदन करूंगा कि देखना यह चाहिये कि उसमें गोपनीयता है या गोपनीयता मात्र का बहाना है क्योंकि हम सभी को इस बात का अधिकार है। यह बहुत बड़ी बात है। यह कोई साधारण बात नहीं कि कह दें कि किसी फाइल में जिस आदमी को जरूर जाना चाहिये था, उसको आपने अधिकारियों से मरहूम करने की साजिस किया। वह तो जानना प्रशासन के हक में है, हमारे भी हक में है और लोकहित में भी है कि ऐसे मामले की छानबीन की प्रयास किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी या मन्त्रि-परिषद् की तरफ से जो यह व्यवस्था का प्रश्न है, जिसको श्री राजेन्द्र कुमार जी ने उठाया है उसमें कुछ कहना है? उसमें है कि प्रश्नों में नियम २८ के उप नियम (१५) में गोपनीयता की परिभाषा दी गयी है और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष प्रश्नों का निर्णय करते हैं। उनका कथन है कि जब एक प्रश्न को स्वीकार कर लिया गया तो क्या सरकार को गोपनीयता के आधार को लेकर उत्तर न देने का अधिकार है? तो क्या इस सम्बन्ध में मन्त्रियों की तरफ से किसी को प्रकाश डालना है?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जिस प्रश्न को आपने स्वीकार कर लिया हो, यह भी उसमें है।

श्री अध्यक्ष--

वह मैंने कह दिया।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, जरा आप अतारांकित प्रश्न संख्या १०३, आज की कार्यवाही का निकाल लें। उसमें आपने प्रश्न को स्वीकार किया है। उसका जो उत्तर आया है, उसको आपके सामने पढ़ें देता हूं।

श्री अध्यक्ष--

पहले माननीय राजेन्द्र कुमार जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित किया है, उसको हो जानें दें।

श्री ऊदल--

मान्यवर, यह उसी से सम्बन्धित है । उसी से मिलता हुआ है । उसमें मैंने पूछा था (जिसको आपने स्वीकार किया है) कि क्या जांच सतर्कता अधिष्ठान को सौंप दी गयी है ? फिर पूछा था कि उसमें कौन अधिकारी तथा कर्मचारी सम्मिलित हैं, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? आपने, मान्यवर, उसको स्वीकार कर लिया था । उत्तर में है कि अधिकारियों/कर्मचारियों का नाम गोपनीयता को ध्यान में रखते हुये नहीं बताया जायेगा हालांकि अपराध सिद्ध हो गये हैं और कार्यवाही हो रही है । तो इसको मैं, मान्यवर, आपकी जानकारी में लाना चाहता था कि यह है मामला ।

श्री अध्यक्ष--

मैं इस पर अपनी व्यवस्था देना चाहता हूं । जहां तक नियम २८ के उप नियम (१५) का प्रश्न है, वह स्पष्ट है । "उसमें ऐसे विषय के सम्बन्ध में सूचना नहीं मांगी जायेगी कि जो गोपनीय प्रकृति के हों जैसे मन्त्रि परिषद् का विनिश्चय अथवा कार्यवाही, विधि अधिकारियों द्वारा राज्यपाल को दी गयी मन्त्रणा तथा अन्य तत्सम विषय" तो जब कोई प्रश्न मेरे सामने या उपाध्यक्ष के सामने आता है तो यह जो नियम २८ का उप नियम (१५) का उपबन्ध दिया गया है, उसको देखने के बाद ही प्रश्न को स्वीकार किया जाता है । लेकिन जैसा श्री नेगी जी ने प्रश्न किया था मैंने कहा था कि मन्त्रियों को अधिकार है । वह मैंने इसी आधार पर कहा था कि इस पीठ से पहले इस तरह के निर्णय दिये गये हैं । सन् १९६० में एक प्रश्न श्री प्रताप सिंह जी ने यहां पर किया था । उन्होंने कहा जो यह जवाब है, अगर गोपनीय होता तो यह प्रश्न एडमिट ही न होता । प्रश्न के एडमिट होने पर वह हाउस की प्रापर्टी बन गया । वह गोपनीय नहीं रहा । इसलिए मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । प्रश्नों का उत्तर पूछने का अधिकार विरोधी दल को है । अगर रोज सवालों के ऐसे जवाब दिये जायेंगे कि गोपनीय है तो हमारा अधिकार छिन जायेगा ।" तो यह जो संकलन है १९५२ से लेकर १९६७ तक का उसके पृष्ठ २१९ पर है । तो अध्यक्ष ने अपनी यह व्यवस्था दी थी कि "अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो प्रश्न स्वीकार करते हैं उसमें स्वयं अपने जजमेंट से नियमों का पालन करते हैं । अगर उन्होंने एडमिट नहीं किया । इसका मतलब है कि कैबिनेट का प्रश्न रहा हो, या गवर्नर की एडवाइज ली गई हो या इसके बारे में पूछा गया हो । लेकिन गवर्नमेंट को क्या उत्तर देना चाहिये । यह उसमें नहीं दिया गया है । गवर्नमेंट किसी प्रश्न का उत्तर तभी नहीं दिया करती है जब वह उसको गोपनीय समझती है । उत्तर न देने का अधिकार उनको है" । तो इसमें उत्तर को सवाल नहीं है । जो अभी मैंने आपको पहली व्यवस्था पढ़करके सुनाई । मैं समझता हूं कि मुझे इस पर पुर्नविचार तो करना है लेकिन मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से भी कहना चाहता हूं कि यह नियम २८ का उपनियम (१५) स्पष्ट है । सरकार को गोपनीयता का सहारा उसी वक्त लेना चाहिये जब कि वास्तव में सरकार की सुरक्षा का प्रश्न हो । या ऐसे प्रश्न हो जिसके प्रगट कर देने से कोई जनहित पर विपरीत प्रभाव पड़े लेकिन प्राविधिक आधार लेकर के इस तरह के प्रश्नों का उत्तर न देने से स्वाभाविक रूप से सदन के माननीय सदस्य ऐसा मानते हैं कि उनके अधिकारों पर अतिक्रमण होता है । तो जहां तक व्यवस्था का प्रश्न है जिसे पहले की व्यवस्था का अभी मैंने उल्लेख किया है । मैं उसको बदल नहीं रहा हूं लेकिन मैं इस पर विचार करूंगा और मैं चाहूंगा कि इसमें एक उच्चस्तरीय मीटिंग बुला कर के, और

[श्री अध्यक्ष---]

माननीय मुख्य मन्त्री जी से भी मैं कहना चाहता हूं कि वे अपने विधि परामर्श-दाता और अपने विभाग में भी इस पर परामर्श करें ताकि उनके लिये इस प्रकार के मार्ग दर्शक सिद्धान्त (गाइडलाइंस) हों कि किस प्रकार से गोपनीयता या लोकहित में उत्तर देना संभव नहीं होता है ताकि जब विभागीय सचिव अपना उत्तर तैयार करें या मन्त्रिगण उत्तर दें तो उन गाइडलाइंस को ध्यान में रखें जिससे कि सदस्यों को भी आपत्ति न हों ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)---

एक प्रश्न और है कि जब तक विधि परामर्शदाता से कोई परामर्श न मिले इनको, तब तक आप हम लोगों का संरक्षण करें ताकि गोपनीयता के आधार पर कोई उत्तर रोक न लिया जाए ।

श्री अध्यक्ष---

मैंने इस सम्बन्ध में सरकार से कहा कि वह भी अपने लिये एक मार्ग-दर्शक सिद्धान्त (गाइडलाइन) तैयार करे । इस सम्बन्ध में जो पहली व्यवस्था है । मैंने कहा कि आवश्यकता हुई तो मैं पुनः विचार करूंगा लेकिन इस वक्त मैं उस निर्णय को बदल नहीं रहा हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मैं आपकी व्यवस्था के सम्बन्ध में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री पुरुषोत्तक कौशिक---

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न यह है कि श्रीमन् प्रश्नों के माध्यम से ही विधायक अपनी लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति यहां करते हैं । मामला आज यह हो गया है कि ७० प्रतिशत प्रश्नों के उत्तर असंगत आ रहे हैं, झूठे आ रहे हैं और बहुत से उत्तर ऐसे आ रहे हैं जिनमें गोपनीयता की आड़ म उत्तर नहीं दिया जाता । बहुत ऐसे हैं जिसमें कहा जाता है कि सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष---

कौशिक जी आप पुनरावृत्ति कर रहे हैं ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

मान्यवर, इस सदन की जो मूलभूत परम्परा और मर्यादा है, अध्यक्ष की मर्यादा है, नौकरशाहों की दृष्टि से यह सदन अस्तित्वहीन होता जा रहा है और सदन की मान मर्यादा नष्ट होती जा रही है । हम उपहास के पात्र हो रहे हैं और हमारे अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है तथा लोकतन्त्र की हत्या हो रही है । इसलिए आप कोई निश्चित समाधान करें ।

*श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)---

आप उन लोगों को तो अनुमति दे देते हैं जो व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था पैदा करते हैं । अगर कोई सदस्य व्यवस्था के नाम पर उचित सवाल उठाकर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता है तो आप मौका नहीं देते हैं और डण्डा लेकर खड़े हो जाते हैं । अभी श्री दीप नारायण पान्डेय ने कितनी महत्वपूर्ण बात उठाई थी कि माननीय प्रधान मन्त्री जी का पुतला....।

(व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं। मैं श्री वर्मा से कहना चाहता हूं कि आप निर्दलीय दल के नेता हो कर गैर जिम्मेदाराना बात करते हैं। वैसे मैं व्यवस्था के प्रश्न पर किसी को नहीं रोकता लेकिन आप बैठे-बैठे टिप्पणी करते हैं और अनावश्यक रूप से खड़े हो जाते हैं और जिस विषय का आप से सम्बन्ध नहीं है उस पर बोलने लगते हैं। आप शिक्षित व्यक्ति हैं। कम से कम नियमों को पढ़कर कोई बात उठायें तो अवश्य अवसर दूंगा। (श्री वर्मा के पुनः खड़े होने पर) अब आप बैठ जायं मैं अपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप बैठें। (श्री राम आसरे वर्मा द्वारा पुनः बोलने का प्रयत्न करने पर) श्री वर्मा जो कुछ बोलेंगे वह कार्यवाही का भाग नहीं होगा।

हैदरगढ़ तहसील जनपद बाराबंकी में किसानों को बिजली न मिलने से फसलों की क्षति के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, हैदरगढ़ तहसील जनपद बाराबंकी में किसानों को बिजली न मिलने के कारण किसानों की बोई हुई गेहूं, मटर, सरसों तथा पोस्ता की फसल नष्ट हो रही है। इस सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता' उपखंड, हैदरगढ़ ने विद्युत् कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो जाने के बाद भी कर्मचारियों को काम पर लेने से इन्कार करने के कारण उक्त क्षेत्र में किसानों की खेती का सारा काम काज ठप सा हो गया है। बिजली न मिलने के कारण किसानों में घोर असन्तोष पैदा हो गया है और किसानों की हजारों एकड़ बोई हुई फसल सूख रही है, जिससे लाखों रूपये की क्षति उठानी पड़ रही है।

बांदा से कानपुर आती हुई बस में भीषण डकैती के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, २६ दिसम्बर को प्रातः काल बांदा से कानपुर आती हुई बस को बांदा से ८ किलोमीटर दूर खरड़ा रेलवे क्रासिंग के निकट सशस्त्र लुटेरों ने जो एम्बेसडर कार पर सवार थे लूट लिया। बस में यात्रा कर रहे बांदा के वस्त्र व्यवसायी हरजसमल को गोली मारकर हत्या कर दी। लुटेरे लाखों की सम्पत्ति लूट ले गये। इधर बसों में तथा ट्रेनों में डकैती, हत्या व लूट की बाढ़ आ गयी है। यह सबसे भयावह सनसनी खेज घटना घटित हुई है। बस में लूटे गये लोग अधिकांश व्यवसायी थे। घटना से आसपास के क्षेत्र में असुरक्षा, अराजकता, भय, विक्षोप तथा आतंक का वातावरण व्याप्त हो गया है। अतः तत्काल प्रभावी कार्यवाही हेतु इस अविलम्बनीय लोक महत्व के सुनिश्चित विषय को शासन व सदन के संज्ञान में ला रहा हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विद्युत् परिषद् में सामान की कमी के कारण प्रदेश में नलकूपों को बिजली के कनेक्शन न मिलने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

मैं आपकी आज्ञा से अतिअवश्यक प्रश्न पर माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस वक्त विद्युत् परिषद् उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में अल्मोनियम, स्टे वायर, नट वोल्ट, खम्भे, मीटर वोल्ट, कट आउट की कमी पिछले एक वर्ष से लगातार है। इस कमी की वजह से प्रदेश के सभी जिलों के करीब १० हजार प्राइवेट ट्यूबवेल वालों को विद्युत् मंजूर होने के बावजूद भी कनेक्शन (विद्युत्) नहीं दिया जा रहा है। किसानों का एग्रिमेंट विद्युत् विभाग से हो चुका है और बी० एल० फार्म भी जमा कर दिये हैं। दसियों हजार रुपया लगा कर कुयें की बोरिंग एवं पंपिंग सेट आदि बैठा दिये हैं। इसी तरह से कम से कम प्रदेश भर में सैकड़ों राजकीय नलकूपों को भी अब तक कनेक्शन नहीं दिये जा सके हैं।

अकेले वाराणसी जिले में १०० निजी नलकूपों तथा ६ सरकारी नलकूपों को उपरोक्त सामानों की कमी की वजह से कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। इसके अलावा ८० निजी नलकूपों एवं २ सरकारी नलकूपों का कार्य भी सामान की कमी से अधूरा है और सिंचाई नहीं हो पा रही है।

विद्युत् सब स्टेशन पिंडरा, चोलापुर, राजा तालाब अनेही, जिला वाराणसी आदि स्थानों में तो बिलकुल ही सामान नहीं है। सरकारी अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। परिषद् तथा सरकार ध्यान नहीं दे रही है। किसानों के अन्दर घोर असन्तोष व्याप्त है। इसलिए आप की आज्ञा से माननीय सदन का ध्यान तथा सरकार का ध्यान इस जटिल समस्या की ओर आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि उपरोक्त सामानों की व्यवस्था जल्द से जल्द विद्युत् परिषद् एवं सरकार करे और वाराणसी जिले में तुरन्त सामान भेजा जाय।

प्रदेश में कोयले की कमी के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री देव बहादुर सिंह (नैनीताल)--

महोदय, प्रदेश में कोयले का गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है। और यदि आपूर्ति की तुरन्त व्यवस्था न की गई तो काफी हद तक ईंट, भट्ठे तथा घरेलू उपयोग के काम काज ठप्प हो जायेंगे।

प्रदेश के पर्वतीय अंचल में जाड़े के दिनों में कोयला जाड़े से सुरक्षा प्रदान करने में एक मात्र सहारा है। कोयले के अभाव में वह सहारा भी जाता रहा।

प्रदेश के लगभग ५००० ईंटे भट्ठे के लिए प्रति माह १५० रेक कोयले तथा घरेलू उपयोग के लिए १६०० वैगन साफ्ट कोक की आवश्यकता है। जब कि आपूर्ति केवल २५ प्रतिशत की जा रही है। इस कमी के कारण तमाम ईंट भट्ठे बन्द हैं, जिससे प्रदेश में विकास सम्बन्धी निर्माण कार्य ठप्प है तथा गत भयंकर बाढ़ के कारण प्रदेश में क्षतिग्रस्त ८ लाख पक्के मकानों का पुनर्निर्माण का काम असम्भव हो गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस अति महत्वपूर्ण विषय पर आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि कोयले की आपूर्ति अविलम्ब कराई जाय ।

इटावा जनपद में नहरों की सफाई न होने से किसानों में असन्तोष के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री औसान सिंह (जिला इटावा)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपने जनपद की इटावा डिवीजन की नहरों की ओर माननीय सिंचाई मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जिनकी सफाई विगत कई वर्षों से नहीं की गयी है और इस वर्ष भी कागज पर संभवतः फर्जी सफाई के नाम पर लाखों के घोटाले का मामला चल रहा है । आज क्षेत्र में सूखा व अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है । रबी की फसल पानी के अभाव में बोई नहीं जा सकी । जहां थोड़ी बहुत बुवाई हो भी गई है वह भी सुख रही है । समूचा क्षेत्र भुखमरी व तबाही का शिकार है ।

मान्यवर, हरचन्द्रपुर, मुहम्मदाबाद, फफूंद, कोठीपुर, बढ़ादान, मंगलपुर, राइट दिबियापुर, लेफ्ट दिबियापुर, कुरसेन्डा, गांगली, बांसक आदि राजबहा व इनसे सम्बन्धित समस्त माइनरों की दशा नालों जैसी हो रही है । सैकड़ों खादी चल रही हैं और सर्विस मार्गों की हालत जीर्णशीर्ण हो रही है । पानी शायद ही किसी नहर में एक या आधा किलोमीटर तक पहुंचता है । अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं ।

मान्यवर, आप स्वयं विचार करें जहां खरीफ की फसल नष्ट हो गई हो और अब रबी की फसल भी होने की सम्भावना न हो उस क्षेत्र की क्या दशा होगी ? मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि वे अविलम्ब इस सम्बन्ध में उचित व्यवस्था करें और आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करें ।

बभनान चीनी मिल चालू न होने से गन्ना किसानों के समक्ष संकट के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चीनी मिल बभनान जिला बस्ती की तरफ माननीय मुख्य मन्त्री तथा माननीय गन्ना विकास मन्त्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं । केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के आदेशों के बावजूद भी चीनी मिल बभनान आजतक चालू नहीं की गई । सेकसरिया चीनी मिल बभनान जिला गोंडा में ४२ हजार किसानों की दुर्दशा हो रही है । केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के आदेश से बचने के लिए मिल वाले बस्ती तथा गोंडा के अधिकारियों से सांठगांठ करके कागजों में फर्जी ढंग से मिल को चालू दिखा कर केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के आदेशों को विफल करने का षड़यन्त्र चल रहा है । मिल गेट पर बभनान चीनी मिल गन्ने का दाम किसानों के पर्चियों पर केवल १० रु० अंकित करके किसानों में भ्रम फैला कर जनता सरकार के प्रति घोर असन्तोष फैला रही है । उपरोक्त दोनों चीनी मिलों में लाखों गन्ना किसानों के परिवार की दुर्दशा हो रही है ।

[श्री सुखपाल पाण्डेय]

अतः आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री तथा गन्ना मन्त्री दोनों से अनुरोध है कि उक्त चीनी मिलें लाखों किसान परिवारों के हित के साथ खिलवाड़ कर के किसानों के हित से विरुद्ध कार्य कर रही है । मिल मालिकों तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही का जाय तथा तत्काल गन्ना किसानों के गन्ने का अन्य चीनी मिलों में बेचने की व्यवस्था करें जिससे जनता सरकार के प्रति बढ़ता हुआ असन्तोष समाप्त हो ।

चमोली जिले के तिलवाड़ा नामक स्थान पर स्थित रोजिन फैक्ट्री को लीसा न दिये जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से शून्य प्रहर में लोक महत्व की सूचना सदन में देना चाहता हूं । उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले चमोली के तिलवाड़ा नामक स्थान पर गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा एक रोजिन फैक्ट्री चलायी जा रही है जिसमें उत्तर प्रदेश शासन की २० लाख की पूंजी लगी हुई है और सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला हुआ है । यह फैक्ट्री टरपैनटाईन का उत्पादन कर लाखों रुपया आर्जित करती है । अभी देहरादून में रोजिन का बटवारा करने के लिए शासन द्वारा नियुक्त एक समिति की बैठक हुई । और इस समिति ने इस फैक्ट्री को सुचारु रूप से चलाने के लिय लीसा का आबंटन किया । अफसोस की बात है कि समिति की इस संस्तुति को उत्तर प्रदेश शासन के वन सचिव ने अस्वीकार कर दिया जिससे फैक्ट्री के बन्द होने की आशंका पैदा हो गई है । यह फैक्ट्री लम्बे समय से उचित मात्रा में लीसा न मिलने की वजह से अपनी पूरी क्षमता भर काम नहीं कर पा रही है । गढ़वाल मंडल के मंडलायुक्त ने शासन से आग्रह किया है कि वे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें । ऐसा होने से पहाड़ी जनता में घोर असन्तोष व क्षोभ व्याप्त है । वरिष्ठ अधिकारी निजी कम्पनियों की सांठ-गांठ से इस सरकारी फैक्ट्री को वांछित लीसा नहीं दे रहे हैं ।

मेरा शासन से आग्रह है कि इस फैक्ट्री को तत्काल अपनी पूरी क्षमता पर काम करने लायक लीसा आबंटित किया जाय ।

सीतापुर में जिला जजी की नई इमारत बनने से जैन मन्दिर का रास्ता अवरुद्ध हो जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान मे लाना

*श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निम्नलिखित लोक महत्व के प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं--

यह कि सीतापुर नगर जनपद सीतापुर में जिला जजी में नई इमारत बनने से जनपद के एक मात्र जैन मन्दिर का मार्ग अवरुद्ध होने से जनपद के लोगों में विशेषकर जैन धर्मावलम्बियों के हितों में क्षोभ एवं असन्तोष का वातावरण पैदा हो गया है और धार्मिक झगड़ा पैदा होने का खतरा पैदा हो गया है ।

अतः आपके द्वारा सरकार से मांग है कि शीघ्र एक मात्र जैन मन्दिर का रास्ता खुलवाया जाय जिससे जैन भाई अपने इष्ट देव की आराधना कर सकें ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

देवरिया जिले के थाना रामकोला व नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र में हत्या तथा डकैती की घटनायें तथा पुलिस की निष्क्रियता के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से देवरिया जिले के थाना रामकोला तथा नेबुआ नौरंगिया के पश्चिमी सीमा पर छोटी गंडक नदी के किनारे का सारा क्षेत्र असुरक्षित हो गया है। यह क्षेत्र उक्त थानों से दूर पड़ता है। तथा इसके पश्चिमी जिला गोरखपुर पड़ता है। थाना नेबुआ के ग्राम मड़ारविन्द नाले में एक ही दिन दो हत्यायें ग्राम देवतहा में १३ हत्यायें, ग्राम सिरिमया कल में एक ही रात में दो हत्यायें तथा उसी रात के मठियाखुर्द में एक हत्या कुर्सी वही में एक हत्या व डकैती तथा थाना रामकोला के अन्तर्गत ग्राम रामपुर बगहा में एक हत्या, चन्दुपुर में एक हत्या, देवरिया बाबू में एक हत्या व डकैती ग्राम कुसम्हा में एक हत्या तथा चन्दपुर के बरवा टोला के एक कुशवाहा, सभी व्यस्क लोगों की हत्या कर दी गई।

इस प्रकार से उस क्षेत्र में डकैती, हत्या, राहजनी आम बात हो गई है दिनांक ६/७ दिसम्बर की रात में ग्राम प्रधान लाला छपरा की निर्मम हत्या रेलवे स्टेशन के हाते में कर दी गई। इससे सारे क्षेत्र में जन जीवन असुरक्षित हो गया है। लोगों का घर से बाहर निकलना असम्भव हो गया है। बदमाश दिन दहाड़े घूम रहें हैं। पुलिस अक्षम हो गयी है। छोटी गण्डक नदी का किनारा चम्बल की घाटी हो गयी है। लोगों में भय और आतंक व्याप्त है।

अस्तु लोग महत्व के इस प्रश्न का माननीय मन्त्री व सदन के संज्ञान में लाकर उम्मीद करता हूं कि इस क्षेत्र को अशान्त क्षेत्र घोषित करके कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाय तथा सी० बी० आई० से जांच करा दिया जाय। ताकि शान्ति व्यवस्था कायम रह सके।

गोरखपुर में नहरों में पानी की व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में श्री शारदा प्रसाद जयसवाल की नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना स्वीकार न किये जाने पर आपत्ति

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)--

मैं आपकी आज्ञा से सदन के संज्ञान में यह लाना चाहता हूं। मेरे देवरिया व गोरखपुर जनपद में पिछले एक माह से नहरों द्वारा पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वह शून्य-प्रहर के अन्तर्गत मैंने आपको सूचना दी थी, किन्तु उसे रद्द कर दिया गया है। जहां ढाई सौ क्विंटल तक गन्ना प्रति एकड़ पैदा होता है, वहां पर बड़ा ही नुकसान हो रहा है, किसानों का जीवन तबाह हो रहा है। मुझे भी सदन का सदस्य मानकर शून्य प्रहर के अन्तर्गत अपनी सूचनायें देने का हमें मौका दें। आप मेरी बातों पर विचार करें। मैं यहां निहित स्वार्थों की बात नहीं करता हूं। मैं क्षेत्र की बातें आपके सामने लाता हूं। जो सदन की प्रक्रिया है किसी विधेयक के गुण-दोष पर यहां विचार होता है, उस पर हम विचार करते हैं। उसमें क्या ठीक है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--]

और क्या नहीं ठीक है उस पर विचार नहीं होता है। मंत्रिमंडल में बैठकर १६ कैबिनेट सदस्य जो निर्णय कर लेते हैं--हां या न कह कर हम उसे पास कर देते हैं। हमें अपनी बात यहां निष्पक्ष रूप से कहने का अवसर नहीं मिल पाता है। मंत्रिमंडल जनहित की बातों की उपेक्षा कर देता है और यही कारण है कि प्रदेश में आम तौर पर जनता त्रस्त हो रही है।

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठिए, आप अपनी बात बहुत कह चुके।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

आप गन्ने वाली बात को देख लें।

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठिए, आपने कह तो दिया। (श्री रवीन्द्र सिंह के खड़े होने पर) यहां ४२५ सदस्य हैं, सब का तो हम नहीं स्वीकार कर सकते हैं। आप बैठ जायें।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

श्रीमन्, मुझे...

श्री अध्यक्ष--

अब इजाजत नहीं है, आप अपनी बात कह चुके, आप बैठ जाइये।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, मेरा बड़ा आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष--

अब बहुत हो गया है।

कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई के सम्बन्ध में सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

विधान सभा के निम्न माननीय सदस्यों के बन्दीकरण, जेल भेजे जाने तथा रिहाई आदि की सूचनाएं सम्बन्धित अधिकारियों से प्राप्त हुई हैं, जिन्हें बुलेटिन संख्या ३१ द्वारा माननीय सदस्यों में वितरित किया जा रहा है, उसके अनुसार श्री मकबूल अहमद (रामपुर) तथा श्री बिहारी लाल हंस (हरदोई) को गिरफ्तार किया गया है और श्री धर्मराज सिंह (हरदोई) को रिहा कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश नर्सेज एन्ड मिडवाइव्ज काउन्सिल में कार्य करने के लिए सदस्यों के निर्वाचन का कार्य-क्रम

श्री अध्यक्ष--

उत्तर प्रदेश नर्सेज एन्ड मिडवाइव्ज कौन्सिल में कार्य करने के लिए विधान सभा के दो सदस्यों, जिनमें कम से कम एक महिला हो, के निर्वाचन के संबंध में नाम-निर्देशन पत्रों की प्राप्ति के लिये नियत समय के अन्दर निम्न माननीय सदस्यों के नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं, जो बैठ जाये गये हैं:

१—श्री मौजी लाल कुरील (कानपुर)।

२—श्री सोहनवीर सिंह तोमर (गाजियाबाद)।

३—श्रीमती पुष्पा तलवार (कानपुर)।

२—नामों की वापसी के लिए अन्तिम तिथि तथा समय दिनांक २८ दिसम्बर, १९७८ को ४ बजे अपराह्न तक नियत है। अतः यदि उक्त समय तक उक्त नामों में से एक नाम वापस न लिया गया, तो मतदान पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक ३० दिसम्बर, १९७८ को पूर्वाह्न साढ़े दस बजे से ५ बजे अपराह्न तक विधान मंडल पुस्तकालय, विधान भवन लखनऊ में होगा।

उपर्युक्त निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धांतानुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा लिया जायगा।

उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा का प्रतिनिहित विधायन समिति का प्रथम प्रतिवेदन

श्री उदित नरायन (जिला हमीरपुर)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा का प्रतिनिहित विधायन समिति का द्वितीय प्रतिवेदन

श्री उदित नरायन (जिला हमीरपुर)—

मान्यवर, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समित का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार के प्रश्नों की दो सूचनाएं आज प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री राम आसरे वर्मा द्वारा माननीय माननीय सिंचाई मंत्री के विरुद्ध है। मैंने इसे माननीय सिंचाई मंत्री को स्थिति बताने हेतु भेज दिया है। उनका उत्तर आने के बाद मैं इसपर अपना निर्णय दूंगा।

दूसरी सूचना माननीय श्री सुख पाल पान्डेय से प्राप्त हुई है जो श्री गोकरन सिंह, अधिशासी अभियन्ता, डी० सी० यू० (सार्वजनिक निर्माण विभाग) बस्ती के के विरुद्ध है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियमावली के नियम ६५ (२) के अनुसार एक उपवेशन में एक से अधिक प्रश्न नहीं उठाये जा सकते। अतः श्री सुखपाल पान्डेय से पूर्व श्री राम आसरे वर्मा की जो सूचना प्राप्त हुई है उसको मैं न विचार के लिए रखा है।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की एक सूचना श्री पुरुषोत्तम कौशिक ने गन्ना पेराई के सम्बन्ध में दी है। ८-१२-७८ को इस पर विचार हो चुका है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)

ग्राह्यता के बारे में।

श्री अध्यक्ष—

मैंने विनिश्चय किया है कि यह ग्राह्य नहीं है। इस पर मैं अवसर नहीं दूंगा। आप बैठ जाइये। इसको मैंने अस्वीकार किया है। मैं इस पर अनुमति नहीं दे रहा है। आप बैठ जाइये। इस तरह से नियम ५६ में देकर, प्रत्येक पर विवाद की इजाजत नहीं दे सकता हूं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

केवल एक मिनट।

श्री अध्यक्ष—

इस पर अवसर नहीं दूंगा। पहले इस पर विवाद हो चुका है। आप कृपा करके बैठिए। मैं अनुमति नहीं दूंगा।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है।

श्री अध्यक्ष—

मैं अनुमति नहीं दूंगा आप बैठ जाइये।

श्री देव बहादुर सिंह तथा श्री श्याम धर मिश्र ने भूतपूर्व गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह द्वारा जनता पार्टी को संघीय संगठन का सुझाव दिये जाने से उत्पन्न परिस्थिति पर दिया है। यह दलीय विषय है इसलिए अस्वीकृत किया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

आप इस पर वक्तव्य दिला दें।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए। इसमें जिला टेहरी गढ़वाल के जाखड़ीधार विकास खंड के अन्तर्गत ग्राम कम लोग व नेल्डा में जंगली सुअर का मांस खाने से ११ व्यक्ति की मृत्यु। माननीय नेगी ने इसमें कोई तारीख नहीं लिखी है। अनिश्चित है। अगर आप तारीख लिख कर दे देंगे, मेरा ध्यान उधर गया, मैं जानता हूं कि सुअर का मांस खाने से काफी व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं अवश्य इस पर वक्तव्य दिलाता लेकिन पहले आप बतलायें यह घटना कब की है। लिखकर दे दें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, आज भी टिहरी अस्पताल में २१० व्यक्ति [illegible]

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी एक वक्तव्य दे दें। आज भी २७ व्यक्ति मरणासन्न हैं।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी--

१३ व्यक्ति मर गये, २७ मरणासन्न हैं।

श्री अध्यक्ष--

अब नहीं, मैंने कह तो दिया।

श्री श्यामधर मिश्र, श्री देव बहादुर सिंह और श्री हामिद रजा खां की सूचनाएं असहाय तथा अपंग व्यक्तियों द्वारा आन्दोलन के सम्बन्ध में हैं तो वह नियम विरुद्ध हैं आपने पहले दिया, फिर दिया।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

आप जो चाहें तो सो ले लें। आपने पहले भी ऐसा किया है। दोनों में एक चुन लें।

श्री अध्यक्ष--

पहले को तो अस्वीकृत कर दिया। दूसरा नहीं लिया जा सकता।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

पहला जो हमने दिया है वह बड़ा महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष--

अब नहीं। मैं बिल ले रहा हूं।

श्री देव बहादुर सिंह--

प्राह्यता पर तो सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

जिसको मैं महत्वपूर्ण समझता हूं उस पर आपको कष्ट देता हूं। अब दूसरा आइटम ले लिये हैं।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, १९७८ के अनुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण विधेयक, १९७८।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, १९७८ का अनुमोदन करता है।

श्रीमन्, मैंने जब यह प्रस्ताव किया तो इस विधेयक के गुण दोष के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना। जब बिक्री-कर के सम्बन्ध में बात आयेगी उसपर तब कहूंगा। इस वक्त तो मैं इसलिये खड़ा हुआ हूं कि क्या कारण था कि यह विधेयक अध्यादेश के जरिये माननीय मंत्री जी ले आये। माननीय मंत्री जी ने जो उद्देश्य लिखित दिये हैं उनमें भी तात्कालिकता के बारे में कुछ नहीं लिखा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्यामधर मिश्र--]

इन्होंने जो दिया है वह यह कि २३ नवम्बर को अध्यादेश जारी हुआ और कहा है कि १३ नवम्बर को जो अध्यादेश जारी किया गया उस समय सत्रावसान हुआ था। लेकिन जब १३ नवम्बर को सदन नहीं चल रहा था तब उन्होंने कहा कि पहली नवम्बर से यह अध्यादेश लागू करेंगे इसके अलावा इसमें कराधान भी है, कर भी है। फीस भी है। इसमें नियम और उपनियमों का भी परिवर्तन है। मैंने इसको पढ़ने की कोशिश की। इसमें ८०/९० धाराएं हैं। अध्यादेश ४०/४२ धाराओं का है। मुझे इसमें कोई तात्कालिकता नहीं दिखाई दी कि यह १५ दिन प्रतीक्षा नहीं कर सकते हों। सदन होने वाला था। २० तारीख को मंत्रि-मंडल ने तय किया कि यह सदन तारीख ८ या ९ से चलने वाला है। ऐसी सूरत में मैं जानना चाहता हूं कि तात्कालिकता क्या थी ?

(इस समय १ बज कर ६ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद पीठासीन हुए।)

इस सम्बन्ध में मैंने पिछली बार संसदीय अध्ययन समिति के सम्बन्ध में चर्चा की थी, मैं उन बातों को नहीं दुहराना चाहता हूं मैं पूरी बात उस समय नहीं कह सकता था। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में अध्यादेशों के सम्बन्ध में कुछ नियम हैं, कुछ परिपाटी है और मेरा निवेदन यह है कि कम से कम इस विधान सभा में और आपकी अध्यक्षता में अध्यादेशों के सम्बन्ध में सत्रावसान के सम्बन्ध में नियमों का पालन हो। अगर तात्कालिकता हो तो मैं पहला व्यक्ति हूं। जो यह कहेदूंगा कि अध्यादेश के जरिये बिक्री कर जरूर लगाया जाय और उसमें संशोधन किया जाये, लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो उद्देश्य और कारण बताये, शुरू किया कि रिपोर्ट आयी। रिपोर्ट आयी है कई माह पहले। आप १३ नवम्बर को लाये और पहली नवम्बर से लागू होने के लिए और १० दिन २० दिन बाद सदन हो रहा है। तो ऐसी सूरत में यह अधिकार हमारे लेजिस्लेचर को प्राप्त है और वह अधिकार हम कदापि नहीं दे सकते हैं, कार्यपालिका को। यह अधिकार विधायनी का है। ऐसी सूरत में उपाध्यक्ष और अध्यक्ष इस बात की चिन्ता करें और मंत्रीगण इस बात की चिन्ता करें कि कांग्रेस के जमाने में गलती हुई है इसी लिए यह गलती करते चले जा रहे हैं। कांग्रेस के जमाने में ८५ विधेयक सन् ७० में आये। मैं यह एक साल का बता रहा हूं। केवल १०-१२ और १५ अध्यादेश के जरिए और ७० और ६५ मूल विधेयक के जरिए आते हैं। यहां पर क्या हालत है। चूंकि कांग्रेस ने ३० के ३० और २५ के २५ किए हैं इसलिए कांग्रेस की गलती की नकल करने के लिए ९ अध्यादेश जारी किए हैं। मैं संस्थागत वित्त मंत्री जी को मैं बड़ा योग्य मंत्री समझता हूं। इसमें उन्होंने योग्यता नहीं दिखायी कि अधिनियम में लाते और प्रवर समिति के सामने ले आते और १० दिन में छानबीन करके इसकी कमियों को बताकर उनको बताते कि क्या कमी है और क्या नहीं है। मुझे इसके गुण दोष की बात कहनी है। बहुत सी चीजों से मैं सहमत हूं और बहुत सी चीजों से असहमत हूं। उसका अवसर नहीं है। अनुमोदन इसलिए कर रहा हूं कि अध्यादेश जो लाये हैं उसमें तात्कालिकता क्या है। विधान सभा के १५ दिन पूर्व ले आये तो इसमें कौन सी तत्कालिकता है। मुझे कोई चीज नहीं दिखायी पड़ी है। खासतौर से मैं वित्त मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि संसदीय अध्ययन समिति ने जो ७२ में रिपोर्ट दिया था अध्यादेशों के बारे में, माननीय खेर जी उस समय अध्यक्ष थे और शारदा भक्त जी उस समय मंत्री तो थे नहीं लेकिन सदस्य थे। यह रिपोर्ट है वह पढ़ लें। पूरे देश भर की बातें छान कर लिखी गयी हैं कि अध्यादेश से सरकार को नहीं चलाया जाना चाहिए। अध्यादेश से सरकार को तब चलाया जाये जब सचमुच

में आप न चल सकें। आपने तात्कालिकता को नहीं सिद्ध किया और घिसी पिटी भाषा में रख दिया है। इसलिए मैंने प्रस्ताव किया है कि इसका अनुमोदन हो और उसकी गम्भीरता को आप लोग समझें सत्रावसान का मौका न खोजिए। आप सभी लोग मौका खोजते रहते हैं कि सत्रावसान हो और १५-१५ अध्यादेश कर दिए जायं और सरकारी अधिकारी ढूंढते रहते हैं क्योंकि उनको लेजिस्लेशन बनाने का मौका नहीं मिलता है। उनको लेजिस्लेचर का अधिकार नहीं है। यह अधिकार तो इस सभा को ही है। इसका अधिकार कार्यपालिका को नहीं है। यह बात भी सही है कि आप २ घंटे में ४२ धाराओं के बिल को पास कर देंगे क्योंकि आप का भारी बहुमत है। भारी बहुमत का दुरुपयोग हमेशा हुआ है और आज भी हो रहा है। आप इस भारी बहुमत का जनता के लिए सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग न कीजिए? आप इसे चाहे प्रवर समिति में भेजें या न भेजें यह पास हो ही जायगा। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि अंतिम दिन तक इस पर प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट दे देती और आप इसे इसी सत्र में पास कर देते कोई कारण नहीं है कि आप इसको मूल अधिनियम के रूप में न ले आये होते, क्यों इसे इध्यादेश के रूप में लाये। मेरा इसमें मौलिक विरोध तो यही है। इसलिए मेरा कहना है कि इस विधेयक का निर्अनुमोदन किया जाय।

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाय।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश के अपने अनुमोदन के संकल्प के सम्बन्ध में मुख्यतः यही कही बात थी कि अध्यादेश के रूप में कोई भी लेजिस्लेशन या कोई विधायी कारी नहीं होना चाहिये बल्कि पहले सदन को अवसर देना चाहिये था कि उस पर यहां विचार होता। सिद्धान्त रूप में इसमें कोई मतभेद नहीं है लेकिन जब तात्कालिकता का प्रश्न आता है या जब शासन के समक्ष प्रतिनिधि मंडल के रूप में या अन्य प्रकार से प्रत्यावेदन या आवेदन आते हैं और मांग की जाती है कि शासन ने बजट सत्र में जो आश्वासन दिए थे उनको सरकार लागू करे जिसमें निश्चित रूप से तात्कालिकता निहित रहती है जनता में विश्वास पैदा करने के लिए कि जो हमने वायदे किए हैं, उन पर दृढ़ता से शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करें। इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों को यदि आप देखें तो उसकी तत्कालिकता का बोध हो जाता है। माननीय मिश्र जी को और अन्य माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि इसमें वार्षिक रजिस्ट्रीकरण तथा नवीकरण की व्यवस्था थी। उस सम्बन्ध में समाचार पत्रों में बहुत से समाचार प्रकाशित हुए और अनेक माननीय सदस्यों ने भी मिल कर यह कहा कि यह ३ वर्ष का जो रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जा रहा है इसके कारण व्यापारियों में बहुत असंतोष है और वे आन्दोलन की सीमा तक बढ़ सकते हैं। तात्कालिकता इसी से सिद्ध होती है कि व्यापारी आन्दोलन करेंगे और बाजार बन्द करेंगे और शासन को हानि होगी। यही इसकी तात्कालिकता थी जिसके लिए इस अध्यादेश को लाने की व्यवस्था की गई थी। इसके बारे में व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडलों ने भी व्यक्तिगत रूप से आकर कहा था।

श्री श्याम धर मिश्र--

अगर १३ नवम्बर को अध्यादेश जारी किया गया और वह लागू होगा पहली नवम्बर से तो ठीक है. उनको अधिकार है लेकिन अगर मूल विधेयक के रूप में यह

[श्री श्यामधर मिश्र--]

कहते कि यह पहली नवम्बर से लागू होगा तो इससे क्या नुकसान होता, यह हमें और समझा दें ?

श्री केशरीनाथ त्रिपाठी--

मान्यवर, जैसा मैंने कहा, शासन अगर कोई आश्वासन देता है तो उसे उस आश्वासन को पूरा करना चाहिये । व्यापारी अगर आन्दोलन करते, बाजार बन्द कर देते, तो क्या उचित होता ? इसलिये सरकार ने समस्त परिस्थितियों पर विचार करके, उसकी तात्कालिकता को देखते हुये ही यह अध्यादेश निकाला और यह निर्णय लिया कि इसको पहली नवम्बर से लागू किया जाये । पचासों एप्ली-केशंस आयीं कि वसूली की सुविधायें प्राप्त हों । उसका भी निर्णय लिया । एक प्रमुख आश्वासन इस सरकार ने न्यायाधिकरण की स्थापना के बारे में भी दिया था, उसे भी पूरा करना था । अब इन सब बातों पर इस सदन को विचार करने का अवसर तो है ही, यह सदन इसमें संशोधन भी कर सकता है । माननीय मिश्रा जी को तो सरकार में रहने का भी अनुभव है, वे संशोधन ला सकते हैं ।

जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है, मैंने अपने बजट भाषण में जब उसे प्रस्तुत किया था, इस बात का उल्लेख किया था कि सरकार ने एक सरलीकरण समिति की स्थापना की है । उसके बाद उस सरलीकरण समिति की रिपोर्ट आयी जिसमें अनेकों सिफारिशें थीं । उस रिपोर्ट की ८७ सिफारिशों में से ६० सिफारिशों को शासन ने स्वीकार किया था । ३४ उनमें ऐसी थीं जो प्रशासनिक आदेशों द्वारा ही लागू कर दी गयीं, अन्य के संबंध में अध्यादेश लाना पड़ा । जो विधेयक यहां प्रस्तुत किया गया है, मैं समझता हूं इसको सभी ने पढ़ा होगा, मैं संक्षेप में कुछ मुख्य-मुख्य बातों को सदन के सामने रखना चाहता हूं ।

यह सरकार किसानों को उन्नति के मार्ग पर बढ़ाना चाहती है और उनके लिये इस सरकार ने पहला कदम यह उठाया कि किसानों को व्यापारी की परिभाषा से अलग कर दिया । वे व्यापारी की परिधि से अब बाहर कर दिये गये । बहुत से किसान ऐसे हैं जो छोटे उत्पादक हैं । धनिया या मेथी आदि का उत्पादन करके अपना सामान बाजार में लाते हैं, अब तक वे भी व्यापारी की परिभाषा में आ जाते थे और वे निर्माता (मैनुफैक्चरर) माने जाते थे, अब उनको व्यापारी की परिभाषा से बाहर कर दिया । हार्टीकल्चर आदि अब उस परिधि में नहीं रखे गये हैं । इससे किसानों को राहत मिलेगी । इसमें एक धारा जोड़ी गयी है जिसके द्वारा पुरानी धारा-१० को सब्स्टीट्यूट करने का प्रयास किया है । उसमें हमने बिक्रीकर न्यायाधिकरण की स्थापना के बारे में बात की है । यह प्राविधान किया गया है कि इस न्यायाधिकरण के सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे, जो या तो हाई कोर्ट के जज रहे हों या हाई कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने की पात्रता रखते हों । दूसरा नियुक्ति का स्रोत होगा विभागीय नियुक्ति का जिसमें उपायुक्त के नीचे के स्तर के लोग नहीं रहेंगे । उसी में गुण के आधार पर नियुक्तियां होंगी । इसमें तीसरी व्यवस्था की गयी है । कभी-कभी यह देखा जाता था कि व्यापारी मिथ्या (गलत) घोषणापत्र देकर कुछ सुविधाओं का लाभ उठा लेते थे । सुविधायें या तो कर-मुक्ति के रूप में दी जाती थी या कम कर के रूप में दी जाती थीं । अब ऐसा प्राविधान किया गया है कि यदि कोई मिथ्या या गलत प्रमाणपत्र देगा, वह दण्ड के अतिरिक्त सौ कर की अदायगी का भी जिम्मेदार होगा ।

चौथी बात पंजीकरण और नवीकरण के शुल्क के बारे में है । पहले व्यवस्था कर दी गयी थी कि तीन वर्ष का एक साथ शुल्क लिया जायेगा । इस संबंध में व्यापारियों ने विरोध किया । अनेक व्यापारी ऐसे होते हैं कि जो कि एक–दो वर्ष में अपना व्यापार समाप्त कर देते हैं । अब व्यवस्था कर दी गयी है कि यदि कोई व्यापारी अपना व्यापार समाप्त कर दिए है और व्यापार बन्द करने के ३० दिन के अन्दर यह सूचना दे देता है तो शासन अगले वर्ष से उससे संबंधित शुल्क वापस कर देगा । एक अन्य व्यवस्था की गयी है कि जो व्यापार में प्रचलित पद्धतियां हैं उनको कुछ मान्यता देने का प्रयास किया गया है । यदि कोई निर्माता व्यापारी स्वयं कच्चा माल अपने उद्योग के लिए सीधे खरीदता है, तो उसे छूट देने का प्राविधान है, होता क्या है कि व्यावहारिक कठिनाई होती है जिससे आढ़ती लोगों को भी कठिनाई होती है, अब उसमें सुविधा दे दी गयी है । यदि वही व्यापारी स्वयं चाहे कि अन्य किसी माध्यम से कच्चे माल की खरीद करेगा तो उसे उस सुविधा को उस माध्यम को भी देने का प्राविधान किया गया है । मान्यवर, एक दूसरा प्राविधान है और वह यह है कि यदि किसी व्यक्ति के ऊपर बिक्रीकर निर्धारित नहीं हुआ या कम हुआ, उसके संबंध में हमने समय की सीमा घटाने का प्रयास किया है ताकि अधिकारी लोग इस कार्य को जल्दी से जल्दी सम्पन्न कर लें । सीमा ४ वर्ष की है । लेकिन नियम ऐसा था कि एक वर्ष की और छूट मिल जाती थी । हमने उसे घटा कर ६ माह कर दिया है, जिसमें कर निर्धारण की कार्यवाही जो है, वह ४ वर्ष और ६ माह के अन्दर समाप्त हो जाय । अनेक पुनरीक्षित वाद वापस कर दिये जाते थे । उत्तर प्रदेश में इसकी संख्या काफी थी, वापस हो जाने के बाद ऐसे वादों के निस्तारण की कोई समय की सीमा अधिनियम के अन्दर निर्धारित नहीं थी, जिससे इन वादों का निस्तारण होता था । जो १९७५–७६ में रिमांड किये हुए वाद हैं वे अभी अनिस्तारित पड़े हुए हैं । अब इसमें सीमा बांधने का प्रयास किया गया है ।

अब प्रतिप्रेषण के आदेश के एक वर्ष के अन्दर अनिवार्य रूप से यह सभी प्रकार के वाद निस्तारित कर दिये जायेंगे । मान्यवर, एक और प्राविधान इस संबंध में किया गया है । यदि कोई भी कर निस्तारण आदेश धारा ३० के अंदर रद्द हो जाता था और एक पक्षीय कर निर्धारित हो जाता था तो उसमें अवधि सीमा नहीं थी । हमने सीमा बांधने का प्रयास किया है । इस विधेयक के द्वारा निश्चित किया गया है कि ६ मास के अन्दर इस प्रकार के सभी मामले का जहां एक पक्षीय कर निर्धारण हुआ हों और आदेश निरस्त हुआ हो, निर्धारण हो जाना चाहिये । एक नयी चीज और की गयी है । अक्सर यह होता था कि अस्थायी कर निर्धारित हो जाता था । समय के अन्दर नक्शा न प्रस्तुत कर सकने के कारण एक पक्षीय कर निर्धारित हो जाता था और वसूली की प्रक्रिया चालू हो जाती थी । यह इंतजार करना पड़ता था कि अंतिम कर निर्धारण हो और इस कारण अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती थी । अब इस विधेयक में नया प्राविधान किया गया है । अस्थायी कर निर्धारण (प्रोविजनल एसेसमेंट) को भी खोलने का अधिकार इस शर्त पर दे दिया गया है कि १५ दिन के भीतर यदि व्यापारी प्रार्थनापत्र देता है और उसने जो समय नक्शा देने का निर्धारित था, उसके १५ दिन के अन्दर उसने अपने नक्शे को दाखिल कर दिया है और जो स्वीकृत बिक्रीकर है वह भी जमा कर दिया है । इसके अतिरिक्त धारा २२ में भी संशोधन किया गया है । अभी तक अगर किसी भी कर निर्धारण में कोई त्रुटि हो जाती थी तो उसको ठीक करने का ३ वर्ष का समय था । अनेक प्रार्थना–पत्र इस कारण काल

[श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--]

जब प्रस्तुत किये गये तो ३ वर्ष हो गये थे । अब ऐसी व्यवस्था की गयी है कि यदि कोई प्रार्थना-पत्र त्रुटि सुधार के लिये ३ वर्ष के अन्दर दे दिया गया हो तो वह कभी भी निस्तारित हो सकता है । एक नयी धारा, धारा १०-ख जोड़ी गयी है जिसमें बिक्रीकर आयुक्त को और ऐसे अधिकारी को जो उपायुक्त के स्तर का अधिकारी हो कुछ विशेष शर्तों के साथ कुछ विशेष प्रकार के मामलों में पुनरीक्षण करने का अधिकार दे दिया है । यह नया प्राविधान किया गया है । मैं अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि अनेक बार व्यापारी आते हैं वह कहते हैं कि उनके पिता के ऊपर नोटिस तामील हुयी थी और एक पक्षीय कर निर्धारण हो गया और वसूली के आदेश हुये हैं लेकिन चूंकि उसकी अपील नहीं हो सकती और व्यापारी के साथ ज्यादती हो रही है या कोई अधिकारी रिटायर होने वाला है और वह किसी व्यापारी से मिलकर कम कर निर्धारण कर दे तो इन दोनों चीजों को देखते हुये निर्णय लिया गया कि ऐसे मामलों में जहां अपील न चल रही हो और कुछ अन्य शर्तों के साथ अगर वह शर्तें पूरी हों तो वह मामले का पुनरीक्षण पुनरीक्षित कर सकता है यदि वह न्यायपूर्ण समझता हो । इसमें हमने शर्तें लगायी हैं कि वह मामला अपील का विषय न रहा हो, दूसरे यह कि यह आदेश पारित होने के ६० दिन के अन्दर न हो परन्तु अधिकतम समय सीमा ४ वर्ष अथवा विधेयक के लागू होने के २ वर्ष के अन्दर, जो भी अधिक होगी । इस प्रकार मान्यवर, बहुत से लोग जो प्रताड़ित हुये हैं उनको एक रास्ता मिल जायेगा और वह शासन से न्याय पा सकेंगे ।

मान्यवर, एक और नया प्राविधान किया गया है इस विधेयक में अभी तक बिक्रीकर में प्राविधान था कि वसूली का जो स्थगन चाहते हैं वह अपील के साथ यदि प्रार्थनापत्र नहीं देते तो वसूली स्थगित नहीं हो सकती । लेकिन अब यह कर दिया गया है कि अपील प्रस्तुत होने के ६० दिन के अन्दर वसूली के स्थगित करने का प्रार्थना-पत्र दिया जायेगा तो अपीलेट अधिकारी को अधिकार होगा कि वह अपने विवेक के अनुसार स्थगन के सम्बन्ध में आदेश दे ।

मान्यवर, एक और बात की व्यापारी लोग मांग कर रहे थे कि यह अजीब बात है कि जब शासन बिक्रीकर का बकाया वसूल करती है तो १८ प्रतिशत ब्याज लेती है लेकिन व्यापारी का शासन के पास यदि पैसा बाकी है तो उसको १२ प्रतिशत सरकार ब्याज देती है । इस विधेयक के द्वारा इस असंगति को दूर करने का प्रयास किया गया है और अब जो व्यापारी धन वापस पाने का हकदार होगा उसको उसके वापस योग्य धन पर १८ प्रतिशत के हिसाब से ब्याज दिया जायेगा ।

इस विधेयक में एक और प्राविधान किया गया है कि शासन के पास सैकड़ों की तादाद में प्रतिवर्ष इस प्रकार के प्रार्थनापत्र आते हैं कि व्यापारी कर देना चाहते हैं लेकिन एक मुश्त कर देने की स्थिति में वह नहीं हैं क्योंकि यदि उसने एक साथ कर और ब्याज दिया तो व्यापारी बैठ जायेगा । इस विधेयक में हमने बिक्रीकर आयुक्त को इस प्रकार के मामलों में जिनमें देय धन की सीमा एक लाख से अधिक नहीं है उसमें १२ किस्तों तक में धन वसूल करने के निर्देश देने के अधिकार दे दिये हैं ।

इसके साथ ही साथ मान्यवर, यह भी देखा गया है कि कभी-कभी व्यापारी ने माल बेचा विशेषकर सरकारी विभागों को और ३ महीने के बाद माल वापस हो गया लेकिन इसमें कर देयता की जिम्मेदारी आ जाती थी यदि नक्शा दाखिल करने की अवधि के ३ माह बाद माल वापस आया तो इसमें उसका अधिकार

नहीं था कि वह नक्शे को रिवाइज कर दे । अभी सीमा यह ३ महीने की है । लेकिन इस विधेयक के द्वारा ३ महीने के स्थान पर ६ महीने कर दिया गया है । यदि इस अवधि में बिना काल वापस आ जाता है तो वह व्यापारी अपने नक्शे को पुनरीक्षित कर के प्रस्तुत कर सकता है ।

इसके साथ ही माननीय, इस विधेयक में विभागीय कर वसूली करने का प्रयास किया गया है । अभी उत्तर प्रदेश में ११ जिलों में विभागीय वसूली की व्यवस्था है जिसके कारण सुविधा हुई है । अन्य जगहों पर कलेक्टर के माध्यम से वसूली होती है । व्यापारी को कितना कर देना है यह जानने के लिये कलेक्टर के कार्यालय जाना पड़ता है । प्रशासनिक दृष्टि से अच्छा होगा कि जो विभाग कर लगाता है वही कर वसूल करे । इसमें वसूली में शीघ्रता आ जायेगी । इसलिये यह प्राविधान किया गया है कि शासन यदि चाहे तो उन स्थानों पर विभागीय वसूली करा सकता है ।

इसके साथ ही देखा गया है कि इस प्रदेश में दूसरे प्रदेशों की तुलना में अपीलों की संख्या अधिक थी । अभी करीब १,२०,००० अपीलें विचाराधीन है । बहुत सी ऐसी अपीलें है जिनमें १००, २००, ५०० रुपये का धन निहित है । उनकी संख्या लगभग ३५ हजार है । अपीलों के संबंध में बजट भाषण में मैंने कहा था कि सब मिलाकर देखें तो पता चलता है कि लगभग २० प्रतिशत स्वीकार होती है, ३० प्रतिशत अपीलें खारिज होती है और बाकी अपीलें आंशिक स्वीकार या प्रति-प्रेषित की जाती हैं । तो ३५ हजार जो अपीलें हैं, जिनमें कार्यभार कम करना है, जो छोटे धन की हैं, उनमें व्यापारी को सुविधा दी जाय कि यदि वह आधा विवादित कर जमा कर दें तो वह अपनी अपील वापस ले सकता है । यह इसलिये किया गया है कि प्रायः बिक्रीकर अधिकारी द्वारा लगी हुई धनराशि, अपीलीय अधिकारी द्वारा ही कम कर दी जाती है या पूरी की पूरी रद्द हो जाती है या वाद वापस भेज दिया जाता है । इसमें अनावश्यक समय नष्ट होता है और सरकार की वसूली रुकी रहती है । इसलिए ऐसा किया गया है कि इस प्रकार की सुविधा देने से शासन की ३५ हजार अपीलों को संभवतः निस्तारण हो जायगा और अन्त-तोगत्वा इससे शासन को बड़ा लाभ होगा । इसलिये इस विधेयक के अन्दर यह प्राविधान किया है कि कोई भी अपीलकर्ता अपनी अपील को वापस लेने का अधिकारी होगा । अभी तक यह अधिकार बिक्री कर अधिनियम में नहीं था ।

एक और व्यवस्था भी की गयी है । व्यापारी यदि देर से रजिस्ट्रेशन, नवीनीकरण कराता था, प्रार्थना-पत्र देता था तो उसके ऊपर अंतिम दंड, अधिकतम दंड, लगभग ४८०० रुपया होता था । रजिस्ट्रेशन फीस, नवीनीकरण की फीस ७५ रुपया और ५० रुपया देरी के कारण दंड भी देना पड़ता था । इन दोनों में कोई ताल मेल नहीं था । एक असंगति थी । इस प्रकार यह तय हुआ कि जितनी देरी होगी प्रति माह ५० रुपये की दर से व्यापारी के ऊपर से रजिस्ट्रेशन न कराने के कारण दण्ड देय होगा लेकिन उसकी अधिकतम सीमा ५०० रुपया होगी ।

मान्यवर, जैसा मैंने कहा, इस विधेयक की ये मुख्य विशेषतायें हैं और मेरा ऐसा अनुमान है कि इस माननीय सदन के सदस्य इस विधेयक को अपनी सहमति प्रदान करेंगे ।

*श्री मित्र सेन (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी. . . .

श्री उपाध्यक्ष--

आप पहले अपना प्रस्ताव पेश कर दें ।

श्री मित्र सेन--

प्रस्ताव के संबंध में मैं अपना संशोधन पेश कर दूं । मेरा प्रस्ताव है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) बिधेयक, १९७८ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक सप्ताह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने तर्क में बड़े स्पष्ट ढंग से और सुन्दर तरीके से सदन को यह अवगत कराया कि यह जो अध्यादेश वैधीकरण के संबंध में लाया गया है कि वह तात्कालिक था और बड़ा उपयुक्त है और जनहित में है । चूंकि आप बहुमत में हैं इसलिए इस तात्कालिकता को और प्रभावी करने के लिए जैसे भी ढंग से आप ने कहा उसको इनकार नहीं किया जा सकता । लेकिन दर असल इसकी जिस मूल मंशा से हम प्रभावित हैं वह यह है कि जो कुछ उन्होंने संशोधन किया है तात्कालिकता के आधार पर वह महज व्यापारियों के हित में हो रहा है कन्ज्यूमर के हित में कुछ नहीं । कहने का मतलब यह कि प्रदेश के सामान्य जनता के हित में जो संशोधन होना चाहिए था इस सरलीकरण के माध्यम से ऐसी कोई चीज इसमें नहीं दिखाई पड़ रही है न ही मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में इसका जिक्र किया । हमारे पूर्व वक्ता माननीय मिश्र जी ने जो तर्क दिया वह बहुत ही उपयुक्त है कि इतना बड़ा संशोधन, इतनी मोटी किताब जिस में ४० संशोधन किये गये हैं, दस मिनट के अन्दर इसे पारित कराना चाहते हैं जबकि इसे पढ़ने में ही एक दिन लगेगा दूसरी चीजों की पुष्टि कराना तो अलग बात है । मुझे माननीय मंत्री जी से इतना ही निवेदन करना है कि कन्ज्यूमर के बारे में एक सिंगल प्वाइन्ट पर टैक्सेशन होना चाहिए । कई जगहों पर जो टैक्सेशन देना पड़ता है इसे समाप्त किया जाना चाहिए । जगह-जगह पर जितनी आवश्यक वस्तुयें हैं, जीवनोपयोगी वस्तुयें हैं, कन्ज्यूमर को टैक्स देना पड़ता है, इसलिए इस संशोधन पर इस बात को जरूर जोड़ें कि कन्ज्यूमर को जो खरीददार है उसे बार-बार हर दूकान पर, हर जगह पर, टैक्स न देना पड़े बल्कि एक जगह टैक्स देना पड़े । यह सुझाव मैं रखना चाहता हूं ।

दूसरी बात यह कि जो आमोद-प्रमोद की चीजें हैं, आवश्यक सुविधा की चीजें हैं, उपभोग की चीजें हैं उन पर चाहे जितना टैक्स लगाये । उसको यूनीफाइड करें या न करें लेकिन जनता के उपभोग की चीजों को यूनीफाइड जरूर कर दे । दूसरे, मान्यवर, टैक्सों के सरलीकरण के बारे में शासन ने बड़े क्रान्तिकारी और समाजवादी विचारों के आधार पर शीघ्र से शीघ्र कार्यान्वयन के बारे में आश्वासन दिया था और जो सरलीकरण समिति है, उसकी संस्तुतियां भी आ गयी हैं । लेकिन उस पर विधिवत विचार करने के लिये अगर माननीय मन्त्री जी राजी हो जायं और इसे प्रवर समिति को दे दिया जाय तो मैं समझता हूं, इससे हम जैसे कम जानकार लोगों को जानकारी हो जायेगी और दूसरे भी माननीय सदस्यों को अच्छे से अच्छा सुझाव रखने का अवसर मिल जायेगा और उसमें माननीय मन्त्री

जी को मदद ही मिलेगी और इस तरह से विधेयक के जरिये से जनता के हित के लिये बहुत ही बहुमूल्य सुझाव मिल सकते हैं। इसका एक्जीक्यूशन नवम्बर के बजाय जनवरी में कर सकते हैं। अगर इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर देते हैं तो इस विधेयक को और भी मजबूती और बल मिलेगा और उनसे जनता का हित भी होगा। मान्यवर, इस मेलाथियास इन्डस्ट्री पर १९७४ से टैक्स लगाने की बात संशोधन में कही गयी है। मैं चाहता था कि इसको १९७८ से लगाना चाहिये। १९७४ से टैक्स देने का क्या औचित्य है? जो ४ साल से टैक्स लगायेंगे, उससे सरलीकरण के प्रभाव का फायदा कहां रहेगा?

इसी तरह से, मान्यवर, और भी बहुत सी कमजोर बातें इसमें हैं जिनके बारे में इस समय विस्तार से जिक्र नहीं किया जा सकता लेकिन फिर भी मैं जो समझ सका, दो ही तीन बातें मेरी समझ में आयीं। एक तो यह है कि उपभोक्ता और गरीब किसान और सामान्य जनता को आवश्यक वस्तुओं पर सिंगिल प्वाइन्ट टैक्स हैं। यह बहुत ही आवश्यक है। दूसरे जितने बड़े लोगों के उपभोग की चीजें हैं, सुख-सुविधा और आमोद-प्रमोद की चीजें हैं, उन पर जो भी टैक्स उस पर कुछ नहीं कह सकता। तीसरी बात, कि जितना भी संशोधन किया है, वह सिर्फ व्यापारियों के हित में हुआ है। सामान्य जनता के हित में नहीं हुआ। इसलिये मैं अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं कि इसको प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय ताकि आवश्यक सुझाव आ सकें और यह विधेयक मजबूत हो सके।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, मैं, माननीय मन्त्री जी ने जो संशोधन विधेयक रखा है, उसमें निम्न संशोधन प्रस्तुत करता हूं--

श्री उपाध्यक्ष--

क्या आप बहस में भी भाग लेना चाहते हैं?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मेरा संशोधन भी है।

श्री उपाध्यक्ष--

संशोधन तो बाद में आयेगा।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

तो मान्यवर, पहले मैं बोल लेता हूं।

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने जो संशोधन विधेयक रखा है, उससे मैं नाइत्फाक नहीं करता लेकिन कुछ माननीय दृष्टिकोण से कहना चाहता हूं कि कुछ चीजें न जाने कैसे उनकी दृष्टि से ओझल हो गयी। मान्यवर, प्रदेश में एक इन्डस्ट्री मेथा आयल को डेवलप कर रही है। उसमें ३०० यूनिट स्माल सेक्टर में काम कर रहा है। इसमें करीब डेढ़ लाख लेबर खेतों में काम करते हैं और ५० हजार से ज्यादा लेबर फैक्ट्री में काम करता है। सरकार ने उनको

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—]

लगाने के लिये पैसा भी दिया है। उसमें पहले हर्बल पर कोई टैक्स नहीं था, रा-मटेरियल पर टैक्स नहीं था। मुनासिब है, उस पर टैक्स लगाना चाहिये। इस पर १-२-७८ को उन्होंने एक आदेश जारी करके इस पर ७ प्रतिशत टैक्स लगा दिया। मान्यवर, इतना ही नहीं, उसके बाद आगे चल करके १५-११-७८ को एक आर्डिनेंस कर दिया। मान्यवर, आर्डिनेंस में यह है कि यह टैक्स जो है वह रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से लगेगा और ७ से १५ परसेंट लगेगा और लगेगा कब से ? १-४-७४ से। मान्यवर, इस इंडस्ट्री की जो कास्ट है वह करीब एक लाख रुपये होती है और जो टैक्स लगेगा, इसका जो एरियर होगा उनके ऊपर, वह करीब २ लाख होगा और यह जो एक लाख की इन्डस्ट्री है, जब वह दो लाख देने की स्थिति में आयेगी तो वह बंद कर देंगे, नतीजा यह होगा कि ५० एकड़ जमीन जिसमें मेन्था आयल लगा है वह सूख जाएगी और डेढ़ लाख जो लेबर लगा है उनकी रोजी खत्म हो जाएगी और इतना ही नहीं मान्यवर, जो सरकारी पैसा है, जिसको सरकार ने दिया है स्माल स्केल इंडस्ट्री के नाम पर उसमें लगाया है, अपना पैसा कर्ज के रूप में लगाया है वह भी डूब जाएगा। क्योंकि निश्चित है कि रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से अगर यह टैक्स लगेगा तो एक लाख की इन्डस्ट्री को दो लाख देना पड़ा तो कोई भी इंटरप्रेन्यूर इस काम को शुरू नहीं करेगा।

इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय संस्थागत वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यह सही है कि प्रदेश के सामने आर्थिक संकट है, धन उगाहने की आवश्यकता है ही लेकिन हम जब धन उगाहने की बात करते हैं तो हमको यह भी देखना चाहिए कि उसका असर हमारी इकनामी पर क्या पड़ेगा, हमारी इंडस्ट्रीज पर क्या पड़ेगा, जो सरकार ने पैसा लगाया है उस पर क्या पड़ेगा और इम्प्लायमेन्ट की समस्या पर इसका क्या असर पड़ेगा ? तो इन तमाम चीजों पर अगर हम दृष्टि डालें तो मैं निश्चित रूप से इस राय का हूं और माननीय मन्त्री जी भी इस राय पर पहुंचेंगे कि यह कर लगाना तो मुनासिब है लेकिन जो रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से लगाया गया है वह मेरी दृष्टि से न तो मानवोचित है, न न्यायसंगत है, न तर्कसंगत है और न ही उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में जहां बेसिक इंडस्ट्रीज जो हैं, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं, वह अभी इस क्षेत्र में कदम ही रखने जा रही है उन पर कुठाराघात हो जाएगा, वह खत्म हो जायेंगी और ये आपकी ३०० यूनिट खत्म हो जायेंगी। इसलिये मैं मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि आपने जो संशोधन विधेयक रखा है उसका तो मैं स्वागत करता हूं, यह बिलकुल सही है। सरकार की मंशा यह है कि इस प्रदेश में छोटे उद्योग का विकास करें, अधिकतम लोगों को काम देने की व्यवस्था करें, नये-नये उद्योग की शुरूआत करें। इसलिये सरकार ऐसे लोगों को अपनी ओर से पैसा दे रही है। यह प्रशंसा की बात है कि इस प्रदेश में यह उद्योग नये सिरे से चल रहा है जिसका दूसरे प्रदेश मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। तीन सौ यूनिटें खुलीं और इतने लोगों को काम मिला। इसलिये मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस प्रदेश के हित में और हमारे यहां जो बेरोजगारी की समस्या है उसको देखते हुए इस उद्योग को मरने से बचायें, इस उद्योग का खात्मा करने की शुरूआत वे न करें। मैं चाहूंगा कि जो संशोधन उन्होंने रखा है कि इस टैक्स की वसूली रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से १-४-७४ से होगी तो यह उचित नहीं है। निश्चित रूप से वे टैक्स लगायें लेकिन १-२-७८ से उसकी वसूली होगी तो यह उचित होगा। इतना जरूर है कि १५ प्रतिशत

उद्योग के लिये जो अभी इस क्षेत्र में कदम रख रहा है, यह इस प्रदेश की एकदम नई उद्योग व्यवस्था है और अभी ट्रायल में है, इसको तो हमको सब्सिडी देनी चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए, उल्टे हम उस पर ऐसा प्रहार करने जा रहे हैं कि यह उद्योग तो समाप्त हो जाएगा और उनके अन्दर जो नया उद्योग प्रारम्भ करने की भावना है वह समाप्त हो जाएगी। इस प्रदेश की व्यवस्था को देखते हुए, बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए आप इस पर पुनर्विचार करें और मेरा जो संशोधन है उसको स्वीकार करें और जो टैक्स १-४-७४ से लगाने की बात आर्डीनेंस द्वारा की है, उसे वापस ले लें।

*श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, बिक्रीकर अधिनियम सन् १९४८ में बनाया गया था। तब से बराबर प्रदेश की जनता और व्यापारियों की मांग रही है कि बिक्रीकर अधिनियम में इस प्रकार का परिवर्तन और परिवर्धन किया जाय जिससे कि छोटे-छोटे व्यापारियों और जो नागरिक हैं उनकी कठिनाइयां दूर हों और कुछ सुविधाएं प्राप्त हों। सन् १९७७ में जब जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी तो चुनाव घोषणापत्र में इस बात की चर्चा थी कि बिक्रीकर उगाही में जो धांधली और भ्रष्टाचार है उसे समाप्त किया जायगा। उसी को देखते हुए शासन ने एक सरलीकरण समिति गठित की थी और उस समिति ने जो संस्तुति की है उसी के आधार पर संस्थागत वित्त मंत्री जी ने इसे प्रस्तुत किया है।

माननीय मित्रसेन जी, श्री श्यामधर मिश्र और देव बहादुर सिंह जी ने जो विचार व्यक्त किये हैं और अपने संशोधन प्रस्तुत किय हैं उसके बारे में मेरी राय यह है कि पिछले ३० वर्षों से जो अधिनियम बना हुआ था पहले की सरकारों ने सरलीकरण के सम्बन्ध में कोई भी कदम नहीं उठाया और इसके लिए वर्तमान शासन और संस्थागत वित्त मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। अभी माननीय जनार्दन ओझा जी ने कुछ सुझाव दिये और कुछ अन्य माननीय सदस्य भी आगे अपने सुझाव देंगे। लेकिन इस अधिनियम को देखने से यह बात निश्चित रूप से स्पष्ट हो जाती है कि इससे छोटे-बड़े किसी भी कोटि के व्यापारी के ऊपर इसका कुप्रभाव नहीं पड़ रहा है, इस दृष्टि से निश्चित रूप से यह संशोधन स्वागत करने के योग्य हैं। अब जो सुझाव आ रहे हैं या भविष्य में जो माननीय सदस्य इस सदन में सुझाव प्रस्तुत करेंगे उनके सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी से अनुरोध है कि उपयुक्त समय आने पर इन सुझावों पर भी विचार करें।

एक बात की ओर और ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जनता पार्टी ने यह मांग किया था कि बिक्रीकर समाप्त हो और उसके स्थान पर किसी प्रकार का उत्पादन शुल्क लगायें। इस चीज को भी वर्तमान सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। जो आश्वासन हम चुनाव के समय देकर आये हैं उन्हें पूरा करना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव घोषणा-पत्र में जितने आश्वासन दिये जाते हैं, निश्चित रूप से तुरन्त नहीं पूरे किये जा सकते हैं, शनैः शनैः पूरे किये जाते हैं। मैं समझता हूं इसी पूर्ति की ओर यह एक कदम जनता सरकार का है। मेरा संस्थागत वित्त मंत्री जी और वर्तमान शासन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय--]

से यह आग्रह है कि चुनाव घोषणा-पत्र में जो कहा गया है कि बिक्री कर की उगाही में धांधली और भ्रष्टाचार दिखाई देता है और उसे हटाकर उसके स्थान पर उचित उत्पादन शुल्क लगाया जायेगा। मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में जितनी जल्दी आवश्यक होगा सरकार कदम उठायेगी तो बहुत अच्छा होगा। इसका प्रभाव पूरे व्यापारी वर्ग और आज जनता पर पड़ेगा। एक बात की ओर और ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जिसकी ओर ओझा जी ने ध्यान आकृष्ट किया है इस समय जो कर की वसूली है उसको रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से करने का इसमें प्राविधान किया गया है जिससे वर्ग विशेष पर इसका आर्थिक भार पड़ेगा। इस दृष्टि से जनार्दन प्रसाद ओझा जी का संशोधन स्वीकार कर लिया जाय और इसमें जो सर्वश्री श्यामधर मिश्र तथा मित्रसेन के संशोधन हैं उनको वह वापस ले लें और माननीय संस्थागत मंत्री जी उस पर विचार करके भविष्य में कुछ ले आयेंगे।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, जब इस सत्र में हम मिले हैं तो जितने भी विधेयक हमारे समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं वे सब अध्यादेश के रूप में प्रस्तुत किये गये हैं। ९ बिल हम इस सदन में पास करने जा रहे हैं इस सत्र में और सभी में अध्यादेश जारी किये गये। पिछले सत्र और इस सत्र के बीच में अगर इतनी आवश्यकता महसूस की गयी थी कुछ बिलों को पास करना है और उनको अध्यादेश निकाल कर किया गया तो सदन की बैठक क्यों नहीं बुलाई गयी। अध्यादेश जारी करने के पहले सदन की बैठक बुला सकते थे। संविधान में २७३ के अन्तर्गत सरकार को अधिकार दे रखा है कि वह अध्यादेश जारी करे लेकिन इसका दुरुपयोग जनता पार्टी ने जितना किया है कभी किसी सरकार ने आज तक नहीं किया कि सत्र के सारे विधेयक अध्यादेश के रूप में आयें। आखिर ऐसा क्यों हुआ है? विरोध में इसलिये इसका कर रहा हूं कि आप लोग जनतांत्रिक पद्धति के विपरीत आचरण कर रहे हैं और इसीलिये सदन की उपेक्षा हो रही है। सदन की बैठक कैसे हो जब अध्यादेश निकाल कर काम चलाया जाता है।

जो यह अध्यादेश है इसके बारे में दो शब्द में कहना चाहता हूं। जनता पार्टी के घोषणा पत्र में है जिसे मालवीय जी ने पढ़ कर भी सुनाया कि बिक्रीकर को समाप्त कर दिया जायगा। आपने अब तक क्या किया? सरलीकरण वाला विधेयक क्यों प्रस्तुत किया? हमें उम्मीद थी कि आप बिक्रीकर समाप्त करने वाला विधेयक प्रस्तुत करेंगे। यह ३७वां संशोधन विधेयक है जिसे माननीय मन्त्री जी पेश कर रहे हैं और यह भी सरलीकरण से सम्बन्धित है और जितने जो संशोधन विधेयक आज तक पेश किये गये हैं वे सब के सब सरलीकरण के नाम पर ही किये गये। यह कौन सा सरलीकरण है? कुछ धाराओं में १ जनवरी, १९७४ से आपने कर लगा दिया। ४१ धारायें हैं। कुछ १ फरवरी, १९७४ से लागू की जायेंगी। कुछ धारायें १ नवम्बर, १९७८ से लागू की जायेंगी और कुछ ऐसी हैं जो विज्ञप्ति द्वारा जारी की जायेंगी तो यह सरलीकरण हुआ या कठोरीकरण हुआ? सरलीकरण के नाम पर कठोरीकरण किया जा रहा है। बिक्रीकर कोई इनकम टैक्स नहीं है। जो उत्पादक है उसकी सामग्री पर सरकार टैक्स लगाती है और वह टैक्स उपभोक्ता देता है और उसे इकट्ठा करने का दायित्व व्यापारी पर होता है। उसी व्यापारी का यह दबाव था कि इस बिक्रीकर को समाप्त कर दो। इन्होंने क्या

किया कि सरलीकरण के लिए एक समिति बना दी और वह उसे उलझाये रहे। व्यापारी उलझाने में तेज होते हैं लेकिन उनको भी आपने उलझा दिया। इस विधेयक को मंत्री जी गौर से पढ़े होंगे, पता नहीं वह क्रिमिनल लाइयर हैं या इसको भी डील करते हैं, वह योग्यता किस काम की जब आपको भी गुमराह कर दिया गया। आप विधेयक को देखें इसमें तीन वर्ष के लिए पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया, अगर कोई एक वर्ष व्यापार करना चाहे तो वह नहीं कर सकेगा, तीन वर्ष का पैसा उसे एक साथ जमा करना होगा भले ही वह एक ही वर्ष में व्यापार बन्द कर दे। इसमें आपने कहा है कि बिक्रीकर न्यायालयों की स्थापना की जायेगी, इसी तरह रिफरेंस के लिए पहले सौ रुपया जमा करना होता था अब उसे ढाई सौ कर दिया है। सेल्स टैक्स ट्रिब्यूनल में सेल्स टैक्स डिप्टी कमिश्नर को सदस्य बानना चाहते हैं। तो इससे एक्जीक्यूटिव को जुडिशियरी के साथ मिला दिया जायेगा। तो इससे न्याय नहीं हो सकता है। यह बहुत पुराना सिद्धांत है जुडिशियरी को एक्जीक्यूटिव से अलग रखा जाता है। अब आप सेल्स टैक्स इकठ्ठा करने वालों को ट्रिब्यूनल में रख कर जुडिशियरी को एक्जीक्यूटिव से जो अलग करने की बात थी उस पर भी कुठाराघात कर रहे हैं। इस तरह से सरलीकरण के नाम पर बड़ा भारी नुकसान आप कर रहे हैं।

ओझा जी ने प्रस्ताव रखा है मैन्था के सम्बन्ध में, उस पर आप फरवरी, १९७४ से रिट्रोस्पैक्टिव इफेक्ट से टैक्स लगाना चाहते हैं जो कि ७ परसेन्ट से १५ परसेन्ट तक लगाया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपने खेती की होती तो यह टैक्स न लगाते। अभी शैशव काल में यह मैंथा का व्यापार है। अगर आप इसमें संशोधन नहीं करेंगे तो यह व्यापार बन्द हो जायगा। कुछ कर तो पहली नवम्बर से लागू हो गये होंगे और रुपया इकट्ठा होना शुरू हो गया होगा। मेरा कहना है कि आप इस विधेयक को प्रवर समिति में न भेज कर जो आपने वायदा किया है उसे पूरा करें और इसे वापस ले लें और बिक्रीकर के लिए कोई वैकल्पिक विधेयक लायें, चाहे वह उत्पादन कर के रूप में हो या किसी और रूप में, तो वह ज्यादा लाभदायक होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री सेन—

व्यवस्था का प्रश्न है, मान्यवबिल पास नहीं हो सकता क्योंकि यह कोरम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

कोरम है।

श्री रेवती रमण रस्तोगी (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, इस संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए मैं मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहता हूं। बिक्रीकर का जन्म १९४८ में हुआ था इस आधार पर हुआ था कि नशाबन्दी की जायेगी और उससे जो हानि होगी उसे पूरा करने के लिए बिक्रीकर का जन्म हुआ। वह होते-होते आज यहां तक पहुंच गया और जिससे आमदनी लगभग २७५ करोड़ के हेर-फेर में होने लगी

[श्री रेवतीरमण रस्तोगी---]

उससे मोह स्वभाविक रूप से बढ़ जाता है। हम लोगों ने जनता जनार्दन की इच्छाओं और मांगों से प्रेरित होकर अपने घोषणा-पत्र में यह घोषणा की है कि हम इसको समाप्त करेंगे, उत्पादन शुल्क के रूप में। लेकिन अभी उसमें विलम्ब दिखता है। मन्त्री महोदय ने कहा था कि १९७९-८० में हम इसे समाप्त करने की ओर चलगे। १९७९-८० आने वाला है। सरलीकरण समिति म में भी था इसमें बहुत विचार विमर्श किया गया है प्रशासनिक दृष्टि से विधेयक द्वारा इसमें परिवर्तन लाया जा रहा है। वह ठीक नहीं है और वह उसके विचारों के विपरीत है। उसमें यह विचार आया था कि उत्तर प्रदेश की सीमाओं से जो प्रदेश लगते हैं, उनमें लागू सेल-टैक्स की दर को अपने प्रदेश में भी लागू किया जाय लागू किया जाए यानी अपने यहां की दर जो बढ़ी हुई है तो उसे घटा दिया जाय। यह मांग सर्वसम्मति से सरलीकरण समिति ने किया था। उस पर इस बिल में किसी प्रकार का विचार नहीं किया गया, बल्कि प्रशासनिक दृष्टि से संशोधन किया गया है। मैं कई बार आपसे आग्रह कर चुका हूं और पुनः इस सदन के समक्ष निवेदन करना चाहता हूं कि टैक्स घटाने से आमदनी घटेगी नहीं, ऐसा सोचना सरकार का भ्रम है मैं एक व्यवसायी हूं और इस चीज को बहुत अच्छी तरह जानता हूं टैक्स घटाया जाय, वसूली की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए और व्यापारियों का विश्वास प्राप्त किया जाए, तो सरकार की आमदनी बढ़ेगी, घटेगी नहीं, कदापि नहीं घटेगी, अवश्य बढ़ेगी, बढ़ेगी। लेकिन आप इसके लिए हिम्मत नहीं कर पाए माननीय मन्त्री महोदय और साथ ही वित्त मन्त्री महोदय भी। मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि इसपर गम्भीरता से विचार करते हुए अन्य अवसर पर इस पर अवश्य-अवश्य विचार करें। जैसा कहा गया कि ३ वर्ष के लिए शुल्क बढ़ा दिया गया है, उसका विशेष महत्व नहीं, मगर मनोवैज्ञानिक उसका महत्व निकलता है, श्रीमन्, व्यवसायी कहता है कि जब सेल्स-टैक्स हम समाप्त करने जा रहे हैं तो यह तीन वर्ष क्यों लगा दिया गया है। आखिर हम उनके मस्तिष्क में भ्रम क्यों पैदा करते हैं? मन्त्री जी इसका निवारण कर सकें तो अच्छा है। उत्पादन शुल्क लगायेंगे, लेकिन जहां उत्पादन शुल्क नहीं हो सकता है, जैसे हलवाई, भट्ठा या स्वर्णकार हैं यदि उत्पादन शुल्क की प्रक्रिया में कुछ विलम्ब हो, कुछ देर हो तो हम अन्य तरीके से परिवर्तन कर सकते हैं और सरलीकरण समिति भी ऐसी कहती है। हमें माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि सेल्स-टैक्स को समाप्त किया जाए और तब तक सरलीकरण की सम्पूर्ण संस्तुतियों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। आपने कुछ कदम बढ़ाए हैं और मैंने जो कदम बताए हैं, उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ें। नारायण नारायण।

*श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)---

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक आया है, उसके समर्थन में बोलना हम लोगों की मजबूरी है, लेकिन मन्त्री महोदय ने सदन के बाहर कई घोषणाएं की हैं बिक्री कर को समाप्त करने के लिए और इसके लिए जनता पार्टी के घोषणा-पत्र के तहद एक निश्चित अवधि दो-दो बार घोषित की गई है और उन्हीं के माननीय वित्त मन्त्री ने उसके ठीक विपरीत वक्तव्य दिया है। यह इनकी मजबूरी है, इसके लिए इन्हें कोसने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जनता पार्टी का घोषणा-पत्र श्री मोरार जी देसाई की अध्यक्षता में तैयार हुआ था और उन्हीं की अध्यक्षता में बनी हुई पार्टी द्वारा दिया हुआ वह आश्वासन था। लेकिन अब वही प्रधान मन्त्री कह दें कि उसको जल्दबाजी में लिख दिया गया था, उसको मानने के लिए हम तैयार और बाध्य नहीं हैं, यह राष्ट्रीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मामला है और बहुत सी सरकारें इसे रिप्लेस करने के लिए तैयार नहीं हैं, इस लिए हम ऐसा नहीं कर सकते, तो फिर इसका सवाल कहां रह जाता है। इस प्रकार की घोषणाएं अनेक बार हो चुकी है। ऐसी स्थिति में माननीय संस्थागत वित्त मन्त्री जी कोई अवधि निश्चित करते हैं तो उनकी स्थिति हास्यास्पद हो जाती है और अधिकारी मुसीबत में फंस जाते हैं। जो यह उनपर जिम्मेदारी थोप देते हैं कि बिक्री कर विभाग करों की वसूली करेगा, वह इस काम को कर नहीं पाता क्योंकि जो व्यापारी चोरी करने के अभ्यस्त हैं, हमारे मन्त्री महोदय ने कह दिया कि १९७९ के अप्रैल महीने में बिक्री कर समाप्त होने जा रहा है इसलिए वह कहते हैं कि हम अदा नहीं करेंगे।

श्री रेवती रमण रस्तोगी--

व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवसायी टैक्स की चोरी कर रहे हैं, यह जनरलाइज कर रहे हैं। सारे लोगों पर आरोप लगा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री मोहन सिंह (देवरिया)--

मैंने यह कहा है कुछ ऐसे व्यापारी जो टैक्स की चोरी करते हैं। आप मेरी बात पर ध्यान देने की कोशिश करें। माननीय मन्त्री जी ने जो सरलीकरण कमेटी के सम्बन्ध में बताया उसकी संस्तुतियां विगठित होती जा रही हैं। उस कमेटी में बहुत ऐसे लोग हैं जो न व्यापारी हैं, न किसान हैं, न समाज के सारे वर्गों में उनका प्रतिनिधित्व है। इसलिए बहुत सारे संशोधन आ जाते हैं जैसे मेथा वाली बात कही गयी है। आप कहते हैं कि कृषि जन्य पदार्थों पर टैक्स कम करके कृषि जन्य पदार्थों को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस नीति के विपरीत यह कर जाता है। इसके बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सरलीकरण कमेटी बनायी गयी है उस कमेटी की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को सदन के सामने रखना चाहिए। उस पर सदन विचार करे। उस विचार की रोशनी में सम्पूर्ण सेल्स टैक्स के स्ट्रक्चर को परिमार्जित करने और समूल विधेयक लाने में सुविधा होगी। जो व्यापारियों को राहत देने की मंशा है उसके अनुरूप काम करने की कोशिश करनी चाहिए, छोटे-छोटे विधेयक आर्डिनेंस के रूप में पेश करने से, जो इनका प्रयास है, वह पूरा नहीं हो पाता। इनकी स्थिति हास्यास्पद होती है। इसलिए मैं कहूंगा, इन सुझावों के साथ कि सरलीकरण कमेटी सदन के सामने पेश हो, उसकी रोशनी में सारे विधेयक प्रस्तुत किये जायं तो ज्यादा आसानी होगी, बस।

*श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)--

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक यह बिक्री कर का सम्बन्ध है, आज से नहीं, हमने चार पांच वर्ष पहले भी इस सदन में एक प्रस्ताव पेश किया था कि जो यह कांग्रेस बईमानी का सिस्टम जनता में कायम किया है इस बेईमानी को कांग्रेस के द्वारा ही ठीक किया जाय। लेकिन उधर बैठे लोग इधर थे जो इधर बैठे हैं, वह उधर थे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्यामधर मिश्र—

उस समय यह किधर थे ? उस समय यह कांग्रेस में थे जिस समय की बेईमानी कह रहे हैं ।

श्री हरी सिंह—

मैं नहीं चाहता था पंडित जी मजबूर करें बोलने पर । आपको मालूम होना चाहिए कि उस वक्त जनता का शासन था, जनता जनार्दन उन माननीय सदस्यों के साथ थी, ऐसा न ही था जैसे तीन नजर आ रहे हैं । वह जनता की बनाई हुई थी । आज आपकी कांग्रेस जनता की बनायी हुई नहीं है, जिसमें सरमायादार हैं । जिस दिन इनमें भी सरमायादार आ जायंगे यह जनता पार्टी लोप हो जायेगी इसमें भी अगर आप जैसे सरमायादार आ गये ।

हमारा कहना यह है कि जहां तक बिक्रीकर का सम्बन्ध है हमने कहा था कि बिक्री कर में बहुत भ्रष्टाचार है । हमने, हमारे नेताओं ने बहुत कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाये । क्यों नहीं सफल हुए, उसका एक विशेष कारण है। यह किसी एक पार्टी का प्रश्न नहीं है। चाहे कोई पार्टी हो, जनता पार्टी हो, जनसंघ हो, बी० के० डी० हो, कांग्रेस ई हो या कांग्रेस ओ हो पता नहीं कितने टुकड़े इन्होंने कर दिये हैं, सरमायादारों से चन्दा लेते हैं और जबरदस्ती लेते हैं। आज भी इनसे कहीं ज्यादा ईमानदार दुकानदार और व्यापारी हैं । लेकिन इन पार्टी वालों ने क्या किया । यह उनको बेईमान कहते हैं और उनसे ही धन इक्ट्ठा करते हैं और फिर उनको फायदा पहुंचाते हैं । जितनी भी पार्टियां हैं अगर सरमायादारों और दुकानदारों से चन्दा लेना बन्द कर दें तो यह करप्शन बन्द हो जाय । करप्शन की वजह से जिनके पास दो पैसे नहीं वह करोड़पति बने हुये हैं और पार्टियों को चला रहे हैं । हम बराबर लिखते रहे कि बिक्री कर समाप्त करो और दुकानों पर लाइसेन्स फी लगा दो ।

जहां माल बनता है वहां कर लगा दें तो यह करप्शन बन्द हो जाय और आपका बजट भी दुगना बढ़ जाय । लेकिन फिर डर यह है कि थैलियां नहीं मिलेंगी । थैलियां लेने के चक्कर में दुकानदारों और कर्मचारियों को बेईमान बना दिया और यह करने वाले ये पुरानी और नई कांग्रेस के लोग थे । अब उसको खत्म करने के लिए जनता पार्टी से कहा जा रहा है । जब हम जनता पार्टी वालों से पूछते हैं तो यह भी ही ही कर देते हैं । यह भी करने को तैयार नहीं वोट के समय सब कहते हैं । जितनी भी सुविधा व्यापारी को दे सकते हैं दी जानी चाहिए क्योंकि वह रीढ़ की हड्डी है । सारा टैक्स व्यापारी वर्ग से आता है । मेरा निवेदन है कि इस बिक्री कर को शीघ्रातिशीघ्र समाप्त कर दें । अगर इतना साहस नहीं हुआ तो फिर आप में और कांग्रेस में अन्तर ही क्या रहा । मेरा निवेदन है कि बिक्री कर समाप्त हो, लाइसेन्स फी लगे और जहां माल बनता है वहां कर लगे । आप इन कांग्रेसियों के चक्कर में न आयें । इन्होंने अपना घर तो बरबाद कर ही लिया आपको बरबाद करना चाहते हैं । इसलिए बिक्री कर तुरन्त समाप्त किया जाय जिससे व्यापारी वर्ग और कर्मचारी वर्ग ईमानदार बने । अगर बिक्री कर चलता रहा तो कोई ईमानदार नहीं रह सकता । इसीलिए मैं फिर पुनः मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि बिक्री कर समाप्त कर दिया जाय ।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि मैं इस संशोधन विधेयक पर बोलूं, मैं आपकी एक व्यवस्था चाहता हूं । वह व्यवस्था यह है कि क्या आपके सचिवालय को यह अधिकार है कि इस सदन के सदस्यों के द्वारा विधेयक पर जो

संशोधन दिए जायें उनमें कुछ संशोधन कर सकें और कुछ संशोधन छापे जायें और कुछ न छापे जाये। आज का एजेंडा आप देखें। इसमें मैंने संशोधन दिये थे और एक संशोधन खंड ३० के बारे में भी था। उस संशोधन को नहीं छापा गया है इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं जो संशोधन नहीं छपा है क्या उसे प्रस्तुत करने की अनुमति मुझे देंगे या नहीं ? दूसरी व्यवस्था यह है कि सचिवालय के जो अधिकारी हैं उन्होंने कुछ छापा और कुछ नहीं छापा।

श्री उपाध्यक्ष--

यह आपने कब दिया था ?

श्री श्याम सुन्दर गुप्त--

जो संशोधन छपे हैं उनके साथ ही दिया था। एक प्रस्ताव में समस्त संशोधन थे और उस में खंड ३० का भी संशोधन था। इसीलिए मैंने आपकी व्यवस्था चाही है।

श्री उपाध्यक्ष--

जो संशोधन आपने दिया था वह रिजेक्ट हो गया है। इसी लिए इसमें नहीं आया है। नियमानुसार वह ग्राह्य नहीं था। अब आप आम बहस पर बोले।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त--

मान्यवर, मैं संस्थागत वित्त मन्त्री जी को हृदय से बधाई देता हूं इस बात के लिए कि बिक्री कर की प्रणाली में जिस ईमानदारी से और लगन से संशोधन कर रहे हैं और जो संशोधन कर रहे हैं वह स्तुत्य है। अध्यादेश द्वारा यदि कुछ बातें प्रस्तुत करनी पड़ी तो विपक्षी सदस्यों को आपत्ति करने का कोई कारण नहीं है। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि वह संशोधन विधेयक क्यों आया तो मैं सदन के समक्ष इस बात को दुहराना चाहता हूं कि एक बार और बिक्री कर विधेयक में संशोधन आया था कि उसमें सरलीकरण किया जाय। सरलीकरण समिति जो बैठी थी उसने जो सुझाव दिए थे और जो संस्तुतियां की थी उनमें से कुछ को तो मान लिया था और कुछ नहीं मानी गयी थी। इसीलिए समय-समय पर यह संशोधन करने पड़े।

जहां तक समिति की संस्तुतियों का प्रश्न है, मेरा तो आग्रह यह है कि वह समिति बहुत परिश्रम के साथ बैठी है और बहुत विस्तार से बिक्री कर प्रणाली के सम्बन्ध में विचार किया गया और उस समिति में बिक्री कर के एक्सपर्ट समझे जाने वाले अधिकारीगण भी बैठे और उनकी सहमति से जो संस्तुतियां आयी उनमें लिखी गयी हैं, उन संस्तुतियों को एक साथ लागू न करने का कारण समझ में नहीं आया है। इसीलिए शासन से यह अपेक्षा है कि ७५ प्रतिशत संस्तुतियां स्वीकार हो चुकी हैं और जिनके बारे में माननीय सदस्यों ने ध्यान आकृष्ट किया है उनको भी स्वीकार कर लेना चाहिए। पड़ोसी राज्य में जो कर की दरें हैं वही हमारे प्रदेश में भी लागू कर दी जाएं। यह संस्तुति सर्वसम्मति की गयी और अन्य प्रदेशों से बिक्री कर की दरों के चार्ट से मंगाये गये। जहां तक मेरा अनुभव है बिक्री कर विभाग में प्रैक्टिस करने का वे बातें ऐसी नहीं हैं जिनको लागू कर दिया जाय तो बहुत बड़ा घाटा हो जायेगा। बल्कि असलियत यह है कि आपके जो डिस्ट्रीब्यूटिंग केन्द्र हैं वितरण के केन्द्र हैं, उदाहरण के रूप में कानपुर आपका बहुत बड़ा वितरण का केन्द्र है। इसी प्रकार से बनारस बहुत बड़ा केन्द्र है ये केन्द्र बदल रहे हैं।

[श्री श्याम सुन्दर गुप्त—]

आज दिल्ली आपका मार्केट जा रहा है और जिन वस्तुओं पर आपके यहां पर कर अधिक है उनके केन्द्र बाहर जा रहे हैं। व्यापारी उन वस्तुओं को दिल्ली और अन्य प्रदेशों से खरीदना पसन्द करते हैं यद्यपि हमारे प्रदेश के बाजारों मे बड़े-बड़े भण्डार हैं और बिक्री केन्द्र बहुत बड़े स्थापित हो सकते हैं। इसलिए पड़ोस के प्रदेशों से जिन वस्तुओं पर बिक्री कर की दरें कम हैं वैसे ही हमारे प्रदेश में भी लगाना चाहिए। इससे बिक्री कर की हानि न हो कर हमारे प्रदेश का राजस्व ही बढ़ेगा।

अब मैं माननीय ओझा जी की बात की ओर, जिसके बारे में उन्होंने माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित किया है, सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं इस बात के लिए माननीय मन्त्री जी से आग्रहपूर्वक निवेदन करना चाहता हूं वे हाई कोर्ट के वकील भी रहे हैं कि उस कठिनाई को वे महसूस करें कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के जो भी निर्णय हों, पिछली कांग्रेस की हुकूमतों ने तो उन्हें नहीं माना लेकिन वे तो मानें। अधिकारीगण इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लेते हैं। अगर किसी वस्तु पर रेट बढ़ा कर कोई नोटी-फिकेशन किया और उसमें त्रुटि होने के कारण हाई कोर्ट से जब वह निरस्त हो जाता है तो प्रतिष्ठा के सवाल पर रिट्रोस्पेक्टिव डेट से संशोधन करके उसे फिर से लागू कर देते हैं। यह पिछली सरकारों की तरह से आपके यहां पर नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट ने कोर्ट फीस के सम्बन्ध मे जो निर्णय दिया था उस सम्बन्ध में हमने भी अपना संशोधन दिया था। मैं समझता हूं कि सदस्यों ने, बार एसोशिएशन ने और व्यापारियों ने जो प्रत्यावेदन दिया था आपने उसको स्वीकार कर लिया है अगर उसके बारे में सदन में घोषणा हो जाय तो अच्छा हो। सुना है कि आपने सरक्युलर भी किया है कि वह वसूल नहीं होगा। अगर उसके सम्बन्ध में आपके आदेश हो गये हैं तो मैं आपको बधाई देता हूं।

अल्यूमुनियम मैन्युफैक्चरर्स के सामने भी एक समस्या पैदा हो गयी है। उन पर ३ १/२ परसेंट कर लगा था आपने उसे ८ प्रतिशत कर दिया लेकिन हाई कोर्ट ने निर्णय दिया और उसको ३ १/२ परसेन्ट कर दिया। विभाग वालों ने उसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना कर फिर रिट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट से संशोधन करके सन् १९७३ से लागू कर दिया। व्यापारियों ने उस टैक्स को ३ १/२ परसेन्ट के हिसाब से वसूल किया और १ या २ परसेन्ट का मुश्किल से मुनाफा लेकर बेचा लेकिन अब उनसे गत वर्षों से ७ १/२ परसेन्ट के हिसाब से वसूल किया जा रहा है। यह कितने दुःख की बात है। यही नहीं मेन्था हर्ब के ऊपर पहले ४ प्रतिशत का कर लागू था। इसे बढ़ा कर सरकार ने इस संशोधन विधेयक के द्वारा ७ प्रतिशत की दर से १५ प्रतिशत तक कर दिया है और वह भी रिट्रोस्पेक्टिव डेट से। आप कोई भी संशोधन करें लेकिन उसका परिणाम पिछली तारीख से टैक्स की वृद्धि नहीं होना चाहिए। इस बात की घोषणा अगर सरकार की ओर से स्पष्ट रूप से हो जाय तो हम सब सदस्य आपके इस सम्बन्ध में आभारी होंगे।

आपने एक घोषणा की कि स्वतः कर निर्धारण योजना के बारे में सरली-करण समिति ने जो संस्तुतियां की हैं उनको स्वीकार किया जायगा लेकिन आपने यह तय कर दिया कि जो २,५०० रुपये तक कर देते हैं, उनका स्वतः कर निर्धारण हो जायगा। और उसके बाद आय कर की भांति यहां भी आपने उसकी सीमा बढ़ा कर ५ हजार कर दी। यह घोषणा भी आपने कर दी कि ५ हजार तक जो कर देते हैं उनके बही खातों की जांच नहीं की जायेगी। मगर कमिश्नर महोदय का एक सर्कलर जाता है जिसमें यह कहा गया है कि ५ हजार की जो

सीमा सम्बन्धी छूट है उसमें स्वतः कर निर्धारण तो होगा मगर व्यापारी को बुलाया जायेगा, इस तरह उसको बुलाने के लिये नोटिस जायगा, उसके लिये तारीख लगायी जायेगी, व्यापारी को निर्धारित तिथि पर आना पड़ेगा। जब यह होगा तो फिर आपकी घोषणा का क्या लाभ हुआ उस व्यापारी को ? "मैन प्रोपोजेज, गाड डिस्पोजेज" वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। आपकी घोषणा के बाद भी कमिश्नर महोदय के यहां से आदेश कुछ और जाते हैं। इस तरह इस स्वतः कर निर्धारण के क्या मानी हैं ?

मान्यवर, सरलीकरण समिति द्वारा आभूषणों तथा ईंट के भट्ठों आदि के सम्बन्ध में भी कर निर्धारण सम्बन्धी कुछ सुझाव आये हैं। पिछली बार जब मैं बोला था तो मैंने एक सुझाव यहां पर दिया था जिसे आज फिर इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। मैंने निवेदन किया था कि उत्तर प्रदेश में कोई व्यापारिक केन्द्र ऐसा नहीं है जहां मण्डी न हो और जब सब व्यापारिक केन्द्रों पर मण्डी है तो आप गल्ले और सिलहन पर क्रय कर या बिक्री-कर मण्डी केन्द्र पर ही वसूल कर लिया करें। जिस प्रकार से आप मण्डी शुल्क वसूल करते हैं, उसी प्रकार से बिक्री कर भी आप उसी स्थल पर वसूल कर लिया करें। यह मेरा कितना सरल सुझाव था। आखिर इसमें क्या दिक्कत है ? आज हम देखते हैं कि सट्टे आदि के कारण गल्ले की फर्म्स फेल हो जाती हैं और उनके फेल हो जाने से सरकार का बिक्री कर भी लाखों रुपयों का मारा जाता है। आप अगर मण्डी स्थल पर ही यह बिक्री कर वसूल कर लिया करें तो इस हानि से आप बच सकते हैं। मेरा दावा है कि इससे आपकी आय डेढ़ गुनी बढ़ जायेगी। मैंने तो आंकड़े तक प्रस्तुत किये थे कि एक प्रतिशत मंडी शुल्क से १२ करोड़ की वसूली होती है और जब आपका यह कर ४ प्रतिशत है तो वसूली केवल ३० करोड़ की ही होती है। इसका मतलब यह है कि आपके यहां कर की चोरी होती है। हम जानते हैं कि मंडी स्थलों पर भी कर की चोरी होती है। मगर फिर भी अगर मेरे इस सुझाव को आप मान लेते हैं तो आपकी आय अधिक होगी। गल्ले के व्यवसाय में आप इसे आसानी से कर सकते हैं। आज आप बिक्री-कर की जगह अन्य कर लगाने का आसान तरीका ढूंढ़ रहे हैं। आपकी मंशा यह है कि इसका सरलीकरण किया जाये ताकि भ्रष्टाचार कम हो सके और वसूली अधिक हो। व्यापारियों को भी कम से कम कठिनाइयां हों। इस दृष्टि से आप मेरे इस सुझाव को स्वीकार करें।

आप आयात पर भी टैक्स लगाते हैं। उत्तर प्रदेश के अन्दर माल दो तरह से आता है। एक तो माल रेल द्वारा आता है और दूसरे ट्रान्सपोर्ट के माध्यम से आता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो रेल के माध्यम से माल आता है, उत्तर प्रदेश के बाहर से बिल्टी जब छूटेगी रेलवे स्टेशन से, आप यह बन्धन लगा सकते हैं स्टेशन मास्टर पर कि माल तब छोड़ा जायगा जब बीजक के आधार पर बिक्री कर जमा की रसीद कार्यालय से लाकर दिखा दी जाय। दूसरी बात जब ट्रान्सपोर्ट से माल मंगवाते हैं, ट्रान्सपोट के मालिक जिस प्रकार से चुंगी अदा करता है, उसी प्रकार से वह चुंगी के साथ-साथ चुंगी स्थल पर बीजक के आधार पर माल का बिक्री कर अदा कर दे।

श्री रेवती रमण रस्तोगी--

इसमें व्यापारी परेशान हो जायगा। यह गलत है। विचार कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—

आप तो बोल चुके हैं ,

श्री श्याम सुन्दर गुप्त—

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । जहां तमाम तरह के संशोधन करते हैं, आपने बिक्री कर लगाया है और आपने खरीद कर भी लगाया है, इसके अन्तर्गत खरीद कर भी लगाते हैं । भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात कई बार उठाई जाती है । उसमें कई विभागों को लपेटा जाता है । पुलिस विभाग के साथ-साथ बिक्रीकर विभाग भी आ जाता है। आप संशोधन व्यापारियों को पकड़ने का बहुत करते हैं, अधिकारियों को पकड़ने का आपने आज तक नहीं संशोधन किया। ४-६ अधिकारियों के घरों पर छापे डलवा दीजिये । आप उनके खर्चे देख लीजिए, तब आपको पता लग जायगा कि अगर आपके खजाने के अन्दर १० करोड़ रुपये आने चाहिए, उसकी जगह एक करोड़ ही क्यों आता है । आपने एक विशेष अनुसंधान शाखा बनाई । लेकिन तमाम शाखा, उपशाखा बनाते जाइये किन्तु पहले आप चोरी पकड़िये १० करोड़ की, जो १ करोड़ की दिखाई जाती है । यह रोका जा सकता है । मुझे क्षमा करें माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण दे दूं । अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । एक राजा को दूध पीने का शौक था । नौकर उसको सोते समय दूध पिलाता था । राजा से लोगों ने कहा कि आप सो जाते हैं, दूध आपको मिलता भी है कि नहीं मिलता । तब राजा ने इसे देखने के लिए जासूस लगा दिया कि दूध पिलाने के साथ एक सर्वेक्षण विभाग देखता रहे कि यह पूरा दूध पिलाता है कि नहीं। जब राजा को यह ध्यान नहीं रहता कि उसे पूरा दूध पिलाया जाता है कि नहीं, तब उस नौकर ने आधा दूध स्वयं ले लिया और आधा सर्वेक्षण वाले ने भी ले लिया । फिर शिकायत हुई, तो फिर एक विशेष अनुसंधान शाखा खोल दिया गया । तो फिर तीन लोग साझा करने लगे और उसके बाद शिकायत होने पर फिर एक फ्लाइंग स्क्वाड बना दिया गया कि दूध में चोरी तो नहीं होती और कथा इस प्रकार की है कि दूध की पूरी की पूरी गिलास की चोरी होती रही और राजा के होंठ में दूध चिपका दिया जाता रहा । मैं यह माननीय बिक्रीकर मंत्री जी से बताना चाहता हूं । मान्यवर, माननीय मोहन सिंह जी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि व्यापारी चोरी करते हैं, जैसे हर मोहन माखन चोर नहीं होता वैसे ही हर व्यापारी टैक्स चोर नहीं होता और हर अधिकारी भी रिश्वतखोर नहीं होता । लेकिन जब एक बात की चर्चा हर स्थान पर होने लग जाय और हर व्यापारी यह कहने लग जाय कि हमारा तो असेस्मेंट लिफाफा देखकर होता है । आप चाहे जितने फ्लाइंग स्क्वाड बना लीजिये, अगर इस प्रणाली में सरलीकरण करना है तो बिक्रीकर जो लिफाफा देखकर निर्धारित करते हैं उन पर अंकुश लगाने की बात सोचनी पड़ेगी । जब तक आप यह नहीं करेंगे तब तक आप जैसा चाहते हैं वैसा सरलीकरण इस विभाग का कर नहीं पायेंगे ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं । आपने संशोधन अमान्य कर दिये हैं, सन् १९७६ में जब आपातकाल था उस समय कांग्रेस हुकूमत ने बिक्री कर की दफा ३२ में संशोधन किया था और रेट्स बढ़ा दिये थे । अपील में ५० रुपये की कोर्ट फीस को बढ़ा कर २५० कर दिया था । इसी तरह से रिवीजन में कोर्ट फीस १०० से बढ़ाकर ५०० कर दी थी । इस तरह से अपील में बढ़ाकर १ प्रतिशत से २·५ प्रतिशत कर दिया और डिवीजन में ५ प्रतिशत से ७·५० प्रतिशत कर दिया था । अगर कमिश्नर से दफा ३५ में स्पष्टीकरण लेने कोई जाता है तो पहले २ रुपये की फोर्ट कोस से काम चल जाता था, अब ५० रुपये के टिकट

लगते हैं। पहले जब एडजर्नमेंट लेने जाते थे तो उस पर कोई टिकट नहीं लगता था, आज टिकट लगता है। मेरा निवेदन है इमरजेंसी के तमाम कानूनों को निपटाया गया है तो इस गलत कानून को भी समाप्त करिये। १० हजार रुपये की अपील में कोर्ट फीस २५० लगती है और ढ़ाई लाख की अपील पर भी २५० रुपये की कोर्ट फीस चार्ज करते हैं। इसी प्रकार से ६ हजार के रिवीजन में ५ सौ की कोर्ट फीस लगती है और १० लाख के रिवीजन पर भी ५ सौ की कोर्ट फीस ली जाती है। आप एक हजार कर दें भले हो लेकिन आप संशोधन कर दीजिये कि अगर रिवीजन मंजूर हो जायगा तो एक हजार रुपया वापस हो जायगा। आप महाराष्ट्र अपनी टीमों को लेकर गये थे।

महाराष्ट्र प्रदेश में अपील की अधिकतम कोर्ट फीस १ रुपया है। अगर आप अपील और रिवीजन की संख्या कोर्ट फीस बढ़ाकर कम करना चाहते हैं तो संख्या कम नहीं होगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि इमरजेंसी के पहले जो कोर्ट फीस थी वह करें। अगर महाराष्ट्र जैसा नहीं कर सकते हैं तो जो इमरजेंसी के पहले कोर्ट फीस थी वही रखें। एक बात और कहना चाहता हूं, मैंने जो संशोधन दिये हैं अगर आप अनुमति दें तो मैं पढ़कर २ मिनट में स्पष्ट कर दूं।

श्री अध्यक्ष--

आपको बाद में मौका मिलेगा।

***श्री बाबू राम** शुक्ल (जिला कानपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय संस्थागत वित्त मंत्री द्वारा जो बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसको समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं २, ३ सुझाव आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने इस सदन के बाहर और इस सदन में भी कई बार यह घोषणा की है और जैसा कि जनता पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में वादा किया था कि यह वादा निभाया जायगा और बिक्रीकर समाप्त किया जायगा। लेकिन प्रदेश के व्यापारी के मन में बराबर यह शंका बनी रहती है और बनती जा रही है कि बिक्रीकर समाप्त होने नहीं जा रहा है। उदाहरण के लिए शासन ने लाइसेंस फीस ३ साल की एक साथ जमा करने का निर्णय लिया। व्यापारियों ने प्रतिरोध किया तो फिर निर्णय लिया कि ३ साल की लाइसेन्स फीस एक साथ जमा करनी पड़ेगी लेकिन यदि व्यापारी व्यापार एक या दो साल बाद बन्द कर देता है तो बाकी लाइसेन्स फीस वापस कर दी जायगी लेकिन मान्यवर, आप जानते हैं कि एक बार सरकारी खजाने में पैसा जमा करने के बाद पैसा वापस लेने में कितनी कठिनाई होती है, इसको सभी जानते हैं। इसलिए व्यापारी के मन में बराबर असंतोष है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ३ साल की लाइसेन्स फीस के बारे में एक बार फिर पुनर्विचार करें।

मान्यवर, आज समाचार पत्र में पढ़ा कि इस देश के ५ प्रदेशों की सरकारें बिक्रीकर समाप्त करने के लिए सहमत हो गये हैं। इसके पहले केन्द्रीय वित्त मंत्री, श्री पटेल ने घोषणा की है कि बिक्रीकर प्रदेशीय सरकारों का प्रश्न है इसलिये हम उनको परसुएड कर रहे हैं कि बिक्रीकर समाप्त करने के लिए सहमत हो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बाबू राम शुक्ल--]

जाये । आज इस सम्बन्ध में घोषणा है कि ५ प्रदेश सहमत हो गये हैं और उनके प्रतिनिधियों की एक मीटिंग वह दिल्ली में बुलाने जा रहे हैं । मुझे समाचार पत्र पढ़कर हैरानी हुई कि ५ प्रदेशों में उत्तर प्रदेश का नाम नहीं था । इसलिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस बात को वह स्पष्ट करें कि जब उन्होंने सदन और इसके बाहर घोषणा किया है कि बिक्रीकर समाप्त करने जा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी सहमति केन्द्र सरकार को भेजा है कि नहीं । यदि नहीं भेजा है, तो कब तक भेजने वाले हैं ? इन शब्दों के साथ जो विधेयक में संशोधन पेश किये गये हैं उनका मैं समर्थन करता हूं ।

*श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल पर केवल इतना कहना चाहता हूं कि जनता सरकार की नीति रही है कि छोटे उद्योगों को हम गांव तक ले जायेंगे और ऐसे उद्योगों को पनपायेंगे जिससे गांव के लोगों को काम मिल सके और उनकी आमदनी बढ़े । तो इस बिल में ऐसी चीजों पर कर लगा दिया गया है जिसमें छोटे-छोटे उद्योग हैं । हमारे प्रदेश में आवश्यकता इस बात की है कि ऐसी चीजों की पैदावार करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाय जिससे दवाइयां बनें और बाहर से कुछ चीजें न लेना पड़े । जैसे इस प्रदेश में मेन्था उद्योग २-३ जिलों में चल रहा है । मैं समझता हूं कि मेन्था एक पौधा पुदीना की तरह होता है जिसको उबालकर तेल बनाया जाता है । ८-१० साल पहले तराई के क्षेत्र में किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए कहा गया कि यह पौधा लगायें और छोटे-छोटे प्लान्ट लगायें जिससे इसकी पैदावार बढ़े और आय बढ़े । किसानों ने उसको लगाया और उससे उनकी आमदनी हुई । वह फैक्टरी केवल कुटीर उद्योग के आधार पर है ।

हमारी सरकार की नीति है कि छोटे उद्योगों को पनपाने के लिये हम उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगायेंगे लेकिन अब उस पर भी टैक्स लगा दिया गया है । इसलिए मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि वह हाउस में इस तरह का आश्वासन दें कि मेन्था जैसी तेल तैयार करने वाली चीज पर टैक्स नहीं लगायेंगे । यदि मेन्था से पिपरमिन्ट और दवाइयां जो बनाते हैं उस पर टैक्स लगायें तो मुझे इतराज नहीं होगा लेकिन जो उद्योग २ लाख, एक लाख में लगते हैं और फिर उनके लिए कर दिया गया है कि उन पर १९७४ से टैक्स लगेगा । उस पर टैक्स लगे ७४ से, जो इन्डस्ट्री इस प्रकार लग कर तैयार होती है उस पर ५-६ साल पुराना टैक्स लगाया जाय तो मेरे ख्याल से उस इन्डस्ट्री का क्या होगा । किसान पौधे लगाना बन्द कर देंगे और पिपरमेंट बनाने के लिए आप को दूसरे प्रदेशों पर निर्भर होना पड़ेगा । अपने प्रदेश की प्लानिंग के लिए हमें यह विचार करना पड़ेगा कि जिस तरह से हम बड़े उद्योग लगाते हैं और उन्हें टैक्स में राहत देते हैं उसी तरह से आवश्यकता इस बात की है कि कुटीर उद्योग पर हमें बिल्कुल टैक्स नहीं लेना चाहिये जिससे किसानों की आमदनी बढ़े । किसानों की प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ेगी तो देहात खुशहाल होगा ।

एक बात मैं और बता देना चाहता हूं । लेजिस्लेचर सात प्रतिशत टैक्स की पावर देती है और सरकार अपना अध्यादेश निकाल कर, गवर्नमेंट आर्डर निकाल कर उसे १२ प्रतिशत कर दें तो मैं माननीय मंत्री से चाहूंगा कि वह इस तरह का आश्वासन हाउस को दें कि सात प्रतिशत से ज्यादा टैक्स नहीं लगेगा और मेन्था बनाने वाली जो छोटी फैक्टरियां हैं उन पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा । मैं इतना ही कहना चाहता था ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री श्यामधर मिश्र--

श्रीमन्, अभी जो इस विभाग पर विवाद हुआ है इस पर दो योग्य मंत्रियों ने अपनी बातें कहीं। एक तो वर्तमान मंत्री और एक भूतपूर्व मंत्री और एक ही जिले के, तो फिर बड़ी मुश्किल होती है और खास तौर से जब कि मंत्रीगण जिनके सम्बन्ध में मेरी अच्छी धारणायें हों। वह बात जब रखते हैं श्रीमन्, तो बहुत सी बातें हमें माननी पड़ती हैं।

श्रीमन्, मैं यह नहीं कहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने पूरी तरह से सरलीकरण नहीं किया है लेकिन उन्होंने स्वयं सुना होगा अपने कानों से जब माननीय मोहन सिंह जी ने और माननीय सदस्यों ने आलोचना की इस विधेयक की और यह बातें उनके सामने आईं और जो बातें आई वे इसका प्रमाण है कि बहुत जल्दीबाजी में अध्यादेश को नहीं लाना चाहिए था। फिर भी अगर जल्दीबाजी की गई तो फिर विचार करें जैसा कि माननीय मलिखान सिंह ने अभी कहा कि मेन्था आयल के सम्बन्ध में पूरी तरह से विचार करना चाहिये था। यदि विचार नहीं हो सका तो अब होना चाहिये। मैं तो यह कहता हूं कि अगर प्रवर समिति के सामने विधेयक आ गया होता तो माननीय मंत्री जी स्वतः हम लोगों के दबाव से सदन की आज्ञा मान कर के ऐसा विधेयक नहीं लाते कि मेन्था आयल के सम्बन्ध में ७४ से टैक्स लगाते। श्रीमन्, दुर्भाग्य इस प्रदेश का यह है और आज से नहीं पहले से जिसको अभी तक जनता पार्टी की सरकार दुरुस्त नहीं कर पाई कि टैक्सों को केवल आय की दृष्टि से देखा जाता है, उद्योग की दृष्टि से नहीं देखा गया। इसी वजह से जब एक माननीय सदस्य गुप्त जी कह रहे थे तो मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं और एक दूसरे सदस्य कह रहे थे, उनसे भी मैं बिल्कुल सहमत हूं। कोई कारण नहीं है कि एक ही वस्तु के सम्बन्ध में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में तीन/साढ़े तीन परसेंट का टैक्स हो और उत्तर प्रदेश में अधिक हो। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी से कि इसमें कम और अधिक की बात नहीं है। बात यह है कि आज केन्द्र से लगे हुये जो प्रान्त हैं, आप बैठकर ऐसे सभी प्रान्तों से एकीकरण करें। आपके रेट और उनके रेट एक हों और अगर वे कम नहीं करते तो आप कम करदें। अगर उनका रेट कम नहीं करा सकते, तो स्वयं कम कर दें। होता क्या है? जैसे सायकिल पर टैक्स है या और चीजों पर टैक्स है। आप दिल्ली जायें। दिल्ली में वही चीज सस्ती और गाजियाबाद में वही चीज महंगी। फरीदाबाद में सस्ती और गाजियाबाद में महंगी मिलती है। क्यों? क्योंकि वहां संस्थागत वित्त मंत्री जी का सेल्स टैक्स काम कर रहा है। तो, श्रीमन्, इस विधेयक में मुझे अवसर मिला है कि इसके प्रवर समिति को भेजने और इसके गुण और दोष पर कुछ कहूं। श्रीमन्, इस विधेयक में एक/दो बातें हैं जिसमें मैं कुछ कहना चाहता हूं। एक तो आयुक्त के सम्बन्ध में है और ट्रिबुनल के सम्बन्ध में है। मैं किससे ये बातें कह रहा हूं? मैं उससे कह रहा हूं जोकि इलाहाबाद की हाई कोर्ट में एक वकील रहे हैं और योग्य वकील रहे हैं। मुझको उनकी योग्यता पर शक नहीं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

सरलीकरण में योग्यता की क्या बात?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, यहां पर किसी व्यक्ति का सवाल नहीं है, वर्तमान आयुक्त अच्छे हैं। मान्यवर, आयुक्त आये हैं और हैं और आयेंगे। सवाल व्यवस्था का है। आयुक्त को न्याय का अधिकार कदापि नहीं देना है। आप जो ट्रिबुनल की व्यवस्था कर रहे हैं और उसमें धीरे से अध्यादेश में धारा १८ में यह लिख रहे हैं। अधिकारी जो होंगे, उनके नीचे के अधिकारी अथवा उनको भी ट्रिबुनल का अधिकार दिया जाएगा। मैं समझता हूं कि आपको कदापि यह नहीं करना चाहिए। आपको ट्रिबुनल वैसे ही रखना चाहिए जैसे कि इनकम टैक्स ट्रिबुनल होती है और इनकम टैक्स ट्रिबुनल इनकम टैक्स अधिकारी के अन्डर नहीं होती है। वह केन्द्र के फाइनेंस मंत्रालय के अन्डर होती है। वैसे ही ट्रिबुनल संस्थागत मंत्रीजी के अन्डर नहीं बल्कि दूसरे विभाग के अन्डर रहे जिससे कि आपका और आपके विभाग के अधिकारियों का दबाव न हो। ऐसी इसमें कुछ विधि होनी चाहिए। विभागीय अधिकारियों के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक आपत्ति है कि वह अधिकारी हैं। वह व्यवस्था के सम्बन्ध में है। आप व्यवस्था को देखिए। ट्रिबुनल देखिए जो उनसे बिल्कुल अलग रहे। इसी नक्शे में छः मास के बारे में कर दिया। ठीक है। कुछ नहीं कहना है। एक ही बात कहनी है कि इन्होंने ५० रुपए से बढ़ाकर २५० रुपए कर दिया। यह सरलीकरण किया है। यह तो कठोरीकरण कर दिया और मैं तो कहूंगा कि गूढ़ीकरण कर दिया।

एक सदस्य—

यह सरलीकरण समिति ने नहीं किया। यह तो इमरजेंसी के दौरान आपकी सरकार ने किया था।

श्री श्याम धर मिश्र—

उस नालायक सरकार ने वह नालायकी की लेकिन अब योग्य सरकार आई है तो वह क्यों नालायकी कर रही है। सवाल तो यह है कि योग्य सरकार नालायकी क्यों कर रही है? यह कोई जबाब नहीं देता कि नालायक सरकार अगर न होती तो यह सरकार क्यों आती? तो आपका यह प्रश्न आप वापस ले लें। कभी-कभी उत्तर गलत होते हैं और कभी-कभी प्रश्न गलत होते हैं और आपने मुझ से प्रश्न गलत किया। अगर कांग्रेस ने कुछ गलत काम न किए होते तो ३० वर्ष से शासन करके १९ महीने गलत काम करके इधर क्यों आ जाती। आप क्या उसकी नकल करने आए हैं? नकल तो आपने इतना किया कि कोई दूसरा नहीं कर सकता, तो आप यह न करें। माननीय श्री हरी सिंह ने बड़ा अच्छा भाषण किया, श्रीमन्। मैं सुन रहा था, वे इस समय यहां हैं नहीं। वह राजनीतिक भाषण था और वह चोट कर रहे थे, अपने पर ही चोट कर रहे थे। कह रहे थे कि १०-१५ वर्ष पहले कांग्रेस ने क्या किया। वे भूल गए कि १०-१५ वर्ष पहले वे स्वयं कांग्रेस में थे और सरकार के लिए हाथ उठाते थे उस कांग्रेस सरकार के लिए जिसने टैक्स के रूप में अनेक प्राविधान किए। चाहे मालवीय जी विरोध में रहे हों लेकिन हरी सिंह जी विरोध में नहीं थे। श्रीमन्, रजिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में माननीय मन्त्री जी एक नियम बना रहे हैं....एक चीज उन्होंने कही थी, मैं भूल रहा हूं। उन्होंने कहा कि अपील में जाने पर ५० फीसदी अगर वे पैसा दे दें तो.....

श्री केशरीनाथ त्रिपाठी—

५० प्रतिशत देने का अधिकार दे दिया गया है।

श्री श्यामधर मिश्र--

मैं इसको अच्छा समझता हूं। यह एक अच्छी चीज है और यह होना चाहिए। श्रीमन्, साथ-साथ मैं यह कहूंगा, जैसे कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि उपभोक्ताओं की दृष्टि से भी सरलीकरण होना चाहिए न कि केवल उनकी दृष्टि से जो कि बाजारों में विक्रेता हैं। आप देखें अभी एक मेन्था आयल की बात आई थी। मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एक चीज कहकर मैं खत्म करूंगा। कांग्रेस की सरकार के जमाने में एक गलती हुई। माननीय गुप्त जी सुन लें, मैं गलती बता रहा हूं कांग्रेस की, वे खुश होंगे। कांग्रेस के जमाने में एक गलती यह हुई कि इस प्रदेश में एक खेती का उद्योग था तम्बाकू का। तम्बाकू बोया जाता था, वह अभी भी बोया जाता है लेकिन इतना टक्स लगा दिया श्रीमन्, इतना उत्पादन कर और इतना टैक्स लगा दिया कि करीब करीब वह मर गया था। मर गया इस प्रदेश से और चला गया आंध्र प्रदेश में। आज आंध्र प्रदेश से करीब करीब डेढ़ सौ करोड़ रुपए प्रति वर्ष का तम्बाकू निर्यात होता है। आज उत्तर प्रदेश को इस दृष्टि से नहीं देखना है कि वाराणसी और मेरठ आपस में क्या हैं, बल्कि यह देखना है कि उत्तर प्रदेश तुलना में महाराष्ट्र के क्या है, उत्तर प्रदेश तुलना में आंध्र के क्या है, उत्तर प्रदेश तुलना में देश के क्या है और उत्तर प्रदेश तुलना में विदेश के क्या है? इस दृष्टि से माननीय मन्त्री जी, आपको कर लगाना है और मैं समझता हूं कि मेन्था आयल वगैरह पर जो टैक्स आपने लगाया है वह आपको बन्द करना है।

एक चीज कहूं मन्त्री जी, आपके पड़ोस में कालीन का व्यापार होता है और आपकी कांस्टीचुएन्सी तक वह व्यापार पहुंच गया है, आप जानते हैं। जरा सुन लीजिए। छोटे-छोटे जुलाहे, जो कताई करते हैं, ऊन बनाते हैं, धागा बनाते हैं। उन पर टैक्स लग रहा है। कैसा आपका नियम है। इस पर मैं अलग आपसे बात करूंगा, आपके कमिश्नर से बात करूंगा और आपके मन्त्री जी से बात करूंगा कि इस सम्बन्ध में न्याय करें और उस उद्योग के सम्बन्ध में ऐसा उद्योग जो १७५ करोड़ में १२५ करोड़ का निर्यात किया है, एक तहसील कर रही है। मालवीय जी आपके पड़ोस की तहसील निर्यात कर रही है। आपको तो कहना चाहिए था कि मैं सही कह रहा हूं।

श्रीमन्, इन शब्दों के साथ मैं ज्यादा समय तो लेना नहीं चाहता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। लेकिन यह बात कह कर समाप्त कर रहा हूं कि जो तात्कालिकता की बात मन्त्री जी ने कही, एक दो बात तात्कालिकता की दिखाते हुए भी अगर सरलीकरण की बात पूरे ढंग से लाए होते तो भी हम सन्तुष्ट होते। सरलीकरण समिति ने पूरी रिपोर्ट दे दी। पूरी रिपोर्ट आपने मन्जूर नहीं किया। आपने अधूरी रिपोर्ट अधूरे ढंग से अध्यादेश के रूप में सदन के मिलने के १५ दिन पूर्व ही कर दिया। क्या जल्दी थी? आप सारी बातों पर विचार करके सदन में लाते। मैजारिटी तो जनता पार्टी की थी ही। दस दिन में रिपोर्ट आती। हम और आप बैठकर विचार कर लेते। लेकिन अब तो आपको हमारा विरोध करना ही है। मैं कितना ही सत्य कहूं। अब तो मन्त्री कहेंगे ही कि मैं गलत हूं क्योंकि बात सदन में आ गई। इसी-लिए हम प्रवर समिति चाहते हैं और चाहते थे कि अध्यादेश के जरिए नहीं बल्कि मूल विधेयक के जरिए लाते तो अच्छा होता। मन्त्री जी अगर आप गलती करते जायेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि देश की जनता ने कांग्रेस जैसी पार्टी

[श्री श्यामधर मिश्र—]

को, जिसका इतिहास था, क्षमा नहीं किया। आपको तो क्षमा करने का सवाल ही नहीं उठता। आपका तो पहले का कोई इतिहास ही नहीं है। कोई एक पार्टी नहीं है। आपका तो घटकवाद है। यह मैं हरीसिंह जी के लिए कह रहा हूं। आप उन्हें बता देंगे।

*श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मैंने आपकी अनुमति से जो प्रस्ताव रखा था। उसके सम्बन्ध में सदन के माननीय सदस्यों ने जो सुझाव प्रस्तुत किए हैं मैं उनका आभारी हूं। सदन के माननीय सदस्यों ने मूल्यवान सुझाव दिए हैं। जैसा मैंने पहले जिक्र किया था अगर इस विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाता तो सम्भव था और भी कीमती सुझाव जो जनहित में थे और मन्त्री जी के लिए कारगर होते वह उनके सामने आ जाते। ऐसी स्थिति में मान्यवर, सदन के माननीय सदस्यों गुप्ताजी, मालवीय जी, माननीय शर्मा जी और श्री मोहन सिंह ने बड़े अच्छे-अच्छे सुझाव दिए हैं और वर्तमान सरकार के घोषणा पत्र की जो नीति है उसका मूल रूप में अमल न करने पर आलोचना की है। मान्यवर, दर असल जो घोषणापत्र है वह तो अनुभवहीनता का है। उस पर यह कमी अमल नहीं कर सकते हैं। यह तो सत्ता पाने के लिए घोषणापत्र बना डाला था जिससे कि जनता उनके साथ जा सके और यह सत्ता में आ सकें।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

तब हम यह नहीं जानते थे कि सत्ता में आयेंगे।

श्री मित्र सेन—

अगर घोषणापत्र पर अमल नहीं हो रहा है तो वह उनकी अनुभवहीनता का दोष है। जिस वक्त बार-बार यह जिक्र किया जाता है कि सारा रोग जो है जिसका यह निराकरण कर रहे हैं वह कांग्रेस की वजह से है। तो उस निराकरण में हमारा कहना है कि यह कांग्रेस से भी ज्यादा मर्ज के मरीज हैं और मर्ज उन पर ज्यादा छाता जा रहा है। शर्मा जी ने जैसा कहा यह घटकवाद संविद बुर्का सरकार है जिसमें हर तरह की चीज दिखाई पड़ती है। इनके नेता भी कहते रहते हैं कि वह कैसे इस मर्ज से निबटेंगे, कैसे प्रदेश की जनता को राहत दे सकेंगे, इसका नक्शा भविष्य में आ जायगा।

मैं यह कहूंगा कि बिक्रीकर अधिनियम को केवल राजस्व की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, प्रदेश का विकास कैसे हो इस दृष्टि से भी देखना चाहिए। बिक्रीकर को केवल विक्रेता की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए बल्कि उपभोक्ता की नजर से भी देखना चाहिए। सरलीकरण समिति की जो संस्तुतियां हैं उनको देखते हुए सीमान्त प्रदेशों में जो बिक्रीकर का निर्धारण है उसके अनुसार हमारे प्रदेश की सरकार एकीकरण कर ले तो मैं अपने प्रस्ताव को वापस ले सकता हूं। जो कर निर्धारण नीति हमारे प्रदेश की है उससे प्रदेश घाटे में चल रहा है और सीमान्त प्रदेश में कर निर्धारण के अनुरूप अगर यहां एकीकरण कर लिया जाय और जो सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के बड़े कीमती सुझाव हैं उनको भी मान लिया जाय तो विधेयक की जो मूल मंशा थी वह पूरी हो सकती है और यह एक बहुत अच्छी बात होती।

---

*[illegible] ने भाषण का [illegible] नहीं किया।

श्री केशरीनाथ त्रिपाठी--

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने बड़ी उपयोगी चर्चा आज इस बिक्रीकर के सम्बन्ध में की और कुछ बड़े ही मूल्यवान सुझाव भी आए हैं। मान्यवर, दो विषयों के सम्बन्ध में प्रत्येक सदस्य ने इशारा किया है। एक तो जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में वायदा किया गया था कि बिक्रीकर के स्थान पर उत्पादन शुल्क लगना चाहिए और दूसरे में था आयल के सम्बन्ध में। जहां तक बिक्रीकर के स्थान पर उत्पादन शुल्क लगाने की बात है घोषणा पत्र में यह बात लिखी है लेकिन मैंने पहले भी इस सम्बन्ध में सदन के अन्दर तथा सदन के बाहर कहा था कि उत्पादन शुल्क लगाने का अधिकार संविधान के अन्दर प्रादेशिक सरकार को नहीं है। अगर कोई यह अपेक्षा करता है तो आंशिक रूप से यह बात सही हो सकती है जहां तक बिक्रीकर हटाने का सवाल है लेकिन उसके स्थान पर उत्पादन शुल्क लगाया जाय यह बात हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। इसलिए मैंने इससे पूर्व अवसर पर भी यह कहा था, इस सदन के अन्दर और सदन के बाहर भी मैंने यह घोषणा की थी और आज भी मैं उस पर कायम हूं कि पहली अप्रैल, १९७९ तक सरकार बिक्रीकर के सम्बन्ध में कुछ न कुछ निर्णय अवश्य ले लेगी और यह बात रिकार्ड में होगी मैंने यह कभी नहीं कहा था कि पहली अप्रैल, ७९ को बिक्रीकर समाप्त हो जायगा। मुझे आशा है कि बिक्रीकर के बारे में जो भी निर्णय होगा उसका यह सदन स्वागत करेगा उस निर्णय से समय से सदन को अवगत करा दिया जाएगा। मान्यवर, मित्र सेन जी ने कहा कि बिक्रीकर का यह विधेयक जिस मंशा से लाया गया है उससे वह सहमत हैं लेकिन तात्कालिकता न होने के कारण इसे अध्यादेश के रूप में न लाते। दूसरी बात उन्होंने कही कि यह कर सिंगल प्वाइंट, एक पदीय होना चाहिए। माननीय सदस्य को मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में आज प्रत्येक वस्तु पर सिंगल प्वाइंट बिक्रीकर है। हां इतना अवश्य है कि अधिकांश वस्तुओं में प्रथम बिन्दु पर कर है और कुछ वस्तुओं पर अंतिम बिन्दु पर कर देय है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सभी चीजों पर केवल एक ही बार कर लगता है। ऐसा नहीं है कि एक चीज पर एक बार कर लगे और उसी चीज पर उसी रूप में दुबारा कर लगे। जहां तक उपभोक्ता की दृष्टि से विचार करने की बात है शासन ने समय-समय पर इस पर विचार किया और अनेक बार ऐसा हुआ है कि हमने बिक्री करों की दरों में घटौती की है। जहां-जहां ऐसे उद्योग थे जिन पर कुप्रभाव पड़ा है उनको हमने तमाम सुविधाएं दी हैं।

इसी तरह से मेंथा हर्ब की बात है उन्होंने कहा कि पहली बार कर लगा है और १९७४ से उस पर बिक्री कर लगा है यह सही नहीं है। मैं किसी दल को दोष नहीं देता लेकिन वर्ष १९७४ में धारा ३ (इ) का समावेश किया गया था जिसके अंतर्गत मेंथा हर्ब पर परचेज टैक्स लगता था। इसलिए कोई कहे कि पहली बार कर लगाया गया है तो यह सत्य नहीं होगा। शासन ने निर्णय लिया और इसी सदन के अंदर घोषणा हुई कि इस कर को पूर्वकालिक प्रभाव से अर्थात १९७४ से समाप्त किया गया। लेकिन शासन की यह नीति थी कि इस कार्यवाही का लाभ बड़े-बड़े उद्योगपति न उठा पाए इसलिए इस विधेयक में पूर्वकालिक प्रभाव से १९७४ से कर लगाने की व्यवस्था की गई। मेंथा हर्ब में १९७४ में कर लगा था। मेंथा तेल बनाने वाले धारा ३ (ई) के अन्तर्गत आते थे। जब मेरे कक्ष में कुछ माननीय सदस्य आए और उन्होंने कठिनाई का जिक्र किया तो

[श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—]

मैंने कहा कि शासन की कर नीति बिक्री कर के सम्बन्ध म सदैव से यही रही है कि यह कंपीटिटिव कम इनसेंटिव सेलसटैक्स पौलिसी स्पर्धात्मक तथा प्रोत्साहात्मक बिक्रीकर नीति होगी जिसमें कुटीर उद्योगों को, ग्रामीण उद्योगों को, छोटे-छोटे उद्योगों को, विनाश न करके विकास करने का अवसर दिया जाएगा। मैं समझता हूं कि इस सदन में दिए गए आश्वासन की अहमियत होती है। मैं कहना चाहता हूं कि इस धारा को जोड़ने के बाद भी उत्तर प्रदेश में मैंथा हर्ब के कुटीर उद्योगों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस दृष्टिकोण से हम प्रशासनिक स्तर पर विचार करेंगे।

दूसरी चीज बिक्रीकर की प्रक्रिया में मौलिक परिवर्तन करने पर चिंता व्यक्त की गई। उदाहरण के लिए आज ट्रीब्यूनल की बात होती है। उसके पहले भी रिफरेंस की व्यवस्था थी। मान्यवर, मैं जिस संदर्भ में जिक्र कर रहा हूं वह कोई फीस बढ़ने की बात है। जिस समय हाईकोर्ट में रिफरेंस प्रस्तुत किया जाता था उस समय दो सौ रुपया हाईकोर्ट में फीस लगती थी। अब आपात्काल में कांग्रेस सरकार ने क्या किया उसका जिक्र करना मैं निरर्थक समझता हूं। उसमें प्रक्रिया यह थी कि पहले व्यापारी जज रिवीजन या अतिरिक्त जज रिवीजन जिसका भी फैसला, हो उसके यहां दरख्वास्त दे और वहां कोर्ट फीस लगाए, टाईप कराए और हलफनामा लगाये....वकील की फीस दे इस बात के लिए कि वह जज महोदय हाईकोर्ट में उसके प्रार्थना पत्र पर रिफरेंस कर दे। फिर भी आम तौर पर वह खारिज होते थ और व्यापारी का पैसा व्यर्थ जाता था और वह फिर हाईकोर्ट में जाता था। वहां भी उसका लम्बा खर्च होता था और वहां वह अच्छी खासी फीस भी वहां के वकील को देता था, सैकड़ों रुपया टाईप आदि पर व्यय करता था और हाईकोर्ट जो फैसला देता था वह अधिकतर यह होता था कि इस मामले में कौन सा कानूनी बिन्दु है, इसके ऊपर जज रेफरेन्स हाईकोर्ट भेज दे, वही फिर लौटकर जज रिवीजन के पास आता था। फिर फार्मुलेशन आफ पाइन्ट वादबिन्दु तैयार करके वहां आता था और फिर हाईकोर्ट के वकील को फीस देता था। तो आप देखें कि ४-४ बार उसको दौड़ना पड़ता था, नीचे से ऊपर और ४-४ बार उसे फीस देनी पड़ती थी। तो अब इस सब भागदौड़ से बचाते हुए यह कर दिया है कि रिफरेंस में २ सौ के स्थान पर केवल ढ़ाई सौ रुपया देकर अन्तिम फैसला लो। इतना ही नहीं चार बार के बाद भी उनके पक्ष में फैसला हो तो कभी-कभी उसे पांचवी बार भी जज रिवीजन के पास फिर आना पड़ता था। इतनी सुविधाओं के बाद हमने केवल ५० रुपए की वृद्धि की है, क्योंकि इससे प्रशासनिक व्यय पर भार बढ़ जाता था। हमने कोर्टफीस में वृद्धि....

श्री श्यामधर मिश्र—

इसका मतलब यह हुआ कि जो वकीलों को मिलता था वह सरकार अब लेगी, तो बार एसोशिएशन को बता दिया जाए और उसे समाप्त किया जाए।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

उसका एक अंश तो सरकार आयकर के नाते ले ही लेगी।

श्री श्यामसुन्दर गुप्त—

माननीय मन्त्री जी, जैसा सभी सदस्यों ने कहा है, हाईकोर्ट के बड़े मशहूर वकील रहे हैं और उसी के अनुसार उन्होंने अपने कमजोर बिन्दु को बहुत जोरों के साथ रख दिया है और जो बात आपके विरुद्ध पड़ती है, उसका कोई जिक्र नहीं किया है। कोई फीस आपने ५०

रुपये की जगह ढ़ाई सौ और १०० की जगह ५०० रुपया कर दिया है औ उसे जस्टीफाई कर रहे हैं कि ५० रुपये और लगाकर रिवीजन की तकलीफों को घटा दिया गया है। रेफरेंस का जो जिक्र किया, स ल बनाने के लिए जो ट्रिब्युनल की आपने व्यवस्था कर दी है, उसके लिए धन्यवाद। रेफरेंस के बाद जो फैसले दिए गये हैं, तो क्या आप इससे सहमत नहीं हैं कि हाई कोर्ट में रेफरेंस करने के बाद पार्टी उपस्थित हो या नहीं हो, केवल गुणदोष के आधार पर फैसले हो जाते थे और ५० प्रतिशत फैसले व्यापारी के पक्ष में होते थे। आपने ५० रुपया कोर्ट फीस को बढ़ा दिया है, लेकिन अपील और रिवीजन की कोर्ट फीस की वृद्धि का आपने क्या जस्टीफिकेशन रखा है ?

श्री केशरीनाथ त्रिपाठी--

माननीय गुप्त जी भी वकील हैं और बिक्री-कर के हैं। वह अच्छी तरह जानते हैं कि जहां अपोजिट वकील अच्छे प्वाइन्ट के साथ खड़ा हुआ हो, उसमें कुछ बाधा डाल दी, कोई व्यवधान पैदा कर दो, जिससे वह अपने प्वाइन्ट से बहक जाए। कोर्ट फीस के पीछे भावना यह होती है कि उसको टैक्सेशन के रूप में न लगाकर फीस के रूप में ही माना जाए। इसलिए चाहे अपील या निगरानी में जब भी वृद्धि की बात आई है उसको इस आधार पर लाया गया है कि प्रशासन को उस सम्बन्ध में कितना व्यय करना पड़ता है, उसके द्वारा वह पूरा होगा या नहीं।

एक प्वाइंट जो माननीय गुप्त जी ने थोड़ा सा जिक्र किया लेकिन जिसको कानूनी भाषा में कहा जाता है प्रेस नहीं किया। वह यह था कि १९७६ में जो कोर्ट फीस बढ़ायी गयी थी उसके पीछे मंशा क्या थी और अब इसके पीछे मंशा क्या है। मैंने इस अध्यादेश में १९७६ में जो कोर्ट फीस बढ़ायी गयी थी उसी तरह रखा है। उसके अन्दर यह बात विहित थी कि मई १९७६ के बाद की जाने वाली अपील और निगरानियों में उसी तरह से कोर्ट फीस अदा होगी जो सम्बन्धित विज्ञाप्ति में थी। मैंने आज वही बात कही। कोर्ट फीस नहीं बढ़ायी गयी। जो १९७६ में उस विज्ञप्ति या उस संशोधन के दिन थी वह कोर्ट फीस निगरानी और अपीलों पर लगती रहेगी। इसके पीछे यह बात हो सकती थी कि १९७६ में जो संशोधन था वह प्रास्पेक्टिव था पूर्वकालिक प्रभाव से न होने के कारण उसके आधार पर पुराने वादों पर बढ़ी कोर्ट फीस नहीं लग सकती थी। लेकिन गुप्त जी को मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के निर्णयों में कहा गया है कि यदि कोई संशोधन पूर्वकालिका रूप से लागू किया जाता है तो शासन को अधिकार है कि पूर्वकालिक प्रभाव से कोर्ट फीस बढ़ा दे। १९७६ में शासन की मंशा थी कि उस तिथि के बाद होने वाले वादों पर बढ़ी दर लागू हो। उसका समावेश किया गया। (व्यवधान) वह बात आपसे हो जायगी।

मालवीय जी ने एक सुझाव और दिया था। उन्होंने यह कहा कि जहां तक सरलीकरण का प्रश्न, ठीक है, होना चाहिए जब तक बिक्रीकर समाप्त नहीं होता। लेकिन पूर्वकालिक प्रभाव से वसूली नहीं होनी चाहिए। इस अध्यादेश में कहीं भी पूर्वकालिक प्रभाव से वसूली नहीं है। सिवा मेथां हर्ब के। एक दूसरा पहलू रखना चाहता हूं। धारा ४(ई) को समाप्त करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन था। उस क्रय कर के कर निर्धारण की प्रक्रिया औ वसूली रोक रखी थी। जिम्मेदारी नहीं रुकी थी। जिम्मेदारी तो होगी ही। लेकिन इस कानून के द्वारा जो लागू करना चाहते हैं वह यद्यपि शब्दों की दृष्टि से कहा जाय कि पूर्वकालिक प्रभाव से है लेकिन वास्तविकता यह है कि क्रयकर अदा करने का उत्तरदायित्व तब भी था और अब भी

[श्री केशरी नाथ त्रिपाठी]

है। जैसा कि मैंने आश्वासन दिया इस वसूली के द्वारा कुटीर उद्योग या छोटे उद्योगों पर यदि प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो यह वसूली उनके विरुद्ध नहीं होगी।

इसके अतिरिक्त माननीय देव बहादुर ने कहा है कि यह बिक्री कर का सैंतीसवां संशोधन है। मैं तो तीन का उत्तरदायी हूं। बाकी कांग्रेस शासन के समय में हुए हैं।

श्री ऊदल--

आप सरकार की हैसियत से बोल रहे हैं। आप सैंतीसों के जिम्मेदार हैं।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

मैं उसी पर आ रहा हूं। तीन संशोधन इस सरकार ने और ३४ संशोधन पूर्व की सरकार ने किये। जब भी कोई संशोधन पारित हो जाता है तो यह मान जाता है कि उसकी उपयोगिता और आवश्यकता थी। इस लिए केवल संशोधन की संख्या गिनाने से लाभ नहीं यह संशोधन मुख्य या प्रोसीजरल है यद्यपि इसमें अन्य बातें भी समाविष्ट हैं। लेकिन मुख्यतः हम ने सरलीकरण समिति की उन संस्तुतियों को प्रभावी करने का प्रयास किया है जो सर्वसम्मति से स्वीकार कर ली गयी। माननीय गुप्त जी ने कहा कुछ संस्तुतियां शेष हैं। यह सही है और वे संस्तुतियां बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उनमें प्रश्न है कि शासन को वित्तीय लाभ होगा या वित्तीय हानि होगी। जैसे एक यह है कि उत्तर प्रदेश में कर की दरें पड़ोसी राज्यों के समान हों। इस पर बराबर विचार हो रहा है। साथ ही पड़ोसी राज्यों के बिक्री कर का भी अध्ययन कर रहे हैं। एक उदाहरण में देना चाहूंगा। दियासलाई का उदाहरण है। यदि उत्तर प्रदेश ने अपनी आय बढ़ाने के लिए कर में कमी कर दी क्योंकि दिल्ली जो हमारा पड़ोसी प्रदेश है वहां कर कम था। लेकिन अब दिल्ली ने कहा कि हम अपने यहां कर समाप्त कर देंगे तो? अगर यह प्रतियोगिता चलती रही कि हमने कम किया तो वह और कम कर दें और फिर हम कम करें तो वह समाप्त कर दें और इस तरह यह कर शून्य हो जाये तो इससे लाभ होने वाला नहीं। यह कहा गया कि एक समाचार छपा है कि पांच प्रदेश जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा आदि ने निश्चय किया है कि बिक्री कर की समाप्ति पर हम एकमत हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है हम तो पहले ही केन्द्र को अपनी सहमति प्रकट कर चुके हैं। यदि आज के समाचार पत्र में पांच राज्यों का नाम है तो इसका मतलब यह नहीं कि हमने अपनी सहमति प्रकट नहीं की। सहमति तो हम पहले ही प्रकट कर चुके हैं और जो व्यावहारिक कठिनाइयां हैं वह आपके समक्ष आज प्रस्तुत कर दीं। माननीय रस्तोगी जी ने कहा कि सरलीकरण समिति के अनुसार बिक्री कर पड़ोसी प्रदेशों के बराबर हो तो इसका उत्तर मैंने दे दिया। श्री मित्रसेन ने सम्भवतः यह कहा कि बिक्री कर सरलीकरण समिति की रिपोर्ट इस सदन के समक्ष प्रस्तुत होनी चाहिए।

मान्यवर, अदब के साथ कहना चाहता हूं कि वह तो पहले ही प्रस्तुत हो चुकी है। इसके अतिरिक्त माननीय गुप्तजी ने एक बात और कही कि जब सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट द्वारा कोई विज्ञप्ति अथवा संशोधन रद्द कर दिया जाता है तो यह सरकार उसी को किसी दूसरे रूप में लागू कर देती है। मान्यवर, दोनों का क्षेत्र अलग-अलग है। हम कानून बनाते हैं, यह सदन उन्हें पारित करता है। उस कानून के पीछे जो मंशा रहती है उसको हम व्यक्त करते हैं और सदन की अनुमति मिलती है। अब अगर किसी तकनीकी कारण से यह संविधान के किसी अनुच्छेद के कारण वह कानून रद्द किया जाता है तो हम उसमें संशोधन इस सदन की मंशा को

व्यक्त करने के लिए करते हैं। जहां कहीं कर लगाने की आवश्यकता होती है और यह महसूस किया जाता है कि उस निर्णय के अनुसार शासन की मंशा पूरी नहीं हो सकी तो अधिकार क्षेत्र हमारा है कि हम कानून बनावें। दूसरा अधिकार क्षेत्र हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का है कि अगर संविधान के विपरीत कोई कार्य है तो उसको रद्द कर दे। मान्यवर, यह चेक्स एन्ड बैलेन्सेज की थियोरी तो चलती रहेगी।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त--

बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है इसलिए मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने अधिकार क्षेत्र की बात कही तो उसमें कोई शिकायत नहीं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप अपने वक्तव्य के माध्यम से कहना चाहते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय से जो निर्णय हो और उसके परिणाम स्वरूप यदि किसी वस्तु पर टैक्स की दर घटती हो तो क्या व्यापारी को उस समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक सरकार दुबारा रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से संशोधन न कर दे। जब तक सरकार हाई कोर्ट के निर्णय होने के उपरान्त उसका संशोधन रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं करती है क्या आपकी यह मन्शा है?

श्री केशरीनाथ त्रिपाठी--

मैंने अभी उदाहरण दिया अलमूनियम का कि साढ़े तीन प्रतिशत की दर से कर लगना चाहिए और शासन की मंशा है कि ७ प्रतिशत की दर से कर लगना चाहिए और संशोधन कर दिया। साढ़े तीन प्रतिशत का अन्तर था और अलमूनियम के उद्योग पर बिलकुल प्रभाव न पड़े इसीलिए कर दिया कि जिन्होंने ७ प्रतिशत की दर से वसूल किया वे ७ प्रतिशत की दर से देंगे और जिन्होंने साढ़े तीन प्रतिशत की दर से वसूल किया है वह साढ़े तीन प्रतिशत की दर से देंगे। स्वायत्त कर निर्धारण के सम्बन्ध में बात हुई। उसकी सफलता के बारे में सन्देह नहीं है। बिक्री कर आयुक्त के सरकुलर की बात कही गयी उसको मैं देखूंगा और उनकी शंका का समाधान कर दूंगा।

श्री श्यामधर मिश्र जी ने उत्तर प्रदेश के उस उद्योग का जिक्र किया जिसमें एक तहसील से ७५ करोड़ रुपये की आय होती है। उस उद्योग में मिश्र जी स्वयं सम्बद्ध हैं और उनको मालूम है कि हम केवल कर की दृष्टि से नहीं जो उद्योग में लगे हैं उनकी दृष्टि से और जो वस्तु का उपभोग करते हैं उनकी दृष्टि से विचार करते हैं। ताकी फाइबर पर ७ प्रतिशत की दर से बिक्री कर लगाया गया था अब १-४-७८ से उस वस्तु के उपभोक्ता को देखते हुए और उद्योग को देखते हुए २ प्रतिशत कर दिया। ऐसा नहीं है कि हम सजग नहीं हैं। जैसे जैसे शासन को कठिनाइयां ज्ञात होती हैं हम यह प्रयास करते हैं कि उद्योग और उपभोग दोनों में किसी को कष्ट न हो। इन सब बातों को रखने के पश्चात मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय श्यामधर मिश्र जी और मित्र सेन जी ने जो संशोधन प्रस्ताव रखे हैं उनको वापस ले लें और इस विधेयक को पारित होने दें।

श्री श्यामधर मिश्र--

आयुक्त जो नियुक्त हैं उनके अन्तर्गत जो उपायुक्त हैं उनको न्यायिक सेवा का होना चाहिए। जडीशियल सर्विस से आवे। इनकम टैक्स ट्रिब्युनल लोग जिस तरह से होते हैं उसी तरह से इसमें भी हों।

[श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--]

इनकम टैक्स ट्रिब्युनल में भी एक एकाउन्ट मेम्बर होता है। यह जो ट्रिब्युनल की व्यवस्था की गयी है उसमें नियुक्ति इसी दृष्टि से होगी। बिक्री कर विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं एक सीमा पर आने के बाद प्रोन्नति पाने के अधिकारी नहीं होते हैं उनकी मांग थी कि उनकी प्रोन्नति का मार्ग खोला जाये और दूसरी ओर व्यापारी वर्ग की यह मांग थी कि एक ट्रिब्युनल खोला जाये। जो न्यायिक सेवा में हैं या जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश के पद की नियुक्ति के पात्र हैं जैसे इनकम टैक्स ट्रिब्युनल में एकाउन्ट मेम्बर होता है उसी तरह से विभाग के कुछ अधिकारियों को रखा जायेगा। इस प्रकार का प्रयास किया गया है। नियमों के अन्दर प्रतिबन्ध है कि न्यायिक मामलों में कार्यकारिणी के अधिकारी का एक्जीक्युटिव इन्टरफियरेन्स नहीं होगा। इसलिए माननीय मिश्र जी की जो आशंका है, मेरा ऐसा विचार है कि भविष्य में इस ट्राइब्युनल की कार्यवाही को देखते हुए निराधार ही पायी जायगी।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री मित्रसेन, क्या आप अपने प्रस्ताव को वापस लेते हैं ?

श्री मित्रसेन--

जी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, १९७८ का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, १९७८ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक सप्ताह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय ३ बज कर ४० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

खंड २ व ३

उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या १५ सन् १९४८ की धारा २ का संशोधन

२--उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा २ में

(क) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्--

"(क-१) 'अपील सुनने वाला अधिकारी' का तात्पर्य उस अधिकारी से है जिसे धारा ६ के अधीन अपील की जा सकेगी';

(ख) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा और पहली जून, १९७५ से रखा गया समझा जायगा सिवाय उसके उप खंड (३) के जिसे पहली नवम्बर, १९७८ को बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात्—

"(ग) 'व्यापारी' का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो उत्तर प्रदेश में (चाहे नियमित रूप से या अन्यथा) नकद या बाद में किये जाने वाले भुगतान या कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माल का क्रय, विक्रय, सम्भरण या वितरण करने का व्यापार करता है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है,

(१) कोई स्थानीय प्राधिकारी, निगमित निकाय, कम्पनी, कोई सहकारी समिति या अन्य सोसाइटी, क्लब, फर्म, अविभाजित हिन्दू कुटुम्ब या व्यक्तियों का अन्य संघ (एसोसियेशन), जो ऐसा व्यापार करता है;

(२) कोई मध्यवर्णिक (फैक्टर), दलाल, आढ़ती, कमीशन एजेन्ट, परिशोधी अभिकर्ता (डेल क्रेडर एजेन्ट) या कोई अन्य वाणिज्यिक अभिकर्ता (मर्केन्टाइल एजेन्ट) चाहे वह किसी नाम से पुकारा जाय, जो ऊपर वर्णित प्रकार का हो या न हो, और जो किसी प्रकट या अप्रकट मालिक के माल का क्रय, विक्रय, सम्भरण या वितरण करने का व्यापार करता है;

(३) कोई नीलामकर्ता, जो किसी प्रकट या अप्रकट मालिक के माल का क्रय, विक्रय, सम्भरण या वितरण करने का व्यापार करता है, चाहे इच्छुक क्रेता की प्रस्थापना उसके द्वारा स्वीकार की जाय मालिक द्वारा या मालिक के नामांकिती द्वारा;

(४) कोई सरकार जो, चाहे व्यापार के दौरान या अन्यथा, नकद या बाद में किये जाने वाले भुगतान या कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये प्रत्यक्ष रूप से या अन्य प्रकार से माल का क्रय, विक्रय, सम्भरण या वितरण करती है;

(५) प्रत्येक व्यक्ति जो राज्य के बाहर निवास करने वाले किसी व्यापारी के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है और राज्य में माल का क्रय, विक्रय, सम्भरण या वितरण करता है या ऐसे व्यापारी की ओर से निम्नलिखित रूप में कार्य करता है—

(क) माल विक्रय अधिनियम, १९३० में यथापरिभाषित वाणिज्यिक अभिकर्ता; या

(ख) माल या माल से सम्बन्धित हक के लेख्यों का प्रबन्ध करने के लिये अभिकर्ता; या

(ग) माल के विक्रय मूल का संग्रह या भुगतान करने के लिये अभिकर्ता या ऐसे संग्रह या भुगतान के लिये प्रतिभू ;

(६) किसी फर्म या कम्पनी या अन्य निगमित निकाय का मुख्य कार्यालय या मुख्यालय राज्य के बाहर हो और कोई शाखा या कार्यालय राज्य में हो, तो ऐसी शाखा या कार्यालय के माध्यम से माल का क्रय या विक्रय, सम्भरण या वितरण करने के सम्बन्ध में ऐसी फर्म या कम्पनी या अन्य निगमित निकाय :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे व्यक्ति को, जो ऐसी कृषि या औद्यानिक उपज का, जिसे उसने स्वयं उत्पन्न किया हो या किसी ऐसी भूमि में उत्पन्न किया हो जिसमें उसका चाहे स्वामी, भोग बन्धकदार, काश्तकार या अन्य रूप में कोई हित हो, विक्रय करता है या जो अपने द्वारा पाले गये कुक्कुट या पशुओं से कुक्कुटादि या दुग्ध उत्पाद का विक्रय करता है, ऐसे माल के सम्बन्ध में व्यापारी नहीं समझा जायगा,";

(ग) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा, अर्थात्—

"(ग–१) 'व्यापार का स्थान' के अन्तर्गत निम्नलिखित भी है—

(१) किसी मामले में जहां कोई व्यापारी किसी अभिकर्ता के माध्यम से (चाहे वह किसी नाम से पुकारा जाय) व्यापार करता है, ऐसे अभिकर्ता के व्यापार का स्थान;

(२) दुकान, भान्डारागार, गोदाम या अन्य स्थान जहां व्यापारी अपना माल रखता है;

(३) कोई कार्यालय या अन्य स्थान जहां व्यापारी अपनी लेखा–बही रखता है ;";

(घ) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा, अर्थात्—

"(घ–१) 'घोषित माल' का तात्पर्य केन्द्रीय विक्रय–कर अधिनियम, १९५६ की धारा १४ द्वारा, अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व का घोषित माल से है;";

(ङ) खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"(ज–१) 'अधिकरण' का तात्पर्य धारा १० के अधीन गठित बिक्री–कर अधिकरण से है;";

(च) खंड (झ) में, प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिया जायगा और पहली जून, १९७५ से निकाला गया समझा जायगा;

(छ) खंड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्--

"(ट) 'गाड़ी' (वेहिकिल) के अन्तर्गत ऐसी बाइसिकिल, बैलगाड़ी, जलयान या पशु भी है जो बोझ ढो रहे हों।"

धारा ३ का संशोधन

३--मूल अधिनियम की धारा ३ में,--

(क) उपधारा (१) में, शब्द और अंक "अपने विक्रय धन पर जो नियत रीति से अवधारित किया जायगा, धारा ३-क, धारा ३-क ख या धारा ३-क क" के स्थान पर शब्द और अंक "यथास्थिति, अपने विक्रय धन या क्रय-धन या दोनों पर, जो नियत रीति से अवधारित किया जायगा, धारा ३-क, धारा ३-क ख, धारा ३-कक या धारा ३-घ" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे;

(ख) उपधारा (२) में,--

(एक) शब्द "यदि कर निर्धारण वर्ष में उसका विक्रय-धन" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायेंगे, अर्थात्--

"यदि कर निर्धारण वर्ष में उसके,--

(क) धारा ३-घ के अधीन विज्ञापित माल के क्रय-धन,

(ख) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन कर देय क्रय-धन,

(ग) धारा ३-घ के अधीन कर देय विक्रय धन,

(घ) सभी माल के (धारा ३-घ के अधीन विज्ञापित माल को छोड़कर) विक्रय धन चाहे ऐसी बिक्री व्यापारी द्वारा सीधे या अपनी शाखा, डिपो या अभिकर्ता के माध्यम से राज्य के भीतर, अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान, या राज्य के बाहर की जाय,

का कुल योग";

(दो) स्पष्टीकरण १ और २ निकाल दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २ और ३ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

धारा ३-ककक का प्रतिस्थापन

४--मूल अधिनियम की धारा ३-क क क क के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी और १ अप्रैल, १९७४ को रखी गयी समझी जायेंगी, अर्थात्--

कतिपय संव्यवहारों पर क्रयकर देने का दायित्व

"३-क क क क--यदि उपभोक्ता को बिक्री के स्थल पर कर देय कोई माल किसी व्यापारी को बेचा जाता है किन्तु इस अधिनियम के किसी उपबन्ध की दृष्टि से विक्रेता द्वारा कोई बिक्री कर देय नहीं होता और क्रेता व्यापारी ऐसे माल की पुनः बिक्री राज्य के भीतर या अन्तर्राज्यीय वाणिज्य या व्यापार के दौरान उसी रूप और अवस्था में जिसमें उसने माल क्रय किया हो, नहीं करता है तो क्रेता व्यापारी, धारा ३ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसे क्रय पर उसी दर से कर का देनदार होगा जिस दर से राज्य के भीतर उपभोक्ता को ऐसे माल की बिक्री पर कर देय होता :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कर निर्धारण अधिकारी के संतोषानुसार यह प्रमाणित कर दिया जाय कि इस प्रकार क्रय किए गए माल पर कर पहले ही लगाया जा चुका है या धारा ३-ककक के अधीन लगाया जा सकता है तो इस धारा के अधीन कोई कर देय न होगा :

स्पष्टीकरण--इस धारा और धारा ३-ककक के प्रयोजन के लिए--

(१) उपर्युक्त प्रकार से क्रय किए गए कच्चे लिनन को ओटने के पश्चात् ओटी हुई कपास, या

(२) उपर्युक्त प्रकार से क्रय की गई कच्ची खाल और चमड़ी को परिष्कृत या शोधन करने के पश्चात् परिष्कृत खाल और चमड़ी या शोधित चमड़ा, या

(३) उपर्युक्त प्रकार से क्रय किए गए धान को कूटने के पश्चात् २ सितम्बर, १९७६ को प्रारम्भ होने वाली और ३० अप्रैल, १९७७ को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान चावल, की बिक्री उसी रूप में और अवस्था में समझी जायगी ।

मिथ्या प्रमाण-पत्र आदि जारी करने पर दायित्व

३-ख--इस अधिनियम में अन्यत्र दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, और धारा १४ और १५-क के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो व्यापारी इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबन्ध के अधीन निर्धारित कोई ऐसा मिथ्या या गलत प्रमाण-पत्र या घोषणा पत्र, किसी अन्य व्यापारी को जारी करे जिसके कारण ऐसे अन्य व्यापारी से किए गए क्रय या उसको किए गए विक्रय के संव्यवहार पर इस अधिनियम के अधीन देय कोई कर देय नहीं रह जाता है या रियायती दर पर देय हो जाता है, वह ऐसे संव्यवहार पर ऐसी धनराशि का देनदार होगा जो ऐसे संव्यवहार पर कर के रूप में देय होता यदि ऐसा प्रमाण-पत्र या घोषणा-पत्र जारी न किया गया होता :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही करने के पूर्व, सम्बद्ध व्यापारी को सुनवाई का अवसर दिया जायगा ।

स्पष्टीकरण--यदि प्रमाण-पत्र या घोषणा-पत्र जारी करने वाला व्यापारी उसमें अपना यह अभिप्राय प्रकट करे कि वह अपने द्वारा क्रय किए गए माल का उपयोग ऐसे प्रयोजन के लिए करेगा जिससे कोई कर देय न होगा या रियायती दर पर देय होगा किन्तु उसका उपयोग ऐसे प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए करे, तो प्रमाण-पत्र या घोषणा-पत्र को इस धारा के प्रयोजन के लिए गलत समझ लिया जायगा।"

श्री श्याम सुन्दर गुप्त--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खंड ४ के प्रस्तावित संशोधन के सम्बन्ध में निवेदन यह है कि चावल दाल और दलहन इन सब पर २ सितम्बर, १९७६ तक सेल टु कन्जूमर बिक्री कर लग गया था। अब इस संशोधन के माध्यम से चावल और धान इन दोनों वस्तुओं को एक माना जा रहा है। इसी प्रकार से दलहन और दाल भी २ वस्तुएं हैं। मेरी प्रार्थना है कि धान, चावल के साथ-साथ इसमें दाल और दलहन का भी उल्लेख कर दिया जाय। मैंने संशोधन यह दिया है कि खंड ४ द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने वाली मूल अधिनियम की धारा ३-क ककक के स्पष्टीकरण की मद में शब्द "क्रय किए गए धान" के बाद शब्द "तथा दलहन" और उसी पैरा की अन्तिम पंक्ति में "के दौरान चावल" के बाद शब्द "तथा दालें" जोड़ दिए जायं।

यह जो तरीका आपने दिया है इससे सेल टु कन्जूमर टैक्स लग गया। अगर माननीय मंत्री जी यह मानते हैं कि केन्द्रीय बिक्री कर कानून के अन्दर दलहन और दाल को एक ही वस्तु माना गया है और सदन को ये आश्वस्त करें कि प्रान्तीय बिक्री कर के अन्दर भी दलहन और दाल एक ही वस्तु मानी जायेगी और बिक्रीकर अधिकारी इसके पश्चात् दाल और दलहन को एक ही चीज मान कर टैक्स लगायेंगे तो मैं अपने संशोधन को वापस ले लूंगा।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

उत्तर प्रदेश का अधिनियम केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत है। उसमें धारा १५ में स्पष्ट प्राविधान है। साबुत दाल और दली हुई दाल एक ही मानी जायेगी, इसलिए यह संशोधन अनावश्यक है।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त--

मैं अपना संशोधन वापस ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री श्याम सुन्दर गुप्त को अपना संशोधन वापस लेने की अनुज्ञा दी जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५

धारा ३-घ ५--मूल अधिनियम की धारा ३-घ में,--

का संशोधन (क) उपधारा (१) में, अन्त में और स्पष्टीकरण-१ के पूर्व निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जायगा, और पहली अप्रैल, १९७४ को बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात् --

"प्रतिबन्ध यह है कि मेन्था हर्ब के प्रथम क्रय के क्रय धन पर ऐसा कर सात प्रतिशत की दर से या पन्द्रह प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर से, जिसे राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा घोषित करे, लगाया जायगा और उसका भुगतान किया जायगा ।"

(ख) उपधारा (३-क) निकाल दी जायगी ।

श्री मलिखान सिंह--

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है और जो भावना व्यक्त की है उसको देखते हुए मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

मैं माननीय मंत्री जी से इतना जानना चाहता हूं कि वे किस तरह से औद्योगिक इकाइयों को छूट देंगे, नियमावली बनायेंगे या क्या करेंगे ? इस पर प्रकाश डाल दें ।

श्री देव बहादुर सिंह--

इसमें तो पहली अप्रैल, १९७४ के स्थान पर पहली फरवरी, १९७८ से रखने की बात है, इसमें आपत्ति क्या है ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

सहूलियत दो प्रकार से दी जाती है एक तो ४-ख के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र देकर, दूसरे अगर कर निर्धारित हो जाता है तो सरकार उसे माफ भी कर सकती है । अगर सरकार यह समझती है कि वह उद्योग समाप्त होने वाला है उसके कारण या उसे हानि होने वाली है तो सरकार माफ कर सकती है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मलिखान सिंह जी, आप दूसरा संशोधन क्या पेश करेंगे ?

श्री मलिखान सिंह--

माननीय मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है उसके बाद मैं अपना यह संशोधन भी प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं ।

श्री मैनेजर सिंह--

मैं पेश करना चाहता हूं । मैं प्रस्ताव करता हूं कि "खंड-५ द्वारा मूल अधिनियम की धारा ३-घ की उपधारा (१) में अन्त में बढ़ाए जाने वाले प्रतिबन्धात्मक खंड की द्वितीय पंक्ति के शब्द "या पन्द्रह प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर से" निकाल दिए जायं ।

मान्यवर, अगर ७ प्रतिशत से १५ प्रतिशत तक कर बढ़ाने का अधिकार सरकार को दे दिया जाएगा तो इस अधिकार का दुरुपयोग होगा। माननीय मंत्री जी की भावना से ऐसा प्रतीत होता है कि उनका स्वयं का इरादा भी इस टैक्स की दर को बढ़ाने का है नहीं, जब उनका इरादा बढ़ाने का नहीं है तो १५ प्रतिशत रखने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता। इससे भ्रष्टाचार फैलता है और चोरियां कर की होती हैं। कर निर्धारण में मुनासिब सीमा अगर निर्धारित नहीं होती तो उसके कारण कर की चोरी होती है। इसमें सरकारी विभाग भी सम्मिलित रहता है। यदि आप यह १५ प्रतिशत का जो आप प्राविधान करा देंगे, इससे और भ्रष्टाचार बढ़ेगा और व्यापारियों में चोरी की प्रवृत्ति बढ़ेगी। उसमें आपके अधिकारियों की साठ-गांठ होगी और आपकी बदनामी होगी। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि जो ७ प्रतिशत का प्राविधान है, उसे रहने दें और १५ प्रतिशत का जो प्राविधान है उसे वापस ले लें।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

मान्यवर, इस संशोधन की मंशा ही यही है कि ७ प्रतिशत से कर लगें। बिक्री कर अधिनियम की अनेक धारायें हैं। इन सब में एक वह्य परिधि के नाते सीमा रख दी जाती है। इसलिए यह १५ प्रतिशत की जो सीमा रखी गयी है, वह एक आउटर लिमिट है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि १५ प्रतिशत से यह कर लगा दिया जायगा। संशोधन से स्पष्ट है कि ७ प्रतिशत कर लगाने का इरादा है। कहीं-कहीं पर ३ प्रतिशत, अधिकतम सीमा के बाद भी २ प्रतिशत का भी कर लगा हुआ है। इसलिए मैं माननीय मैनेजर सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वह इस संशोधन को वापस ले लें।

श्री मैनेजर सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विवश हूं, वापस न लेने के लिए। श्रीमन्, मैं बहुत ही खेद के साथ कहना चाहता हूं कि इस सदन में जब सदस्य बायें बैठते हैं आपके, तो उनकी दूसरी आवाज होती है और वही व्यक्ति जब दायें बैठते हैं तो उनकी आवाज बदल जाती है। इस प्राविधान का हम बहुत वर्षों से विरोध करते रहे हैं। आज बिक्री कर में ऐसा माननीय मंत्री जी प्राविधान करना चाहते हैं। कहते हैं दो परसेन्ट लिया जाता है और प्राविधान १५ परसेन्ट का रखा गया है। यदि ऐसा रखा गया है, तो उसका कोई औचित्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

वह तो आप अपनी बात कह चुके, मंत्री जी ने उत्तर दिया। अब आप वापस लेते हैं कि नहीं ?

श्री मैनेजर सिंह--

मंत्री जी स्वीकार करें या वापस लें। मैं वापस नहीं लेता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि "खंड ५ द्वारा मूल अधिनियम की धारा ३ घ की उपधारा (१) में अन्त में बढ़ाए जाने वाले प्रतिबन्धात्मक खंड की द्वितीय पंक्ति के शब्द "या पन्द्रह प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर से" निकाल दिए जायं।

(प्रश्न उपस्थित करने पर)

श्री देव बहादुर सिंह--

मैं विभाजन चाहता हूं, हां की संख्या अधिक है ।

(विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गयी ।)

(घंटी बन्द होने पर ।)

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्न मतानुसार अस्वीकृत हुआ :--

पक्ष में ७

विपक्ष में--८० ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ६ से १३ तक

धारा ३-च का संशोधन

६--मूल अधिनियम की धारा ३-च में,-

(क) शब्द "धारा ३-घ की उपधारा (१) के अधीन विज्ञापित माल के कुल क्रय धन, धारा ३-घ की उपधारा (२) के अधीन कर योग्य विक्रय धन का और अन्य समस्त माल के विक्रय-धन" के स्थान पर शब्द "धारा ३ की, उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, १९७८ द्वारा यथा संशोधित उपधारा (२) में निर्दिष्ट क्रय धन और विक्रय धन" रख दिए जायेंगे ;

(ख) वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खंडों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड रख दिया जायगा, अर्थात्;

"प्रतिबन्ध यह है कि घोषित माल के विक्रय धन या क्रय धन के सम्बन्ध में इस धारा के अधीन कोई अतिरिक्त कर देय नहीं होगा,";

(ग) स्पष्टीकरण निकाल दिया जायगा ।

धारा ४-क का संशोधन

७--मूल अधिनियम की धारा ४-क में, उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी और सदैव से रखी गयी समझी जायगी, अर्थात्--

"(१) धारा ३ या धारा ३-क में किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार की उपधारा (२) में यथा विनिर्दिष्ट राय है, तो वह विज्ञप्ति द्वारा किसी माल के सम्बन्ध में यह घोषणा कर सकती है कि उस माल के निर्माता द्वारा, राज्य के भीतर बिक्री का विक्रय धन ऐसी अवधि में (जो पांच वर्ष से अधिक न होगी) और ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों के

अधीन जैसी विनिर्दिष्ट की जाय, बिक्री कर से मुक्त रहेगा या उस पर ऐसी कम दर से जैसी वह निश्चित करे, कर देय होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन जारी की गयी प्रत्येक विज्ञप्ति के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि उसमें निम्नलिखित शर्तों को विनिर्दिष्ट कर दिया गया है, अर्थात्:—

(१) कि ऐसा विक्रय धन किसी कर निर्धारण वर्ष में दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है;

(२) कि निर्माता ने किसी कर निर्धारण वर्ष में लगातार छः मास से अधिक अवधि के लिए ऐसे माल का उत्पादन बन्द नहीं किया है :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी भी समय पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खंड के खंड (२) में निर्दिष्ट शर्तों को अधित्यक्त कर सकती है यदि उसका समाधान हो जाय कि छः मास से अधिक अवधि के लिए उत्पादन की ऐसी बन्दी निर्माता के नियंत्रणातीत किसी कारण से थी।"

८—मूल अधिनियम की धारा ४-ख में— धारा ४-ख का संशोधन

(क) उपधारा (१) में, खंड (क-१) में, प्रतिबन्धात्मक खंडों में, जहां-जहां भी शब्द "इस खंड" आए हों, उनके पश्चात् शब्द "या खंड (क)" रख दिए जायेंगे;

(ख) उपधारा (५) में,—

(एक) शब्द "दण्ड स्वरूप उस धनराशि का देनदार होगा" के स्थान पर शब्द "दण्ड स्वरूप ऐसी धनराशि का जैसी कर निर्धारक अधिकारी निश्चित करे, देनदार होगा" रख दिए जायेंगे;

(दो) खंड (क) और (ख) में, जहां-जहां भी शब्द, अंक और अक्षर "धारा ३, धारा ३-क, ३-कक या धारा ३-घ के अधीन, जैसी भी दशा हो" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन" रख दिए जायेंगे;

(तीन) वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिए जायेंगे;

(ग) उपधारा (६) और (७) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्—

"(६) यदि कोई व्यापारी, मान्यता का प्रमाण-पत्र दिए जाने के लिए उपधारा (२) में निर्धारित शर्तों और निबन्धनों का उल्लंघन करके, ऐसे विज्ञापित माल का जिसके कच्चे माल के लिए उसे ऐसा प्रमाण-पत्र दिया गया है, विक्रय करता है या अन्य प्रकार से उसका निस्तारण करता है तो

वह दण्ड-स्वरूप ऐसी धनराशि का देनदार होगा, जैसी कर निर्धारक अधिकारी निश्चित करे, जो ऐसे कर की धनराशि से कम न होगी जो राज्य में ऐसे विज्ञापित माल के विक्रय पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय होती और ऐसी कर की धनराशि के तीन गुने से अधिक न होगी;

(७) यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई बिक्री या खरीद अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान, राज्य के भीतर या भारत के बाहर निर्यात के दौरान हुई है या नहीं, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, १९५६ की क्रमशः धारा ३, ४ और ५ के उपबन्ध लागू होंगे ।

(८) इस धारा के अधीन कोई अर्थदण्ड तब तक आरोपित नहीं किया जायगा जब तक कि व्यापारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

(९) उन्हीं तथ्यों के सम्बन्ध में जिनके आधार पर इस धारा के अधीन अर्थदण्ड आरोपित किया गया है, धारा १४ के अधीन न तो कोई अभियोग संस्थित किया जायगा और न धारा १५-क के अधीन अर्थदण्ड आरोपित किया जायगा।'

धारा ६ का संशोधन

९--मूल अधिनियम की धारा ६ में उपधारा (१) में शब्द "अपील सुनने वाले या पुनरीक्षण अधिकारी" जहां वे पहली बार आए हैं, के पश्चात् शब्द "या अधिकरण" रख दिए जायेंगे और शब्द "अपील सुनने वाले या पुनरीक्षण अधिकारी" जहां वे दूसरी बार आए हैं, के स्थान पर शब्द "यथास्थिति, अपील सुनने वाले या पुनरीक्षण अधिकारी या अधिकरण" रख दिए जायेंगे ।

धारा ७ का संशोधन

१०--मूल अधिनियम की धारा ७ में, उपधारा (१-ग) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्--

"(१-घ) यदि किसी व्यापारी द्वारा बेचा गया माल विक्रय के दिनांक से छः मास के भीतर लौटा दिया जाता है और ऐसे विक्रय से सम्बन्धित वर्ष का कर निर्धारण अभी किया जाना बाकी हो तो वह उस मास की जिसमें ऐसा माल लौटाया जाय, समाप्ति के तीस दिन के भीतर केवल उसी प्रयोजनार्थ उस अवधि के लिए जिसमें ऐसा विक्रय किया गया था, एक पुनरीक्षित विवरण-पत्र प्रस्तुत कर सकता है ।"

धारा ७-क का संशोधन

११--मूल अधिनियम की धारा ७-क में, उपधारा (१) में, शब्द "अथवा धारा ३ घ की उपधारा (३-क) में, जैसी भी दशा हो", निकाल दिए जायेंगे ।

धारा ७-ग का संशोधन

१२--मूल अधिनियम की धारा ७-ग में, उपधारा (१) में, प्रतिबन्धात्मक खंड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड रख दिया जायगा और १ मार्च, १९७३ को रखा गया समझा जायगा, अर्थात्--

"प्रतिबन्ध यह है कि--

(१) मृतक के किसी दायित्व के सम्बन्ध में उसका निष्पादक, प्रशासक या अन्य विधिक प्रतिनिधि केवल मृतक की प्राप्त परिसम्पत्तियों तक देनदार होगा;

(२) कोई भी कार्यवाही जिसके अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही भी है, उस प्रक्रम से जारी रखी जा सकती है जिस पर वह व्यापारी की मृत्यु के समय लम्बित थी।"

धारा ८ का संशोधन

१३—मूल अधिनियम की धारा ८ में,—

(क) उपधारा (१-ख) में, शब्द "यथास्थिति, कर निर्धारण तथा मांग की नोटिस में निर्दिष्ट समय की समाप्ति के या बढ़ाए जाने के आदेश के दिनांक से तीन मास तक अदत्त रह जाय तो" के स्थान पर शब्द "कर निर्धारण तथा मांग की नोटिस में निर्दिष्ट समय की समाप्ति के बाद तीन मास तक अदत्त रह जाय तो ऐसी समाप्ति के दिनांक से" रख दिए जायेंगे और सदैव से रखे गए समझे जायेंगे;

(ख) उपधारा (८) में, शब्द "मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिए जायेंगे, अर्थात्—

"तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी और राज्य सरकार के किसी विशेष या सामान्य आदेश के अधीन रहते हुए, मालगुजारी के बकाया के रूप में या कर निर्धारक अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा निर्धारित रीति से वसूल की जा सकेगी और ऐसी वसूली के प्रयोजनों के लिए ऐसे कर निर्धारक अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी को—

(१) ऐसे सभी अधिकार होंगे जो सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन किसी सिविल न्यायालय को किसी डिक्री के अधीन देय धनराशि की वसूली के प्रयोजन के लिए है;

(२) किसी अन्य क्षेत्र में अधिकारितायुक्त कर निर्धारक अधिकारी या ऐसे प्राधिकृत अधिकारी से ऐसी वसूली करने की अपेक्षा करने का अधिकार होगा यदि बाकीदार या उसकी सम्पत्ति ऐसे अन्य कर निर्धारक अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी के क्षेत्र में है, और तदुपरान्त ऐसा अन्य कर निर्धारक अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी वसूली की कार्यवाही निर्धारित रीति से करेगा।";

(ग) उपधारा (९) में, खंड (ख) में, उपखंड (१) और (२) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रख दिए जायेंगे, अर्थात्:—

"(१) व्यापारी पर नयी नोटिस तामील करना आवश्यक न होगा, किन्तु केवल कम की गयी धनराशि ही वसूल की जायगी;

(२) यदि वसूली की कोई कार्यवाही कर निर्धारण करने वाले अधिकारी से भिन्न किसी कर निर्धारक अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष विचाराधीन हो तो कर निर्धारण करने वाला अधिकारी ऐसी कमी किए जाने की सूचना ऐसे कर निर्धारक अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी को देगा;"

(घ) उपधारा (९) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी और सदैव से बढ़ायी गई समझी जायगी अर्थात्--

"(१०) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी व्यापारी द्वारा भुगतान की गयी या जमा की गयी, या उससे वसूल की गयी या उसे वापस की जाने योग्य किसी धनराशि को सर्वप्रथम उस पर बकाया कर की मूल धनराशि, शुल्क, अर्थदंड या अन्य देयों के प्रति समायोजित किया जायगा और तत्पश्चात शेष धनराशि को, यदि कोई हो, व्यापारी द्वारा देय ब्याज, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित किया जायगा।"

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड ६ से लेकर खण्ड १३ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १४

धारा ८-क का संशोधन

१४--मूल अधिनियम की धारा ८-क में,--

(क) उपधारा (१) में, द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द और अंक "३० जून, १९७८ तक" के स्थान पर शब्द और अंक "२५ जुलाई, १९७८ तक" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे;

(ख) उपधारा (१-क) में, खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, और १ अप्रैल, १९७८ को रखा गया समझा जायगा, अर्थात्--

"(ग) किसी व्यापारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रथम कर निर्धारण वर्ष या उसके भाग के लिए पचहत्तर रुपये और प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष के लिये पचास रुपये और रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिये प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिए पचास रुपये शुल्क देय होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी व्यापारी ने १ अप्रैल, १९७८ के पूर्व ऐसे दिनांक के पश्चात की किसी अवधि के लिये रजिस्ट्रीकरण या नवीकरण करा लिया हो तो वह भुगतान किये गये शुल्क और इस खण्ड के अधीन देय शुल्क के अन्तर का भुगतान ऐसे समय के भीतर जिसकी अनुमति सम्बद्ध कर निर्धारक अधिकारी द्वारा दी जाय, करेगा और ऐसा न करने पर, यथास्थिति, उसका रजिस्ट्रीकरण या नवीनीकरण रद्द किया जा सकेगा।";

(ग) उपधारा (१-ख) में, अन्त में, निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्—

"यदि व्यापारी व्यापार करना बन्द कर दे और इस प्रकार व्यापार बन्द करने के दिनांक से तीस दिन के भीतर धनराशि वापस किये जाने के लिये आवेदन करे और रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र इस प्रकार रद्द कर दिया जाय तो व्यापार बन्द करने के दिनांक के पश्चात्वर्ती कर निर्धारण वर्षों के लिये, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण या नवीकरण शुल्क यदि पहले ही भुगतान कर दिया गया हो, वापस कर दिया जायेगा ।

स्पष्टीकरण—किसी व्यापार, फर्म या व्यक्तियों के संघ के विघटन या पुनर्संघटन या संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब के विभाजन या किसी व्यापारी द्वारा अपने व्यापार के हस्तान्तरण को इस उपधारा के अर्थान्तर्गत व्यापार को बन्द करना समझा जायगा ।"

श्री श्याम सुन्दर गुप्त—

मान्यवर, इसमें मैंने एक महत्वपूर्ण संशोधन यह दिया है । संशोधन इस प्रकार है—

"खण्ड १४ के उपखण्ड (ख) द्वारा मूल अधिनियम की धारा ८-क की उपधारा (१-क) में प्रतिस्थापित किये जाने वाले खण्ड (ग) का प्रतिबन्धात्मक पैरा हटा दिया जाय ।"

यह संशोधन इसलिए लाए कि इसमें एक प्रतिबन्धात्मक पैरा है जिसमें लिखा है "प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी व्यापारी ने १ अप्रैल, १९७८ के पूर्व ऐसे दिनांक के पश्चात् की किसी अवधि के लिए रजिस्ट्रीकरण या नवीकरण करा लिया हो तो वह भुगतान किये गये शुल्क और इस खण्ड के अधीन देय शुल्क के अन्तर का भुगतान ऐसे समय के भीतर जिसकी अनुमति सम्बद्ध कर निर्धारक अधिकारी द्वारा दी जाय, करेगा और ऐसा न करने पर, यथास्थिति, उसका रजिस्ट्रीकरण या नवीकरण रद्द किया जा सकेगा ।" मान्यवर, यह संशोधन इसलिए दिया कि रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन ३१ मार्च तक ले ली जाती हैं और नवीकरण १ अप्रैल से पहले हो जाता है । जो आपने संशोधन किया है उसमें जहां तक शुल्क बढ़ाने का सवाल है इसमें मुझे आपत्ति नहीं है जैसे कि ५० रुपये से ७५ रुपये रजिस्ट्रीकरण का शुल्क और नवीकरण का शुल्क २५ रुपये से बढ़ाकर ५० रुपये कर दिया, तो इसमें आपत्ति नहीं है । लेकिन १ अप्रैल से नवीकरण के लिए एप्लाई नहीं किया और रजिस्ट्रीकरण के लिए ३१ मार्च तक एप्लाई किया और शुल्क पुराना ५० रुपये और २५ रुपये दिया तो उसका अन्तर आप मांग रहे हैं और उसमें धमकी है कि बिक्रीकर अधिकारी चाहे तो यदि अन्तर अवधि के अन्दर नहीं दिया, रजिस्ट्रेशन कैन्सिल हो जायेगा । इससे व्यापार बन्द हो जायेगा और पेनाल्टी लगा दी जायेगी । इसलिए निवेदन है कि प्रतिबन्ध जो लगाया है उसको आप समाप्त कर दें और जो शुल्क बढ़ाया है उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है । आज से जबसे संशोधन कर रहे हैं तब से विधेयक लागू कर रहे हैं और तभी से बढ़ी दर पर शुल्क लें लेकिन १९७९ में लें, उसमें आपत्ति नहीं है । इसलिए मैंने यह संशोधन दिया है ।

[श्री श्याम सुन्दर गुप्त--]

मान्यवर, इसी खण्ड १४ में दूसरा संशोधन इस प्रकार है--"खण्ड १४ के उपखण्ड (ग) द्वारा मूल अधिनियम की धारा ८-क की उपधारा (१-ख) के अन्त में जोड़े जाने वाले पैरा की पंक्ति तीन के शब्द "और रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र इस प्रकार रद्द कर दिया जाय" । हटा दिये जाय ।"

मान्यवर, इसमें स्पष्टीकरण इसलिए चाहा है कि यह मूल संशोधन विधेयक का जो है वह इस प्रकार से है कि--"यदि व्यापारी अपना व्यापार करना बन्द कर दे और उसकी सूचना बिक्रीकर अधिकारी को दे दे तो जितने वर्ष व्यापार किया है उतने वर्ष की फीस उससे ली जायेगी और शेष वर्ष की फीस उसको रिफण्ड कर दी जायेगी । ३ वर्ष का रजिस्ट्रेशन की फीस जो व्यपारियों से मांगी गई थी और उसमें व्यापारियों का प्रतिवेदन जब मिला तो यह संशोधन कर दिया गया है कि ३ साल से पहले यदि फर्म डिजाल्व या बन्द हो जाती है तो उस फर्म के व्यापारी को शेष फीस वापस कर दी जायेगी । लेकिन यदि विधेयक में जो लिखा है कि व्यापार बन्द करने के दिनांक से तीस दिन के भीतर धनराशि वापस किये जाने के लिए आवेदन करे और रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र इस प्रकार रद्द कर दिया जाय तो व्यापार बन्द करने के दिनांक के पश्चातवर्ती कर निर्धारण वर्षों के लिये यदि शुल्क जमा कर दिया है तो वह वापस कर दिया जायेगा । व्यापार बन्द करने की सूचना बिक्रीकर अधिकारी को दे दिया लेकिन यदि उसने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैन्सिल नहीं किया तो इतने मात्र से व्यापारी को रिफन्ड नहीं मिलेगा । इसलिए मंत्री जी ने जैसा कहा है उनकी भावना के अनुकूल ही हमने दोनों संशोधन दिये हैं । यह दोनों संशोधन मेरे स्वीकार कर लें ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है ।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

मान्यवर, मुझे माननीय श्याम सुन्दर गुप्त जी के दोनों संशोधन स्वीकार नहीं हैं । यदि मैं पहले संशोधन को स्वीकार कर लेता हूं तो व्यापारियों में ही एक विभेद पैदा हो जायगा । एक के साथ पक्षपात तथा दूसरे के साथ दूसरा व्यवहार होगा । शासन की मन्शा यह स्पष्ट थी की रजिस्ट्रेशन की फीस ७५ रुपया और नवीनीकरण की फीस ५० रुपया सबसे ली जाय तो केवल इस आधार पर कि एक व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के लिए प्रार्थना-पत्र दे दे एक अमुक तारीख के पहले और दूसरा उस के बाद दे तो वह दण्ड का भागीदार भी होगा और उससे ज्यादा फीस भी ली जाय । यदि उससे पहले वाला व्यक्ति पहले दरखास्त दे दे उससे हम कम फीस लें । मान्यवर, इससे विभेद पैदा होगा यह प्रतिबन्ध हटाकर के जहां तक दूसरे संशोधन की बात है व्यापारी व्यापार बन्द करेंगे, वे तीस दिन में सूचना देंगे कि मैंने व्यापार बंद कर दिया लिहाजा अतिरिक्त शुल्क वापस कर दिया जाय । इस में स्वाभाविक है कि जांच होगी और जांच के परिणाम स्वरूप यह फैसला होगा और फाइल पर लिखा जायगा कि अमुक व्यापार बंद कर दिया है इसलिए वह शुल्क वापस लेने का अधिकारी है । उसमें एक शब्द और जोड़ दिया जायगा कि उसका रजिस्ट्रेशन का प्रमाण-पत्र रद्द किया जाता है । वरना यदि मैं गुप्ता जी का संशोधन स्वीकार कर लेता हूं तो उसका प्रमाण पत्र रद्द नहीं होगा, उस के दुरुपयोग की संभावना बन्द हो जायेगी और फीस की वापसी का हकदार नहीं होगा । इसलिए स्थिति को स्पष्ट करते हुये माननीय श्याम सुन्दर गुप्त जी से निवेदन करता हूं कि इस पर ध्यान दें और अपने संशोधन को वापस ले लें ।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त--

मान्यवर, मैं केवल आधा मिनट और माननीय मंत्री जी का और आप की आज्ञा से सदन का लेना चाहता हूं जहां तक मेरे दूसरे संशोधन का प्रश्न है अगर

माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देने को तैयार हों कि वह कर निर्धारण अधिकारी को इस प्रकार के आदेश देंगे कि यदि व्यपारी के द्वारा यह प्रार्थना-पत्र दिया जाता है कि उसकी फर्म डिजाल्व हो गई है, व्यापार उसनें समाप्त कर दिया है, और एक निश्चित् अवधि के अन्दर उसके प्रार्थना-पत्र का निस्तारण हो जाता है और उस के रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र को निरस्त कर दिया जायगा तो मैं अपने संशोधन को वापस ले सकता हूं ।

दूसरी बात जहां तक प्रतिबन्धात्मक पैरे का प्रश्न है मैं माननीय मंत्री जी से एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो १ अप्रैल के बाद रजिस्ट्री के लिए एप्लाई करेंगे उनको तो वहीं दण्ड भुगतना पड़ेगा । उन से तो आप को डिफरेन्स लेना नहीं है । डिफरेन्स तो आप उनसे मांग रहे हैं जिन्होंने नियम पालन कर ३१ मार्च को नवीकरण करा लिया । तो मेरे समझ में यह नहीं आता है कि ऐसे भेदभाव क्यों आप करने जा रहे हैं, कौन सा पक्षपात व्यापारियों के साथ हो रहा है । तो मैंने अपनी बात स्पष्ट कर दी और माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार कर लें ।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं इससे पहले कि गुप्त जी से एक बार पुनः अपने संशोधन को वापस लेने के बारे में निवेदन करूं मैं यह बता देना चाहता हूं कि जहां तक उप धारा (ख) का प्रश्न है और "प्रमाण-पत्र इस प्रकार रद्द कर दिया जाय" इस शब्दावली को हटाने की बात है, मैंने अपने कक्ष मे माननीय गुप्त जी से कहा था और उस बात को मुझे यहां पर कहने में संकोच नहीं है कि इस बात के प्रशासकीय निर्देश दे दिये जायेंगे कि जो भी व्यापारी प्रार्थना-पत्र देगा कि उसने व्यापार बंद कर दिया है अथवा उसकी फीस वापस कर दी जाय उस प्रार्थना-पत्र का ६ सप्ताह के अन्दर निस्तारण हो जायेगा इसलिए यह आश्वासन देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है । अपने कक्ष में भी मैंने दिया था । लेकिन यदि रजिस्ट्रेशन का प्रमाण-पत्र निरस्त नहीं हुआ तो उसके दुरुपयोग की संभावना बढ़ जायगी । माननीय गुप्त जी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं । अतः मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपने संशोधन को वापस ले लें ।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त--

मान्यवर, पचास प्रतिशत मांग मान ली गयी है इसलिए मैं संशोधन वापस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री श्याम सुन्दर गुप्त को अपने दोनों संशोधनों को वापस लेने की अनुमति दी जाय ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस हुए।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड १४ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न [illegible])

खण्ड १५, १६ व १७

धारा ८-ख का संशोधन

१५--मूल अधिनियम की धारा ८-ख में, निम्नलिखित संशोधन किये जायेंगे और १ अप्रैल, १९७८ को किये गये समझे जायेंगे, अर्थात्--

(क) उपधारा (१) में, शब्द "पच्चीस हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "तीस हजार रुपये" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (२) में, शब्द "पचास रुपये" के स्थान पर शब्द "पचहत्तर रुपये" और शब्द "पच्चीस रुपये" के स्थान पर शब्द "पचास रुपये" रख दिये जायेंगे ।

धारा ८-ग का संशोधन

१६--मूल अधिनियम की धारा ८-ग में,

(क) उपधारा (१०) में, शब्द "पुनरीक्षण के लिए प्रार्थना-पत्र दे सकता है" के स्थान पर शब्द "अपील दाखिल कर सकता है" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (११) में, शब्द, कोष्ठक और अंक "धारा १० की उपधारा (४) के अधीन" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी या न्यायालय के आदेश से" रख दिये जायेंगे ।

धारा ९ का संशोधन

१७--मूल अधिनियम की धारा ९ में,--

(क) उपधारा (१) में, प्रतिबन्धात्मक खण्डों के पश्चात निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्--

"प्रतिबन्ध यह भी है कि व्यापारी से भिन्न कोई व्यक्ति जो कर निर्धारक अधिकारी द्वारा २७ अप्रैल, १९७८ के पूर्व दी गई धारा १०-क में उल्लिखित किसी आज्ञा से भिन्न किसी आज्ञा से क्षुब्ध हो, १५ दिसम्बर, १९७८ तक अपील सुनने वाले अधिकारी को उस आज्ञा के विरुद्ध अपील कर सकता है ।";

(ख) उपधारा (३) में,--

(एक) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्--

"(क) कर-निर्धारण या अर्थदण्ड की किसी आज्ञा की दशा में,--

(१) ऐसी आज्ञा की पुष्टि या उसका अभिशून्यन कर सकता है ; या

(२) यथास्थिति, कर निर्धारण या अर्थ-दण्ड की धनराशि का कम करके या बढ़ाकर ऐसी आज्ञा में परिवर्तन कर सकता है, चाहे ऐसी कमी या बढ़ोतरी अपील के आधार में उठाये गये प्रश्न से या अन्य प्रकार से उद्भूत हो ; या

(३) आज्ञा को रद्द कर सकता है और कर निर्धारक अधिकारी को निदेश दे सकता है कि वह ऐसी जांच करने के पश्चात जैसी विनिर्दिष्ट की जाय, नई आज्ञा दे ; या

(४) कर निर्धारक अधिकारी को निदेश दे सकता है कि वह ऐसी जांच करे जैसी निदेश में विनिर्दिष्ट की जाय और ऐसे समय के भीतर जैसा निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर जिसकी वह समय-समय पर अनुमति दे, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे, और ऐसे समय की समाप्ति पर, अपील सुनने वाला अधिकारी, चाहे रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हो या नहीं, पूर्ववर्ती उपखण्डों के उपबन्धों के अनुसार अपील पर निर्णय दे सकता है; या";

(दो) अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्--

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि अपीलकर्ता अपील वापस लेने के लिए आवेदन करता है और निर्धारित कर या अर्थ-दण्ड को बढ़ाने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया है तो इस उपधारा की कोई बात अपील सुनने वाले अधिकारी को अपील को किसी प्रक्रम पर ऐसी टिप्पणी के साथ जिसे वह उचित समझें, खारिज करने से प्रवारित नहीं करेगी।";

(ग) उत्तर प्रदेश कराधान विधि (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, १९७८ द्वारा यथा प्रतिस्थापित उपधारा (३-क) में,—

(एक) प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, खण्ड (१) में, शब्द "उपधारा (१) के अधीन अपील के साथ" के पश्चात् निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायेंगे और दिनांक १ अप्रैल, १९७८ से बढ़ाये गये समझे जायेंगे, अर्थात्--

"या तत्पश्चात् अपील प्रस्तुत करने के दिनांक से या पहली नवम्बर, १९७८ से, जो भी पश्चातवर्ती हो, साठ दिन के भीतर";

(दो) अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्--

"स्पष्टीकरण---किसी अधिकारी द्वारा स्थगन के लिए इसी प्रकार के प्रार्थना-पत्र को अधिकारिता के अभाव में अस्वीकार किये जाने मात्र से अपील सुनने वाला अधिकारी ऐसे प्रार्थना-पत्र को ग्रहण करने से प्रवारित नहीं होगा।";

(घ) उपधारा (४) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्--

"(४) इस धारा के अधीन दिया गया कोई आदेश, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अन्तिम

(ङ) उपधारा (७) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्--

"स्पष्टीकरण--इस धारा या धारा १० में दी गयी किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि कर, शुल्क या अर्थदण्ड के किसी भाग का भुगतान करने की किसी अपेक्षा को अधित्यक्त या शिथिल करने से इन्कार करने के कारणों को अभिलिखित करना अपेक्षित है।"

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड १५, १६ और १७ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड १८

धारा १० के स्थान पर नयी धारा का रखा जाना

१८--मूल अधिनियम की धारा १० के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्--

बिक्री-कर अधिकरण

"१०--(१) एक बिक्री-कर अधिकरण होगा जिसमें एक अध्यक्ष और ऐसे अन्य सदस्य होंगे जिन्हें राज्य सरकार, समय-समय पर निम्नलिखित में से नियुक्त करना आवश्यक समझे--

(क) ऐसे व्यक्ति जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं या होने के लिए अर्ह हैं, और

(ख) ऐसे व्यक्ति जो बिक्रीकर उप-कमिश्नर से निम्न पद पर हों या रहे हों :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि अधिकरण में एक या अधिक ऐसे व्यक्ति हों जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हों तो उसे या उनमें से किसी एक को अध्यक्ष नियुक्त किया जायगा।

(२) अपील सुनने वाले अधिकारी द्वारा धारा ९ के अधीन या पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा धारा १०-ख के अधीन दिये गये आदेश से या बिक्रीकर कमिश्नर द्वारा दिये गये धारा ३५ के अधीन निर्णय से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसे आदेश या निर्णय की प्रति उस पर तामील किये जाने के दिनांक से छः मास के भीतर अधिकरण को अपील प्रस्तुत कर सकता है।

(३) परिसीमा अधिनियम, १९६३ की धारा ५, इस धारा के अधीन अपील कर लागू होगी।

(४) अधिकरण, अपीलकर्ता को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् किसी प्रक्रम पर अपील खारिज कर सकता है।

(५) अधिकरण, यदि उसने उपधारा (४) के अधीन पहले ही अपील खारिज न कर दी हो, संगत अभिलेखों को मंगा सकता है और उनका परीक्षण कर सकता है और पक्षों की सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्—

(क) ऐसे आदेश को पुष्ट, निरस्त या परिवर्तित कर सकता है; या

(ख) आदेश को रद्द कर सकता है और, यथास्थिति, कर निर्धारक या अपील सुनने वाले या पुनरीक्षण अधिकारी या बिक्रीकर कमिश्नर को निदेश दे सकता है कि वह ऐसी अग्रतर जांच, जैसी यदि विनिर्दिष्ट की जाय, करने के पश्चात् नया आदेश दे; या

(ग) कर, शुल्क या अर्थ-दंड की, या अन्य ऐसी धनराशि को जो देय धनराशि से अधिक वसूल कर ली गई हो, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार वापस करने का आदेश दे सकता है ।

स्पष्टीकरण—आदेश में परिवर्तन करने के, खंड (क) में निर्दिष्ट अधिकार के अन्तर्गत निर्धारित कर या अर्थ-दंड की धनराशि को कम करके या बढ़ाकर आदेश में परिवर्तन करने का अधिकार भी है ।

(६) यदि इस धारा के अधीन कोई अपील प्रस्तुत की गयी हो तो, प्राधिकरण, ऐसी अपील प्रस्तुत करने के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपीलकर्ता, द्वारा प्रार्थना-पत्र देने पर, पक्षों की सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उस आदेश के, जिसके विरुद्ध अपील की गयी हो, अधीन देय किसी कर, शुल्क या अर्थ-दन्ड की विवादग्रस्त धनराशि की वसूली को, या वापस करने योग्य पाई गयी धनराशि के भुगतान को, अपील का निस्तारण होने तक स्थगित कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि—

(१) कर, शुल्क या अर्थ-दंड की किसी विवादग्रस्त धनराशि की वसूली के स्थगन के लिये कोई प्रार्थना-पत्र ग्रहण नहीं किया जायगा जब तक कि प्रार्थी ने धारा ९ की उपधारा (१) के अधीन जमा करने के लिये अपेक्षित धनराशि के अतिरिक्त ऐसी विवादग्रस्त धनराशि की कम से कम एक-तिहाई धनराशि के भुगतान का सन्तोषप्रद प्रमाण प्रस्तुत न कर दिया हो ।

(२) अधिकरण, विशेष और पर्याप्त कारणों से जिन्हें अभिलिखित किया जायगा, ऐसी विवादग्रस्त धनराशि की एक तिहाई धनराशि का भुगतान करने के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती खण्ड की अपेक्षा को अधित्यक्त या शिथिल कर

(७) यदि धारा ११ के अधीन कोई प्रार्थना-पत्र उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हो तो अधिकरण, इस निमित्त उसे प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, ऐसी विवादग्रस्त धनराशि की वसूली को या ऐसी वापस करने योग्य पाई गयी धनराशि के भुगतान को ऐसे दिनांक तक जिसे वह उचित समझे, जो उक्त धारा के अधीन उच्च न्यायालय के निर्णय के दिनांक के पश्चात् का न होगा, उसी प्रकार स्थगित कर सकता है ।

(८) कर, शुल्क या अर्थ-दन्ड की वसूली के स्थगन के लिये इस धारा के अधीन दिया गया कोई आदेश तीस दिन से अधिक प्रवृत्त नहीं रहेगा जब तक कि अपीलकर्ता ने बकाया धनराशि के भुगतान के लिये सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी के संतोषानुसार पर्याप्त प्रतिभूति न दे दी हो ।

(९) अधिकरण के सदस्य समय-समय पर यथागठित एक, दो या अधिक सदस्यों की न्यायपीठ में बैठेंगे, और वे अधिकरण का ऐसा कार्य करेंगे जो उन्हें उपधारा (१०) और नियमों के अधीन रहते हुए अधिकरण के अध्यक्ष के आदेश से या उसके निदेशानुसार प्रदिष्ट किये जायें ।

(१०) (क) धारा ९ के अधीन अपील सुनने वाले अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई और उसका निस्तारण—

(१) एक सदस्य की न्यायपीठ द्वारा किया जायगा, यदि ऐसा आदेश असिस्टेंट कमिश्नर (न्याय) द्वारा दिया गया हो और विवादग्रस्त कर, शुल्क या अर्थ-दन्ड की धनराशि पांच हजार रुपये से अधिक न हो;

(२) किसी अन्य मामले में, दो सदस्यों की न्यायपीठ द्वारा किया जायगा ।

(ख) धारा १०-ख के अधीन दिये गये आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई और उसका निस्तारण दो सदस्यों की न्यायपीठ द्वारा किया जायगा ।

(ग) धारा ३५ के अधीन दिये गये किसी आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई और उसका निस्तारण तीन सदस्यों की न्यायपीठ द्वारा किया जायगा ।

(घ) अध्यक्ष, यदि वह ऐसा उचित समझें,—

(१) किसी अपील की सुनवाई और उसका निस्तारण वृहद्तर न्यायपीठ द्वारा किये जाने का निदेश दे सकता है;

(२) किसी अपील का अन्तरण एक न्यायपीठ से दूसरी न्यायपीठ को कर सकता है ।

(११) अधिकरण की बैठक के स्थान और प्रक्रिया और अधिकरण को अपील और अन्य लेख प्रस्तुत करने की रीति, नियमों के अधीन रहते हुए, ऐसी होगी जैसी अधिकरण अंगीकार करना उचित समझें ।

(१२) किसी न्यायपीठ द्वारा सुने गये मामले का निर्णय बहुमत की राय के अनुसार होगा । यदि सदस्यों की राय बराबर विभाजित हो तो अधिकरण का अध्यक्ष--

(क) यदि वह ऐसी न्यायपीठ का सदस्य नहीं था, अपनी राय दे सकता है, या किसी अन्य सदस्य की राय के लिये मामला निर्दिष्ट कर सकता है, तदन्तर मामले का निर्णय ऐसी राय के अनुसार किया जायगा; या

(ख) वृहद्तर न्यायपीठ बना सकता है ।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त--

मान्यवर, इस समय मैं जो सदन की भावना को देख रहा हूं उसको देखते हुये मैं जो संशोधन पढ़ रहा हूं उसको स्वीकार कर लेने का आग्रह करूंगा नहीं तो लोग यही कहेंगे कि उसी तरह इसे भी वापस कर दिया । मान्यवर, खंड १८ के उप खंड (६) में संशोधन प्रस्तुत किया है कि ये प्रतिबन्धात्मक पैराग्राफ संख्या (१) और (२) हटा दिये जायं ।

श्री अध्यक्ष--

आप अपना संशोधन पढ़ दें ।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त--

मान्यवर, खण्ड १८ में मेरा संशोधन इस प्रकार है कि--"खन्ड १८ द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली मूल अधिनियम की धारा १० की उपधारा (६) का प्रतिबन्धात्मक खण्ड हटा दिया जाय ।"

मान्यवर, जो प्रतिबन्धात्मक पैराग्राफ हैं, मेरा निवेदन है और मेरा अनुभव भी है कि जितने भी वसूली के स्थगन के प्रार्थना-पत्र दिये जाते हैं, आज के पहले तक, जज रिवीजन के सामने आते थे । अब आपने सुविधा दी कि अपील अदालत के सामने यह दिया जा सकता है । आपने प्रतिबन्ध लगाया कि मान लें किसी बिक्री-कर अधिकारी ने किसी व्यापारी पर यदि १०० रुपया बिक्री-कर लगाना चाहिये और १०,००० लगा दिया तो इस प्रतिबन्ध के आधार जो व्यापारी केवल १०० रुपये देने का जिम्मेदार होना चाहिये वह १०,००० का एक-तिहाई जब तक जमा नहीं कर देता, तब तक उसकी अप्लीकेशन को सुनेंगे नहीं । तो एक ओर अपने बिक्री-कर अधिकारी को असीमित अधिकार दे दिये कि जितना चाहे कर निर्धारण कर दे । अब आपने कुछ ऐसी गाइड लाइन्स दे दी कि जिनके अन्दर बेस्ट जजमेन्ट असेसमेन्ट में वह विचार कर सकता है । वह आपकी गाइडलाइन माने या न माने । लेकिन आज भी उनको अधिकार प्राप्त है कि जितना चाहें निर्धारित कर सकता है जिसकी कोई सीमा नहीं है । तो यह प्रतिबन्धा लगाना कि एक तिहाई टैक्स जब तक जमा नहीं कर देता,

[श्री श्याम सुन्दर गुप्त]

स्टे अप्लीकेशन नहीं लेंगे, तो आपकी मन्शा है कि व्यापारी जो टैक्स अदा नहीं करना चाहते, वे स्टे की सुविधा को प्राप्त करने के लिये वे स्टे प्राप्त कर लेंगे और उस रुपये का उपयोग करेंगे। मैं समझता हूं केवल विवादग्रस्त कर का स्थगन प्रार्थना-पत्र देते हैं। विवादग्रस्त कर की अपील करने और रिवीजन में उसको चैलेंज करने का अधिकार होता है। दूसरी बात यह है कि जब रिवीजन में जाना हो तो उसको कर का एक तिहाई पहले जमा करना होता है और केवल इसलिये कि एक तिहाई रुपया उसके पास नहीं है इसलिये उसको स्थगन भी नहीं मिलेगा और वह अपील भी नहीं कर सकेगा और आप उसको जेल में डाल देंगे। अब आपने इस विधेयक के माध्यम से यह भी प्राविधान कर दिया है कि बजाय रेवेन्यू अथारिटीज के बिक्रीकर अधिकारी ही बिक्रीकर की वसूली करेंगे। आपने बिक्रीकर अधिकारी को यह भी अधिकार दे दिया कि वे छः गुना, आठ गुना, जितना चाहें टैक्स लगा दें और अब आप उनको कर की वसूली का भी अधिकार दिये दे रहे हैं और फिर आप व्यापारी पर यह प्रतिबन्ध लगाने जा रहे हैं कि जब तक एक तिहाई जमा न कर दें तब तक स्थगन प्रार्थना-पत्र नहीं दे सकते हैं। तो इस पर आप पुनः सोचें।

दूसरा प्रतिबन्धात्मक पैरा यह है जिसमें आपने यह कहा है कि अधिकरण अदालतों को यह अधिकार होंगे कि वह चाहें तो इसको शिथिल कर दें और चाहें तो इस शर्त को माफ कर दें। मेरा कहना यह है कि अभी तक इस प्रकार के जितने प्रार्थना-पत्र अदालतों को दिये गये हैं उनको मंगा कर देख लें मन्त्री जी, तो देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा दो चार मामले ही उनको ऐसे मिलेंगे जिसमें अदालत ने छूट दी है कि वे एक तिहाई जमा न करें। इस तरह से व्यापारी न तो अपील कर पाएगा और न स्थगन आदेश प्राप्त कर पाएगा। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं मंत्री जी से कि वे नियमों को सुलभ करने जा रहे हैं, वह ट्रिब्यूनल की स्थापना करना चाहते हैं, उनकी मंशा यह है कि लोगों को न्याय मिल सके। तो न्याय का तकाजा तो यह है कि अगर उन्होंने कोर्ट फीस की बात हमारी नहीं मानी, उन्होंने यह बात भी नहीं मानी, तो कम से कम इतनी बात तो मान लें कि एक तिहाई जमा करने का जो प्रतिबन्ध है उसे वापस ले लें।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं श्री गुप्त के प्रस्ताव का उत्तर एक प्रश्न के रूप में देना चाहता हूं। सम्भवतः मालूम भी होगा श्री गुप्त को कि आज क्या व्यवस्था है। अगर इस विधेयक के पृष्ठ ३२ को देखेंगे माननीय गुप्त जी, जो वर्तमान व्यवस्था है पृष्ठ ३२ के सब पैराग्राफ ४ में, वह यह है कि "प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि व्यापारी धारा ९ के अधीन उसके द्वारा जमा किए जाने के लिये अपेक्षित कर या शुल्क की धनराशि के अतिरिक्त कर शुल्क या अर्थदंड की विवादग्रस्त धनराशि की कम से कम एक तिहाई धनराशि का भुगतान करने का संतोषप्रद प्रमाण प्रस्तुत न कर दे।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यथास्थिति पुनरीक्षण अधिकारी अथवा अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी, विशिष्ट एवं यथेष्ट कारणों से जो अभिलिखित किय जायेंगे, पूर्ववर्ती परन्तुक को कर शुल्क या अर्थदंड की विवादग्रस्त धनराशि से सम्बन्धित अनेश्वरों

में प्राविधान है और मान्यवर, मैंने इसको इसमें रख दिया। यह जो प्राविधान मैंने अभी पढ़ा है, वह जिस समय इस सदन में विचार के लिये आया था उस समय माननीय गुप्त जी ने अपनी असहमति नहीं प्रगट की थी। मान्यवर, स्थिति यह है कि लगभग ८० प्रतिशत विक्रीकर स्वीकृत बिक्रीकर होता है आम-तौर से। केवल २० प्रतिशत का एक तिहाई हमने जमा करने की बात कही है जो कि केवल ६-७ प्रतिशत आता है और फिर भी हम अधिकरण को यह अधिकार दे दिया है कि वे चाहें तो यह ६-७ प्रतिशत भी न जमा करने की छूट दे दें। अगर ऐसा प्राविधान न किया जाए, तो व्यापारी लोग कर की राशि को जमा नहीं करेंगे और जो वसूली राजस्व की होनी चाहिए उसको अपर्याप्त कारणों से स्थगित कराये रखेंगे। यह तो राजस्व के अहित में है इसलिये मैं माननीय गुप्त जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपना संशोधन वापस ले लें।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बड़े खेद के साथ एक निवेदन माननीय मन्त्री जी से करना चाहता हूं कि अगर उन्होंने यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया तो मैं समझता हूं कि उनकी मंशा यह है कि वे प्रक्रिया में सरलता और अच्छाई के बजाय पुराना जो प्राविधान था उसी को दोहरा दिया तो कोई अच्छा नहीं है। मंत्री जी ने मुझसे एक सवाल किया, मैं भी उनसे पूछना चाहता हूं कि जब कोई व्यापारी या एसेसी विद्वान अपील अधिकारी, विद्वान पुनरीक्षण अधिकारी या विद्वान हाई कोर्ट जज के सामने जाता है अपील करने के लिए तो क्या आप यह मानकर चलते हैं कि विद्वान ट्रिब्यूनल के अधिकारी योग्य और सक्षम नहीं हैं न्याय देने के लिए क्या आप यह मानकर चलते हैं कि सरकार के खिलाफ ही फैसला देंगे। जब आप न्याय अधिकारियों के विवेक पर इस बात को छोड़ रहे हैं कि एसेस किया हुआ टैक्स बरकरार रह जाय या वे घटा दें तो आप उनको यह अधिकार क्यों नहीं देते कि वे पूरा स्टे दे दें या एक तिहाई या आधा स्टे दे दें। आप इस पर क्यों प्रतिबन्ध लगा रहे हैं।

मान्यवर, बड़ी गलत परम्परा थी जहां न्यायाधीश को बांधना चाहते थे। न्यायालय स्वतंत्र होना चाहिए। जब आप यह मानकर चलते हैं कि ८० प्रतिशत सही होता है केवल २० प्रतिशत विवादग्रस्त होता है तो २० प्रतिशत के लिए क्यों बांधने का काम कर रहे हैं। आप उन्हें स्वतंत्रता दे दें। आप एसेसी को क्यों नहीं स्वतंत्रता देते। वकील बहस करता है और अगर प्राइमाफेसी केस बनता है तब स्टे मिलता है। कभी पूरे, कभी आधे और कभी एक चौथाई स्टे मिलता है। इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि न तो आप निष्पक्षता का पालन कर रहे हैं और न ही न्यायाधिकरण को स्वतंत्रता दे रहे हैं। अगर आप स्थगन के मामले में प्रतिबन्ध लगा रहे हैं तो मान्यवर, आप यथास्थिति कायम रख रहे हैं। आप यथास्थिति क्यों कायम रखना चाहते हैं, आप प्रगतिशील बनें। आप नया-नया कानून ला रहे हैं। बिक्री कर में बहुत कुछ सरलीकरण करके बिक्री कर अधिनियम में बहुत कुछ संशोधन किया। इसलिए मेरा निवेदन है कि पुरानी गलत प्रक्रिया को भी दूर करें और मेरे संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं कि इस संशोधन को मैं वापस लेने को तैयार नहीं हूं।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

मान्यवर, यह जो वर्तमान प्राविधान है, माननीय गुप्त जी को स्मरण होगा यह भी इसी सरकार के द्वारा लाया गया है। हम यथास्थिति कायम रखने के पक्ष में नहीं हैं वरन् प्रगति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आज मान्यवर, यह देखा जाय कि जो अपील की व्यवस्था होती है वह किस लिए होती है। इसलिए कि, अगर त्रुटियां हैं तो उनको दूर कर दी जायं। नीचे की अदालत अगर गलती करें तो उनकी अपील होती है। ऐसा देखा जाता है कि लगभग ३५ प्रतिशत अपीलें खारिज हो जाती हैं और नीचे की अदालतों का फैसला सही होता है। अगर फैसला सही है तो स्थगन आदेश देने की आवश्यकता ही क्या है। अदालत के सामने जो कागजात हैं वह उनको एक बार देख लें और अगर प्राइमाफेसी सही नहीं है तो पूरा स्टे दे दें। यह उनके विवेक पर छोड़ा गया है कि अगर पर्याप्त कारण समझते हैं तो स्थगन आदेश दे दें। कभी-कभी यह भी होता है कि अपील फाइल हुई और स्थगन हुआ तो उस रुपये का व्यापार में लगाकर एक दो साल स्थगन कराकर व्यापारी लाभ अर्जन करे तो शासन उस कर से क्यों वंचित रहे। इसलिए मैं गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि वे अपने संशोधन पर पुनर्विचार करें और इसे वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष--

गुप्ता जी, क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री श्याम सुन्दर गुप्त--

मान्यवर, मुझे आधा मिनट और दे दें तो शायद मन्त्री जी मेरी बात मान जायं।

श्री अध्यक्ष--

आप स्थान ग्रहण करें।

प्रश्न यह है कि खंड १८ द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली मूल अधिनियम की धारा १० की उपधारा (६) का प्रतिबन्धात्मक खंड हटा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १९ से ४२ तक

नयी धारा १०-ख का बढ़ाया जाना

१९--मूल अधिनियम की धारा १०-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्--

बिक्रीकर कमिश्नर द्वारा पुनरीक्षण

"१०-ख--(१) बिक्रीकर कमिश्नर या बिक्रीकर उप कमिश्नर से अनिम्न पद का कोई अधिकारी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विज्ञप्ति द्वारा प्राधिकृत करे, अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा पारित धारा १०-क में उल्लिखित आदेश से भिन्न किसी आदेश से सम्बन्धित अभिलेख को, ऐसे आदेश

की वैधता या औचित्य के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के लिये मंगा सकता है और उसका परीक्षण कर सकता है और उसके सम्बन्ध में ऐसा आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे ।

(२) उपधारा (१) के अधीन ऐसा कोई आदेश जिससे किसी पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, नहीं दिया जायगा जब तक कि उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

(३) उपधारा (१) के अधीन कोई आदेश--

(क) उस आदेश का, जो धारा ९ के अधीन अपील की विषय-वस्तु हो या रह चुका हो, या उक्त धारा के अधीन अपील सुनने वाले अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश का पुनरीक्षण करने के लिये नहीं दिया जायगा;

स्पष्टीकरण--यदि किसी आदेश के विरुद्ध अपील वापस ले ली जाय या धारा ३२ के अधीन देय शुल्क का भुगतान न करने या धारा ९ की उपधारा (१) का अनुपालन न करने के कारण खारिज कर दी जाय तो यह नहीं समझा जायगा कि वह आदेश धारा ९ के अधीन अपील की विषय-वस्तु रह चुका है;

(ख) प्रश्नगत आदेश के दिनांक से साठ दिन की समाप्ति के पूर्व नहीं दिया जायगा;

(ग) प्रश्नगत आदेश के दिनांक से चार वर्ष की समाप्ति के पश्चात् या उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, १९७८ की धारा १९ के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, जो भी पश्चात्वर्ती हो, नहीं दिया जायगा ।"

धारा ११ का संशोधन

२०--उत्तर प्रदेश कराधान विधि (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, १९७८ द्वारा यथा प्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा ११ में,--

(क) उपधारा (१) में, शब्द और अंक "धारा १० की उपधारा (२) के अधीन दिये गये आदेश से" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायेंगे, अर्थात्--

"धारा १० की उपधारा (२) के अधीन जैसी कि वह उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, १९७८ द्वारा प्रतिस्थापित किये जाने के पूर्व थी, या उक्त अधिनियम द्वारा यथा प्रतिस्थापित धारा १० की उपधारा (४) या उपधारा (५) के अधीन या अधिकरण द्वारा धारा २२ के अधीन दिये गये आदेश से";

(ख) उपधारा (४) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्--

"(४) उपधारा (१) के अधीन पुनरीक्षण के प्रार्थना-पत्र में मामले से सम्बन्धित विधि प्रश्न का ठीक-ठीक वर्णन होगा और विधि-प्रश्न के सूत्रकरण या किसी अन्य विधि-प्रश्न उठाय जाने की अनुमति देने के लिये उच्च न्यायालय सक्षम होगा।";

(ग) उपधारा (५) और (६) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी अर्थात्--

"(५) उपधारा (१) या उपधारा (३) के अधीन जैसी कि वे उक्त दिनांक के ठीक पूर्व थीं, उच्च न्यायालय में समाधान भेजने के लिये प्रत्येक प्राथना-पत्र, जो उक्त दिनांक को पुनरीक्षण अधिकारी या अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी के समक्ष विचाराधीन हो, उच्च न्यायालय को अन्तरित हो जायगा। इस प्रकार अन्तरित प्रत्येक ऐसे प्रार्थना-पत्र को और उपधारा (४) के अधीन, जैसी कि वह उक्त दिनांक के ठीक पूर्व थी, प्रत्येक प्रार्थना-पत्र को, जो उक्त दिनांक को उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हो, इस धारा के अधीन पुनरीक्षण के लिये प्रार्थना-पत्र समझा जायगा और उसका निस्तारण तद्नुसार किया जायगा।

(६) यदि उच्च न्यायालय ने उक्त दिनांक के पूर्व पुनरीक्षण अधिकारी या अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी से उपधारा (४) के अधीन, जैसी कि वह उक्त दिनांक के ठीक पूर्व थी, मामले का विवरण देने और समाधान के लिये उच्च न्यायालय को भेज देने की अपेक्षा की हो तो ऐसा अधिकारी यथाशीघ्र, उसे तद्नुसार समाधान के लिये भेजेगा। इस प्रकार भेजा गया प्रत्येक समाधान, और इस धारा की उपधारा (४) के अधीन, जैसी कि वह उक्त दिनांक के ठीक पूर्व थी, उच्च न्यायालय की अपेक्षा के अनुपालन में उक्त दिनांक के पूर्व ऐसे अधिकारी द्वारा भेजा गया प्रत्येक समाधान इस धारा के अधीन पुनरीक्षण के लिये प्रार्थना-पत्र समझा जायगा और तद्नुसार उसका निस्तारण किया जायगा।

(६-क) यदि पुनरीक्षण अधिकारी या अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी ने उक्त दिनांक के पूर्व, उपधारा (१) या उपधारा (३) के अधीन, जैसी कि वह उक्त दिनांक के ठीक पूर्व थी, प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर लिया हो, और ऐसे अधिकारी ने उक्त दिनांक के पूर्व समाधान न भेजा हो, तो वह, यथाशीघ्र उच्च न्यायालय को समाधान के लिये भेजेगा। प्रत्येक ऐसा समाधान, और उक्त दिनांक के

पूर्व ऐसे अधिकारी द्वारा पहले से भेजा गया और उक्त दिनांक को उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रत्येक समाधान, इस धारा के अधीन पुनरीक्षण के लिये प्रार्थना-पत्र समझा जायगा और तद्नुसार, उसका निस्तारण किया जायगा ।";

(घ) उपधारा (७) में, शब्द "पुनरीक्षण अधिकारी या अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी के आदेशानुसार" के स्थान पर शब्द "उस आदेश के अनुसार" रख दिये जायेंगे;

(ङ) उपधारा (८) में, शब्द "यथास्थिति, पुनरीक्षण अधिकारी या अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी" और शब्द "ऐसा अधिकारी" के स्थान पर शब्द "अधिकरण" रख दिया जायगा ।

धारा १२-ख का संशोधन

२१--मूल अधिनियम की धारा १२-ख में, शब्द "अपील सुनने वाले या पुनरीक्षण या अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी के समक्ष" के स्थान पर शब्द "अपील सुनने वाले अधिकारी या अधिकरण के समक्ष" रख दिये जायेंगे, और पार्श्वशीर्षक में शब्द "या पुनरीक्षण" निकाल दिये जायेंगे ।

२२--मूल अधिनियम की धारा १३ में,--

धारा १३ का संशोधन

(क) उपधारा (२) में शब्द "कार्यालय, दुकान, गोदाम, यान पात्र (बेसल) अथवा गाड़ी" के स्थान पर शब्द "व्यापार का स्थान या गाड़ी" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (४) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्--

"(४) इस धारा के प्रयोजनों के लिये, इसके अधीन प्राधिकृत अधिकारी किसी व्यापार के स्थान या गाड़ी, या किसी अन्य भवन या स्थान में, जहां उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि व्यापारी अपने व्यापार से सम्बन्धित कोई बही-खाते, लेख-पत्र, लेखे या माल रखता है या तत्समय रखे हुए हैं, प्रवेश कर सकता है और उनकी तलाशी ले सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि किसी आवासिक स्थान में, जो व्यापार, सह-निवास-स्थान न हो, न तो प्रवेश करेगा, न उसका निरीक्षण करेगा और न उसकी तलाशी लेगा, जब तक कि बिक्रीकर कमिश्नर द्वारा इस निमित्त लिखित रूप में विशेष रूप से प्राधिकृत न किया जाय ।";

(ग) उपधारा (४-क) में, जहां-जहां भी शब्द "कार्यालय, दुकान, गोदाम, यान-पात्र", आये हों, उनके स्थान पर शब्द "व्यापार के स्थान" रख दिये जायेंगे;

(घ) उपधारा (६) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्--

"(७) दन्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा १०० और १६५ के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, इस धारा के अधीन प्रवेश करने या तलाशी लेने या निरीक्षण करने के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त संहिता के अधीन कोई निरीक्षण करने या तलाशी लेने के सम्बन्ध में लागू होते हैं।"

धा 1१३-क का संशोधन

२३--मूल अधिनियम की धारा १३-क में,--

(क) पार्श्व शीर्षक में, शब्द "तथा जब्त" निकाल दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (१) में, जहां-जहां भी शब्द "कार्यालय, दुकान, गोदाम, गाड़ी, यान-पात्र" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "व्यापार के स्थान या गाड़ी" रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (१-क) में, शब्द "यान-पात्र" निकाल दिया जायगा।

धारा १५-क का संशोधन

२४--मूल अधिनियम की धारा १५-क में, उपधारा (१) में,--

(क) खंड (४) में, अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्--

"प्रतिबन्ध यह है कि जहां किसी प्रतिभूति की मांग न की गयी हो वहां, यदि व्यापारी केवल ऐसे माल का व्यापार करता है जो धारा ४ के अधीन बिना किसी शर्त के छूट से मुक्त हो, अर्थ-दन्ड उस कर निर्धारण वर्ष के लिये जिसमें व्यतिक्रम किया गया हो, देय रजिस्ट्रीकरण या नवीकरण शुल्क की धनराशि के दुगुने से अधिक न होगा और किसी अन्य व्यापारी की दशा में प्रति मास या उसके भाग के लिये जिसमें व्यतिक्रम किया गया हो, पचास रुपये से अधिक न होगा किन्तु प्रति कर-निर्धारण वर्ष के लिये पांच सौ रुपये से अधिक न होगा।";

(ख) स्पष्टीकरण में शब्द "किसी जांच चौकी का प्रभारी अधिकारी" के स्थान पर शब्द "जांच चौकी पर तैनात सहायक बिक्री-कर अधिकारी से अनिम्न पद का अधिकारी" रख दिये जायेंगे और तदैव से रखे गये समझे जायेंगे।

धारा १८ का संशोधन

२५--मूल अधिनियम की धारा १८ में,--

(क) उपधारा (१) में, शब्द "पन्द्रह दिन" के स्थान पर शब्द "तीस दिन" रख दिये जायेंगे;

(ख) अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्--

"स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिये धारा ३

२६--मूल अधिनियम की धारा २१ में प्रतिबन्धात्मक खंड और स्पष्टीकरण समेत उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्--

धारा २१ का संशोधन

"(२) इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी कर निर्धारण वर्ष के लिये इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन कर निर्धारण का कोई आदेश ऐसे वर्ष के अन्त से चार वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं दिया जायगा ।

(३) यदि किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए उपधारा (१) के अधीन नोटिस चार वर्ष की उक्त अवधि के भीतर तामील हुई हो तो उसके अनुसरण में कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण का आदेश चार वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् छः मास के भीतर दिया जा सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी नोटिस १ अप्रैल, १९७८ के पूर्व तामील हुई हो तो ऐसा आदेश चार वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् एक वर्ष के भीतर दिया जा सकता है ।

(४) यदि कर निर्धारण का कोई आदेश रद्द कर दिया जाय और मामले को इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी अधिकारी द्वारा या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पुनः कर निर्धारण के लिए प्रतिप्रेषित किया जाय तो कर निर्धारक अधिकारी को मामले के प्रतिप्रेषण के आदेश की प्रति प्राप्त होने के दिनांक से, एक वर्ष के भीतर या ३१ दिसम्बर, १९७९ तक, जो भी पश्चात्वर्ती हो, पुनः कर निर्धारण का आदेश दिया जा सकता है ।

(५) यदि किसी कर निर्धारण वर्ष के कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण का कोई आदेश धारा ३० के अधीन रद्द कर दिया जाय तो उस वर्ष के लिए कर निर्धारण या पुनः कर-निर्धारण का नया आदेश उस दिनांक से जब पूर्ववर्ती आदेश रद्द किया गया था, छः मास के भीतर दिया जा सकता है ।

(६) यदि किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिए कर-निर्धारण या पुनः कर-निर्धारण की कार्यवाही किसी न्यायालय या अधिकारी के आदेश से स्थगित रहे तो स्थगन आदेश के दिनांक को प्रारम्भ होने वाली और सम्बद्ध कर निर्धारक अधिकारी को स्थगन को अभिशून्य करने वाला आदेश प्राप्त होने के दिनांक को समाप्त होने वाली अवधि को इस धारा में उपबन्धित परिसीमा अवधि की संगणना करने में अपवर्जित कर दिया जायेगा ।

(७) यदि किसी कर-निर्धारक अधिकारी द्वारा किसी विक्रय-धन को किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिए किसी व्यापारी के कर-निर्धारण या पुनः कर निर्धारण में सम्मिलित किया गया हो और किसी वरिष्ठतर अधिकारी या न्यायालय ने, अपने

में विधिपूर्वक निहित अधिकारों का प्रयोग करके, ऐसे विक्रय-धन को—

(१) किसी अन्य कर-निर्धारण वर्ष के लिए उस व्यापारी के, या

(२) केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, १९५६ के अधीन उस व्यापारी के, या

(३) इस अधिनियम के अधीन या केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, १९५६ के अधीन किसी अन्य व्यापारी के,

कर निर्धारण से सम्बन्धित ठहराया हो तो इस धारा की कोई बात, यथास्थिति, उस व्यापारी के या ऐसे अन्य व्यापारी के ऐसे अन्य कर निर्धारण वर्ष के या केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, १९५६ के कर-निर्धारण या पुनः कर-निर्धारण के सम्बन्ध में लागू न होगी।"

धारा २२ का संशोधन

२७—मूल अधिनियम की धारा २२ में, उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"(१) कर-निर्धारक, अपील सुनने वाला या पुनरीक्षण अधिकारी या अधिकरण अपने आदेश मे अभिलेख देखने मात्र से प्रत्यक्ष किसी भूल को, स्वप्रस्ताव में या व्यापारी या किसी अन्य हितबद्ध व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर उस आदेश के दिनांक से जिसमें सुधार किया जाना हो, तीन वर्ष के भीतर सुधार सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि इस उपधारा के अधीन प्रार्थना-पत्र ऐसी तीन वर्ष की अवधि के भीतर दे दिया गया है तो उसका निस्तारण ऐसी अवधि के पश्चात् भी किया जा सकता है :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई सुधार, जिसके प्रभाव से निर्धारित कर, अर्थ-दण्ड, शुल्क या अन्य देयों में वृद्धि हो, तब तक नहीं किया जायगा जब तक कि ऐसे व्यापारी या अन्य व्यक्ति को जिसके ऐसी वृद्धि से प्रभावित होने की सम्भावना हो, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।"

धारा २९ का संशोधन

२८—मूल अधिनियम की धारा २९ में,—

(क) उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"(२) यदि उपधारा (१) के अनुसार वापस की जाने वाली धनराशि, यथास्थिति, कर निर्धारक अधिकारी द्वारा दिए गए वापसी के आदेश के दिनांक से, या यदि ऐसा आदेश किसी अन्य सक्षम अधिकारी या न्यायालय द्वारा दिया जाय, तो कर निर्धारक अधिकारी को ऐसे आदेश की प्राप्ति के

दिनांक से, तीन मास के भीतर वापस नहीं की जाती है जैसा कि ऊपर दिया गया है, तो व्यापारी ऐसे आदेश के दिनांक से वापसी के दिनांक तक के लिए ऐसी धनराशि पर अट्ठारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का हकदार होगा ।";

(ख) उपधारा (३) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिए जायेंगे, अर्थात्--

"स्पष्टीकरण-१--धनराशि की वापसी का दिनांक वह दिनांक समझा जायगा जब धनराशि वापसी का वाऊचर तैयार होने की सूचना निर्धारित रीति से व्यापारी को भेज दी जाय ।

स्पष्टीकरण-२--पद "वापस" के अन्तर्गत उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन कोई समायोजन भी है ।"

धारा ३० का संशोधन

२९--मूल अधिनियम की धारा ३० को पुनः संख्यांकित करके उसकी उपधारा (१) कर दी जायगी और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्--

"(२) यदि धारा ७-क की उपधारा (१) के अधीन कोई कर-निर्धारण आदेश एक पक्षीय दिया जाय तो व्यापारी आदेश तामील किए जाने के पन्द्रह दिन के भीतर कर निर्धारक अधिकारी को ऐसा आदेश रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है और यदि ऐसे कर निर्धारक अधिकारी का समाधान हो जाय कि व्यापारी ने ऐसा विवरण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए विवरण-पत्र निर्धारित अन्तिम दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर विवरण-पत्र प्रस्तुत कर दिया है और विवरण-पत्र के अनुसार देय धनराशि जमा कर दी है तो वह ऐसे आदेश और उसके अधीन जारी की गई मांग की नोटिस को भी, यदि कोई हो, परिष्कृत या रद्द कर सकता है ।"

धारा ३२ का संशोधन

३०--उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, १९७६ द्वारा यथाप्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा ३२ में,--

(क) उपधारा (१) में,--

(एक) शब्द और अंक "धारा ९ के अधीन अपील के ज्ञाप-पत्र और अधिनियम के अधीन अन्य प्रार्थना-पत्रों पर देय शुल्क निम्नलिखित होगा" के स्थान पर शब्द और अंक "बीस मई, १९७८ को या उसके पश्चात् दाखिल किए गए, इस अधिनियम के, अधीन अपील के ज्ञाप-पत्र या अन्य प्रार्थना-पत्रों पर देय शुल्क निम्नलिखित होगा चाहे वे कर-निर्धारण अर्थ-दण्ड या अन्य कार्यवाहियां जिनसे ऐसी अपील या प्रार्थना-पत्र उत्पन्न हुआ हो, उक्त दिनांक के पूर्व या पश्चात् प्रारम्भ की गई हो," रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे ;

(दो) खण्ड (ख) में, शब्द और अंक "धारा १० के अधीन पुनरीक्षण के लिए प्रार्थना-पत्र पर, जो कर, शुल्क या अर्थ-दण्ड की वसूली के स्थगन के लिए प्रार्थना-पत्र न हो" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा १० के अधीन अपील के ज्ञाप-पत्र पर" रख दिए जायेंगे ;

(तीन) खण्ड (घ) में, उप खण्ड (१) में शब्द "किसी अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी" के स्थान पर शब्द "अधिकरण" रख दिया जायगा ;

(ख) उपधारा (२) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पूर्व आये हुए खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्—

"(ख) खजाने के चालान की उतनी प्रतियों सहित जितनी निर्धारित की जाय, जो ज्ञाप-पत्र या प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न होगी, चेक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जायगा;"

(ग) उपधारा (३) में, खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"(ग) धारा ३५ के अधीन प्रार्थना-पत्र जिसमें केवल लागू होने वाली कर की दर या स्थल जिस पर कर देय हो, के सम्बन्ध में निर्णय की मांग की गई हो।"

३१—मूल अधिनियम की धारा ३५ में— धारा ३५ का संशोधन

(क) उपधारा (१) में, शब्द "या पुनरीक्षण अधिकारी" के स्थान पर शब्द "पुनरीक्षण अधिकारी या अधिकरण" रख दिए जायेंगे ;

(ख) उपधारा (४) में, शब्द "अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी या अधिकरण" रख दिए जायेंगे ;

(ग) उपधारा (५) में, शब्द "उच्च न्यायालय" के स्थान पर शब्द "अधिकरण" रख दिया जायगा।

३२—मूल अधिनियम की धारा ३५ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्— नयी धारा ३६ का बढ़ाया जाना

"३६—(१) बिक्री कर अभिदाता, किसी व्यापारी या अन्य व्यक्ति को, जिस पर कर, अर्थ-दण्ड या अन्य देय की एक लाख रुपये से अनधिक कोई धनराशि बकाया हो, बारह से अनधिक उतनी मासिक किस्तों में जितनी वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह आरोपित करना उचित समझे, ऐसी धनराशि जमा करने की अनुमति दे सकता है।

किस्त मंजूर करने का अधिकार

(२) यदि ऐसा व्यापारी या अन्य व्यक्ति, बकाया धनराशि के भुगतान के लिए सम्बद्ध कर निर्धारक अधिकारी के संतोषानुसार पर्याप्त प्रतिभूति उपधारा (१) में निर्दिष्ट आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर जिसकी अनुज्ञा कर निर्धारक अधिकारी दे, देने में विफल रहता है या ऐसे आदेश में आरोपित शर्तों या निर्बन्धनों का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो ऐसा आदेश अभिशून्य हो जायगा और तदुपरान्त इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार वसूली के लिए फिर से कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है।"

३३—मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में,— प्रथम अनुसूची का संशोधन

(क) क्रम संख्या ३४ की प्रविष्टि में, स्तम्भ—२ में, शब्द "या आयात-कर्ता द्वारा बिक्री" के पश्चात् निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिए जायेंगे, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि बिक्री वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन निगम को की जाय तो कर ऐसे निगम द्वारा बिक्री के स्थल पर लगाया जायगा, विभाग द्वारा बिक्री के स्थल पर नहीं।";

(ख) क्रम-संख्या ६०, ६१ और ६२ की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां यथा इंगित स्तम्भवार रख दी जायेंगी, अर्थात्—

स्तम्भ—१	स्तम्भ—२	स्तम्भ—३
"६०	(क) मोटर ट्रक और मोटर बस (ख) मोटर साइकिल, मोटर साइकिल कम्बिनेशन, मोटर स्कूटर और मोटरेट्टा (ग) मोटर कार जिसमें जीप सम्मिलित है (घ) सभी अन्य मोटर गाड़ियां	उपभोक्ता या उपभोक्ता द्वारा क्रय के लिए नियत व्यवस्था करने वाली अवक्रय कम्पनी के हाथ बिक्री।

स्तम्भ–१	स्तम्भ–२	स्तम्भ–३
६१	शैसी और सभी आकार और रूप की मोटर बाडी (जिसमें मोटर कारवां और टैंकर सम्मिलित हैं) चाहे वह शैसी पर बनाई गई हो या अलग से ।	उपभोक्ता या उपभोक्ता द्वारा क्रय के लिए वित्त व्यवस्था करने वाली अवक्रय कम्पनी के हाथ बिक्री ।
६२	सभी प्रकार की मोटर गाड़ियों के टायर और ट्यूब, पुर्जे और सहायक सामान ।	नि० अथवा आ०";

(ग) क्रम–संख्या ८६ की प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि यथा इंगित स्तम्भवार बढ़ा दी जायगी, अर्थात्––

स्तम्भ–१	स्तम्भ–२	स्तम्भ–३
"८७	सोडा वाटर, लेमनेड और अन्य मृदु पेय	नि० अथवा आ०";

(घ) क्रम–संख्या ९७ की प्रविष्टि में, स्तम्भ ३ में, शब्द "या आयातकर्ता द्वारा बिक्री के पश्चात्, निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिए जायेंगे, अर्थात्––

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि बिक्री वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन निगम को की जाय तो कर ऐसे निगम द्वारा बिक्री के स्थल पर लगाया जायगा, विभाग द्वारा बिक्री के स्थल पर नहीं ।" ;

(ङ) क्रम–संख्या ११६ की प्रविष्टि में, स्तम्भ ३ में, वर्तमान शब्दों के स्थान पर शब्द "नि० अथवा आ०" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे ।

नियम २५–क का संशोधन

३४––उत्तर प्रदेश बिक्री–कर नियम, १९४८ के नियम २५–क में, उप–नियम (३) के स्थान पर निम्नलिखित उप–नियम रख दिया जायगा और पहली अप्रैल, १९७८ को रखा गया समझा जायगा, अर्थात्–

"(३) मान्यता के प्रमाण–पत्र के लिए व्यापारी द्वारा प्रथम कर निर्धारण वर्ष या उसके भाग के लिए एक सौ रुपये और प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष के लिए पचास रुपये और मान्यता के प्रमाण–पत्र के नवीकरण के लिए प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिए पचास रुपये शुल्क देय होगा ।"

सन्देहों को दूर करना

३५—सन्देहों को दूर करने के लिए एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि मूल अधिनियम की धारा ११ में, जैसी कि वह २७ अप्रैल, १९७८ के ठीक पूर्व थी, निर्दिष्ट दो सौ रुपये का शुल्क ऐसी धारा में निर्दिष्ट किसी प्रार्थना-पत्र के साथ जो २० मई, १९७६ को या उसके पश्चात् और २७ अप्रैल, १९७८ के पूर्व दाखिल किया गया हो, दिया जाना अपेक्षित है, चाहे कर निर्धारण, अर्थ-दण्ड या अन्य कार्यवाहियां, जिनके कारण ऐसा प्रार्थना-पत्र देना पड़ा, २० मई, १९७६ के पूर्व या पश्चात् प्रारम्भ हुई हो, और यदि कोई ऐसा प्रार्थना-पत्र शुल्क की कम धनराशि के साथ दाखिल किया गया हो और ग्रहण किया गया हो तो कम धनराशि को मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार वसूल किया जा सकता है किन्तु ऐसे प्रार्थना-पत्र पर निर्णय एतद्द्वारा स्पष्टीकृत ऐसी धारा का अननुपालन करने मात्र के आधार पर अविधिमान्य न होगा।

कतिपय नियमों और विज्ञप्तियों की विधिमान्यता

३६—उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, १९७६ या उत्तर प्रदेश कराधान विधि (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, १९७८ या इस अधिनियम द्वारा परिष्कृत नियम और विज्ञप्तियां प्रवृत्त बनी रहेंगी जब तक कि वे राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, १९०४ की धारा २१ के साथ पठित मूल अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके संशोधित या विखंडित न कर दी जाय।

भूतलक्षी प्रभा से नियम बनाने का अधिकार

३७—यदि इस अधिनियम या उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, १९७६ या उत्तर प्रदेश कराधान विधि (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, १९७८ द्वारा मूल अधिनियम के किसी उपबन्ध के संशोधन (चाहे वे प्रतिस्थापन, अन्तःस्थापन या लोप के रूप में हों) के परिणाम-स्वरूप किसी विद्यमान नियम में संशोधन किया जाय या कोई नया नियम बनाया जाय तो ऐसा नियम या संशोधन उस दिनांक से प्रभावी बनाया जा सकता है जो मूल अधिनियम के उपबन्ध के ऐसे उस संशोधन के प्रारम्भ के दिनांक से पहले का न हो, जिसके परिणामस्वरूप नियम संशोधित किया जाय या बनाया जाय।

वैधीकरण

३८—(१) किसी न्यायालय या अधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी इस धारा के प्रारम्भ के पूर्व कृत कोई कार्य या कार्यवाही, जो इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार हो, विधिमान्य और विधिपूर्ण होगी और सदैव से विधिमान्य और विधिपूर्ण रही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

(२) जहां इस धारा के प्रारम्भ के पूर्व किसी न्यायालय या अधिकारी ने किसी कार्यवाही में मूल अधिनियम के अधीन किसी कर का निर्धारण, उद्ग्रहण या संग्रह किया हो या अर्थ-दण्ड लगाने या कोई अन्य मांग का कोई आदेश दिया हो, या ऐसे कर निर्धारण, उद्ग्रहण, संग्रह, अर्थ दण्ड या मांग को (पूर्णतः या अंशतः) परिष्कृत, अपास्त या अविखंडित करने का कोई आदेश दिया हो और ऐसा कर निर्धारण

या अन्य आदेश, इस अधिनियम के उपबन्धों के परिणामस्वरूप, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों से असंगत हो जाय, वहां उपधारा (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कार्यवाही का कोई पक्ष या बिक्री-कर कमिश्नर, ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से छः मास के भीतर कर-निर्धारण या आदेश का पुनर्विलोकन करने के लिए ऐसे अधिकारी या न्यायालय को प्रार्थना-पत्र दे सकता है और तदुपरान्त ऐसा अधिकारी या न्यायालय कार्यवाही का पुनर्विलोकन कर सकता है और पहले दिए गए आदेश में परिवर्तन या उसका पुनरीक्षण करते हुए ऐसा आदेश दे सकता है जैसा इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो ।

(३) यथास्थिति, कर निर्धारक, अपील सुनने वाला, पुनरीक्षण या अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी अपने द्वारा दिए गए किसी आदेश में, पहली नवम्बर, १९७८ से एक वर्ष की अवधि के भीतर या मूल अधिनियम की धारा २२ में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, जो भी बाद में समाप्त हो, सुधार कर सकता है, जहां ऐसा सुधार इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम में किए गए संशोधन के परिणामस्वरूप आवश्यक हो गया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई सुधार, जिसका प्रभाव निर्धारित कर, अर्थ-दण्ड या अन्य देयों को बढ़ाना होगा, तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि सम्बद्ध अधिकारी ने ऐसा करने के अपने अभिप्राय की सूचना सम्बद्ध व्यापारी या व्यक्ति को न दे दी हो और उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया हो ।

धारा ११ के अधीन पुनरीक्षण के लिए अतिरिक्त अस्थायी उपबन्ध

३९—मूल अधिनियम की धारा १० में, जैसी कि वह इस अधिनियम की धारा १८ के प्रारम्भ होने पर प्रतिस्थापन होने तक है, निर्दिष्ट पुनरीक्षण या अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा, मूल अधिनियम की धारा २२ की उपधारा (१) के, जैसी कि वह इस अधिनियम की धारा २७ के प्रारम्भ होने पर प्रतिस्थापन होने तक है, अधीन दिए गए किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति भी मूल अधिनियम की धारा ११ के उपबन्धों के अनुसार ऐसे आदेश का पुनरीक्षण करने के लिए आवेदन कर सकता है ।

सक्रमण-कालीन उपबन्ध

४०—(१) मूल अधिनियम की धारा १० के, जैसी कि वह इस अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापन के पूर्व थी, अधीन पुनरीक्षण के लिए कोई प्रार्थना-पत्र जो ऐसे प्रतिस्थापन के ठीक पूर्व विचाराधीन हो, अधिकरण को अन्तरित हो जायगा और उसका निस्तारण उसी प्रकार किया जायगा मानो वह इस प्रकार प्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा १० के अधीन कोई अपील हो ।

(२) जहां पुनरीक्षण के लिए ऐसा-प्रार्थना-पत्र दाखिल न किया गया हो और उसे दाखिल करने के लिए निर्धारित परिसीमा अवधि समाप्त न हुई हो, वहां मूल अधिनियम की इस प्रकार प्रतिस्थापित धारा १० के अधीन अपील मूल अधिनियम की धारा १० में, जैसी

कि वह ऐसे प्रतिस्थापन के पूर्व थी, निर्धारित परिसीमा अवधि या ऐसे प्रतिस्थापन के दिनांक से छः मास, जो अवधि पहले समाप्त हो, के भीतर दाखिल की जा सकती है ।

(३) मूल अधिनियम की धारा १० में, जैसी कि वह ऐसे प्रतिस्थापन के पूर्व थी, निर्दिष्ट पुनरीक्षण अधिकारी या अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी के समक्ष, धारा १० के ऐसे प्रतिस्थापन के ठीक पूर्व विचाराधीन सभी अन्य प्रार्थना-पत्र अधिकरण को अन्तरित हो जायेंगे और उनका निस्तारण इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किया जायगा ।

(४) कोई प्रार्थना-पत्र जो यदि धारा १० का ऐसा प्रतिस्थापन न होता तो ऐसे पुनरीक्षण अधिकारी या अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी को दिया जा सकता, उतने समय के भीतर अधिकरण के समक्ष दाखिल किया जा सकता है जितने समय के भीतर उसे ऐसे पुनरीक्षण अधिकारी या अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी के समक्ष दाखिल किया जा सकता और उसका निस्तारण इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किया जायगा ।

अधिनियम संख्या ७, सन् १८७० की अनुसूची २ का संशोधन

४१--उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित न्यायालय फीस अधिनियम, १८७० की अनुसूची २ में, अनुच्छेद १ ("आवेदन या अर्जी") में, खण्ड (ङ) में, उपखण्ड (४) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड यथा निर्दिष्ट स्तम्भवार बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :--

स्तम्भ २	स्तम्भ ३
"(४-क) किसी आदेश के पुनरीक्षण के लिए उत्तर प्रदेश बिक्रीकर एक्ट, १९४८ की धारा ११ के अधीन ।	दो सौ पचास रुपये"

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २७, सन् १९७८

४२--(१) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, १९७८ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (१) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम या न्यायालय फीस अधिनियम, १८७० के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियमों के तदनुरूप उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड १९ से लेकर खंड ४२ तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, १९७८

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ का और उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में न्यायालय फीस अधिनियम, १८७० का अग्रतर संशोधन करने और कतिपय कार्यों और कार्यवाहियों को विधिमान्य करने और उससे आनुषंगिक और सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, १९७८ कहा जायगा ।

(२) यह १ नवम्बर, १९७८ से प्रवृत्त समझा जायगा, सिवाय धारा २ के खण्ड (ङ), धारा ९, धारा १६ के खण्ड (क), धारा १८, धारा १९, धारा २० के खण्ड (क), (घ) और (ङ), धारा २१, धारा २७, धारा ३० के खण्ड (क) के उपखण्ड (२) और (३), धारा ३१, धारा ३२ के खण्ड (ख) और (ग) और धारा ४० के जो ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होंगे जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे और भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न भिन्न दिनांक नियत किए जा सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, १९७८ पारित किया जाय ।

*श्री श्याम धर मिश्र--

श्रीमन्, मैं एक चीज आपके लिए पढ़ना चाहता हूं जो संसदीय अध्ययन समिति में दी हुई है । सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली के चेयरमैन व अधिष्ठाता सम्मेलन के अध्यक्ष श्री मावलंकर ने सम्मेलन में उक्त विषय पर निम्न मत व्यक्त किया था :--

'केवल समयाभाव के कारण अध्यादेशों को प्रख्यापित करना कार्य पालिका शासन की स्पष्ट रूप से एक गलत परम्परा थी । इस शक्ति का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

केवल उस समय प्रयोग होना था जब आपातकालीन स्थिति हो तथा विधान मंडल की बैठक न बुलाई जा सकती हो। समयाभाव के कारण अध्यादेश जारी किया जाना एक वांछनीय दृष्टांत नहीं था क्योंकि असुविधाजनक विधायन भी उस प्रकार जारी किया जा सकता था।

श्री अध्यक्ष---

आपने अध्यादेश के अननुमोदन का प्रस्ताव पेश किया था और वह अस्वीकृत हो गया।

श्री श्यामधर मिश्र---

मैं दूसरी बात कह रहा हूं। उनका यह सुनिश्चित मत था कि स्पीकर जहां यह अनुभव करें कि विधायन की असाधारण शक्ति का शासन द्वारा उचित रूप से प्रयोग नहीं किया गया है तो उन्हें अपना प्रभाव तत्कालीन सरकारों तथा विधान मंडलों पर डालना चाहिए।

मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगा कि इन अध्यादेशों के जरिये जिस तरह से विधेयक लाए गए हैं यह बात विवाद में आई और दोनों तरफ से काफी तर्क दिये गये जो मंत्री जी समझते होंगे सही हैं लेकिन हमलोग सही होते हुए भी प्रवर समिति में चूंकि यह विवाद नहीं जा रहा है हमारे तर्कों को मंत्री जी स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति ला दी जाती है जिससे संशोधन को वापस लेना पड़ता है। ऐसी दशा सदन की न हो इसके लिए मुख्य मंत्री, मंत्री महोदय तथा मंत्रि परिषद् से मेरा निवेदन है कि कृपया इन अध्यादेशों को आगे कम से कम लायें और ऐसा न करें जिस प्रकार ९ अध्यादेश इस सत्र में विधेयक के रूप में यह सरकार ले आई। ऐसी गलती यह सरकार आगे कदापि न करे। आपने जो वकील की तरह बहस की उन तर्क के पक्ष में तो मैं हूं लेकिन आपकी वकालत से प्रभावित होते हुए भी मैं आपके मंत्रित्व से प्रभावित नहीं हुआ। आपने कोशिश की बुरे केस को अच्छी तरह प्लीड करने की उसके लिए आपको बधाई है। आप एक अच्छे वकील हैं लेकिन तत्कालिकता और अपरिहार्यता के सम्बन्ध में जो कहना चाहिए था वह बात सदन में नहीं कही।

(व्यवधान)

जैसे श्यामदेव जी बैठे हैं उनका दिमाग तो हमेशा से बंद है हमलोग तो उठते हैं बैठते हैं और सोच-समझ कर उठते बैठते हैं कौशिक जी भी उसी लिस्ट में आते हैं आजकल मंत्री हो गए हैं। इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि मंत्री जी अध्यादेश कम लायेंगे।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

मान्यवर, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा केवल एक बात कहूंगा जनता पार्टी के अपने मित्रों से। बड़ा शोर किया मान्यवर, चुनाव के समय घोषणापत्र निकाले कि हम सेलटैक्स समाप्त कर देंगे। आपने जनता को गुमराह किया और प्रचार किया कि सेलटैक्स खतम कर देंगे उत्तर प्रदेश के आढ़तियों ने वोट दिया। मैं कृपा करके त्रिपाठी जी से पूछना चाहता हूं वह मुख्य मंत्री जी से सलाह कर लें कि क्या

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी—]

आपका इरादा चुनाव घोषणा-पत्र में जो सेल्स टैक्स को खतम करने का था उस पर आप कायम हैं। यदि कायम हैं तो कब तक उस पर अमल करेंगे ?

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप विधेयक का विरोध करते हैं या समर्थन करते हैं ?

श्री मैनेजर सिंह—

वह आप निष्कर्ष निकाल लेंगे। मैं मिश्रा जी से उम्मीद करता था कि वह सरकार को धन्यवाद देंगे कि उनके पदचिन्हों पर यह सरकार अध्यादेशों के द्वारा चल रही है।

श्री श्यामधर मिश्र—

इतने पदचिन्हों पर न चलें कि जल्दी इधर आ जायं।

श्री मैनेजर सिंह—

यही रवैया रहा तो हम उधर आ सकते हैं लेकिन आप इधर नहीं आयेंगे। मैं श्रीमन्, कहना चाहता हूं कि इसमें कोई शक नहीं कि ऐसा कोई काम सरकार ने नहीं किया है जिसमें किसानों के द्वारा पैदा की हुई चीज पर छूट दी हो। इन्होंने धान पर, तिलहन पर कर लगाया। हमारे मुख्य मंत्री जी बैठे हैं किसान रैली में साफा बांधे थे और यही शिकायत थी कि जनता पार्टी की हुकूमत में किसानों की उपेक्षा हो रही है। यह सरकार किसान रैली की समर्थक सरकार है, किसानों का नाम लेने वाली सरकार है तो उत्तर प्रदेश में किसानों द्वारा तैयार की हुई चीज पर क्यों नहीं छूट देती है। किसानों के पानी के दाम बढ़ाये, बिजली के दाम बढ़ाये किसानों की चीजों पर बिक्री-कर बढ़ाया और फिर किसान रैली में जाकर साफा बांधते हैं यह दोहरी नीति किसान बरदास्त नहीं करेगा। अगर किसानों की हमदर्द सरकार है तो उन्हें राहत दीजिए चाहे वह बिक्री कर हो या दूसरे कर हों। केवल ढोंग करने से जनता बरगलावे में नहीं आयेगी।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

मान्यवर, माननीय श्यामधर मिश्र जी ने जो आपत्तियां उठाई उनका उत्तर मैंने पहले दे दिया उनको अब दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता हूं। जो कारण और उद्देश्य इस विधेयक में दिए हैं उसमें ही तात्कालिकता क्या है, दिया हुआ है। सम्भवतः नेगी जी आज किसी आवश्यक कार्य में व्यस्त थे, मैंने आज भी कहा है कि सरकार पहली अप्रैल, १९७९ तक बिक्री कर के सम्बन्ध में कोई न कोई निर्णय अवश्य ले लेगी।

श्री देव बहादुर सिंह—

श्रीमन्, यह पहली अप्रैल कह रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

इस लिए निर्णय निर्दोष होगा।

श्री अवस्थी--

श्रीमन्, इसीलिए कुछ होने वाला नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

निर्णय ३१ मार्च तक होगा और उसकी घोषणा पहली अप्रैल को होगी ।

*श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)--

पहली के बजाय दो को हो । नहीं तो जैसे उस दिन मुख्य मन्त्री पगड़ बांध कर देहली गये थे और वहां किसान रैली में सरकार में रहते हुए सरकार की निन्दा की है, वैसे ही होगा । इनको तो सरकार में बठना नहीं चाहिए । मैं फिर सदन से और इनसे मांग करता हूं कि यह इस्तीफा दें और जो-जो रैली में शामिल हुए, वे सभी इस्तीफा दें ।

*श्री भाभी (जिला आजमगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल है । माननीय सदस्यों को इस बात पर विचार करके कोई बात सदन में कहना चाहिए कि वह इस हाउस में कहने की बात है या नहीं है । किसी के पगड़ के बारे में इस तरह से बात कही जाए तो बहुत अनुचित है । मुख्य मन्त्री को इस सदन में बैठने और अपने पद पर बने रहने का अधिकार है, जो लोग खुद अपने वसूलों से हटकर सिद्धांतों को भूलकर दूसरों की केवल मात्र निन्दा करते हैं, और इस तरह से हाऊस में बातें करते हैं, उनके लिए यह ठीक नहीं है ।

श्री मान सिंह आजाद--

[× × ×] (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

यह कार्यवाही का भाग नहीं होगा, मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं ।

एक सदस्य--

जो लोग इस तरह से अनाप शनाप बोल रहे हैं, जो नहीं बोलना चाहिए तो आप अध्यक्ष जी ऐसे सदस्यों को बाहर क्यों नहीं निकाल देते ।

श्री अध्यक्ष--

जो बिना सोचे समझे यहां बात करते हैं, आप ऐसा क्यों नहीं मानते हैं कि उसका कोई महत्व नहीं है और मैंने ऐसे शब्दों को निकाल दिया है

श्री देव बहादुर सिंह--

यह बात अभी हुई है, नगी जी ने जनता पार्टी के घोषणा-पत्र का स्मरण दिलाया . . .

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष--

नेगी जी अब बैठ गये हैं और मन्त्री जी उसका उत्तर दे रहे हैं। आप स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

श्री देव बहादुर सिंह--

आपने इस हाऊस में एलान किया था कि बिक्री कर वापस ले लेंगे और वैकल्पिक व्यवस्था उसकी करेंगे और अब सत्ता मिलने के बाद ऐसा लगता है कि घोषणा तो भूल ही गए और सदन का आश्वासन भी भूल गए और वह भी समय के साथ विस्मरण करते जा रहे हैं। आप निश्चित बतावें कि इसे कब से करेंगे और आप पहली अप्रैल की बात बिलकुल न करें। इसका पहले से ही असर सरकार पर बहुत है।

*मुख्य मन्त्री (श्री रामनरेश यादव)--

यहां बार-बार नेगी जी और देवबहादुर सिंह जी जिस घोषणा-पत्र की बात कर रहे हैं, उसके बारे में ऐसा लगता है कि वह अपने मन में यह बात जमा कर बैठे हैं कि जनता पार्टी की तरफ से जो बात घोषणा-पत्र में कही गयी है, उसको एक साल में ही पूरा करना है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं जो भी नीति और कार्यक्रम हमने अपने घोषणा-पत्र में रखे हैं, उसके लिए ५ साल के लिए वायदा किया गया है और जहां तक बिक्री कर का सवाल है, इस पर सरकार बहुत तेजी से विचार कर रही है और उसका विकल्प प्रस्तुत करने के लिए विचार कर रही है और जैसा मन्त्री जी ने कहा अवश्य ही इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे। साथ ही आपको भी इस बात को ध्यान में पूरी तरह से रखना चाहिए कि जनता पार्टी की सरकार चलेगी और इन कार्यक्रमों को पूरा करने की दिशा में आवश्यक कदम भी उठाए जाएंगे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि वह ५ साल में अपने घोषणा-पत्र को पूरा कर देंगे, तो क्या उनको यकीन है कि वह ५ साल तक सत्ता में रहेंगे अपने पद पर ?

श्री राम नरेश यादव--

नेगी जी को संदेह नहीं होना चाहिए।

श्री ऊदल--

माननीय गोविन्द सिंह ने सवाल उठा दिया। मैं चाहता हूं यह रहें। लेकिन आज मिश्रा जी जैसे लोग नहीं चाहते हैं तब हम क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय श्यामधर जी, और नेगी जी मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, बिक्री कर की समाप्ति के बारे में लगता है मतैक्य है। मैं भी सुझाव देना चाहता हूं कि केरल से और महाराष्ट्र और कर्नाटक से इसकी संस्तुति कराएं कि बिक्री कर समाप्त हो और मद्रास से तो आ जानी होगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कवल--

हमने घोषणा नहीं किया है। समाप्त करने के लिए घोषणा-पत्र में ढोल नहीं पीटा है। बड़े बड़ व्यापारियों पर हम बिक्री कर लगाएंगे।

श्री देव बहादुर सिंह--

हमारे घोषणा-पत्र में नहीं है। ऐसी गलती हम नहीं करते।

श्री श्यामधर मिश्र--

कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसा नहीं है इसलिए कर्नाटक का आंध्र का सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

जब तक आप मदद नहीं करेंगे, तब तक होगा नहीं।

श्री श्यामधर मिश्र--

आप ऐसा क्यों कहते हैं ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

मान्यवर, जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अभी स्पष्ट कर दिया इस सम्बन्ध में काफी सक्रिय रूप से विचार हो रहा है। तारीख के बारे में अगर ऐतराज है तो १ अप्रैल के स्थान पर ३१ मार्च कहे देता हूं। उसमें कोई अन्तर नहीं पड़ने वाला है।

जहां तक मैनेजर सिंह का सवाल है किसान पर बिक्री कर नहीं लगता।

श्री मैनेजर सिंह--

किसान के द्वारा पैदा की हुई चीजों धान और तिलहन पर लगता है। आप घुमा कर नाक पकड़ते हैं किसान की।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

ऐसी तो किसी ने आज तक शिकायत की नहीं बिक्री कर के कारण किसान को उसके उत्पादन का मूल्य कम है।

श्री मैनेजर सिंह--

मेंथा पर है या नहीं। वह तो किसान पैदा करता है।

श्री अध्यक्ष--

अब आप उत्तर देने दीजिये।

(श्री सुखपाल पाण्डेय के कुछ कहने पर) सुखपाल जी, आप सुखपाल ही रहिए।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

मान्यवर, आज इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय सबसे पहले यह कहा गया कि इस विधेयक में डीलर शब्द की परिभाषा में एक संशोधन कर दिया गया है कि अब किसान व्यापारी की परिभाषा में इस विधेयक के अन्दर नहीं आयगा जिसके कारण उसके ऊपर बिक्री कर के प्राविधान उस पर लागू नहीं होंगे। इस शासन की मंशा किसान को इस विधेयक की परिधि से बाहर रखने की है। इन शब्दों के साथ मैं सदन से निवेदन करूंगा कि वह इस विधेयक को पारित करें।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, १९७८ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

अब नियम ५१ की सूचनाएं ले रहा हूं। श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने कानपुर से लखनऊ के लिए ट्रेन छूटते ही दिनांक २५ दिसम्बर, १९७८ की रात्रि को सशस्त्र युवकों द्वारा यात्रियों का लूटपाट किया जाना तथा विरोध करने पर एक व्यक्ति की चाकू मार कर हत्या के सम्बन्ध में सूचना दी है। इसको मैंने स्वीकार किया है। इसी आशय की नोटिस श्री महेश प्रसाद त्रिवेदी और गनेशी लाल चौधरी ने भी दिया था। इसको मैंने स्वीकार किया है। श्री दिग्विजय प्रताप सिंह, श्री दशरथ सिंह, श्री अशफाक अहमद खां की एक सूचना २६ दिसम्बर १९७८ को गोंडा में कांग्रेस प्रदर्शनकारियों द्वारा १४४ तोड़ना आदि के सम्बन्ध में है, जिसका जिक्र सुबह दीपनारायन जी कर रहे थे कि प्रधान मन्त्री का पुतला जलाया गया। इसको मैंने केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है। माननीय गृह मन्त्री जी, आप कब वक्तव्य देंगे?

श्री राम सिंह—

३० तारीख को दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

२९ को नहीं।

श्री राम सिंह—

२९ को कौन्सिल में मेरा नान आफिशियल बिजनेस है। इसलिए ३० ही रख दें।

मोदीनगर में छात्रों द्वारा रोडवेज की बसों को जलाने तथा पथराव किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह मन्त्री (श्री राम सिंह)—

मान्यवर, दिनांक ८ दिसम्बर, १९७८ को प्रातः ८ बजे लगभग १५ व्यक्तियों ने जो कि सभी छात्र थे, जबरदस्ती हापुड़ से मोदीनगर जाने वाली रोडवेज बस में

ग्राम भोजपुर से बिना टिकट बैठ गये। जब बस कण्डक्टर ने इस पर आपत्ति की तो उन्होंने कन्डक्टर व ड्राइवर के साथ मारपीट की। बस के मोदीनगर पहुंचने पर कन्डक्टर व ड्राइवर द्वारा थाना मोदीनगर पर अपराध संख्या ८२८ धारा ३३२, ३५३, १८६ भा० दं० वि० के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराया। इसके प्रतिशोध में लगभग २०० छात्रों की एक भीड़ जो कि मोदीनगर के इन्टर व डिग्री कालेज की थी, लगभग १० बजे राष्ट्रीय मार्ग पर आने वाली रोडवेज बस नं० यू० एस० ई० ७३१० पर पत्थर फेंके। भीड़ को देख कर ड्राइवर द्वारा गाड़ी को रोक लिया गया तो छात्रों की भीड़ बस के चारों ओर फैल गई और उसकी खिड़कियां व सामने के शीशे तोड़ दिये। इस बस का ड्राइवर १०-१५ बजे थाना मोदीनगर पर आया और उसने अपराध संख्या ८२९ धारा १४७, ३२३, ४२७ भा० दं० वि० के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराया। इस सूचना पर निरीक्षक मोदीनगर फोर्स के साथ तुरन्त घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस पार्टी को देखकर छात्रों द्वारा उन पर पत्थर फेंके जाने लगे और उन्होंने बस की सीट में आग लगा दी। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस पार्टी द्वारा लाठी चार्ज किया गया परन्तु भीड़ पर उसका कोई असर नहीं हुआ और वह उग्र रूप से हिंसा पर उतारू हो गई। छात्रों की भीड़ का उग्र रूप देखते हुए उनको चेतावनी देते हुये पांच हवाई फायर किये गये जिसके फलस्वरूप भीड़ भाग गई और बस की सीटों में लगाई गई आग बुझाई गई व रोडवेज बस को जलने से बचाया गया। कुछ देर के पश्चात् निरीक्षक मोदीनगर ने कुछ फोर्स को घटना स्थल पर छोड़ कर अपने थाने के लिए प्रस्थान किया। निरीक्षक मोदीनगर जब अन्य फोर्स के साथ थाने आ रहे थे तो छात्रों की भारी भीड़ जो कि पी० वी० ए० एस० इन्टर कालेज की छत पर व द्वार पर थी, ने उनके ऊपर पत्थर फेंकने प्रारम्भ कर दिए। इस पर पुनः पुलिस पार्टी को भीड़ को तितर बितर करने के लिए हल्का लाठी चार्ज करना पड़ा व २ राउन्ड हवाई फायर भी किये। थाने पर आकर निरीक्षक मोदीनगर द्वारा इस घटना के सम्बन्ध में अपराध संख्या ८३० धारा १४७, ३३२, ३५३, ४३६, ३२३ भा० दं० वि० के अन्तर्गत अभियोग कायम कराया गया और ९ अभियुक्तों को नामांकित किया। छात्रों द्वारा पुलिस पार्टी पर किये गये पथराव के फलस्वरूप एक निरीक्षक, ३ उप निरीक्षक, ३ हेड कान्स्टेबिल, ७ कांस्टेबिल व २ पी० ए० सी० के कांस्टेबिलों को चोटें आयीं। मुख्यालय पर जैसे ही इस घटना की सूचना प्राप्त हुई कार्यरत पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिलाधिकारी, परगनाधिकारी, क्षेत्राधिकारी अतिरिक्त फोर्स के साथ तुरन्त घटना स्थल पर पहुंचे तथा पुलिस उप महानिरीक्षक मेरठ परिक्षेत्र द्वारा भी तुरन्त २ प्लाटून पी० ए० सी० मोदीनगर गई व स्थिति पूर्णरूप से नियन्त्रण में कर ली गई। नामांकित किये गये ९ अभियुक्त में ६ अभियुक्त जिसमें एम० एम० डिग्री कालेज की यूनियन के अध्यक्ष भी सम्मिलित थे, को गिरफ्तार किया गया घटना के बाद मोदीनगर के कालेज दिनांक १२ दिसम्बर, १९७८ तक कालेज के प्रधानाचार्यों द्वारा बन्द कर दिये गये थ। जब दिनांक १२ दिसम्बर, १९७८ को कालेज पुनः खुले तो किसी प्रकार की कोई घटना या जलूस वगैरह नहीं निकाला गया व स्थिति सामान्य रही।

दिनांक १५ दिसम्बर, १९७८ को लगभग ३००-४०० छात्रों की एक भीड़ मोदीनगर बस स्टैण्ड के सामने से होकर थाने की ओर दिनांक ८ दिसम्बर, १९७८ की घटना के प्रतिरोध में नारे लगाते हुए, धारा १४४ दं० प्र० सं० का उल्लंघन करते हुए थाने पर आ गई। उन्होंने पुलिस के विरुद्ध जोर-जोर से नारे लगाने प्रारम्भ कर दिये। जब उनको पुलिस द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही करने से मना किया गया तो वे नहीं माने और सड़क से आने जाने वाले व्यक्तियों को भी रोकना प्रारम्भ कर दिया। जब इस प्रकार का वातावरण बन गया और यह आशा

[श्री राम सिंह]—

हिंसा पर उतारू हो जायेगी । तुरन्त ६ छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया जिसके फलस्वरूप भीड़ स्वयं तितर बितर हो गई । उक्त ६ गिरफ्तार किये गये लड़कों में ३ लड़के ८ दिसम्बर, १९७८ को घटना में गिरफ्तार किये गये थे वे भी सम्मिलित थे, जो कि जमानत पर न्यायालय द्वारा छोड़ दिये गये थे । इन तीनों छात्रों को जमानत कैंसिल किये जाने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

अपराध संख्या ८३० में ६ अभियुक्त (नरेन्द्र कुमार शर्मा, सुभाष चन्द्र, हरेन्द्र नेहरा, विजय कुमार, सुरेश कुमार व महेश) के विरुद्ध दिनांक १२ दिसम्बर, १९७८ को आरोप-पत्र न्यायालय को प्रेषित किया जा चुका है । अन्य अभियोगों की विवेचना प्रचलित है ।

श्री गोबिन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

अभी माननीय मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि एक निरीक्षक, ३ उप निरीक्षक, ३ हेड कांस्टेबिल, ७ कांस्टेबिल व २ पी० ए० सी० के कांस्टेबिलों को चोटें आयीं । क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने छात्रों को चोटें आयी हैं ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, पुलिस ने जो लाठी चार्ज किया है वह इस दृष्टिकोण से नहीं किया कि चोटें आवे बल्कि इसलिए किया कि दहशत से भाग जावें ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

यह कौन सा लाठी चार्ज है ।

श्री राम सिंह—

लाठियां हवा में घुमाना ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

माननीय मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में यह कहा कि लगभग १० बजे राष्ट्रीय मार्ग पर आने वाली रोड वेज बस नं० यू० एस० आई० ७३१० पर पत्थर फेंके गये और सवा १० बजे गाड़ी के ड्राइवर ने थाने में रिपोर्ट लिखायी और जब वह लौट कर आया तब उत्पात मचा । गाड़ी छोड़ कर ड्राइवर थाने गया और गाड़ी ठीक रही और जब वह लौट कर आया तब उत्पात शुरू हुआ तो इस आधे घन्टे में वहां पर शान्त वातावरण रहा, क्या इससे सिद्ध नहीं होता है । वक्तव्य से तो यही निकल रहा है अगर लड़कों को फूंकना होता तो जब ड्राइवर थाने गया था तो उसे फूंक दिया होता । पुलिस ने उत्तेजना किया । मैं वाक्यात की बात जानना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष—

यह घटना पहले हुई । आपका कहना ठीक नहीं है । उसके बाद ही रिपोर्ट लिखायी गयी ।

श्री श्यामधर मिश्र--

यह लोग बहुत ज्यादा समझते हैं और श्याम देव जी बहुत समझ रहे हैं। मैं मुख्य मन्त्री जी से चाहूंगा कि इन्हें मन्त्री बना दें। मैं जानना चाहता हूं कि १० बज ड्राइवर बस छोड़ कर थाने गया और वहां पर रिपोर्ट लिखाया और जब छात्र वहां पर थे तो उन्होंने उसी समय बस क्यों नहीं जलायी ? जब ड्राइवर लौट कर आया तब जलाई। आधा घन्टा तो शान्ति रही और जब वह लौट कर आया तब अशान्ति हुई।

श्री राम सिंह—

माननीय श्यामधर जी इनफरेन्स ड्रा कर रहे हैं। यह तो तफतीस की बात है। बाद में मालूम होगी कि क्या हुआ। पूरे तथ्य बाद में आयेंगे।

श्री असफाक अहमद खां (जिला गोंडा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, वक्तव्य के प्रथम पृष्ठ पर यह लिखा गया है कि अपराध संख्या ८२८ धारा ३३२, ३५३, १८८ और अपराध संख्या ८२९ धारा १४७, ३२३ और ४२७ में छात्रों की गिरफ्तारी हुई। तो उनकी संख्या कितनी है ?

श्री राम सिंह—

इसमें दिया हुआ है कि ६ छात्र नेताओं को गिरफ्तार किया गया। इनमें से ३ जमानत पर छूट गये। फिर कुछ और लड़के आये।

श्री अध्यक्ष—

इनका प्रश्न यह है कि अपराध संख्या ८२८ और ८२९ में कितने गिरफ्तार हुए ?

श्री राम सिंह—

ये दोनों घटनायें ८ दिसम्बर, १९७८ को हैं। उसके बाद ६ छात्र नेता गिरफ्तार हुए, उनमें से ३ जमानत पर छूट गये।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

जब कन्डक्टर और ड्राइवर से झगड़ा हुआ तो धारा ३३२/३५३/१८६ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत हुए और पुलिस ने कौगनिजेंस लिया। तो छात्रों की गिरफ्तारी करने से पहले ऐसा लगता है कि पुलिस की ओर से कुछ कार्यवाही हुयी तभी यह सब हुआ ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, मैंने सब तथ्य अपने वक्तव्य में प्रस्तुत कर दिए हैं।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि छात्रों की भीड़ का उग्र रूप देखते हुए उनको चेतावनी देते हुए ५ हवाई फायर किए और फिर भीड़ पर लाठी चार्ज हुआ। तो मैं जानना चाहता हूं कि लाठी चार्ज के आदेश किस मैजिस्ट्रेट ने दिए ?

श्री राम सिंह—

इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी। यह उन्होंने तसलीम किया कि फायरिंग की।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

इस समय वहां की क्या स्थिति है ? क्या वहां पर सब विद्यालय बन्द हैं ? यदि हां, तो उनको खोलने की क्या व्यवस्था की जा रही है ? क्या माननीय मंत्री जी उन समस्त छात्रों को रिहा कराने का प्रयास करेंगे ?

श्री राम सिंह—

कालेज तो खुले हुए हैं । स्थिति भी सामान्य है लेकिन जहां तक छात्रों के रिहा करने का सवाल है, वे तो सबस्टेन्टिव दफाओं में गिरफ्तार हुए हैं, जो भी कानूनी कार्यवाही होगी, वह की जायगी ।

श्री देव बहादुर सिंह—

क्या छात्रों की ओर से भी पुलिस में कोई रिपोर्ट लिखायी गयी है ।

श्री राम सिंह—

इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है ।

श्री राघव राम मिश्र (जिला खीरी)—

माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि पुलिस पार्टी को देखकर छात्रों ने उन पर पत्थर फेंके और बस की सीट में आग लगा दी । वहां पर बार-बार ये घटनायें २-२ और ३-३ दिनों के बाद ही ये घटनायें हुयीं तो अब वहां पर बसों की सुरक्षा के लिए माननीय मंत्री जी ने क्या उपाय किए हैं ?

श्री राम सिंह—

मैंने निवेदन किया है कि स्थिति सामान्य है और बसें भी चल रही हैं ।

श्री जसवीर सिंह (जिला एटा)—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि पथराव के कारण एक निरीक्षक, ३ उप-निरीक्षक, ३ हेड कांस्टेबिल, ७ कांस्टेबिल व २ पी० ए० सी० के कांस्टेबिलों को चोटें आयीं । तो उनकी नेचर आफ इन्जरी क्या हैं और उनका डाक्टरीज मुआयना कहां पर हुआ ?

श्री राम सिंह—

पथराव तो हुआ, डाक्टरी मुआयना भी कहीं सरकारी अस्पताल में ही हुआ होगा । इस समय मेरे पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है ।

श्री जसवीर सिंह—

मैं नेचर आफ इन्जरीज जानना चाहता हूं ?

श्री राम सिंह—

मैंने निवेदन किया कि इस बारे में इस समय मेरे पास सूचना नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५८ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

सत्यप्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
२७ दिसम्बर, १९७८

नत्थी 'क'

[देखिए नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११७७ पर]

श्री देव प्रकाश अग्रवाल के विरुद्ध प्रत्येक खण्ड में गबन एवं भ्रष्टाचार की जांच तथा उनके दोषी पाये जाने के सम्बन्ध में सूचना निम्न है :—

खण्ड का नाम	आरोपों का संक्षिप्त विवरण	जांच का परिणाम
१—मूसा खण्ड बांध प्रखण्ड, वाराणसी	कंशबुक के सात पृष्ठों के बदल देने का अभियोग था	जांचोपरान्त श्री अग्रवाल को भर्त्सनात्मक प्रविष्टि दी गयी।
२—द्वितीय उपखण्ड, चौफ शाखा निर्माण खण्ड, देवरिया (गंडक नहर निर्माण मंडल द्वितीय; गोरखपुर)	(१) पदानुरूप कर्तव्य न निबाहना जिसके परिणामस्वरूप नदी की लाइनिंग के टूट जाने से शासन को १,१६,०७३ रु० की हानि (२) विशिष्टियों के विपरीत नहर की लाइनिंग का निर्माण करना	दोषमुक्त किए गये।
३—तदेव	(१) प्रेशर रिलीज वाल्व का क्रय बिना तुलनात्मक दर प्राप्त किये करना	
	(२) उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना तथा पदानुरूप उत्तर-दायित्व न निबाहते हुये स्वेच्छा से प्रेशर रिलीज वाल्व का क्रय स्वयं कर लेना	
	(३) अनावश्यक एवं निम्न स्तर के प्रेशर रिलीज वाल्व का क्रय करना	वर्ष १९६७-६८ की चरित्र पंजिका में कड़ी चेतावनी दी गयी
४—तदेव	(१) सीमेन्ट के निर्गमन पर नियंत्रण न रखना जिसके फलस्वरूप अधि-दर्शक ने अनियमितताएं बरतीं तथा सीमेन्ट बेचे जाने की सम्भावना रही	वर्ष १९६८-६९ की चरित्र पंजिका में चेतावनी दी गयी
	(२) ५,६४९ रु० अधिक भुगतान की सूचना महालेखाकार को न भेजना	
	(३) उपखण्ड के माप-पुस्तिका में सन्देहजनक माप होना	

खण्ड का नाम	आरोप का संक्षिप्त विवरण	जांच का परिणाम
५—गण्डक नहर निर्माण खण्ड–५ देवरिया (गण्डक नहर निर्माण मण्डल–३ गोरखपुर)	(१) छितौनी बांध के रिटायर्ड बांध के मील ८–३ के ऊपर तुर्की वाले पर रेगुलेटर के निर्माण में विलम्ब एवं फलस्वरूप कर्तव्यहीनता करना (२) गलत समय से कार्यारम्भ कर शासकीय धन का अपव्यय करना (३) वर्ष १९७१–७२ की बाढ़ सीजन पूर्व पर्याप्त प्रिकाशनरी स्टेप्स न लेना तथा फलस्वरूप कर्तव्य विमुखता करना	श्री अग्रवाल को दोषमुक्त किया गया
६—बन्धी प्रखण्ड, वाराणसी	ग्यारह हार्स पावर का एक पुराना आउटबोर्ड मोटर जानसन कम्पनी, बलिया से खरीदा जिसका मूल्य १५,२०० रु० था परन्तु ठेकेदार को १२,१६० रु० का भुगतान किया गया	बन्धी प्रखण्ड, वाराणसी के सम्बन्ध में शिकायतों की जांच सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की गई सतर्कता अधिष्ठान की आख्या प्राप्त हो गई है और विचाराधीन है। विभागीय कार्यवाही उक्त जांच के फलस्वरूप स्थगित कर दी गयी थी।

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११८५ पर)

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ, जनपद लखनऊ के मांगों की सूची

१—अनिवार्य जमा धन की प्रथम दो किस्तों का अवशेष अविलम्ब दिया जाय ।

२—पेरोल स्कीम के अन्तर्गत खोले गये सी० टी० डी० एकाउन्ट एवं बीमा का हिसाब तुरन्त दिया जाय तथा जिन अध्यापकों के खाते नहीं खुले हैं उनका काटा गया धन ब्याज सहित अविलम्ब वापस किया जाय ।

३—भविष्य निधि का हिसाब जो विगत कई वर्षों से अप्राप्त है अब तक का हिसाब तुरन्त दिया जाय ।

४—जनपद के शिक्षकों को वेतन मास के प्रथम सप्ताह में एक निश्चित तिथि पर भुगतान किया जाय ।

५—फुटकर अवशेषों का भुगतान अविलम्ब किया जाय ।

६—विद्यालय को साज-सज्जा तुरन्त उपलब्ध की जाय ।

७—वार्षिक वृद्धि समय से लगाई जाय ।

८—पदोन्नतियां वरीयता के आधार पर कराई जाय ।

९—जूनियर बेसिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों तथा सीनियर बेसिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं सहायक अध्यापकों के रिक्त स्थानों की पूर्ति अविलम्ब की जाय ।

१०—अध्यापकों के स्थानान्तरण संघ के परामर्श से किये जावें ।

११—कार्यालय में कार्यरत अध्यापकों को अविलम्ब उनके स्थान पर भेजा जाय ।

१२—सेवामुक्त अध्यापकों की भविष्य निधि, पेन्शन, बीमा आदि समस्त बकाया धन ब्याज सहित एक माह के अन्दर भुगतान किया जाय ।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११८६ पर)

मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर में शिक्षा सत्र १९७७-७८ में तदर्थ रूप से नियुक्त शिक्षकों की सूची

क्रमांक	शिक्षक का नाम
१	श्री विपिन बिहारी सिंह
२	श्री लाल बहादुर सिंह
३	श्री विनोद कुमार गुप्ता
४	श्री कमलेश कुमार
५	श्री वेद प्रकाश
६	श्री मुख्तार अहमद
७	डा० सर्वजीत सिंह

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या २५ के उत्तर पीछे पृष्ठ १२०४ पर)

किसान महाविद्यालय, बहराइच में हिन्दी प्रवक्ता हेतु साक्षात्कार में उपस्थित अभ्यर्थियों की योग्यता का विवरण

क्रमां	नाम	हाई०	इन्टर०	बी० ए०	एम० ए०	शोध
१	कु० आशा सिंह	द्वितीय	प्रथम	प्रथम	प्रथम	
२	श्री ब्रह्म मूर्ति त्रिपाठी	..	..	..	..	
३	कु० अर्चना रानी नाग	तृतीय	तृतीय	तृतीय	द्वितीय	
४	श्री दुर्गा प्रसाद ओझा	प्रथम	द्वितीय	द्वितीय	प्रथम	
५	श्री देवेन्द्र शुक्ल	द्वितीय	द्वितीय	द्वितीय	द्वितीय	
६	श्री दाऊ बहादुर पाठक	प्रथम	तृतीय	तृतीय	द्वितीय	पी-एच० डी०
७	श्री जनार्दन	प्रथम	प्रथम	प्रथम	प्रथम	
८	श्री जितेन्द्र कुमार पाण्डेय	द्वितीय	तृतीय	द्वितीय	द्वितीय	
९	श्री जनार्दन	द्वितीय	द्वितीय	द्वितीय	द्वितीय	डी० फिल०
१०	श्री जगतनारायण बुरबार	द्वितीय	द्वितीय	द्वितीय	प्रथम	बी० एड०
११	कैलाश नाथ मिश्र	प्रथम	..	द्वितीय	द्वितीय	डी० फिल०
१२	श्रीमती कमलेश	..	..	..	द्वितीय	
१३	कुमारी कुसुम श्रीवास्तव	द्वितीय	द्वितीय	द्वितीय	प्रथम	
१४	श्री लवकुश कुमार मिश्र	द्वितीय	द्वितीय	द्वितीय	द्वितीय	
१५	श्री महेश कुमार गुप्त	द्वितीय	..	..	तृतीय	पी० एच० डी०
१६	श्री नरेन्द्र देव पाण्डेय	द्वितीय	द्वितीय	द्वितीय	द्वितीय	
१७	श्री ओंकार नाथ त्रिपाठी	द्वितीय	द्वितीय	तृतीय	द्वितीय	
१८	श्री प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव	द्वितीय	तृतीय	द्वितीय	प्रथम	बी० एड०
१९	श्री राम हित मिश्र	प्रथम	द्वितीय	द्वितीय	प्रथम	
२०	श्री प्रताप नारायण त्रिपाठी	प्रथम	तृतीय	द्वितीय	द्वितीय	
२१	कु० रंजन कुमारी त्रिपाठी	प्रथम	द्वितीय	द्वितीय	द्वितीय	
२२	श्री राम प्रकाश मिश्र	द्वितीय	प्रथम	द्वितीय	प्रथम	
२३	श्री राम पाण्डेय	द्वितीय	द्वितीय	द्वितीय	प्रथम	
२४	श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव	द्वितीय	द्वितीय	द्वितीय	प्रथम	
२५	श्री सत्य नारायण सिंह	तृतीय	तृतीय	..	द्वितीय	पी-एच० डी०
२६	श्री विजय प्रकाश मिश्र	द्वितीय	द्वितीय	द्वितीय	प्रथम	पी-एच० डी०

नत्थी 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या ६५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२१४ पर)

सूची

क्रम संख्या	विद्यालय का नाम	अनुपस्थित पाये गये अध्यापक/अध्यापिकाओं का नाम
१	२	३
१	प्राइमरी पाठशाला, कन्दैला	श्री राम हर्ष, सहायक अध्यापक ।
२	प्राइमरी पाठशाला, विजयपुर	श्री जगदीश सिंह, सहायक अध्यापक ।
३	कन्या प्राइमरी पाठशाला, कुण्डासर	श्रीमती अलिया खान, सहायक अध्यापिका।
४	जूनियर हाई स्कूल, भूपतपुर चौकी	श्री अयोध्या प्रसाद, प्रधानाध्यापक ।
५	प्राइमरी पाठशाला, सुहेलनगर	श्री रजब अली, सहायक अध्यापक ।
		श्री यज्ञ राम तिवारी, सहायक अध्यापक।
		श्री धनी राम तिवारी, सहायक अध्यापक।
६	कन्या जूनियर हाई स्कूल, बाबागंज	कुमारी जाकिया बेगम, सहायक अध्यापिका।
		कुमारी कैशर जहां, सहायक अध्यापिका ।
७	कन्या जूनियर हाई स्कूल, रुपईडीहा	कु० प्रभा कुमारी गुप्त, सहायक अध्यापिका।
८	कन्या जूनियर हाई स्कूल, मठेरा	श्रीमती उमेश्वरी देवी, प्रधानाध्यापिका ।
		श्रीमती कमरुन्नसा, सहायक अध्यापिका।
		कु० कुसुम खरे, सहायक अध्यापिका ।
९	प्राइमरी पाठशाला, बराइपारा	श्री राम सागर, प्रधानाध्यापक ।
		श्री पारस नाथ, सहायक अध्यापक ।
		श्री समी उल्ला, सहायक अध्यापक ।
१०	प्राइमरी पाठशाला, करौंदा	श्री मोहले राम, प्रधानाध्यापक ।
		श्री शहजाद खां, सहायक अध्यापक।
११	कन्या प्राइमरी पाठशाला, भूपतपुर चौकी	श्रीमती मिथिलेश श्रीवास्तव, सहायक अध्यापिका ।
१२	कन्या प्राइमरी पाठशाला, रुपईडीहा	श्रीमती प्रमीला देवी, सहायक अध्यापिका।

नत्थी 'च'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या ७४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२१६ पर)

सिंचाई उपखंड, आजमगढ़ द्वारा विभिन्न कार्यों पर खर्च के विवरण की तालिका

क्रमांक	परियोजना एवं कार्य का विवरण	वर्ष १९७७-७८ में भंडार युक्त व्यय (३/७८ तक) लाख रुपये में प्रथम उपखंड	वर्ष १९७८-७९ (९/७८ तक) में भंडार युक्त व्यय लाख रुपये में प्रथम उपखंड
१	२	३	४
१	दोहरीघाट सहायक परियोजना	२९.५१८	४.८९०
२	दोहरीघाट समानान्तर नहर		..
३	इन्दारा राजबाहा का रिमोडलिंग		१.०७१
४	क्षतिग्रस्त सिंचाई कार्यों की मरम्मत	६.९६०	..
५	नहरों का अनुरक्षण एवं मरम्मत	३.०१०	२.३९०
६	नालों का अनुरक्षण एवं मरम्मत	०.२२०	..
७	बांधों का अनुरक्षण एवं मरम्मत	०.१७०	..
८	लघु सिंचाई योजना का निर्माण	०.२९९	..
		४०.१७७	८.३५१

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'छ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या ७८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२१७ पर)

राजकीय हायर सेकेन्डरी बालिका विद्यालय, महमूदाबाद (सीतापुर) में शासन देश संख्या यू० ओ० १९३/१५ (५)-७६ दिनांक २१-६-७६ द्वारा सृजित अध्यापकों के पद वेतनमान

	रु०	
१--प्रधानाध्यापिका	४५०-९५०	१ पद।
२--सहायक अध्यापिका (एल० टी० वेतन-क्रम)	३००-५५०	५ पद।
३--सहायक अध्यापिका (सी० टी० वेतन-क्रम)	२५०-४२५	५ पद।

प्रसंगत विद्यालय में नियुक्त की गई अध्यापिकाओं, जो परिषदीय विद्यालयों में धारित थीं, का विवरण

नाम	पूर्वधारित पद का वेतनमान	जिस पद पर नियुक्त की गई उसकी निर्धारित अर्हता	अध्यापिका की योग्यता	अन्य विवरण
	रु०			
१--श्रीमती सैयदा बावनी रिजवी	२४०-३९०	प्रशिक्षित स्नातक	एम०ए० बी०एड०	एल०टी० वेतन-मान में (३००-५५०) नियुक्ति दी गई।
२--कुमारी उर्मिला श्रीवास्तव	२१०-३३०	तदेव	बी०ए० बी० एड०	तदेव
३--श्रीमती शफिका खातून	२१०-३३०	तदेव	बी०ए० बी०एड०	तदेव
४--श्रीमती भवधेश श्रीवास्तव	२१०-३३०	तदेव	बी०ए० बी० एड०	तदेव
५--श्रीमती विनोद मिश्रा	२१०-३३०	तदेव	बी०ए० बी० एड०	तदेव
६--श्रीमती जया चतुर्वेदी	२१०-३३०	हाई स्कूल बी०टी०सी०	इन्टर एच० टी० सी० विद्या विनोदिनी	सी० टी० वेतन-क्रम २५०-४२५ के विरुद्ध बी० टी० सी० वेतन-क्रम २००-३२० में नियुक्ति दी गई।
७--श्रीमती मनोरमा श्रीवास्तव	२१०-३३०	तदेव	बी० ए० बी० टी० सी०	तदेव

काली चरण,
शिक्षा मंत्री।

पी० एस० यू० पी०--५० वि० सभा-७-७-७९--८३५ (पी० डी०)।

सत्यमेव जयते